छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026

(फाल्गुन 18, शक सम्वत् 1947)

[अंक 06]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026

(फाल्गुन 18, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए}

बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा टी20 वर्ल्ड कप विजय पर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कल भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है ।

श्री भूपेश बघेल :- बधाई ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हम सभी लोग सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के जांबाजों को वर्ल्ड कप जीतने के लिये बहुत-बहुत बधाई देते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- चलिये, आपका मैं स्वीकार करता हूं लेकिन आप यह भी स्वीकार कर लीजिये कि जो सैमसन था, वह मलयालवी केरल का आदमी है और उसी केरल के नन यहां आये थे तो आपके लोगों ने उसके साथ पीटा था तो उसको भी थोड़ा लज्जा डालते हुए करियेगा ।

राष्ट्रकुल दिवस पर अनौपचारिक उल्लेख

सभापति महोदय :- जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है ।

तदनुसार, आज सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026 को **"**राष्ट्रकुल दिवस**"** पर राष्ट्रकुल देशों ने एक समृद्ध राष्ट्रमण्डल हेतु एकजुटता से अवसरों की खोज को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है ।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है । विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी, जिनमें धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह राष्ट्रकुल में सम्मिलित है । इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है ।

आईये, हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय "एक समृद्ध राष्ट्रमण्डल हेतु एकजुटता से अवसरों की खोज" को मूलमंत्र मानते हुए, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने का संकल्प लें ।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं । (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वर्ष 2025-26 में हुई धान की खरीदी एवं उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 1451) श्री बघेल लखेश्वर :- क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए बस्तर संभागांतर्गत जिलों में पंजीकृत किसानों की संख्या, धान की खरीदी हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि सहित कितने किसानों ने प्रथम किस्त में व कितने किसानों ने दूसरे किस्त में धान जमा किए तथा कितने किसान धान जमा ही नहीं कर पाए, जानकारी जिलावार बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में धान के उठाव की अद्यतन स्थिति बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए बस्तर संभागांतर्गत जिलों में पंजीकृत किसानों की संख्या एवं धान खरीदी की मात्रा की जिलावार जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में धान के उठाव की दिनाँक 19.02.2026 की स्थिति में जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

क्र.	जिला	कस्टम मिलरों द्वारा धान का उठाव	परिवहनकर्ता द्वारा धान का उठाव	कुल उठाव
1	बस्तर	14474.49	32372.37	46846.86
2	बीजापुर	14165.95	7722.64	21888.59
3	दन्तेवाड़ा	6763	2994	9757

[1] परिशिष्ट "एक"

4	कांकेर	79228.06	68300.26	147528.3
5	कोंडागांव	12859.74	46052.04	58911.78
6	नारायणपुर	8029.5	9353.56	17383.06
7	सुकमा	11851.53	4756.61	16608.14

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने धान खरीदी के संबंध में प्रश्न लगाया था और मंत्री जी का जवाब आया है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने एक तो धान खरीदी और उठाव के संबंध में जानकारी प्रपत्र में दी है लेकिन एक शब्द यह उल्लेख किया है कि प्रथम और द्वितीय किश्त में धान जमा किये जाने से संबंधित को औचित्य नहीं है ऐसा आपने उल्लेख किया है । आपने धान खरीदी कब शुरू की और धान खरीदी कब और दूसरी किश्त में आपने बढ़ाया ? कृपया इसका थोड़ा उल्लेख करेंगे ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने बस्तर संभाग के धान खरीदी के संदर्भ में जानकारी चाही है । इसकी जानकारी दी गयी है । बस्तर संभाग में कुल पंजीकृत कृषक 2 लाख 72,641 हैं, धान बेचने वाले कृषक 2 लाख 28,029 हैं । कुल उपार्जित धान 13.74 लाख मीट्रिक टन, यह खरीदी हुई है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह पूछा था कि आपने धान खरीदी कब शुरू की और कब उसका समाप्त था ? और दूसरी किश्त में कब खरीदे हैं ? यह वाली बात थी । आपने बताया है कि प्रश्न का औचत्य नहीं है तो मैंने बोला कि कब शुरू किये थे और दूसरी किश्त में कब खरीदे

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वहां 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू की गयी थी, जो 31 जनवरी तक चला और इसके बाद कुछ जो सत्यापन हुआ था, जो टोकन कटा था वह बच गया था। तो फिर से किसानों की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 एवं 6 फरवरी को समय दिया गया। इन दो दिनों में और धान खरीदी हुई है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्। लेकिन आपका धान खरीदी का लक्ष्य क्या था? आपने कितने किसानों का धान खरीदा, आपने उसके संबंध में उल्लेख किया है, लेकिन हमारे बस्तर संभाग में 44 हजार से अधिक किसानों का धान खरीदी नहीं हुई, ऐसे कौन से किसान हैं, जिनका किस कारण से धान खरीदी नहीं हुई और उनमें कितने वनाधिकार पट्टाधारी थे, कितने ऋणी थे और कितने अऋणी थे, आप इसे थोड़ा स्पष्ट करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वहां पर जितने किसानों के द्वारा धान खरीदी केन्द्र में धान लाया गया, हमने उनका धान खरीदा है और हमारे वरिष्ठ विधायक जी पूछ रहे हैं कि जो

44612 किसान हैं, इन लोगों ने धान नहीं बेचा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो किसान हैं इन्होंने धान खरीदी केन्द्र पर धान ही नहीं लाया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, जिस किसान ने कर्ज लिया है और वह किसान धान खरीदी केन्द्र पर धान नहीं ले जाएगा। वहां आपकी लचर व्यवस्था थी। आपने किसानों से यह कहा है कि हम आपका 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और आपको 3100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे। आपको दुनिया भर के प्रपंच करने की क्या जरूरत है ? आपको carry forward चाहिए, उसका सत्यापन करना है, आपने दुनिया भर के नाटक करके किसान को बर्गलाया। वहां एक-एक किसान 10-15 बार तहसील कार्यालय, एस.डी.एम. कार्यालय, कलेक्ट्रेट और खाद्य विभाग में चक्कर काटता रहा, लेकिन आपने उन किसानों का धान नहीं खरीदा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां धान खरीदी की व्यवस्था बहुत लचर थी...।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। मुझे इसमें आपका संरक्षण चाहिए। यह धान खरीदी का मामला गंभीर है। वहां धान खरीदी के मामले में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। चाहे पिछले साल की धान खरीदी का मामला हो, चाहे इस साल की धान खरीदी का मामला हो। कोई ईंट, गिट्टी, मुरूम खरीद रहा है, कोई पानी डाल रहा है, आप यह देख तो रहे हैं। इसके बारे में पूरा सदन जानना चाहता है और प्रदेश के किसान भी जानना चाहते हैं। मुझे इसमें आपका संरक्षण चाहिए। इसमें मैं माननीय मंत्री जी विस्तृत जवाब चाहूंगा। आपने यह कहा कि वहां कोई किसान धान खरीदी केन्द्र पर धान ही नहीं लाया, वह अपना धान बेचने ही नहीं आया, परन्तु वहां किसान भटकता रहा। वहां आपने इतना नियम-कानून बना दिया था, आपने उन नियम कानूनों का समय में पालन नहीं करवाया। एक तो आपने उसे किसान को जारी नहीं किया। पिछले साल किसानों ने पंजीयन किया, उसके आधार पर किसान अगले साल बेचना चाहता है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह प्रश्न ही है। इसी को स्पष्ट करेंगे।

सभापति महोदय :- आप सीधे-सीधे प्रश्न करिये। प्रश्नकाल में यही होता है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनमें किसान वनाधिकार पट्टाधारी हैं, कितने किसान ऋणी हैं और कितने अऋणी हैं, आप उनकी संख्या बता देंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक जी के द्वारा वनाधिकार पट्टे के संबंध में जानकारी नहीं चाही गयी थी, अगर वनाधिकार पट्टे के संबंध में ऐसा कुछ है और दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां जो भी किसान पंजीयन करवाते हैं तो उनका

शतप्रतिशत धान नहीं बिकता है। मैं पुराना, आप लोगों के कार्यकाल का भी बताना चाहता हूँ कि जितना पंजीयन होता है, उतना धान शत-प्रतिशत कोई भी वर्ष नहीं बिका है । अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता हूं । जो किसान खरीदी केन्द्र में धान बेचने आये हैं, उसका पूरा धान खरीदा गया है । मैं आपको बता देता हूं । जैसा कि 2018-19 में कुल पंजीकृत किसान थे..|

श्री भूपेश बघेल :- वह तो पूछा ही नहीं गया है ।

श्री दयालदास बघेल :- वही तो मैं बता रहा हूं । आपके कार्यकाल में शत-प्रतिशत धान नहीं खरीदा गया है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, क्या उसी को रटते रहेंगे क्या ? इतने साल तक वही बात करते रहेंगे ।

श्री दयालदास बघेल :- चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, शत-प्रतिशत धान नहीं खरीदा गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्वाइंटेड प्रश्न है । आसंदी से व्यवस्था दी गई कि ये बताईए कि कितने किसान ऋणी हैं, जिनका धान नहीं पट पाया, कितने अऋिणी हैं और कितने किसान वनाधिकार पट्टा वाले हैं ? बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा गया है । आप तो 2018-19 में चले गए ।

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, आप प्रश्न देख लीजिए । जितनी ऋणी हैं और जितने अऋणी हैं, उसके संबंध में मैं एक ही लाईन में कहना चाहूंगा कि जो भी किसान खरीदी केन्द्र धान बेचने आये थे, उनका धान खरीदा गया है । आपके प्रश्न में ऋणी अऋणी की जानकारी संबंधी प्रश्न पूछा ही नहीं गया है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- पूछा नहीं है, पर अनुपूरक प्रश्न बनता है । हम लोग सब लिखित प्रश्न में पूछेंगे तो पूरक में क्या प्रश्न पूछेंगे ? कितना ऋणी है, कितना अऋणी है, उतना ही बता दीजिएगा ।

श्री विक्रम मण्डावी :- वन पट्टा के बारे में पूछा गया है ।

श्री दलेश्वर साहू :- कितना ऋणी है, कितना अऋणी है, कितना आवेदन आया है, उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- बाजू से पूछ लीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, प्रश्न में कितना ऋणी है, कितना अऋणी है, इसके बारे में तो पूछा ही नहीं गया है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को जानकारी लेकर उपलब्ध करा देंगे क्योंकि आपसे प्रश्न नहीं पूछा है तो वह वास्तव में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

श्री लखेश्वर बघेल :- मैंने पूरक प्रश्न पूछा है । उद्भूत होने की बात नहीं है । पूरा सदन जानना चाहता है, बस्तर के किसान ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के किसान भी जानना चाहते हैं । मैंने डिटेल दिया है ।

सभापति महोदय :- आपने ऋणी और अऋणी के बारे में पूछा होता तो मंत्री जी ने डिटेल में जानकारी दी होती । आपके प्रश्न में यह नहीं है इसलिए उद्भूत नहीं होता, लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जानकारी लेकर आप माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री दयालदास बघेल :- मैं उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, धान खरीदी के संबंध में मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैंने प्रश्न करने के लिए हाथ उठाया है ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए न ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आसंदी से यह व्यवस्था आ गई है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह उद्भूत नहीं होता, लेकिन लखेश्वर जी ने जो प्रश्न पूछा था, मैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लेता हूं । उन्होंने लिखित में आपसे प्रश्न पूछा है कि कितने किसानों ने दूसरे किस्त में धान जमा किए तथा कितने किसान धान जमा नहीं कर पाये । कृपया करके जिलावार बताएं । किसानों ने धान जमा किया है, वह तो आपने बता दिया । धान जमा नहीं किये हैं, वह कितने किसान हैं, नम्बर-एक। नम्बर-दो, इसमें आप यह बता दीजिए कि आपने कितने किसानों को समर्पण कराया और कितने किसान बिना समर्पण के हैं ? कितने किसानों ने समर्पण कराया, वह बता दीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, माननीय भूपेश जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको बताने की क्या जरूरत है कि वरिष्ठ हैं । उसमें कोई डाउट है क्या ? (हंसी) वे वरिष्ठ हैं, उनको सब जानते हैं । उसमें डाउट क्या है?

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, समर्पण के संबंध में पूछा ही नहीं गया है । मैं माननीय नेता जी को यह बता देता हूं कि 2025-26 में बस्तर में 9606 किसानों ने धान नहीं बेचा है । बीजापुर में 2862, दंतेवाड़ा में 6412, कांकेर में 9457, कोंडागांव में 7734, नारायणपुर में 4237 और सुकमा 4284 किसानों ने धान नहीं बेचा है । इस तरह कुल 44612 किसान धान बेचने के लिए धान खरीदी केन्द्र में उपस्थित ही नहीं हुए ।

श्री भूपेश बघेल :- कितने किसानों ने समर्पण किया है, मैं यही प्रश्न तो पूछ रहा हूं ? मैं यही पूछा रहा हूं कि कितने किसानों से समर्पण कराये हैं । किसानों से जबरिया समर्पण कराए हैं ।

श्री विक्रम मण्डावी :- किसान धान बेच नहीं पाये । वे धान बेचने के लिए लाईन लगाए थे, लेकिन उनका धान नहीं लिया गया है । बहुत से किसान हैं, जिन्होंने कर्ज लिया है ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- भानुप्रतापपुर में भी कम से कम 3000 किसान धान नहीं बेच पाये ।

श्री लखेश्वर बघेल :- मैंने प्रश्न में सब चीज लिखा हुआ है ।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न में समर्पण के सम्बन्ध में पूछा ही नहीं गया है। आप देख लीजिये, आप पढ़कर देख लीजिये। आपने उठाव की स्थिति पूछा है। मैंने धान के सम्बन्ध में जानकारी दिया है और कितने किसानों ने बेचा है, उसके सम्बन्ध में जानकारी दे रहा हूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, किसानों की संख्या दी है।

सभापति महोदय :- देखिये, आपका प्रश्न हो गया था। उसके बाद नेता जी ने प्रश्न पूछा और उनके प्रश्न का मंत्री जी ने जवाब दे दिया। श्री ललित चन्द्राकर।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी समर्पण कराया है, यह प्रश्न इससे कैसे उद्भुत नहीं होता है ?

सभापति महोदय :- मैं तो कह रहा हूं कि आप उस प्रश्न को पूछ लीजिये और मंत्री जी जवाब देंगे। उनके पास जो जवाब होगा, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आपने संख्या बता दिया कि इसमें इतने किसानों ने दूसरे किस्म का धान बेचा। फिर आपने यह बता दिया कि 44 हजार किसान हैं, जिन्होंने धान नहीं बेचा। अब मेरा सवाल यही है कि उसमें कितने किसानों का समर्पण कराया ? कितना आवेदन आया और कितना जबरिया समर्पण कराया और उसमें से कितने किसानों का अभी ऋण बचा हुआ है ? यह उनका मूल प्रश्न है।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह मूल प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जो आप पूछ रहे हैं वह इस प्रश्न में है ही नहीं। आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

सभापति महोदय :- श्री ललित चन्द्राकर।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न।

सभापति महोदय :- अब प्रश्न आगे बढ़ गया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं है। प्लीज आपका सरंक्षण चाहिए।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल में यही होता है कि मूल प्रश्नकर्ता के बाद जो अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद प्रश्न आगे बढ़ जाता है। श्री ललित चन्द्राकर।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, उठाव के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहता हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन दुकानों की आबंटन प्रक्रिया

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 1255) श्री ललित चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन दुकान आबंटन की कार्यवाही/प्रक्रिया की जानकारी देवें? (ख) एक समूह को कितने दुकान आबंटन करने का प्रावधान है? (ग) राशन दुकान संचालन का नियत स्थान बदलने के नियम/प्रावधान की जानकारी देवें? उक्त प्रश्नी 'क', 'ख' अनुसार दुर्ग जिले में कितने समूहों के द्वारा एक से अधिक राशन दुकान संचालित किए जा रहे हैं? क्या उनका नियत संचालन स्थान बदला गया है? यदि हां तो समूह का नाम, संचालक का नाम, ग्रामवार जानकारी बताएं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान आबंटन प्रक्रिया की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में सामान्यतः किसी भी अभिकरण को उसके क्षेत्र में केवल 01 उचित मूल्य दुकान आबंटित की जा सकेगी। किंतु राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु दुकान आबंटन प्राधिकारी विधि मान्य कारण दर्शाते हुए 01 से अधिक दुकान आंबटित कर सकेगा। किंतु किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार आवंटित दुकानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होगी। (ग) उचित मूल्य दुकान का संचालन स्थल हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा के अनुसार दुकान आबंटन प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाता है। दुर्ग जिले में 42 दुकान संचालन एजेंसियों द्वारा 01 से अधिक उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। जी नहीं, इन उचित मूल्य दुकानों का संचालन स्थल नहीं बदला गया है। 01 से अधिक उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाले एजेंसियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पत्र 'ब' में 42 ऐसे एजेंसी की जानकारी दी गई है, जिसके द्वारा एक से अधिक उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कण्डिका 9 (4) के तहत उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किसी भी अभिकरण को एक उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया जाना है। मगर किसी भी स्थिति में 2 उचित मूल्य की

दुकानों से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु दुर्ग जिले में खाद्यान्न विभाग के द्वारा नियमों को ताक में रखकर 11 एजेंसियों को 2 से अधिक दुकानें दी गई हैं। माननीय मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त दुकानों के भण्डारण की क्या व्यवस्था है ? आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों में कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? उक्त दुकानों में भण्डारण की क्या व्यवस्था है ? माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि नियमों के विपरीत 2 राशन दुकानों से अधिक दुकानों का संचालन करने वाले एजेंसियों की राशन दुकानें तत्काल निरस्त करने की घोषणा करें एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे जो जानकारी दी गई है, उससे भी अतिरिक्त 6 लोग 2 से अधिक राशन दुकान चला रहे हैं।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, दुर्ग जिले में 11 समूह है, जो दो दुकान से अधिक दुकानें चला रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दुकानें संलग्न भी होती हैं। जैसे किसी दुकान के बारे में शिकायत आ गई और दुकान की जांच में गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको निरस्त करके किसी पास के दुकान में संलग्न कर दिया जाता है। उसी प्रकार से दुकानों को संलग्न किया गया है। ऐसे 11 समूह हैं, यदि आप कहें तो मैं विधायक जी को पढ़कर बता देता हूं। 1. मां लक्ष्मी समूह स्वसहायता समूह, इसकी मूल 1 दुकान है, इसमें 2 दुकानों को संलग्न किया गया है, कुल मिलाकर 3 दुकानें चल रही हैं। 2. नारी जागृति महिला स्वसहायता समूह की मूल 1 दुकान है, इसमें 2 दुकानें संलग्न हैं। 3. दुर्गा दीदी बैंक के पास मूल 2 दुकानें हैं, उसमें 1 दुकान संलग्न है। नव साक्षर दीदी बैंक, मूल 3 दुकानें हैं, उसमें संलग्न नहीं हुआ है। 4. पवित्र महिला मण्डल के पास मूल 3 दुकानें हैं, उसमें 1 दुकान संलग्न किया गया है। 5. इसी प्रकार मां लक्ष्मी दीदी बैंक के पास कुल 3 दुकानें हैं, इसमें भी संलग्न नहीं है। आधुनिक जागृति महिला स्वसहायता समूह के पास मूल 1 दुकान है, उसमें 2 दुकान संलग्न है। 6. नारायणी मांत्रेय स्वसहायता समूह के पास 1 मूल दुकान है, उसमें 3 दुकानें संलग्न हैं, कुल 4 दुकानें चला रही हैं। 7. कालीमांई स्वसहायता समूह मूल 1 दुकान है, उसमें 2 दुकानें संलग्न हैं। नवजन कल्याण महिला स्वसहायता समूह के पास मूल 1 दुकान है, उसमें दो संलग्न हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से ये कुल 11 दुकान हैं। एक दुकान उसमें और है- कनक महिला स्व-सहायता समूह। कुल दुकान एक है, उसमें दो दुकान संलग्न किए गए हैं। इस तरह 11 दुकान हैं, जिसमें दो से अधिक दुकान चला रहे हैं।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था कि 11 दुकान की जानकारी इसमें दिए हैं, लेकिन 11 दुकान से भी अधिक दुकानें वहां संचालित हैं, जबकि वह नियम के विरुद्ध है। क्या मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, क्या है वैसे दो दुकान चलाने के बारे में मैंने आदरणीय विधायक जी को बताया है और कुछ दुकान जो हैं, दो से अधिक दुकान चला रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इसका मैं परीक्षण करा लेता हूं और जहां-जहां आवश्यकता है, वहां नए दुकान आवंटन की प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को निर्देश करता हूं।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि जो गलत आवंटन हुए, क्या मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, ये दो से अधिक दुकान के संबंध में तो मैंने बता दिया और जो गलत आवंटन है, वैसे बताया जो आवंटन है और उसमें जो संलग्न किया जाता है तो संलग्न तो विशेष परिस्थिति में किया जाता है। अगर कोई दुकान को हम निलंबित करते हैं तो कोई दुकान पर उसको संलग्न कर देते हैं। इस तरह ऐसी कोई भी दुकान है तो आप बता दीजिए, दे दीजिए, उसको मैं दिखवा लेता हूं।

सभापति महोदय :- आप पर्टिकुलर लिख कर दे दीजिए न ।

श्री ललित चन्द्राकर :- मेरे पास जानकारी है, मैं मंत्री जी को दूंगा।

सभापति महोदय :- श्री कवासी लखमा।

श्री ललित चन्द्राकर :- महोदय जी, और प्रश्न है। और प्रश्न है।

सभापति महोदय :- जल्दी करें।

श्री ललित चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9 अनुसार उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को किया जाएगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा जिसे सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, उल्लेखित हो। किंतु दुर्ग जिला में नियम विरुद्ध वंदना स्व-सहायता समूह का पंजीयन 2025 में हुआ है और दुकान का आवंटन पंजीयन तिथि 4 वर्ष पूर्व 2021 में किस नियम के तहत आवंटित किया गया है? इसकी उचित स्तरीय जांच करायी जावे तथा नियम विरुद्ध आवंटित दुकान को तत्काल निरस्त किया जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावे।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं विधायक जी से अभी भी बोल रहा हूं कि वे दुकान का नाम दे देंगे, मैं उसको दिखवा लूंगा।

सभापति महोदय :- श्री कवासी लखमा।

बस्तर संभाग के जिलों में धान का उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 1349) श्री कवासी लखमा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर बस्तार, कोंडागांव तथा सुकमा में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या,, रकबा, धान क्रय करने वाले किसानों की संख्यार, उनका रकबा तथा धान की मात्रा, जिलेवार बताएं ? **(ख)** पंजीकृत किसानों की अपेक्षा धान का विक्रय करने वाले किसानों की संख्याउ कम होने के कारण क्यां-क्यां हैं? **(ग)** उपरोक्ता जिलों में टोकन के लिए कितने-कितने किसानों ने आवेदन किया तथा कितने-कितने किसानों को टोकन जारी किया गया? टोकन जारी नहीं किये गये किसानों की संख्यास तथा कारण बताएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोण्डगांव तथा सुकमा में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या, रकबा, धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या, रकबा तथा धान की मात्रा की जिलेवार विवरण निम्नानुसार है -

(रकबा हेक्टेयर में, धान की मात्रा मेट्रिक टन में)

जिला	**समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या**	**समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने के लिए पंजीकृत किसानों का रकबा**	**धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या**	**धान विक्रय करने वाले किसानों का कुल रकबा**	**धान खरीदी की मात्रा**
बस्तर	50273	75388.728	40667	66725.23	281742.56
दंतेवाड़ा	13930	35544.809	7518	23448.16	22842.08
कोंडागांव	55205	80843.055	47471	75236.45	323630.48
नारायणपुर	11972	17114.612	7715	12628.97	38950
सुकमा	18833	42756.354	14549	37171.6	86730.96

(ख) किसानों द्वारा धान विक्रय हेतु टोकन अनुसार उपार्जन केन्द्र में लाये गये समस्त मानक धान की खरीदी की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता है। **(ग)** किसानों से धान विक्रय हेतु जारी टोकन मात्रा सहित एवं टोकन के माध्यम से उपार्जन की जानकारी निम्नानुसार है -

(मात्रा मेट्रिक टन में)

जिला	कृषकों को जारी टोकन एवं मात्रा		टोकन से खरीदी मात्रा	
	संख्या	धान की मात्रा	संख्या	धान की मात्रा
बस्तर	46581	297127.80	46581	281742
दंतेवाड़ा	8621	30857.06	8621	22842
कोंडागांव	56818	343968.20	56818	323630
नारायणपुर	8682	47836.26	8682	38950
सुकमा	15844	101338.20	15844	86730

शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बस्तर संभाग में पहला क्वेश्चन था। उसी प्रकार का फिर मेरा भी क्वेश्चन है। वह बस्तर संभाग का था, मेरा पांच जिला का था। स्वयं इसी प्रकार दोनों क्वेश्चन का मिला जुला उत्तर दिए, मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बस्तर आदिवासी जिला है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। हमारे इतने आदिवासी लोगों का पंजीयन होने के बाद धान खरीदी क्यों नहीं हुई? क्यों उन लोगों की धान खरीदी नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा, लेकिन सभापति जी, कर्जा लिए थे, लोग के.सी.सी. के लिए लोन लिए थे, बेटी की शादी करनी है, विवाह करना है, घर बना रहे हैं, धान खरीदी नहीं होने के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है । इसलिए मैं पहले मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि पांच जिला में 32,200 चिल्हर किसानों की धान खरीदी क्यों नहीं किये, वे बताएं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि धान खरीदी क्यों नहीं की गयी है, मैं वही कहना चाहूंगा कि जो किसान धान खरीदी केंद्र पर धान लेकर आए, उसका धान हम खरीदे हैं। धान नहीं खरीदा गया है, यह कहना उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हम जो किसानों खरीदी केंद्र तक के धान लेकर आए, उसका धान खरीदी किए हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 700 चिल्हर किसानों को टोकन जारी हुआ था और टोकन जारी होने के बाद भी उनके धान की खरीदी नहीं की गई। 32,200 किसानों का धान खरीदी हेतु पंजीयन किया गया था, उनका भी धान खरीदी नहीं हुई है। इसलिए मैंने एक छोटा-सा प्रश्न पूछा है कि उसका क्या कारण है? मतलब उनका पंजीयन भी हुआ, गिरदावरी भी हुआ, उसके बाद भी धान खरीदी क्यों नहीं हुई? बस्तर के लोगों के द्वारा अनेक बार चक्का जाम, हड़ताल के बाद भी धान खरीदी नहीं होने से अब वे आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में व दूसरे राज्यों में अपना धान बेच रहे हैं। 32,000 किसानों को 206 करोड़ रुपये मिलने थे। उसका भरपाई कौन करेगा? उन लोगों में आपने आशा भरा। आपके घोषणा-पत्र में बड़े-बड़े शब्दों में लिखा था कि हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। इसलिए किसान ज्यादा

मेहनत किए थे, वे लोन लिए थे, खाद लिए थे, बीज लिए थे, पाला लगाए थे। उन किसानों का क्या होगा? उनका कर्जा किसान पटाएगा?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, प्रतिवर्ष जो धान खरीदी होती है, उसमें जो ऋणी किसान होते हैं, उनका भी हम धान खरीदी करते हैं। अगर वह स्वयं धान बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र में उपस्थित नहीं होता, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? जो ऋणी किसान हैं, जो ऋण लिए हैं, वह लोग नगद में भी जमा किए हैं। मैं पूरा उदाहरण रखा हूँ, उसको मैं बता दूँगा।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, यह असत्य है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, वह आंध्र प्रदेश के लगा हुआ क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है। यह 'नियद नेल्लानार' बना रहे हैं बोल कर भाषण देते हैं। किसान का धान खरीदी करेंगे तो 'नियद नेल्लानार' कब बनेगा? रोज बड़ा-बड़ा भाषण होता है कि हम 'नियद नेल्लानार' बना रहे हैं। छत्तीसगढ़िया आता नहीं है, इतना कौन लिख दिया और 'नियद नेल्लानार' बन गया। धान खरीदी नहीं हुई है, मेरे इसकी सूची है। मैं पटल पर रख देता हूँ। गोलापल्ली में टोटल आदिवासी लोग हैं, वहां दोरला जाति के लोग हैं। गोलापल्ली, किस्टाराम, भेजी, कोंटा, मैं पूरा बस्तर का नहीं बता रहा हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र का तीन धान खरीदी केंद्र है–किस्टाराम, गोलापल्ली, कोंटा, भेजी। मेरे पास यह लिस्ट है। उन लोगों का अभी तक धान रखा है। धान रखने के बाद पटवारी जाता है, उसका जाँच करता है, ऊपर से उसके ऊपर में केस किए। क्या यह सरकार का नियम है? जो लोग धान बेच नहीं पाए हैं।, अभी उनको कर्जा पटाना है। क्या उनका कर्जा सरकार पटाएगी? मैं यह लिस्ट दे दूँगा।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जो कृषि ऋण लेता है, उसका भी हम धान खरीदते हैं। अगर वह बेचने के लिए ही खरीदी केंद्र नहीं आ रहा है, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? वे बैंक में नगद जमा किए हैं। मेरे पास में उदाहरण है। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, उनका टोकन कटा हुआ है, फिर भी उनका धान नहीं खरीदा गया है।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, कर्जा वाले किसान धान बेचने गये हैं, उसके बावजूद भी पहले से ही उनका रकबा समर्पण करवा दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसान अपना धान नहीं बेच पाये हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, क्रेडिट कार्ड किसको कहते हैं? आप भी किसान हैं। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के किसान लोग बैठे हुए हैं। के.सी.सी. किसको देते हैं? किसान का पट्टा लेकर देते हैं। बिना पट्टा वाले किसान को कर्जा नहीं मिलता है। शादी के लिए कर्जा अलग होता है, घर बनाने के लिए कर्जा अलग होता है, दुकान करने के लिए कर्जा अलग होता है। लेकिन यह किसान सिर्फ धान

लगाने के लिए, लेबर को देने के लिए कर्जा लिये हैं। अभी उनका धान उनके घर में है। अगर जाँच करेंगे तो उनका धान लेंगे या कर्जा पटाएंगे, यह बताइए?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने बस्तर संभाग में जिन पाँच जिलों के बारे में प्रश्न पूछा है, वहां पिछले कार्यकाल से इस साल दोगुना धान खरीदी हुई है। उसके बाद वे बोल रहे हैं कि धान खरीदी नहीं हुई है। जबकि हमने इस साल कहीं-कहीं पर तीन गुना भी धान खरीदी किये हैं। अब उसके बाद वे कहते हैं कि धान नहीं खरीदी नहीं हुई है। धान खरीदी कैसे नहीं हुई है?

श्री कवासी लखमा :- तीन गुना धान खरीदी कहाँ से हो रही है? सभापति महोदय, यह [xx] बोल रहे हैं। यह 900 लाख क्विंटल धान खरीदी पूरा नहीं कर पाए, फिर डबल खरीदी, ट्रिपल खरीदी कहाँ से हुई? ये [xx] बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक शब्द है। [xx][2] वाले शब्द को विलोपित किया जाये। मेरी बात सुनिए। सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। देखिये, धान का टोकन और उसका जो सत्यापन हुआ था, कुछ किसानों का वह धान रह गया था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन किसानों के लिये भी 5 फरवरी और 6 फरवरी को समय दिया है और उस दो दिन में जो बचा हुआ किसान था, हमने उसकी खरीदी किये हैं । यह कहना गलत है कि धान खरीदी नहीं हुआ है । `

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैं इसी में बोलना चाहूँगा कि दो दिनों में कितना धान खरीदी किये हैं ?

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, मेरे पास पूरा पांच साल का भी रिकार्ड है ।

श्री कवासी लखमा :- आप पांच साल का मत बताईये । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, उसमें तीन सोसायटियों में कितना धान खरीदी किये हैं, माननीय मंत्री जी यह बता दें ? दो दिन जो घोषणा किये हैं उसमें कितना क्विंटल धान खरीदी हुई है ? माननीय मंत्री जी यह बता दें कि किस्टाराम, गोलापल्ली, भेज्जी और कोंटा में कितना धान खरीदी किये हैं ? सभापति महोदय, मैं पूरे बस्तर का नहीं पूछ रहा हूँ ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी यह आपके प्रश्न में है कि नहीं है ?

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि दो दिन बढ़ाये हैं, धान खरीदी किये हैं, माननीय मंत्री जी के रिकार्ड में तो यह होगा। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताये कि इन चार सोसायटियों में दो क्विंटल लिये, 10 क्विंटल लिये, कृपया इसकी जानकारी प्राप्त कर लें और बता दें ?

---

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती शेषराज हरिवंश :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा पामगढ़ में...।

सभापति महोदय :- आपके विधान सभा में अभी नहीं आयेगा भई ।

श्रीमती शेषराज हरिवंश :- शेम प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- कहां बस्तर का मामला है और कहां आप पामगढ़ में आ गई ? अभी बोलने का बहुत अवसर मिलेगा । माननीय सदस्य, अंतिम क्वेश्चन ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यही क्वेश्चन है कि वहां आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना के पास के लोग हैं, वह नक्सलाईट क्षेत्र के लोग है, खेती आन्ध्रा और तेलंगाना में ज्यादा होता है, वह बार्डर एरिया है, उन लोग इतना कर्जा लिये हैं कि एक ही सोसायटियों में 20 हजार लोग कर्जा लिये हैं । सभापति महोदय, किस्टाराम और गोलापल्ली के लोग इतने परेशान है, मैं माननीय मंत्री जी से इसमें इतना ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि या तो बचा हुआ धान खरीद ले या पट्टा से किसानी का कर्जा लिये हैं तो उनका कर्जा माफ कर दे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अब हमारे विधायक जी पूछ रहे हैं तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो समिति में धान बेचने आये थे, उनका धान खरीदे हैं । मैं आज भी बोल रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, पूरे बस्तर में यही स्थिति है। किसान वहां परेशान हो रहे हैं, उनका धान नहीं लिया गया है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वहां धान खरीदे हैं, इसलिये माननीय विधायक जी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । वह तीन गांव का पूछ रहे हैं ।

सभापति महोदय :- श्रीमती विद्यावती सिदार ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं सभी के तरफ से प्रश्न कर लेता हूँ । सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी यह कहना बंद करे कि जो किसान बेचने आये हैं उनका धान हम खरीदे हैं । किसानों ने जो दूसरा या तीसरा टोकन लिये हैं, उनके घरों में आप सत्यापन करने गये हैं और आप कह रहे हैं कि जो किसान बेचने आये हैं उनका धान हम खरीदे हैं । मेरा प्रश्न यह है कि बस्तर के उसी पांच जिले में कितने किसान है, जिनका दूसरा टोकन कटा और उसके बाद भी वह धान नहीं बेच पाये हैं ? मैं आपके प्रश्न में सीमित हूँ । दूसरा प्रश्न यह है, मैं एक साथ सभी को मिलाकर बोल रहा हूँ कि ऐसे कितने किसान है जैसा कि लखमा जी ने कहा कि जो ऋणी है, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं, लेकिन वह किसान धान नहीं बेच पाये हैं, ऐसे किसान कितने हैं ? मेरा तीसरा प्रश्न एक साथ मिलाकर इसी में है कि जो ऋणी किसान है, इसमें मुख्यमंत्री ने 5 और 6 तारीख को बड़ी उदारतापूर्वक 2 दिन बढ़ाया था, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाये हैं । जो किसान ऋणी

हैं, उन किसानों का धान यह सरकार खरीदेगी क्या और नहीं तो क्या उनका कर्जा माफ करेगी ? मेरा यह प्रश्न है, इतना उत्तर दे दीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी भी हमारे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आपके कार्यकाल का है, अभी भी रिकार्ड में रखा हूँ...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, अभी का बताईये ना ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अपने कार्यकाल का बताईये ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अपना बताईये ? (व्यवधान)

श्री दयालदास बघेल :- आपके कार्यकाल का भी है । (व्यवधान) आप ऋणी किसान का धान खरीदे भी थे और कुछ लोगों का नहीं भी खरीदे थे । आप जिसका धान नहीं खरीदे थे उसका कर्ज माफ किया क्या ? माननीय सभापति महोदय, क्या है जो बेचने आये हैं उसी का धान खरीदे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, सीधा-सीधा उत्तर दीजिए कि जो किसान धान बेचना चाहते हैं...।

श्री दयालदास बघेल :- वह बेचा है ।

श्री भूपेश बघेल :- जिनका ऋण नहीं पटा है और वह बेचना चाहते हैं, उनके पास धान है तो उनका धान खरीदेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- श्रीमती विद्यावती सिदार ।

श्री भूपेश बघेल :- अभी जिनका ऋण नहीं पटा है और वह बेचना चाहते हैं, उनके पास धान है। क्या उसका धान खरीदेंगे ?

सभापति महोदय :- श्रीमती विद्यावती सिदार।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, बस्तर के किसानों का प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, ऐसे बहुत से किसान हैं, जिन्होंने धान नहीं बेचा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री भूपेश बघेल :- हम लोग आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी हो चुका है, नाइंसाफी किया है। इसलिए बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11.35 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

श्री दयालदास बघेल :- आपके पांच साल के कार्यकाल में भी हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आप लोगों का बहिर्गमन करने के सिवाय क्या उपाय है ? आप लोग तो सोचकर आते हैं। (व्यवधान)

श्री दयालदास बघेल :- आप लोग सुनने की क्षमता रखिए। जो भी किसान धान बेचने आए हैं, हमने उनका धान खरीदा है।

प्रश्न संख्या 4 : XX XX

दिव्यागजनों को पदोन्नति

[समाज कल्याण]

5. (*क्र. 1456) श्री प्रबोध मिंज : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 एवं छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 से पदोन्नति में न्यूनतम 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिव्यांगजन शासकीय सेवकों को दिया जाना है? **(ख)** यदि हां तो इसे छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया जावेगा? **(ग)** वर्ष 2022 से अब तक दिव्यांगजन को पदोन्नति में 4% आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में कब-कब, किन-किन के आवदेन विभाग को प्राप्त हुयें हैंएवं इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाहियां की गयी हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी नहीं। अपितु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 अनुसार "प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह वर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का 04 प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी", का प्रावधान है तथा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 के नियम-27 में "प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार आरक्षण रहेगा", का प्रावधान है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** वर्ष 2022 से अब तक समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांग शासकीय सेवकों के पदोन्नति का कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने जवाब दिया है...।

श्री अजय चंद्राकर :- विद्यावती जी, इसीलिए सोच-समझकर चक्कर में पड़ा करिए। भूपेश बघेल जी, खुद दूसरे के प्रश्न में तीन बार पूछ लिए और आपका मूल प्रश्न गया। अब पीछे-पीछे जाईए। (हंसी) क्या आपको जनता ने इसीलिए भेजा है ? आपको भूपेश बघेल जी के पीछे-पीछे घूमने के लिए नहीं भेजा है, अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- पीछे-पीछे घूमने के लिए नहीं भेजा है, गलती हो गई। अब नहीं होगी।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको पीछे-पीछे घूमने के लिए चुनकर नहीं भेजा है। अब वे दूसरे के प्रश्न में पूछेंगे।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास मंत्री जी से दिव्यांगजनों के पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि पदोन्नति का जो नियम है, अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने वाले जो पद हैं, उनके लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों की संख्या का 4 प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी का प्रावधान है तथा छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन अधिनियम 2023 के नियम 27 में प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार आरक्षण रहेगा का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने मूल प्रश्न के जवाब में 'जी नहीं' का उत्तर दिया है। उसके साथ मैंने जो बताया उसको उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदया जी से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मैंने जो नियम अधिनियम के बारे में पूछा है, उसमें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अधिनियम और नियमों के क्रियान्वयन के लिए उनके देख-रेख के लिए, उनके बाकी पदोन्नति या और भी आरक्षण के संबंध में देख-रेख करने के लिए समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न किया है। क्योंकि दिव्यांगजन ऐसी श्रेणी में आते हैं, उनके प्रति सबकी संवेदना होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर बताने से पहले माननीय सदस्य का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगी, उन्होंने पिछली बार भी दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न किया था, उसमें दो पदों का चिन्हांकन पूरा हो गया है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और प्रश्न के तत्काल बाद हमने संज्ञान लेते ही इसको पूरा किया है। सभापति महोदय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 अनुसार और छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 में पदोन्नति की बात कही है। इसमें माननीय सदस्य जानकारी चाह रहे हैं कि हम उन्हें नोडल अधिकारी बनाते हैं या नहीं? माननीय सदस्य का यही प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय जी, दिव्यांग कल्याण से संबंधित नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। आरक्षण का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाता है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से इसी संबंध में जानना चाहूंगा। मैंने उनसे पदोन्नति के संबंध में प्रश्न पूछा था, लेकिन उनके जवाब में आया है कि उसकी नियुक्ति और बाकी चीजों में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मैं इसमें थोड़ा सा यह जानना चाहूंगा कि जो नियम या अधिनियम है कि 2016 की धारा 34 के तहत और 2023 की धारा 27 के तहत किसी भी विभाग में जो सेवा में नियुक्ति की जाती है, वह किस प्रकार की जाती है? यदि इसकी जानकारी हो तो बताएं। इसके बाद मैं आगे प्रश्न पूछूंगा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, चूंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में जो 4 प्रतिशत आरक्षण की बात हम कह रहे हैं तो मैं इसके नियम के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार शासकीय सेवा के लिए प्रत्येक विभागों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, मैं पुन: यह जानना चाहूंगा, चूंकि मैंने भर्ती और पदोन्नति के बारे में प्रश्न पूछा था तो इन्होंने जवाब में कहा है कि इसमें जो भर्ती नियम है वह भर्ती के संबंध में कहा है, लेकिन मैंने पदोन्नति के बारे में प्रश्न पूछा था और पदोन्नति के संबंध में उन्होंने उत्तर में कहा है कि "जी नहीं", इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं है। इसीलिए मैंने यह जानना चाहा था कि भर्ती का तात्पर्य क्या है? उसमें किस प्रकार से भर्ती की जाती है? उसके बारे में यदि जानकारी हो तो बतायें, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार यह जो जवाब उन्होंने दिया है तो विभाग के लोगों ने उनको गलत जानकारी उपलब्ध कराई है और यह जो भर्ती के नियम हैं, नियम 6 में जो भर्ती का तरीका है इसके बारे

में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो प्रावधान दिया गया है उसमें इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। पहला ''क'' में दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा की जाएगी। ''ख'' में दिया गया है कि सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा दी जाएगी। ''ग'' में दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं के ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावें। यही नियम सभी विभागों में भर्ती नियमों में उल्लेखित है। चूंकि जब आरक्षण है और यदि सीधी भर्ती केवल सीधी परीक्षा से होती है तो उसमें 4 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन अभी तक चाहे कोई भी विभाग हो, इन विकलांगों को देखने वाला, उनकी पदोन्नति करने वाला कोई भी विभाग नहीं है। चूंकि नोडल अधिकारी व नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है तो समाज कल्याण विभाग को सारे विभागों को समन्वय करके यह हर विभाग में देखना चाहिए कि किस विभाग में पदोन्नति हुई तथा उनके लिए जो 4 प्रतिशत का प्रावधान है, वह उनको दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है? इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसमें जवाब में भी कहा गया है और भर्ती, सीधी भर्ती के बारे में बता दिया गया है, लेकिन भर्ती का तात्पर्य पदोन्नति से भी पदों की भर्ती करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे पद जिनकी पदोन्नति से भर्ती की जानी है तो इन भर्तियों को कब तक किया जाएगा? ऐसे जो विकलांग लोग हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें निर्देश जारी किया है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि उन्होंने प्रश्न में जो बात कही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 एवं छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार वर्ष 2016 से पदोन्नति की बात कही है, लेकिन यदि हम सीधी भर्ती में आरक्षण देते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 27 में नियम का प्रावधान है। चूंकि भारत सरकार 4 प्रतिशत आरक्षण दे रही है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- 7 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल पदोन्नति के बारे में जानना चाह रहा हूं। भर्ती का तात्पर्य पदोन्नति से भी पदों को भरना है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय,।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। मिंज जी, आप उनसे स्पेसिफिक यह पूछ लीजिए कि भर्ती की जो प्रक्रिया है या जो नियम है, उसमें केवल सीधी भर्ती होती है या पदोन्नति से भी पदों को भरा जाता है ? उनसे पूछ लीजिए कि यदि उसमें पदोन्नति से पद भरने का नियम है तो क्या उसमें

आपने पदोन्नति को शामिल किया है ? आप केवल इतना पूछिये। आप जो "क", "ख" बोल रहे थे, उसे पूछिये।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री महोदया, मैंने पहले भी वही सवाल पूछा था कि छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 एवं 2023 की धारा 27 के अनुसार विभाग में सेवा की नियुक्ति कैसे की जाती है ? मैंने इसीलिए पूछा था कि इसमें जो नियम और भर्ती का प्रावधान है, वह केवल सीधी भर्ती के लिए ही है या केवल पदोन्नति से भी पदों को भरने का प्रावधान है, आप इसका जवाब दे दीजिये ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि भारत सरकार ने यह तय किया है कि समुचित सरकार समय-समय पर पदोन्नति के लिए निर्णय ले सकती है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पदोन्नति के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री महोदया, मैंने यह पूछा है और क्या आप इस बात का जवाब देंगी कि सीधी भर्ती में तो आप भर्ती कर ले रही हैं लेकिन जो पदोन्नति से 4 प्रतिशत पदों को भरना है, वह आज तक क्यों नहीं हुआ और उसे कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि पदोन्नति में 4 प्रतिशत नहीं है। हमारी राज्य सरकार ने 3 प्रतिशत का प्रावधान किया है और अभी तक विभाग द्वारा पदोन्नति से एक भी पद नहीं भरा गया है।

सभापति महोदय :- मूल प्रश्न तो यही है। आप खुद बता रही हैं कि पदोन्नति नहीं हुई है तो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न वही है कि पदोन्नति क्यों नहीं हुई है ? जब सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत का प्रावधान है, उसको आपने शामिल कर लिया है, वह केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित हो गया है। माननीय सदस्य का प्रश्न केवल इतना ही है कि यहां छत्तीसगढ़ में उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- सभापति महोदय, अभी तक पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है लेकिन अभी तक एक भी पदोन्नति नहीं की गयी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्नकर्ता वही तो पूछ रहे हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास राजपत्र है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट की एक प्रकरण में गाइडलाइन है कि जो 3 प्रतिशत आरक्षण है इसको 4 प्रतिशत करने का आदेश है। यदि इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदया को नहीं होगी तो मैं उन्हें भी उपलब्ध करा दूंगा। मैंने इसलिए 4 प्रतिशत की बात कही थी और पदोन्नति में यह 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कब तक कर दिया जायेगा ? इसके लिए मुख्य सचिव ने भी पत्र लिखा था। आप उसको देख लें। मैंने प्रश्न के "ग" में एक तीसरा सवाल पूछा था कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में कितने आवेदन

प्राप्त हुए हैं, उसमें माननीय मंत्री महोदया जी ने जवाब में कहा है कि 2022 में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं उनकी जानकारी और संज्ञान में ला दूं कि मैंने एक ऐसे सेवक के लिए खुद पत्र लिख था जिन्होंने पदोन्नति के लिए विभाग में आवेदन दिया था। मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था लेकिन उस संबंध में अभी तक इनको विभाग के अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है। मंत्री जी, आप उसको भी संज्ञान में ले और पदोन्नति में कब तक 4 प्रतिशत का लाभ देंगे, इसके लिए कोई समय सीमा हो तो बता दीजिये कि एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में इसको कर लिया जायेगा ? मैंने पिछले एक साल पहले सत्र में भी विकलांगों से संबंधित एक प्रश्न पूछा था लेकिन एक साल के भीतर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदया, इसमें समय सीमा बता दीजिये ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य पदोन्नति की बात कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा पदोन्नति के लिए 4 प्रतिशत का नियम है लेकिन ऐसा नहीं है। वह 3 प्रतिशत के लिए ही है। भारत सरकार समय-समय पर तय कर सकती है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 3 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि कब तक पदोन्नति कर ली जायेगी तो उसके संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि शासकीय सेवकों को संपूर्ण कार्यकाल में एक बार पदोन्नति देने का प्रावधान होता है लेकिन शायद अभी वे खुद लेना नहीं चाह रहे होंगे। सभापति महोदय, पदोन्नति का विषय आया था लेकिन जितने शासकीय सेवक हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति जी, जो पदोन्नति के लिये मांग कर रहे हैं, कोई पदोन्नति कैसे नहीं लेना चाहेगा ?

श्री भूपेश बघेल :- इस सरकार में क्या चल रहा है, कोई पदोन्नति नहीं लेना चाह रहे हैं, गजब भई।

सभापति महोदय :- केवल एक मिनट, आपकी जानकारी में हो या न हो, वह अलग बात है। आप अधिकारियों को एक बार निर्देशित कर दें, उसकी एक बार जांच करा लें और जांच कराने के बाद में यदि वह लागू होगा तो उसका प्रमोशन करें और आप माननीय सदस्य को अवगत करा देंगी। आप एक समय-सीमा बता दीजिए। उसकी जांच कराकर विधिवत रूप से उसका पालन करें।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, उसके परिपालन में विभाग के द्वारा सर्कुलर भी जारी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं यही जानना चाह रहा था कि पदोन्नति के लिये निर्देश भी हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, देना नई रहय, चाहे ओहर कहीं भी रहय, सरकार ला ओला देना नई रहय तो गोल-गोल घूमा देत हवय। देना नई रहिय तो तेला अइसने घूमात हय। दिव्यांग मन ला दे दो भई।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी डिटेल अपने पास लेकर आई हूं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री जी, इसमें आप समय-सीमा निर्धारित करें कि आप कब तक कर देंगी ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, होली का असर उतरा नहीं है, उसी का असर दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय :- होली का असर उतर गया है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैं इसके बारे में संज्ञान ली तो पदोन्नति एक व्यक्ति की होनी थी, लेकिन उन्होंने स्वयं लिखित में दे दिया कि मैं अभी पदोन्नति नहीं चाहूंगी।

सभापति महोदय :- मैं एक व्यक्ति का नहीं बोल रहा हूं। मैं यह बोल रहा हूं कि जो नियम और शर्तें की बात है, आप अधिकारियों से उसकी जांच करा लें और जांच करा करके माननीय सदस्य को अवगत करा देंगी और लागू हो सकता है तो लागू करा देंगी।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है।

सभापति महोदय :- चलिये, श्री चैतराम अटामी।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए प्रश्न किया कि सारे विभागों मे नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। तो समाज कल्याण विभाग संज्ञान सभी विभागों से लें। सभी विभागों में विकलांगजन नौकरी में हैं, कार्यरत हैं, लेकिन उनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मेरे संज्ञान में 4-5 आवेदन हैं जो जानकारी में हैं। वैसे तो पूरे विभागों का बहुत सारे आवेदन होंगे। माननीय मंत्री महोदय जी, इसको कब तक संज्ञान में लेंगी, कब पदोन्नति करेंगी और क्या मुझे उसकी सूची उपलब्ध करायेंगी ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, इसकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करायेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्री चैतराम अटामी।

<u>जिला दन्तेवाड़ा में कुपोषण की रोकथाम</u>

[महिला एवं बाल विकास]

6. (*क्र. 69) श्री चैतराम अटामी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला दंतेवाड़ा में वर्तमान में कितने बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित हैं ? (ख) कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं का लाभ क्या सभी पात्र बच्चों को प्राप्त हो रहा है? यदि

नहीं तो क्यों ? (ग) दंतेवाड़ा जिले में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पोषण आहार एवं सहायता राशि समय पर प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं? (घ) सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु जिले में क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? (ड.) दंतेवाड़ा जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के भवन एवं कितने बिना भवन संचालित हो रहे हैं? (च) इन केंद्रों के लिए भवन एवं कार्यकर्ता, सहायिका की कमी दूर करने हेतु कब तक ठोस कार्यवाही की जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :(क) जिला दन्तेवाड़ा में माह जनवरी 2026 की स्थिति में पोषण ट्रेकर एप्प के अनुसार 0 से 06 वर्ष के कुल 5203 बच्चें कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित है। (ख) जी हां, कुपोषण के रोकथाम हेतु पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एवं कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (मुख्यमंत्री सुपोषण योजना) संचालित है। जिसके अंतर्गत पात्र समस्त हितग्राहियों को लाभ प्रदाय किया जा रहा है। (ग) दंतेवाड़ा जिले में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पोषण आहार एवं सहायता राशि समय पर प्रदाय किये जाने की कार्यवाही किया जा रहा है। अतः जानकारी निरंक है। (घ) सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती माताओं का पंजीयन कर आयरन की गोली, गर्भ की जॉच, टीटी का टीका प्रदाय कर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले द्वारा अपने संसाधनों से पृथक से इन हितग्राहियों को गर्म भोजन व अंडा दिया जा रहा है। (ड.) दन्तेवाड़ा जिले में 817 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित है एवं 245 आं0बा0 किराये/सामुदायिक/स्कूल भवन/पंचायत में संचालित हो रहे है। (च) भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर भवन स्वीकृत की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पद पर पदपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। भवन विहिन केन्द्रों के लिए भवन एवं कार्यकर्ता, सहायिका की कमी दूर करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जिला दंतेवाड़ा में कुपोषण की रोकथाम तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं कार्यकर्ता, सहायिका की नियुक्ति के संबंध में क्या महिला बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि वर्तमान में जिला दंतेवाड़ा में कितने बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, जिला दंतेवाड़ा में माह जनवरी 2026 की स्थिति में पोषण ट्रेकर एप के अनुसार 0 से 6 वर्ष के कुल 5203 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हांकित हैं।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कुपोषण से संबंधित सवाल किये हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि कुपोषण की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और उन्हें पूरक पोषण आहार, कुपोषण से मुक्त कार्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि दंतेवाड़ा जिले में गर्भवती महिला एवं दात्री माताओ को पोषण आहार एवं सहायता राशि समय पर क्यों नहीं मिल पा रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति जी, दंतेवाड़ा जिले या हम कहें कि पूरे प्रदेश भर में गर्भवती महिलायें या शिशुवती महिलायें हों, बच्चे हों, उनको समय-समय पर रेडी-टू-ईट के माध्यम से, गर्म भोजन के माध्यम से, पोषण आहार के माध्यम से समय-समय पर उन्हें आहार प्रदान किया जाता है। रही बात सहायता राशि की, सहायता राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से प्रथम संतान होने पर 5 हजार रुपये 2 किश्तों में और दूसरी संतान अगर बेटी जन्म लेती है तो उसमें 6 हजार रुपये एकमुश्त राशि दी जाती है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु जिले में क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं, मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्यु दर कम करने के लिये स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर आयरन की गोली, गर्भ की जांच, टी.टी. का टीकाकरण प्रदाय कर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिये...।

सभापति महोदय :- अटामी जी, आपने वह प्रश्न किया है, वह जो आंगनबाड़ी भवन का है तो उसका पूछ लीजिये न । बाकी तो उसमें दिया हुआ है ।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के हैं और कितने बिना भवन के संचालित हैं ? तो आपने इसमें दिया है कि 817 स्वयं के और 245 किराये पर चल रहे हैं, मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगी कि आप इसको कब तक नया भवन दिलायेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि भवन की जो संख्या है वह 816 है और जो भवनविहीन हैं वह किराये के भवन पर भी चल रहे हैं, कुछ शासकीय भवन पर चल रहे हैं और सामुदायिक भवन पर भी चल रहे हैं । जो शेष हैं या आने वाले समय में जैसे बजट हमारे पास उपलब्ध होगा उस आधार पर हम धीरे-धीरे स्वीकृत करके देंगे ।

सभापति महोदय :- श्री पुरंदर मिश्रा ।

खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रबधंकों के विरूद्ध चल रही जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 1378) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में कितने जिला खाद्य अधिकारी एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रबधंकों के विरूद्ध शिकायत/जांच कार्यवाही चल रही है? कितने अधिकारी/ प्रबंधकों पर कार्यवाही हो चुकी है? (ख) क्या यह सत्य है कि जिन अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर शिकायतों पर जांच चल रही है वे प्रमुख पदों पर पदस्थ हैं? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) राज्य में 01 जिला खाद्य अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है तथा वर्तमान में 01 खाद्य अधिकारी निलंबित है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 09 प्रबंधकों के विरूद्ध शिकायत/जांच प्रचलित है। 06 प्रबंधकों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। 02 प्रबंधकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है तथा 01 प्रबंधक के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं, गंभीर शिकायत वाले अधिकारी प्रमुख पदों पर कार्यरत नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कितने जिला खाद्य अधिकारी एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रबधंकों के विरूद्ध शिकायत/जांच कार्रवाई चल रही है? कितने अधिकारी/ प्रबंधकों पर कार्रवाई हो चुकी है ? (ख) क्या यह सत्य है कि जिन अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर शिकायतों पर जांच चल रही है वे प्रमुख पदों पर पदस्थ हैं ? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से ?

श्री भूपेश बघेल :- यह क्या है, भई ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करें न । समय कम है ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बता दिया न, हो गया । मंत्री जी, कृपया बताईये ।

श्री भूपेश बघेल :- मिश्रा जी, इसको पढ़ते नहीं हैं । आप मौखिक रूप से प्रश्न करिये ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, जिन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई प्रक्रिया में है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- बताईये ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी का प्रश्न है कि 2 खाद्य अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत है, एक के इसमें जांच चल रही है और एक निलंबित है । इसी प्रकार कुल 09 नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक हैं जिसमें 02 सेवानिवृत्त हैं और 02 निलंबित हैं और

बाकी के ऊपर जांच चल रही है । माननीय सभापति महोदय, हमारे विधायक जी का जो प्रश्न है उसे जांच होते तक वहां से हम अन्यंत्र हटवा लेंगे ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, क्या नागरिक आपूर्ति निगम में शासन से स्थानांतरण नीति का पालन किया जाता है और किया जाता है तो बतायें ? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वहां शासन द्वारा स्थानांतरण नीति पर रोक है और उसके बाद भी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, शासन की स्थानांतरण नीति का पालन के संबंध में माननीय विधायक जी ने पूछा है । यदि इस प्रकार किया जा रहा है तो मैं उस पर स्थानांतरण अवधि को छोड़कर के शेष अवधि में बगैर शासन के अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण हो सके इसके लिये अधिकारियों को मैं निर्देशित देना चाहता हूं ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, क्या उसमें न्यायोचित कार्रवाई करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट बता दिया है कि इसमें आपके द्वारा जो जानकारी चाही गयी है । उसके संबंध में, ट्रांसफर के संबंध में आज विशेष रूप से...।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय मंत्री जी, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, बारहों महीना ट्रांसफर हो रहा है इसके संबंध में आपका प्रश्न है तो उसको तो मैंने बता दिया ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- शासन के नियम में नहीं है उसके बाद भी आपका ट्रांसफर हो रहा है ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बता दिया कि उसके लिये अब शासन के पास अनुमोदन के लिये प्रकरण आयेगा तो ट्रांसफर होगा ।

श्री रामकुमार यादव :- ओ गरीब मन के राशनकॉर्ड हा कटे हे, ओखरो चिंता करा।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय विधायक महोदय जी, मैंने आपको यह स्पेशल बता दिया है ।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- मंत्री जी, धन्यवाद । आप कार्रवाई कर दें, यही उम्मीद है।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय
12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा- 19 के अंतर्गत पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय):- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा- 19 के अंतर्गत पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखता हूँ।

(2) सहकारिता विभाग के विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-25,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूँ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025)

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम):- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम,1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) पटल पर रखता हूँ।

(4) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2023-2024

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल):- माननीय सभापति महोदय, मैं, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूँ।

पूच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सम्मुख पूरे छत्तीसगढ़ को लज्जाजनक करने वाला एक विषय रख रहा हूँ। राजधानी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर की घटना है। आपने जिस व्यक्ति का नाम विनायक ताम्रकार बताया है। वहां पर अफीम जैसे प्रतिबंधित, खतरनाक मादक पदार्थ की खेती कर रहा है। (शेम-शेम की आवाज) इसमें खुद कलेक्टर का बयान है कि वह व्यक्ति विनायक ताम्रकार अपनी निजी भूमि पर अफीम की खेती कर रहा है। मैं वैसे चलते-चलते धन्यवाद दे देता हूँ कि आपने इस मर्म को समझा है और उसको निलंबित कर दिया है। मगर सरकार ने पहले दिन से उस व्यक्ति को बचाने के लिए जब एफ.आई.आर. दर्ज हुआ तो उसका नाम नहीं है, उसकी गिरफ्तारी करने में विलंब लगाया और अभी भी आपराधिक षड़यंत्र करके बचाया जा रहा है। अभी यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सूखे के नशे से बर्बाद हो रहा है और आप लोगों ने जिस ढंग से किसानों के साथ धोखाधड़ी की, उनका धान नहीं खरीदा, आप उनको बार-बार परेशान करते रहे। उससे ऐसा लगता है कि आप किसानों के धान के बजाए पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती कराना चाहते हैं। (शेम-शेम की आवाज) और यह जो आपने शुरूआत की है उसके लिए

पूरा छत्तीसगढ़ चिंतित है, हम लोग चिंतित हैं, इसमें प्रशासनिक मिलीभगत दिख रही है, इसके बारे में न पटवारी को पता है, न तहसीलदार को पता है, न कलेक्टर को पता है और इस तरह से सत्ताधारी दल, पूरे प्रदेश के कोने-कोने में हमें शक है कि इस तरह से अफीम, गांजे की फसल उगाना चाहते हैं और सूखे नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह स्टार्टअप योजना है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आपने उसे स्टार्टअप योजना के तहत करवाया या क्या करवाया, मुझे यह पता नहीं है, लेकिन यह एक संगठित अपराध है और जिसको हम लोग राजनीतिक अपराध भी कह सकते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा कराया जा रहा अपराध भी कह सकते हैं और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम लोग धान के कटोरा के नाम से जानते हैं, आप 2047 तक उसको अफीम का कटोरा बनाना चाहते हैं । (शेम-शेम की आवाज) 2047 तक अफीम का कटोरा बनाने की आपकी जो राजनीतिक षड़यंत्र चल रही है । उसमें सभी पटवारी से लेकर कलेक्टर और कलेक्टर से लेकर प्रशासन और प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक इसके लिए दोषी हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मुख्यमंत्री तक शब्द आपत्तिजनक है । वहां पर मुख्यमंत्री जी कैसे शामिल हैं, यह आप साबित करिए । मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप प्रक्रिया में आईए ।

श्री रामकुमार यादव :- अफीम लगाथे तो बने लगथे । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- किस सबूत के आधार पर आप मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं । अगर मुख्यमंत्री जी शामिल हैं तो आप तथ्य रखिए न ।

श्री भूपेश बघेल :- कुछ तथ्य हैं, तभी तो बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- वे बोल रहे हैं, बता रहे हैं । आप पूरी बात सुन लीजिए।

डॉ. चरण दास महंत :- शासन से पूरे लोग, प्रशासन के मुखिया मुख्यमंत्री हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस शामिल है ।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है, कह लीजिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल, आप इसमें शामिल हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो कह रहा हूं कि पूरा प्रशासन शामिल है ।

श्री भूपेश बघेल :- इसकी जांच करा लो ।

श्री लखेश्वर बघेल :- सी.बी.आई. जांच करा लीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं कहात हवं कि इसमें आप शामिल हौ ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो यही कह रहा हूं कि पूरे प्रशासन के लोग इसमें मिले हैं । कलेक्टर, तहसीलदार और सब पुलिस वाले शामिल हैं । यह एक सामूहिक संरक्षण के द्वारा किया जा रहा है और इसे हम चाहेंगे कि आप स्वतंत्र कोई कमेटी हो या सी.बी.आई. से इसकी जांच कराएं और प्रदेश के विधायकों की एक कमेटी बना लीजिए, वह जांच करे । यह बहुत ही गंभीर समस्या छत्तीसगढ़ में आ गई है और छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा अब अफीम का कटोरा बनने वाला है तो मेरा निवेदन है कि आप इस स्थगन को ग्राह्य करिए, हमारी बातों सुनिए । आने वाले समय में पूरा तथ्य इसमें रखेंगे । हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश जी ही कल ही खेत को देखकर आये हैं । मैं चाहूंगा कि हम इसमें पूरी बात रखें ।

(श्री अजय चन्द्राकर के खड़े होने पर)

डॉ. चरण दास महंत :- आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं किस पर बोलूंगा, आप अनुमति दिलवा दीजिए।

डॉ. चरण दास महंत :- आप बोल सकते हैं क्या ? आप नियम बता दीजिए कि कैसे बोलेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसमें किस तरह शामिल हैं, उस पर मैं बोलूंगा । आपके संरक्षण में वह हो रहा है, इस पर बोलूंगा । आपने संरक्षण दिया है, उस पर बोलूंगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, हम इसमें चर्चा चाह रहे हैं, उसमें चर्चा कराईए न ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप उसमें चर्चा करवाईए न ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें चर्चा करा लीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, स्थगन को ग्राह्य कीजिए और चर्चा कीजिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- विधायक जी बोलना चाह रहे हैं तो स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा कराईए ।

श्री दलेश्वर साहू :- आप उसमें चर्चा कराईए, फिर जानकारी मिल जाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, कलेक्टर-कमिश्नर शामिल हैं, यह भी कहा । यह घटना गलत है, यह हमने भी मान लिया, उसमें कार्रवाई भी हुई है । असली तथ्य कहां पर है ? वह खेती एक-डेढ़ साल से नहीं चल रही है । जो राजधानी से दूरी बता रहे हैं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं । उसकी दूरी पाटन से, पूर्व मुख्यमंत्री जी के इलाके से 40 किलोमीटर की दूरी पर है ।

श्री भूपेश पटेल :- आप शुरू से बता दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी बात सुन लीजिए । वहां एक मंत्री रहते थे, जो आज सदन में नहीं हैं । उसके निर्वाचन क्षेत्र में और वह खेती चार साल से हो रही है और चार साल से उत्पादन हो रहा है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- चार साल से हो रही है तो आपकी सरकार दो साल से क्या कर रही है ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चार साल से हो रही है तो आपकी सरकार को दो साल हो गए, अब तक आपकी सरकार क्या कर रही है ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओमा भाजपा शामिल हे (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको कांग्रेस का पूरा संरक्षण है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उनको पता था कि चार साल से अफीम हो रहा है । उसको यही करवा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- नशापट्टी यही लोग करवा रहे हैं (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह इनकी मिलीभगत है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, दो साल ले आलू छीलथौ का ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, कांग्रेस पार्टी नशा के बारे में हमको सीखाएगी ? झारखण्ड के लोग यहां (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हां, बिल्कुल ।

श्री उमेश पटेल :- अफीम की खेती करने वाले लोग हमें क्या सीखाएंगे ? इनको बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है । इनको [xx] आनी चाहिए । आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है। (व्यवधान) आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप राजधानी में शुरू करवाए हव । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप राजधानी रायपुर की हालत देख लीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- आप दो साल से क्या कर रहे हैं महाज्ञानी जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अजय जी ने कुछ प्रश्न किये हैं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। यह होली के ठीक पहले की घटना है । वहां के गांव के लोग होलिका दहन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गये हुए थे। वहां चने की भी खेत है। गांव के लोग वहीं से गये और वहीं गांव के लोगों ने फोटो लिया। गांव के लोगों ने सरपंच को बताया। होलिका दहन और होली के दिन शिकायत नहीं किये क्योंकि सारे पुलिस वाले उधर लगे रहते हैं। होलिका दहन के दिन सूचना दे दिए तो कोई न कोई पुलिस वाले, क्योंकि वह इतना रसूखदार है कि वह सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के बगल में बैठने वाला, मंत्रियों के यहां से फोन करवाने वाला, व्यक्ति बहुत रसूखदार है। इसलिए सरपंच ने होली के बाद पुलिस को सूचना दी तो पुलिस वाले आये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है और उस व्यक्ति को किस प्रकार से सरंक्षण है, उन्होंने उसकी बानगी बताया है। कलेक्टर यह कह रहे हैं कि विनायक ताम्रकार का खेत है। उसमें अफीम की खेती हो रही है। लेकिन यह एफ.आई.आर. की कापी है, इसमें विनायक ताम्रकार मुख्य आरोपी नहीं है। वहां जो नौकर है, उसको मुख्य आरोपी बताया गया है। (शेम-शेम की आवाजें) वह तीसरे नंबर पर है। यदि वह नौकर मुकर जाये, वह मजदूर मुकर जाये तो वह तो वैसे ही बरी हो जायेगा। इसलिए नेता जी ने कहा कि सत्ता का सरंक्षण है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो आपके समय में शुरू हुआ था और आपका सरंक्षण है। वह 4 साल पहले से चल रहा है। 4 साल पहले से आप लोगों का सरंक्षण है। वहां के एक प्रभावशाली मंत्री के सरंक्षण में चल रहा था। पिछली सरकार के मंत्री के सरंक्षण में यह चल रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं आपको उत्तर दूंगा। अब सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री का सरंक्षण है या गृह मंत्री का सरंक्षण है ?

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, यह कितनी बड़ी बात है कि कलेक्टर यह कह रहे हैं कि विनायक ताम्रकार मुख्य आरोपी है और एफ.आई.आर. में पहला आरोपी विकास विश्नोई, जो राजस्थान का मजदूर है, दूसरा आरोपी मनीष ठाकुर है, वह भी राजस्थान का मजदूर है और विनायक ताम्रकार यह तीसरे नंबर पर आरोपी है। इसी से यह पता चलता है कि गृह विभाग का पूरा-पूरा संरक्षण है। एस.पी. का सरंक्षण है, आई.जी. का सरंक्षण है। यहां बैठे हुए लोगों का सरंक्षण है। इस कारण से यह तीसरे नंबर का आरोपी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सवाल यह है कि खेती कब से शुरू हुई है, यह बताईये ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप क्या सो रहे थे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप जांच करवाईये न।

श्री भूपेश बघेल :- इसमें रकबा नहीं है। हमने शिकायत की, अरूण गौतम हमारा सरपंच है।

श्री अजय चन्द्राकर :- शुरू भी आपने करवाई अब शासन बदल गया तो आप हमारा नाम ले दिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- आपने इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री भूपेश बघेल :- आप जिस पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं, आपके जो पूर्व मंत्री हैं, वह आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उसका गांव बगल में हैं। जागेश्वर साहू जी आपके साथ थे।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुरू जी, पूर्व मंत्री को हराया था, उनके सरंक्षण में चल रहा था। आपके समय में शुरू हुआ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, बिना अनुमति लिए वह बार-बार टोक रहे हैं। यह शून्यकाल है। आपकी अनुमति से खड़े हो रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- इस एफ.आई.आर. काफी लचर बनाया गया है। इसमें रकबा का उल्लेख नहीं है। खसरे का उल्लेख नहीं है। वह जमीन किस गांव का है, इसका भी ठीक से उल्लेख नहीं है। वह झेंझरी का है या समोदा का है, उस जमीन का मालिक विनायक ताम्रकार है या उसकी बहन लोग हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर पुलिस द्वारा लीपापोती की कोशिश है, जहां पूरी मीडिया का अटेंनशन है, वहां पूरा प्रशासन है, हम लोग भी, जो जिले के प्रतिनिधि हैं, वे गये उसके बाद भी एफ.आई.आर. को इतना लचर बनाया गया है। क्यों चलर बनाया गया है ? किसको बचाने के लिए किया जा रहा है ? विनायक ताम्रकार के आपके क्या सम्बन्ध हैं, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि इसको ग्राह्य करें और ग्राह्य करके चर्चा करायें। हम इसमें बहुत सारी जानकारी देंगे। लेकिन माननीय अजय जी, कहां चले गये ? किसके समय से चल रहा है ? अफीम मुद्रा पोर्ट से आ रहा है, ब्राउन शुगर कहां से आ रहा है ? वह कौन है ? पंजाब की सीमा से ड्रोन में आ रहा है। उस सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है ? वहां से अवैध हथियार भी आ रहा है और अवैध सूखा नशा भी आ रहा है। उसी कारण से आपका भी ध्यानाकर्षण था, मेरा भी पहले नंबर पर प्रश्न था। सारे लोग, अधिकांश लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्यप्रदेश और पंजाब के बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ की जेलों में हैं, यह आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है। तो यह बात कि पूरे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से बॉर्डर से भी आ रहा है, लेकिन सभापति महोदय, अब तो खेती ही होने लग गयी । अब तो यह धान का कटोरा नहीं जैसे नेताजी ने कहा, यह अफीम का कटोरा। मोदी जी ने तो केवल आय दुगुनी करने की बात कही थी और विष्णु जी आप तो सौ गुना करने में लगे हुए हैं। सौ गुना। सौ गुना भी कम। एक किलो अफीम ले लीजिए, करोड़ों रुपये का हो जाता है। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। पहली बार सदन में अफीम की खेती के बारे में चर्चा प्रकाश में आई है। मेरी जानकारी में तो अभी तक अफीम की खेती के बारे में इस सदन में, छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पहली बार यह चर्चा हुई है। यह बहुत गंभीर विषय है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है, आप आसंदी में बैठे हैं, अनुभवी हैं, इस विषय को ग्राह्य करें क्योंकि केवल यह आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं है। चूंकि अब अफीम की खेती की शुरुआत हो गई, यहां प्रशिक्षित मजदूर आ रहे हैं और न केवल एक फार्म हाउस की बात है, बल्कि दुर्ग कलेक्टर ने कहा कि हम दुर्ग जिले में जितने फार्म हाउसेस हैं, उनकी जांच करवाएंगे, लेकिन जरूरत पूरे छत्तीसगढ़ के फार्म हाउस की जांच करवाने की है। पता नहीं सैकड़ों एकड़ के फार्म हाउस के बीच में कहां खेती हो रही है, पांच एकड़, दस एकड़, पच्चीस एकड़ में, किसी को पता नहीं कि जंगलों के बीच में कहां हो रही है। यह सघन जांच का विषय है और इसलिए सभापति महोदय, इसे ग्राह्य करके चर्चा कराएं। बहुत सारी जानकारी हम लोग

भी देंगे, हमारे पूरे सदन के सदस्य भी देंगे, सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। बिना अवसर के भी अजय जी खड़े हो रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारी जानकारी है। उन्होंने ध्यानाकर्षण में बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी दी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना अवसर के अनुमति के मैं बोलता नहीं, मैंने उनसे अनुमति ली थी एक बात।

श्री भूपेश बघेल :- हां, आप अवसर खोज लेते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात, चूंकि आपने मेरे नाम का उल्लेख किया, आप वहां अकेले गए थे, आपने बोल दिया, बाकी लोग क्या बोलेंगे आपकी चिंता ठीक है। मान लिया। चलिए, अब आगे बढ़ें।

श्री भूपेश बघेल :- आप दूसरे को बोलने नहीं देना चाह रहे। मत बोले, इसलिए आप पहले खड़े हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :-.आप ही गए थे, आपने बोलकर पूरा तथ्य रख दिया, इसके अतिरिक्त और कोई तथ्य नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- और बहुत सारे तथ्य हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ नहीं है। ये कहां गए हैं?

सभापति महोदय :- संगीता जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय जी, जिस प्रकार अभी अफीम की चर्चा हो रही है, अगर इस बार की होली की बात करूं तो होली में इस बार कई गुना ज्यादा दारू की बिक्री हुई है । मतलब अगर कहना चाहें तो पिछली बार का रिकॉर्ड टूटा है और यह तो बहुत लज्जा की बात है, ज्यादा दूर नहीं हमारे संभाग में, दुर्ग संभाग में पुलगांव थाना का जैसा महोदय जी ने बताया कि अफीम की खेती हो रही है। सभापति महोदय जी, आज अफीम की खेती तो एक ही जगह रिकॉर्ड में आई है। यहां तो सैकड़ों एकड़ में सब फार्म हाउस में खेती कर रहे हैं। तो मैं इस विषय की गंभीरता को समझते हुए कि यहां पर अफीम की पैदावारी शुरुआत हो चुकी है।

सभापति महोदय :- विस्तार से बात आ गई है, आप एक-दो लाइन में बोलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मेरा निवेदन यही है कि यहां पर कहीं भी वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है कि अफीम की खेती की जाए। सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करती हूं कि इस स्थगन पर विधान सभा में चर्चा करायी जाए, यही निवेदन करती हूं।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन लाया है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश देश में एक किसानों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी जो ताजा मामला आप सबके बीच में सामने आया है और सदन में भी आया है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरीके से प्रदेश की राजधानी

रायपुर से मात्र 30-40 किलोमीटर के अंदर में दिन-दहाड़े एक फार्म हाउस के अंदर में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है। जहां पहले छत्तीसगढ़ के लोग अफीम के बारे में जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, देखते नहीं थे, एक बड़े पैमाने पर सूखा नशा के बारे में जो लगातार सदन में भी चर्चा पिछले लंबे समय से हो रही है कि प्रदेश में लगातार सूखा नशा बड़े पैमाने पर बड़े लोगों के संरक्षण में चल रहा है और अब हम सबके सामने साबित हो चुका है कि किस तरीके से सूखे नशे को संरक्षण यहां पर सत्ताधारी लोग दे रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर अफीम की खेती हो रही है और उस अफीम में भी जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसे लगातार बचाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय, जो हमारे प्रदेश के शारीरिक-मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है, उस विषय पर चर्चा करायी जाए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, एग्रीस्टैक पोर्टल, किसानों की हर फसल के रिकॉर्ड के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके अनुसार राजस्व विभाग में रिकॉर्ड रहता है कि किसान कितने एकड़ में क्या बोते हैं, उसकी गिरदावरी होती है । 10 एकड़ की खेती में अवैध अफीम की खेती का होना मतलब इसमें राजस्व विभाग की भी संलिप्तता दिखाई देती है। (शेम-शेम की आवाज) सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के नेता द्वारा जो स्थगन लाया गया है, उस पर पूरे सदन में चर्चा करानी चाहिए और और यह जो फार्म हाउस की बात कर रहे हैं न, निश्चित रूप से चर्चा के दौरान बहुत सारे ऐसे कृत्यों को आपको देखने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये।

सभापति महोदय :- बघेल जी।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, यह लोग दो साल से किसान के राज्य को माफिया राज बना दिये हैं। यहाँ ड्रग माफिया, गांजा माफिया सक्रिय हैं। आप प्रतिदिन पेपर में देखते जाइयेगा। चाहे सुखा नशे वाली बात हो, चाहे मर्डर की बात हो, चाहे चोरी की बात हो, यहां यही सब चल रहा है। यह एक गंभीर विषय है। सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, आप उस पर चर्चा कराएं तो अच्छा रहेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) : माननीय सभापति महोदय, समोदा गाँव में जिस हिसाब से अफीम की खेती हो रही है, उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। वहाँ के लोगों को उस परिसर में भी जाने की अनुमति नहीं है। हमने उड़ता पंजाब तो सुना था, लेकिन आज यह उड़ता छत्तीसगढ़ दिख रहा है। जिस हिसाब से वहाँ बाउंसर रखे गये हैं, जिस हिसाब से वहां के स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए निश्चित ही यह कब से चल रहा है, उस तथ्य पर भी बात होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर इस पर चर्चा करायें।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से अफीम की खेती चार साल से हो रही है, जिसको विद्वान सदस्य, मेरे भांजा श्री अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर चार साल से अफीम की खेती हो रही थी, तब सरकार ने प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024 में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? अजय चंद्राकर जी बताएं कि अगर चार साल से अफीम की खेती हो रही है तो ..।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात कीजिये। आप कहाँ अजय के पीछे लगे हैं? (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती होने लगी है, इससे महत्वपूर्ण विषय हो ही नहीं सकता है। आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विषय की महत्ता को समझते हैं। इसलिए इसमें चर्चा कराई जाये। इसमें चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि सत्ता पक्ष के विद्वान सदस्य यह बोल रहे हैं कि चार साल से अफीम की खेती हो रही है। हम बोल रहे हैं कि अभी हुई है। चर्चा में वे सभी बातें आएंगी और जाँच में स्पष्ट होगी। माननीय गृहमंत्री जी, आपको तत्काल पूरे प्रदेश में जाँच के निर्देश देनी चाहिए। सभापति महोदय, इस विषय पर चर्चा कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमर नेता प्रतिपक्ष जी जो स्थगन प्रस्ताव लाए हावय, ओमा चर्चा होना चाहिए। ओमा एकर खातिर चर्चा होना चाहिए कि हमन जब लइका रहेन ता हमन फ़िल्म देखन। फ़िल्म मा ही हमन अफीम, चरस, गांजा के बारे मा सुनन। छत्तीसगढ़ सबले शांत जगह माने जाथे, लेकिन जेन प्रकार से अभी डबल इंजन के सरकार बने हे, ता जतका भी अफीम, चरस, गांजा बेचने वाला हें, ओ मन सबले सुरक्षित जगह छत्तीसगढ़ ला मानत हे अऊ आज एकर ऊपर चर्चा नई होही ता पूरा प्रदेश आज देखत हे कि आज कइसे अफीम के खेती होवत हे। सभापति महोदय, मोर आपसे निवेदन है कि आज हमर नेता जी जो स्थगन प्रस्ताव लाए हावय, ओमा चर्चा होना चाहिए, ताकि ये प्रदेश मा बहुत सारा जो नशा के व्यापार चलत हे, ओमा हर बात आ जातिस।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, शिवनाथ नदी के किनारे विनय ताम्रकर नाम का किसान, जो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य रहे हैं। इसीलिए यह बहुत बड़ा मामला हो जाता है क्योंकि यह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वह पार्टी, जो अभी सत्ता में है। उस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से उस उस खेत में या उस फार्म हाउस में किसी भी गाँव वालों का आना-जाना प्रतिबंध था। वहाँ बाउंसर रखा गया था और सी.सी.टी.वी. कैमरे से वहां चारों तरफ की निगरानी की जाती थी। वहाँ सत्ताधारी पार्टी के लोगों का लगातार आना-जाना होता रहता था। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर चर्चा कराएं।

सभापति महोदय :- मेरे पास दुर्ग जिले..।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आप ग्राह्य कर लेते, फिर पढ़ते।

सभापति महोदय :- मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ।

समय

12.25 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा</u>

<u>पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम समोदा में मादक पदार्थ अफीम की अवैध खेती किया जाना</u>

सभापति महोदय :- मेरे पास दुर्ग जिले के पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम समोदा में मादक पदार्थ अफीम की अवैध खेती किये जाने के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, चूँकि डॉ.चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ ।

दुर्ग जिले के पुलगांव थाना अंतर्गत समोदा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे 110 एकड़ फार्म हाऊस जिसे फेंसिंग से घेरकर उसके अंदर लगभग 10 एकड़ खेत में अफीम की अवैध खेती की जा रही है । किसान द्वारा सुनियोजित तरीके से अफीम की खेती के चारो तरफ मक्के एवं गेहूँ की फसल लगाई गई थी, जिससे किसी को उक्त अवैधानिक कृत्य की जानकारी नहीं मिल सकी है । जिला मुख्यालय से लगे हुये फार्म हाऊस में इस प्रकार के नशे के कारोबार वाले अवैध खेती शासन प्रशासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सकता । इस अवैधानिक काम में मदद के लिये उनके द्वारा अन्य राज्य से प्रशिक्षित किसानों को बुलाया गया था एवं उनके देखरेख में मादक पदार्थ का जखीरा तैयार किया जा रहा था तथा फार्म हाऊस के अंदर फसल की सतत निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये तथा जनसामान्य के आवागमन को रोकने हेतु बाऊँसर नियुक्त किये गये हैं । गांव वालों को फार्म हाऊस के आसपास नहीं आने दिया जाता था । सूचना देने वाले व्यक्ति को किसान के बाऊँसरों द्वारा पिटाई की गई । प्रदेश में कानून और पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है । ड्रग माफिया, शराब माफिया प्रदेश में अत्यधिक सक्रिय होते जा रहे हैं, पिछले दो वर्षों से छत्तीसगढ़ प्रदेश मादक पदार्थों की तस्करी का कॉरीडोर बन गया है । राजधानी रायपुर ड्रग माफियाओं का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है । गंभीर प्रकृति के मादक पदार्थों की खेती राज्य में कभी नहीं होती थी, परन्तु राजधानी से लगे हुये दुर्ग जिला मुख्यालय के पास शासन प्रशासन के संरक्षण में बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक मादक पदार्थ अफीम की खेती का होना प्रशासनिक एवं खुफिया तंत्र की बड़ी विफलता है । स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर खेत से 14.30 लाख अफीम के पौधे जब्त किये गये हैं । पुलिस के मुताबिक जब्त पौधों की कीमत लगभग 8 करोड़ रूपये है । सरकार द्वारा वर्ष 2024-2025 के गृह विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि राज्य में अफीम की खेती परिलक्षित नहीं है । प्रशासन की विफलता एवं संरक्षण इस बात से प्रमाणित होती है कि राज्य का राजस्व अमला

गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने खेतों का निरीक्षण नहीं करते हैं । कलेक्टर द्वारा मीडिया स्टेटमेंट में स्वीकार किया गया है कि अगस्त में डिजिटल सर्वे के दौरान फार्म हाऊस के कुछ हिस्से में मक्का की फसल लगाई गई थी । सरकार एक तरफ मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिये करोड़ों रूपये खर्च कर रही है और दूसरी तरफ मादक पदार्थों के बागान तैयार किये जा रहे हैं, अत: प्रदेश के सभी वर्गों के सामाजिक, शारीरिक प्रभाव से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें । इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष से आग्रह है कि इसको स्वीकार कर लें और यह गंभीर विषय है, पूरे प्रदेश के युवाओं से और यहां के लोगों के जीवन से संबंधित है, अत: इसे स्वीकार कर लें और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा में भाग लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय भूपेश जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आसंदी ने जो पढ़ा, आपने जो लिखकर दिया है उसमें कहा है कि चर्चा कराने का कष्ट करें । इसमें रोष, आक्रोश, असंतोष ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं है । जब आपका ही आग्रह है कि कष्ट करें तो वह कष्ट जब करेंगे, तब करेंगे ? मैं तो ऐसा स्थगन की ड्राफ्टिंग देखा नहीं हूँ कि कष्ट करें ? आप कष्ट करें हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए कि हो गया है । जो पढ़ा गया है, वही बता रहा हूँ ना कि कष्ट करें आप ही ने मांगा है ।

श्री रामकुमार यादव :- अफीम बेचना कष्ट नहीं तो काय ए, बोना ह ?

श्री भूपेश बघेल :- गृह मंत्री जी स्वीकार करके चर्चा नहीं करा रहे हैं ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, दुर्ग पुलिस को दिनांक 06.03.2026 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई, कोई सरपंच या किसी के द्वारा नहीं है। पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। दुर्ग की पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर थाना पुलगांव अंतर्गत समोदा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे एक फार्म हाउस में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है और यह माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने ही इसको पता किया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, ये मुझे पढ़ने दिया जाए, मैं सोचता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप या तो शासन का वक्तव्य पढ़ लें या एक्सप्लेन कर लें। आप एक लाइन पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दूसरी बार है। आप पढ़ के एक्सप्लेन न करें। वक्तव्य का मतलब ये होता है कि शासन का जो लिखित वक्तव्य है उसको पढ़ना भर है और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या तो आप स्वीकार कर लें उसके बाद जितना देर भाषण करें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं लिखित वक्तव्य पढ़ रहा हूँ। इसमें जो विषय स्पष्ट करने वाली है, वह बातें स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो लिखित वक्तव्य है, उसको जस के तस पढ़ना है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैं लिखित वक्तव्य ही पढ़ रहा हूं जिसको मैंने जमा किया है, मैं वही पढ़ रहा हूं। परंतु इसमें मेरा अपना एक जो विषय है, उसको स्पष्ट कर रहा हूं। ये जो आरोप लगाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आया है तो इस विषय पर तो स्पष्टता करना आवश्यक होगी।

श्री भूपेश बघेल :- गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी, भाई, मैंने व्यवस्था का प्रश्न मांगा है। मैं उनकी अनुमति से खड़ा हुआ हूँ।

<u>व्यवस्था</u>

सभापति महोदय :- एक मिनट, वक्तव्य हम लिखित में देते हैं और वक्तव्य को पढ़ते हैं तो आप अपना वक्तव्य पढ़ेंगे। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा (मेजों की थपथपाहट) की गई)

<u>स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा (क्रमशः)</u>

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं वक्तव्य शुरुआत करता हूँ। शुरुआत से पहले एक बात कहता हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- ना, ना या तो फिर स्वीकार कर लीजिए, ट्रेजरी बेंच स्वीकार कर ले। ट्रेजरी बेंच स्वीकार कर ले उसके बाद जितना देर बात करना, भाषण देना है, आपकी अनुमति रहेगी। लेकिन ये परंपरा है, व्यवस्था है और ये स्थायी आदेश भी है कि आपको यदि आसंदी से आदेश हुआ है कि आपको वक्तव्य का वाचन करना है तो केवल वक्तव्य का वाचन करेंगे। आप यदि बोलना शुरू करते हैं इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष इसको स्वीकार कर लिया है और चर्चा में भाग ले रहे हैं तो चर्चा में भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपका उत्तर आखिरी में आएगा, फिर आप जितना देर बोलियेगा। ये व्यवस्था है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, विभागीय टीप है कि दुर्ग की पुलिस को 6 मार्च, 2026 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुलगांव अंतर्गत समोदा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे एक फार्म हाउस में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संयुक्त रूप से पुलिस के साथ NCB, FSL, आबकारी, राजस्व के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। रेड की कार्यवाही की गई। मौके पर NDPS एक्ट के प्रावधानों के पालन करते हुए कार्यवाही शुरू की गई।

कार्यवाही के दौरान अंधेरा होने के कारण घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया। दूसरे दिन 7 मार्च, 2026 को पुनः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की उपस्थिति में, NCB, FSL, आबकारी, राजस्व के अधिकारियों के साथ घटनास्थल पहुंचकर जब्ती कार्यवाही शुरू की गई। घटनास्थल पर कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण में तीन आरोपी विकास बिश्नोई, मनीष ठाकुर, विनायक ताम्रकार को उसी दिन गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 247/26 धारा 8, 18 NDPS एक्ट के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण में अफीम के पौधे, फूल, पत्ती वजन 6,224 किलोग्राम, कीमत लगभग 7.8 करोड़ ज़ब्त किया गया है। प्रकरण में दो फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम जोधपुर रवाना की गई है। विगत् दो वर्षों में राज्य में अवैध मादक तस्करी के कुल 2,947 प्रकरणों में से 5,177 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 47,240 किलोग्राम, ब्राउन शुगर 370 ग्राम, (मेजों की थपथपाहट)। अफीम 3,052 ग्राम, हेरोइन 2,385 ग्राम, चरस 156 ग्राम, कोकीन 211 ग्राम, MDMA 130 ग्राम, डोडा 5,760 किलोग्राम एवं अन्य नशीली दवाइयां 7,15,298 नग ज़ब्त किया गया है। शासन द्वारा नशीले पदार्थ के रोकथाम हेतु राज्य के सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है एवं 10 जिलों में टास्क फोर्स हेतु नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। NDPS एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन का काम प्रारंभ किया गया है। आरोपियों एवं उनके सहयोगी सप्लायर के विरुद्ध फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई भी पहली बार की जा रही है। वर्ष 2026 तक 20 आरोपियों की 16 करोड़ 70 लाख रूपये की संपत्ति सफेमा कोर्ट से जब्त की गई है, जो इससे पहले कभी नहीं की गई थी। (मेजों की थपथपाहट) PIT NDPS एक्ट के अंतर्गत, वर्ष 1988 में PIT NDPS एक्ट अधिनियमित हुआ है और वर्ष 2016 से निरुद्धकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, परंतु पहली बार वर्ष 2024 में अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। विगत दो वर्षों में 145 आदतन आरोपियों के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2022 में 163 प्रकरण, वर्ष 2023 में 1 प्रकरण को नष्टीकरण किया गया था। वर्ष 2024-25 में ड्रग डिस्पोजल कमेटी का विधिवत गठन करते हुए वर्ष 2024 में 2,185 प्रकरण में से वर्ष 2025 में 2,551 प्रकरणों में विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह विगत दो वर्षों में 296 वाहनों को राजसात किया गया, 150 वाहनों को नीलाम किया गया, 95.8 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। (मेजों की थपथपाहट) अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। अवैध मादक पदार्थों की शिकायत हेतु जारी मानस पोर्टल टोल फ्री नंबर-1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, गांवों-कस्बों, सार्वजनिक स्थानों, थाना-चौकियों तथा महत्वपूर्ण स्थानों में जन चौपाल, बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। विभाग की ठोस प्रभावी कार्रवाई से मादक पदार्थों की

सप्लाई और डिमांड नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। शासन अवैध नशीली दवाई, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, भा.ज.पा. के पदाधिकारी के द्वारा यह किया गया। उसमें तीसरे नंबर पर तीसरा नाम उसका है। खेत उसकी है और नौकर का नाम ऊपर है। यही तो हमारा आरोप है कि उसको बचाने की कोशिश हो रही है। नेता जी ने कहा कि उसको किसका संरक्षण है? मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी का संरक्षण है? दूसरी बात, कितनी जमीन का इसमें उल्लेख नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। सभापति महोदय, सारे काम रोक कर इसमें चर्चा होनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं माननीय सभापति महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- आपका वक्तव्य आ गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, बहुत ही वरिष्ठ।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत देर से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकलीफ यह है कि भूपेश बघेल जी उनसे पहले खड़े हो जाते हैं। उनकी पहले भी लाइट जल गई थी।

श्री कवासी लखमा :- आपकी कुर्सी में क्या लगा है?

श्री भूपेश बघेल :- नंबर एक कि मैं सभापति महोदय से पूछ कर खड़ा हुआ हूं। नंबर दो, यह स्थगन नेताजी ने लाया है और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी उनकी लाइट पहले जल गई थी। उनके टेबल की लाइट पहले जल गई थी, लेकिन आप खड़े हो गए। मैं आपको यह बता रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- मैं वह लाइट नहीं देखा था।

श्री रामकुमार यादव :- पहिली तोर दिमाग के बत्ती जल जाथे। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, स्वयं अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि चार साल से खेती हो रही है। इसका मतलब यह है कि उनकी जानकारी में यह है, क्योंकि वह यहां पर कोई असत्य वक्तव्य देने के आदी नहीं हैं तो अभी जो माननीय गृह मंत्री जी पढ़ रहे थे कि अभी-अभी 6 तारीख को किसी मुखबिर ने उसकी जानकारी दी। इसका मतलब यह है कि चार साल से वहां पर अफीम की खेती हो रही है। मैं यह भी कह रहा था कि प्रदेश के कई कोनों में, जंगलों में, जो आंध्र प्रदेश से लगे हुए खेत हैं, झारखंड से लगे हुए खेत हैं, जशपुर की तरफ, कोरबा के जंगलों में कई बार अफीम की खेती पाई गई है, गांजा की खेती पाई गई है। आपने स्वीकार किया कि डोडा बनता है। डोडा किसको कहते हैं?

होम मिनिस्टर जी जानते होंगे। अफीम के ऊपर जो फल फलता है, उसको डोडा कहते हैं। उसमें चीरा लगाते हैं तो वह अफीम बनता है और डोडा के पकने के बाद।

सभापति महोदय :- मेरे ख्याल से उनको उतना डिटेल से मालूम नहीं है कि किसको डोडा बोलते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय, सभापति महोदय, माननीय विभागीय मंत्री जी का वक्तव्य आने के बाद आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसके बाद वह नहीं बोल सकते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, एक मिनट। आप सुन तो लीजिये। आप स्पष्टीकरण दीजिये। आपके यहां भी होता है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, वह किस नियम के तहत बोल रहे हैं?

सभापति महोदय :- नेता जी बोल रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- उन्होंने मुझे अनुमति दी है।

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी आसंदी की अनुमती से बोल रहे हैं और वह नेता प्रतिपक्ष हैं, वह बोल सकते हैं। यदि आप बोल रहे हैं तो आप स्थगन को स्वीकार करके चर्चा करवाईये।

डॉ. चरणदास महंत :- मुझे सभापति महोदय ने अनुमति दी है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा था कि वक्तव्य आने के बाद मंत्री जी का आसंदी के बाद कुछ।

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, आपका हिसाब किताब अलग है, उनका हिसाब किताब अलग है। इन्होंने जब हमें स्वीकार किया है तो थोड़ा-सा सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि आपको ज्यादा हिसाब किताब लेना है तो आप अपने अध्यक्ष का लीजिए कि उन्होंने उसको क्यों सस्पेंड किया।

श्री किरण देव :- सभापति महोदय, मैं उस पर भी बाद में बोलना चाहूंगा क्योंकि यहां सदन में भाजपा का नाम आया है इसलिए उसको मैं बोलूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- बोलिये, बोलिये।

डॉ. चरणदास महंत :- हां-हां, बोलिये। मैं इस पर भी बोलना चाहता हूं कि शायद अकेला एक आदमी, ओ.पी. चौधरी जी टेबल ठोक रहे थे। वह आप ही है ना ?

श्री भूपेश बघेल :- टेबल ठोक रहे थे।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके अलावा किसी ने टेबल नहीं ठोकी। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इन्होंने जो डोडा जब्त किया है, वह कितने हजार किलो है ? यहां डोडा कैसे आ रहा है ? जब डोडा फलता है तो उसको चीरा लगाते हैं और उसका धीरे-धीरे जो गोंद निकलता है, वह अफीम बनता है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस चर्चा का क्या विषय है ?

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, अफीम पकड़ा गया है।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की गयी है। मैंने वक्तव्य में सारी बातें स्पष्ट की है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से नेता जी बोल रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर इनको सुन लीजिए। आप बार-बार टोका-टाकी मत करिये।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं। यदि आप नहीं जानते होंगे तो आप सुन लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में वर्ष 1993 से इस आबकारी विभाग का मंत्री रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा डोडा, अफीम और फलाना ढिकाना होता है। मुझे मालूम है कि यद मंदसौर में और नीमच में होता है, गाजीपुर में उसका कारखाना है। अफीम कैसे बनता है और आप यहां से कैसे भेजते हैं, मैं वह सब जानता हूं। इसलिए बता रहा हूं कि जो डोडा को चीरा लगाते हैं, उसमें से जो गोंद निकलता है, वह अफीम बनता है। डोडा उसको कहते हैं जिसे सूखाने के बाद खसखस बनता है। यही प्रश्न पटवा जी ने मुझसे पूछा था कि आप खसखस का बहुत नाम ले रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी खाया है ? मैंने कहा साहब, मेरे घर में तीन बार खस-खस का प्रयोग हो चुका है। आपकी किस्मत में खस-खस खाने का सौभाग्य नहीं है तो मैं क्या करूं ? (हंसी) मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। यह जो ताली बजा रहे हैं, इनके ट्वीट में एक मर्म आया था कि इन्होंने यहां से रायगढ़ जाते हुए एक गाड़ी को टक्कर मारते हुए देखा तो उनको देखकर उन्हें दया आ गयी। उन्होंने जाकर ड्राईवर को पकड़ा फिर उन्होंने जाकर गाड़ी को पकड़ा फिर जाकर देखा कि एक ड्राईवर दारू पीकर पड़ा हुआ है, यह आपकी ट्वीट है। ओ.पी. जी, आपका यह ट्वीट आया था, आपको याद है ? इसमें आपका मर्म हैं। दारू पीने वालों के प्रति आप इतना मर्म रखते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं हो रही है। यहां अफीम पैदा हो रहा है, अफीम बांटने की तैयारी हो रही है। (शेम-शेम की आवाज) आपने जो विजन 2047 तय किया है तो क्या 2047 में क्या अफीम पैदा करेंगे ?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यह इनका ग्रीन बजट है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप धान के अलावा दूसरी फसल बोने वालों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार रूपये देते हैं। क्या आपने इसमें भी दिया है ?

श्री रामकुमार यादव :- ये मन ला धान ला तो लेना नइ हे, अउ ये मन अफीम ला लेवत हे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- ताम्रकार जी भी सरेण्डर करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय।

डॉ. चरणदास महंत :- आप रूक जाईये न। मेरा खत्म तो हो जाने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकंड। मुझे आप ही के कथन पर बोलना है।

डॉ. चरणदास महंत :- हां तो बोल लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, चूंकि आपकी व्यवस्था आ चुकी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी व्यवस्था पर फिर से बात कर रहे हैं। उनको बोलना चाहिए क्योंकि आपकी अनुमति है। आखिर वह इस विषय पर कितनी देर बोलेंगे ? ग्राह्यता पर तो चर्चा हो चुकी है, उन्होंने विषय रख लिया। इनका वक्तव्य भी आ चुका है।

सभापति महोदय :- उनकी चर्चा न ही ग्राह्यता पर है और न ही ग्राह्य करने पर है।

डॉ. चरणदास महंत :- यह आपकी अग्राह्यता पर है।

सभापति महोदय :- नेता जी न ग्राह्यता पर चर्चा कर रहे हैं, न ही ग्राह्य करने पर चर्चा कर रहे हैं। वह पहले मंत्री रहे हैं, उनको अफीम के बारे में विस्तार से और गहराई से जानकारी है। उस विषय को वह बता रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आप ग्राह्य करें, वह यह बात कर रहे हैं। आप ग्राह्य करें, वह यह निवेदन करने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, वह उसी विषय पर अपनी बात रख चुके हैं।

सभापति महोदय :- मैंने उन्हें अवसर दिया है। अभी जो चर्चा हो रही है, उसमें नेता जी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में मंत्री रहा और मंत्री रहते हुए मैंने करीब से देखा है कि कैसे डोडा को चीरा लगाते हैं और कैसे उसका दूध निकलता है। वास्तव में वह सदन को उस विषय में बताना चाह रहे हैं कि अफीम क्या है। वह ऐसी चर्चा कर रहे हैं और आप दूसरी बात बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वे स्थगन पर अपनी बात रख चुके हैं। वे उसी विषय पर दोबारा बात रख रहे हैं, मैं वह कह रहा हूं। आपने अनुमति कोई नए तथ्यों के लिए दी है या किसलिए दी है ? वह स्थगन पर बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, परीक्षण कर लीजिए कि डोडा कैसा दिखता है।

सभापति महोदय :- अजय जी, बैठिये। नेता जी, आप समाप्त करिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आपको बैठने के लिये बोल रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिये। आपको 04 साल का संरक्षण देने का बताया है।

सभापति महोदय :- आप भी अब समाप्त करिये।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं कह रहा हू कि जो अफीम की खेती आप लोगो ने शुरू कराई है, कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी भाजी जो है, कई लोग जो मंद, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, उसकी भाजी को सब्जी बनाकर खाते हैं। कुछ लोग उसके पोस्टा को भटें के भरते की तरह भरता बनाकर खाते हैं, कुछ लोग तलकर खाते हैं और उससे उनका नशा बढ़ता है। अगर इस तरह के नशे हम छत्तीसगढ़ के गावों में पैदा करेंगे तो हमारे नौजवानों का क्या होगा? अभी तक तो सूखा नशा ही व्याप्त

है, अब कच्चा नशा व्याप्त हो जायेगा। मुझे छत्तीसगढ़ की चिंता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार करें और इस चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। आज गृह विभाग की अनुदान मागों में चर्चा होनी है, विस्तार से उस पर विषय आयेगा। उस पर अपनी बात रख सकते हैं। आप सबको मालूम है कि बजट सत्र है, बजट सत्र में आपको चर्चा करने का अवसर मिलेगा। आज गृह विभाग की ही अनुदान मांग में चर्चा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा विषय है, इससे बड़ा विषय नहीं हो सकता।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किये)

समय
12.46 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़ करके गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

01. डॉ. चरणदास महंत
02. श्री भूपेश बघेल
03. श्री कवासी लखमा
04. श्रीमती अनिला भेंडिया
05. श्री उमेश पटेल
06. श्री लखेश्वर बघेल
07. श्री दलेश्वर साहू
08. श्री भोलाराम साहू
09. श्री लालजीत सिंह राठिया
10. श्री रामकुमार यादव
11. श्री द्वारिकाधीश यादव
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा

16. श्री इन्द्र शाह मंडावी
17. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
18. श्री विक्रम मंडावी
19. श्रीमती विद्यावती सिदार
20. श्री फूल सिंह राठिया
21. श्री अटल श्रीवास्तव
22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
23. श्री ब्यास कश्यप
24. श्री बालेश्वर साहू
25. श्रीमती शेषराज हरवंश
26. श्रीमती चातुरी नंद
27. श्री संदीप साहू
28. श्री इन्द्र साव
29. श्री जनक ध्रुव
30. श्री ओंकार साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित करूंगा।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजनअवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमित प्रदान की गई)

भोजन की व्यवस्था आज माननीय श्री अरूण साव, उपमुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में बैठकर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आपको नियम-प्रक्रिया मालूम है कि बेल में आने से स्वयं निलंबित हो जाते हैं इसलिये आप कृपया सहयोग करें और निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें ताकि सदन की कार्यवाही का संचालन कर सकें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में बैठकर निरंतर शासन विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 12.52 से 1.07 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय

1.07 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

निलंबन समाप्ति की घोषणा

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ।

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में वन अधिकार पट्टे का वितरण नहीं किया जाना.

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

राज्य के विशेषकर वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं वनवासियों से जुड़ी कई अत्यंत गंभीर समस्याएं हैं जिसमें वन अधिकार पट्टा वितरण में अत्यधिक विलंब, एग्री-स्टैक पोर्टल में किसानों का पंजीयन नहीं होना, फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलना तथा इसके कारण किसानों का धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाना शामिल है। राज्य के विभिन्न जिलों, विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हजारों पात्र वनवासियों द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विभागीय स्तर पर सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होने के कारण बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही आज भी पट्टे से वंचित हैं। पट्टा नहीं होने के कारण किसानों का भूमि रिकॉर्ड राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पा रहा है, जिससे वे शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। वनांचल क्षेत्र के किसानों को वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने की वजह से एग्री-स्टैक (Agri Stack) पोर्टल में उनका पंजीयन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें फसल बीमा योजना व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं उनके धान की खरीदी समितियों द्वारा नहीं हो रही जिस कारण वे अपनी फसल को कम दामों पर बेचने को विवश हैं। यह स्थिति विशेष रूप से वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि वे मुख्यत: कृषि पर निर्भर हैं और शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से

उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। किसानों एवं वनवासियों से जुड़ी उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं होने से उनमें शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, राज्य में वन अधिकार दावों का निराकरण पात्रता तथा नियमानुसार किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अब तक 8,93,597 व्यक्तिगत वन अधिकार दावे एवं 56491 सामुदायिक वन अधिकार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके विरुद्ध 8,87,663 व्यक्तिगत वन अधिकार एवं 56,367 सामुदायिक वन अधिकार के दावों का निराकरण किया गया है जिसमें से पात्र पाये गये चार लाख तिरासी हजार पांच सौ पच्चासी व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं अड़तालिस हजार दो सौ इक्यावन सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत वन अधिकार के दावों के निराकरण का प्रतिशत 99.34 एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावों के निराकरण का प्रतिशत 99.78 हैं।

वन अधिकार अधिनियम एवं नियमों के अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किए जाने की समस्त प्रक्रिया त्रिस्तरीय समिति प्रणाली (ग्राम सभा स्तर की यन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति) के माध्यम से प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार किए जाने की व्यवस्था है। ग्रामसभा में प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार तथा विभिन्न सामुदायिक वन अधिकार दावों पर नियमानुसार संकल्प हितबद्ध व्यक्तियों एवं संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पारित किया जाकर उन्हें उपखंड स्तरीय समिति को भेजा जाता है एवं उपखंड स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण पश्चात प्रस्तावित वन अधिकार प्रारूप अभिलेखों के साथ जिला स्तरीय समिति को अंतिम विनिश्चय हेतु प्रेषित किया जाता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा उपखंड स्तरीय समिति से प्राप्त दावों और अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पात्र दावों का अंतिम रूप से अनुमोदन कर वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमानुसार पात्रता होने पर वन अधिकार पत्र प्रदाय किया जाता है।

राज्य में 4 लाख 34 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक किसानों का भूमि रिकार्ड राजस्व एवं वन अभिलेखों में दर्ज हुआ है, जिससे वे शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभ से रहे है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र दिनांक 20-09-2025 के कंडिका कमांक-2 तथा पत्र दिनांक 15-10-2025 की कंडिका-10.1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अपवाद के रूप में अन्य श्रेणी के किसानों के साथ ही वन अधिकार पट्टा प्रकार के किसान पंजीयन में एग्री-स्टैक (Agri Stack) पोल में पंजीयन कराने की अनिवार्यता नहीं होगी, फलस्वरुप उन्हें फसल बीमा योजना व शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे खाद एवं बीज हेतु सहायता, कृषि उपकरण हेतु सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, फसल बिक्री हेतु पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भूमि समतलीकरण कार्य, पशुपालन विभाग के तहत पशुपालन, कुक्कुट

पालन, सिंचाई हेतु स्वीकृत कार्य, क्रेडा विभाग के तहत सौर सुजला योजना, कृषि उपकरण हेतु स्वीकृत सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना खाद्य एवं बीज हेतु स्वीकृत सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा के तहत कार्य (पशुपालन हेतु शेड निर्माण), उद्यान विभाग द्वारा सामुदायिक फैसिंग तथा वन विभाग द्वारा फलदार वृक्षारोपण इत्यादि का लाभ वन अधिकार पत्रधारकों को दिया जा रहा है। इनके फलस्वरुप उनकी आजीविका में स्थायित्व आया है।

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक किसानों को समर्थन मूल्य पर समितियों को धान विक्रय से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक किसानों को किसान सम्मान निधि अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्रधारकों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

अतः वन अधिकार प्राप्त किसानों एवं वनवासियों की आय में वृद्धि होने से शासन के प्रति उनका रवैया संतोषप्रद है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें आदरणीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त हुआ है । उस पर ही मैं कुछ विषय जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय भी वनांचल क्षेत्र से आते हैं और उस समाज से आते हैं, जिस समाज की परेशानियों को शायद उन्होंने देखा है, महसूस भी किया होगा । महोदय जी, वनांचल में रहने वाले ग्रामीण जो बहुत भोले-भाले हैं, जो न ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, न बहुत ज्यादा सुविधाओं की उन्हें इच्छा है । बस यह है कि उनके रोजमर्रा की दिनचर्या है, उनकी जो रोजी-रोटी है, उनके रहने की जगह है, वह उनके नाम में हो। दो वक्त का भोजन मिले, वह इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं समझ पाते हैं। आज स्थिति यह है कि अगर मैं अपने ही विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया की कुईकुकदुर ही बात करूं, वहां का जो वनाचंल क्षेत्र है, बिरजापुर वनाचंल क्षेत्र है, कवर्धा जिले में जो रेंगाखार है, जो दलदली है, वहां जाने से वहां के बहुत सारे किसान, बहुत सारी महिलाएं हमारे तक आकर विषय रखती हैं कि पिछले कई सालों से हमारे पूर्वज वहां निवासरत हैं, लेकिन आज भी न तो हमारे पास प्रमाण है कि हम यहां रह रहे हैं और यह हमारी जगह है। जब वे विभाग के पास जाते हैं तो विभाग वाले बोलते हैं कि आप इसमें ग्राम पंचायत का अनुमोदन लगाईये, गाम सभा कराईये फिर जनपद में आयेगा, जनपद से समिति बैठेगी फिर जिले में आयेगा। तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। सारी प्रक्रियाओं के जाने के बाद भी जहां तक मुझे रिकार्ड मिला है, सन् 2016 से अभी तक एक भी वन अधिकार पट्टा, विशेष तौर पर पण्डरिया जिला-कबीरधाम की बात करूं तो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है।

सभापति महोदय, यह अत्यंत गंभीर समस्या है। अभी आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य में आया है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा हो या फिर डायरेक्ट बेनीफिट हो, अगर उनको सारा मिल रहा है तो सन् 2016 से आज 2026 में खड़े हैं, 10 साल

में एक भी किसानों को वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है तो उनका कहां से पंजीयन हुआ होगा और किस तरह से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मै आदरणीय मंत्री महोदय से इस विषय पर प्रकाश डाले, यह मैं उनसे निवेदन करती हूं।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, यह काफी संवेदनशील विषय है। माननीय सदस्य के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ, हम प्रदेश भर में जो वन अधिकार पत्र देते हैं, उसके बारे में जानकारी ध्यानाकर्षण के माध्यम से मांगी है। हमने उसकी जानकारी तो दी है। रही बात कि कहीं-कहीं वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, उनको वन अधिकार पत्र नहीं मिल पा रहा है तो इसके बारे में आपके ही विधान सभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दूं। जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन प्रारंभ से अद्यतन स्थिति तक पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बोड़ला, सहसपुर लोहारा है, इसमें प्राप्त आवेदन की संख्या देखें तो एस.टी. के 22,945 आवेदन हैं तथा अन्य के 6,245 आवेदन है, कुल मिलाकर 29,190 आवेदन होते हैं। इसमें से जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त हो गया है और जिनको वितरित कर दिया गया है, अगर उसमें सब मिलाकर, एस.टी. का भी देखे तो 12,401 होते हैं। 29,190 आवेदन प्राप्त हुए थे। 29,190 आवेदन आपके ही विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत के थे, उसमें से ओ.टी.एफ. अन्य भी है, उनकी भी संख्या बताया गया कि उसमें से 1220 है। जो वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं, उसकी अलग-अलग प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि हमारे द्वारा ही लागू होता है। उसमें सिर्फ भारत सरकार द्वारा वन अधिकार पत्र दिए जाने का गाईड लाईन है, इस सम्बन्ध में अगर हम हमारे विभाग को देखे तो पूरे देश में सर्वाधिक वन अधिकार पट्टा छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, छत्तीसगढ़ ने दिया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगी कि पिछली बार किस सन् में ...।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मुझे भी मालूम है, मैं आपकी ही बात दोहरा रहा हूं। मुझे भी मालूम है कि इसके बावजूद बहुत सारे वनवासी परिवार ऐसे हैं, उसमें एस.टी. वर्ग के हैं, बाकी वर्ग के भी हैं, जो वर्षों से जमीन पर काबिज हैं, लेकिन जो उनकी पात्रता सूची बनती है, उस पात्रता सूची के आधार पर जो कट आफ डेट मिला था, वह 13 दिसम्बर, 2005 के कट आफ डेट के पहले तक जो आवेदन करने रिकार्ड है या कुछ है, उसी को पात्रता सूची में शामिल किया जाता है और इसी के बारे में आपका जो प्रश्न है कि कटऑफ के बाद भी बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं, जो लोग काबिज हैं, लेकिन उनको अभी तक वनाधिकार पत्र नहीं मिल पा रहा है। सभापति महोदय, इसमें तो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उन्हें जो भी प्रमाणित करना होता है या तो ग्राम सभा की उनकी जो समितियां हैं, वह आवेदित करें, वहां से प्रस्ताव पास करके दें, इसके बाद जनपद स्तर की हमारी जो समितियां हैं वहां से, इसके बाद जिला स्तर की समितियां हैं। ये तीन चरणों में इसकी स्क्रीनिंग चलती है, उसके आधार पर

वनाधिकार का पट्टा दिया जाने का है। इसके बावजूद माननीय सदस्य ने काफी संवेदनशील विषय को उठाया है और इन्होंने चिंता जाहिर की है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसके बावजूद अगर आपको कहीं लग रहा है कि इन-इन व्यक्तियों का, अमुक लोगों का, इतने लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा और उसमें पात्रता के अनुसार फिर से अगर बन सकता है तो उसे हम उसका लाभ देंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, इसमें विषय यह है कि पंडरिया विधान सभा की जो बात आई, तो वर्ष 2016 से आज ही सुबह की विभाग की यह जानकारी है जो जनपद से प्राप्त हुई, क्योंकि ग्राम पंचायत के बाद अगर पहला अथॉरिटी किसी को रहती है तो जनपद के C.E.O. को रहती है। उसके माध्यम से ही जो मुझे जानकारी मिली कि वर्ष 2016 के बाद से आज वर्ष 2026 तक एक भी वनाधिकार पट्टा का वितरण नहीं किया गया। महोदय जी, स्थिति यहां तक है कि ग्राम सभा की जो हम बात कर रहे हैं, ग्राम सभा से जो प्रस्ताव पारित होकर जनपद में भी आया, तो जनपद में उसे यह बोल कर रिकॉर्ड नहीं बनाया गया कि आपका ग्राम सभा में जो प्रस्ताव है, उपयुक्त नहीं है, फिर से आप ग्राम सभा लगाइये, फिर से आप प्रस्ताव लाइए। लेकिन महोदय जी, अगर प्रस्ताव निरस्त भी किया जाता है जनपद के माध्यम से तो कम से कम एक जानकारी रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि कितना हमारे पास से ग्राम सभा में जनपद में आया, भले हमने उसको पुन:निरीक्षण के लिए भेजा। दूसरा विषय महोदय जी, 1817 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो 216 आवेदन हैं, वे नौ बिंदुओं पर जिनकी जांच हुई, कुछ कमी के कारण निरस्त किया गया। लेकिन 1601 लाभार्थी जिनको पात्र पाया गया था, आज तक पिछले 10 सालों में उनका पट्टा वितरण संभव नहीं हो पाया है । 1800 में से 200 का निरस्त किया गया है, मैं रिपीट करती हूं, 1600 ऐसे लाभार्थी आज भी हैं, जो अभी तक के इस का लाभ नहीं ले पाए हैं। तो क्या उनको लाभ कब तक के मिलेगा पहले तो मेरा यह प्रश्न है। दूसरा महोदय जी, अभी आदरणीय मंत्री जी ने एक विषय पर चर्चा की कि वनाधिकार पट्टा जिनको मिला है, उनके धान की बिक्री हो रही है। लेकिन महोदय जी अभी कुछ समय पहले का ही यह धमतरी का है जो न्यूजपेपर में प्रकाशित भी हुआ था, आपके माध्यम से मैं उसे बताना चाहूंगा कि धमतरी में वन पट्टा खेतिहर भूमि एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं हो पाया, इसलिए उनकी धान की बिक्री नहीं हो पाई है। तो महोदय जी जवाब में यह विरोधाभास है । एक तरफ हम कह रहे हैं कि जिनका पट्टा वितरण हुआ, उनका पंजीयन भी हुआ, एग्रीस्टैक भी हुआ, वे धान भी बेच पा रहे हैं, लेकिन वहीं यहां पर धमतरी का साक्ष्य समेत यह दिखाया जा रहा है कि यहां पर बहुत सारे किसान इसलिए अपना धान नहीं बेच पाए कि वनाधिकार पट्टा भूमि का एग्रीस्टैक नहीं हो पाया है। तो दोनों में कृपया एक बार थोड़ा सा संज्ञान डालें कि दिक्कत कहां पर है। अगर पट्टा मिला हुआ है तो वह एग्रीस्टैक होकर पंजीयन होकर धान क्यों नहीं बेच पाए? 1600

वनाधिकार पट्टा जो आज भी पंडरिया क्षेत्र में जो पेंडिंग हैं, जिनकी स्वीकृति मिल चुकी थी, उन पर आगे क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा इसमें कई प्रश्नों को उठाया गया है। रही बात पंडरिया विधान सभा क्षेत्र की बात, तो कबीरधाम जिले में बोड़ला विकासखंड में 104 व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र 31/01/2023 को स्वीकृत कर वितरित किया गया है। 31/01/2023 को उसमें 104 व्यक्तियों को वितरित किया गया है जो आप बोल रही हैं कि 2016 के बाद नहीं हुआ..।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, बोड़ला पहले तो पंडरिया में नहीं आता है।

श्री रामविचार नेताम :- जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- वह कवर्धा का ब्लॉक है, पंडरिया में लोहारा और ये..।

श्री रामविचार नेताम :- दूसरी बात कि आपने अपने विधान सभा क्षेत्र के बाकी जो बचे हुए हैं, इस बारे में मैंने अपने उत्तर में यह बताया है कि मैं फिर से उसका परीक्षण में करा लेता हूं। यद्यपि देखिए, पहले भी मैंने बताया कि इसमें पात्रता का जो कटऑफ डेट रखा हुआ है, वह डेट 13 दिसंबर, 2005 के पहले के जो प्रमाण पत्र हैं, प्रमाणित होने के बाद ही हम उसे पात्रता सूची में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से ST, SC, OBC व कोई भी पात्र हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ST के अलावा अन्य जितने भी वर्ग हैं, उनको यदि वन अधिकार पत्र लेना है तो उन्हें 75 साल का प्रमाण-पत्र जमा करना होता है। यह हमारे यहाँ का नियम नहीं है। भारत सरकार ने ही हमें जो गाइडलाइन दी है, उसके तहत ही हम पात्र और अपात्र की सूची तय करते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि वन अधिकार पट्टा होने के बाद भी धान का पंजीयन और धान बिक्री क्यों नहीं हो पाई है? हालांकि, उस प्रश्न से मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें एक और जटिलता है कि वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच में सामंजस्य नहीं होने के कारण से भी कई बार ग्राम सभा ये चीज़ों को लेकर confused रहती है कि यह वन विभाग में आएगा या यह राजस्व की ज़मीन है। इसलिए इसमें दोनों विभागों को लेकर आगे किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, उस पर आप एक बार संज्ञान डालें। जो पात्र नहीं हैं या किसी कारण से जिनकी पात्रता निरस्त की गई है तो क्या उसका एक बार पुनरीक्षण किया जाएगा?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस बारे में तीन स्तर में इसकी स्क्रूटनी, इसकी जाँच होती है। ग्राम पंचायतों में जो वन अधिकार समिति बनी है, उसके पास वे आवेदन करते हैं। ग्राम सभा उसमें विचार करती है। ग्राम सभाओं को जब आवेदन प्राप्त होते हैं, तब यह समिति के द्वारा विचार होता है। उसमें फॉरेस्ट विभाग के भी कर्मचारी होते हैं, स्थानीय स्तर के कर्मचारी भी होते हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी होते हैं। वहाँ वन विभाग, राजस्व विभाग और ट्राइबल विभाग का पंचायत स्तर की जो समिति है, उस त्रि-स्तरीय समिति द्वारा उनका जाँच करने के बाद ग्राम सभा में

उसका वाचन करेंगे। ग्राम सभा ही उसे तय करेगी कि अगर वो पात्र पाया जाता है, फिर उसे आगे बढ़ाया जाता है। जो जनपद स्तर की ब्लॉक स्तरीय कमेटी है, उस कमेटी के पास विचारण के लिए जाता है। वहाँ से विचारण करने के बाद सब-डिवीजन स्तर के SDM की अध्यक्षता में वह कमेटी बनती है और इसके बाद वह जिला स्तर की कमेटी में जाती है। इतने स्तर में जांच होकर जब उनका पात्रता का निर्धारण होता है, इसके बाद ही किसी को वन अधिकार पत्र दिया जाता है।

सभापित महोदय :- अंतिम प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, विषय बहुत गंभीर है। कहीं न कहीं अगर भारत सरकार के माध्यम से वन अधिकार पट्टा प्रस्तावित किया गया है कि लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, तो निश्चित ही इसके पीछे भारत सरकार की बहुत बड़ी मंशा होगी कि जो आदिवासी, वनवासी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उनको कम से कम उनके भूमि का, उनकी आजीविका का साधन मिल सके। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य में शुरू में ही इस बात की चर्चा की गई थी कि लगभग 8,93,557 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें सिर्फ 4,83,000 स्वीकृति मिली है। मतलब 52% स्वीकृति मिली है। पिछले सालों में अगर हम सिर्फ 50% लोगों को ही वन अधिकार पट्टा का लाभ दे पाए हैं, फिर भारत सरकार की योजनाओं का हम कितना क्रियान्वयन कर पा रहे हैं? यह सोचने वाला विषय है। दूसरी बात, जो प्रक्रिया है, जिसकी अभी चर्चा हुई कि ग्राम सभा की समिति होगी। आवेदन ग्राम सभा से जनपद में जाएगा। जनपद की समिति से पास होकर वह जिला कलेक्टर के पास जाएगा। अगर इतनी सरल प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाता, तो 4,83,000 आवेदन पेंडिंग नहीं रहते। सभापति महोदय, क्या सरकार या हमारे आदरणीय मंत्री जी इस विषय पर वापस संज्ञान लेंगे कि त्रुटि कहाँ पर हो रही है? क्योंकि जो आदिवासी भोले-भाले व्यक्ति हैं, वह यह नहीं समझते कि उनको चैनल से कैसे जाना है। उनको 75 साल का नियम पता है, उनके पास वर्ष 2005 के पहले का जो रिकॉर्ड होना है, वह उनको पता है। लेकिन जो प्रक्रिया की जटिलता है, जिसके कारण वे पिछले 10 सालों से वर्ष 2016 से लेकर के आज तक ऑफिसेस के चक्कर लगा रहे हैं। हालाँकि, आदरणीय मंत्री जी ने बोड़ला की चर्चा की, जो मेरी जानकारी में नहीं है। वे पिछले 10 सालों से सिर्फ ऑफिसेस के चक्कर लगा रहे हैं। वे कभी ग्राम पंचायत, कभी जनपद, कभी जिला, कभी और कहीं, कभी हमारे पास चक्कर लगा रहे हैं। कितने दिन इनको और चक्कर लगाना पड़ेगा? क्या आज इस विषय की चर्चा होने के बाद हम यह उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा पंडरिया विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, इसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, बीजापुर से लेकर सारे वनांचल क्षेत्र हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से निवेदन करुँगी कि कब तक इसकी वापस चर्चा होगी और लोगों के बीच यह बात जाए कि आपको वन अधिकार पट्टा मिलने वाला है, आप उस प्रक्रिया में आगे बढ़िए? जो आवेदन निरस्त हो गये

हैं, उसकी कब तक जाँच होगी? कृपया विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करुँगी कि उसका जवाब आ जाये।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने उत्तर में ही बताया है कि पूरे देश में, खासकर ट्राईवल स्टेट जितने हैं, उनमें सर्वाधिक वन अधिकार पत्र हमारे छत्तीसगढ़ में बंटा है । हमें भारत सरकार से भी काफी सम्मानजनक स्थान मिला है, पट्टा किसको नहीं चाहिये ? सभापति महोदय, हर कोई चाहता है कि हमारे पास जमीन का पट्टा हो, लेकिन उसके लिये पात्रता का निर्धारण किया गया है कि किस तरह के लोगों को देना चाहिये, उसमें काबिज कितने साल का है, वहीं के लोग पंचनामा करते हैं, इसे ग्राम सभा के लोग करते हैं । अगर वैसे ही उठाकर दे दिया जायेगा तो पूरा खाली हो जायेगा । आवेदन करने का हर कोई का एक अधिकार है । सर्वाधिक लोगों ने आवेदन किया और उस आवेदन में से पूरी जांच हुई और कई स्तर की जांच हुई है । ऐसा नहीं है कि उसमें पट्टा ऐसे ही दे दिया गया है । उसमें जांच हुई है, जांच प्रक्रिया के बाद ही इतने अधिक लोगों को पट्टा वितरण किया गया है । आपके उस विशेष क्षेत्र का मामला है, मैं उसको दिखवा लूँगा । पात्रता की सूची में जो शामिल हो सकते हैं, हमारी ओर से हम कोशिश करेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, बैगा जनजाति है, एस.टी.वर्ग के सारे लोग हैं या ओबीसी में गरीब वर्ग के लोग हैं, वह इस पात्रता सूची में कैसे आ सकते हैं, हम उसको फिर से दिखवा लेंगे ।

सभापति महोदय :- एक प्रश्न । अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आखिरी में पंडरिया विधान सभा में केंद्रित कर दिया है, उसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का भी उल्लेख किया है । मेरा एक छोटा सा और महत्वपूर्ण लाईन है कि जितने लोग पात्र हैं, स्कूटनी की इतनी लंबी प्रक्रिया और उसको तय करने की है कि आप तीन बार पढ़ेंगे तो हम उसे याद नहीं कर पायेंगे, उसे लिखकर देंगे तो याद नहीं कर पायेंगे । आप पंडरिया को प्राथमिकता दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में क्या पात्र लोगों की एक समयावधि निर्धारित करेंगे कि प्रक्रिया सुनिश्चित कर इतनी अवधि में हो, जो आपको कन्विनिएंट लगे, जो सुविधानुसार हो कि हम इतनी अवधि में कर देंगे ? यह बताने का कष्ट करें ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि जो 4 लाख 10 हजार दावे जो पेंडिंग नहीं है, वह अपात्र पाये गये इसलिये उसको निरस्त किया गया है । इसके अतिरिक्त कहीं और भी आवेदन जमा है, उन आवेदनों को कैसे पात्र सूची में लाया जा सकता है, मैं इसका एक बार परीक्षण करा लूँगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आखिरी में छोटा सा प्रश्न है कि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें शासन के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा । यह विशुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया

है । माननीय मंत्री जी को पूरी प्रक्रिया मालूम है । अब परीक्षण शब्द जो है, यह समझ में नहीं आता है, मैं इसलिये फिर से आग्रह करता हूँ कि क्या आप एक निश्चित समयावधि परीक्षण के लिये और पट्टा प्रदाय करने के लिये घोषणा करेंगे क्या ?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, परीक्षण में सभी विषय समाहित है, मैं समझता हूँ कि अगर परीक्षण बोला जा रहा है तो निश्चित ही एक साल के अंदर पूरे प्रदेश में इस तरह से कहीं भी अगर कोई प्रकरण है तो उसको हम फिर से दिखवायेंगे और पात्रता के आधार पर उन्हें हम वन अधिकार पत्र बांटेंगे ।

श्रीमती भावना बोहरा :- बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री जी ।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप ।

(2) प्रदेश में स्थापित कारखानों में उद्योग नीति का उल्लंघन किया जाना।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ में स्थापित कारखानों में उद्योग नीति का परिपालन नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की उद्योग नीति के अंतर्गत स्टांप शुल्क, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान में छूट दी जाती है जिसके एवज में कारखाना प्रबंधकों का यह वैधानिक कर्तव्य होता है कि वह अपने कारखाने में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को प्रत्येक कामगार श्रेणी में जैसे कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल श्रेणी में 80 से 90 प्रतिशत तक रोजगार उपलब्ध कराएं, परन्तु जिला जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर एवं अन्य सभी जिलों में जो भी कारखाने स्थापित किए गए हैं तथा जो छत्तीसगढ़ शासन से किसी भी तरह का अनुदान प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा मोटी रकम लेकर कारखानों को अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है, परंतु इस बात की जांच रिपोर्ट में छुपा लिया जाता है कि कारखाने द्वारा कितने स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। किसी भी कारखाने की जांच करने पर उच्च श्रेणी में नियोजित श्रमिकों में 5 प्रतिशत भी छत्तीसगढ़ की स्थानीय श्रमिक नहीं है, न ही अन्य श्रेणी में स्थानीय लोगों की भर्ती की गई है, साथ ही साथ उद्योग विभाग द्वारा आज तक किसी भी इस तरह के प्रकरण में अनुदान निरस्तीकरण तथा कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई है, जो सोचनीय विषय है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित उद्योगों में निरंतर दुर्घटनाएं हो रही है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम विभाग के अंतर्गत उद्योग स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के केवल कुछ ही कार्यालय हैं। केवल 6-7 कार्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, सक्ती जिले में

आज तक कार्यालय नहीं बनाया गया है। इसी तरह 20 से 25 जिलों में कार्यालय नहीं है, जिसके कारण श्रमिकों को शिकायत की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जिससे कारखाने बेलगाम होकर सुरक्षा पर ध्यान न देते हुए कार्य कर रहे हैं। इस विभाग में केवल कुछ अधिकारी ही भर्ती किए गए हैं और विगत् 10 वर्षों से कोई भर्ती भी नहीं की गई है, कई जिलों के छोटे उद्योग वाले भी लाईसेंस लेने रायपुर तक भटकते रहते हैं। प्रत्येक जिले में उद्योग, स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग का कार्यालय नहीं खोले जाने के कारण उद्योगपतियों में शासन, प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में स्थापित कारखानों में उद्योग नीति का परिपालन नहीं किया जा रहा है। यह सही है कि छत्तीसगढ़ में स्थापित कारखानों को छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग नीति के अंतर्गत पात्रतानुसार स्टाम्प शुल्क छूट, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान दिया जाता है। औद्योगिक नीति 2019-24 एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु उद्योगों को स्थायी नियोजन में अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 70 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के शर्त का पालन छूट/अनुदान हेतु अनिवार्य है। यह कहना सही नहीं है कि जिला जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर एवं अन्य सभी जिलों में जो भी कारखानें स्थापित किए गए हैं तथा जो छत्तीसगढ़ शासन से किसी भी तरह का अनुदान प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के क्षेत्राधिकारियों द्वारा निरंतर इकाईयों का निरीक्षण किया जाता है। नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत् विगत तीन माह में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों के द्वारा कुल 167 निरीक्षण किए गए हैं, इसमें किसी भी इकाई में रोजगार संबंधी उल्लंघन नहीं पाया गया। अतः यह कहना भी सही नहीं है कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा मोटी रकम लेकर कारखानों को अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है परंतु इस बात को अपनी जांच रिपोर्ट में छुपा लिया जाता है कि कारखानों द्वारा कितने स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में निरीक्षण के दौरान रोजगार संबंधी शर्तों का उल्लंघन किसी प्रकरण में नहीं पाया गया है तथा उद्योग संचालनालय में रोजगार संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त नहीं है। अतः अनुदान निरस्तीकरण तथा कुर्की की स्थिति निर्मित नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित कारखानों में घटित होने वाली दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दुर्घटना की अविलंब जांच कर कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए माननीय श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दायर किया जाता है। राज्य में कुल 12 कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें संचालनालय रायपुर, 01 उप संचालक इण्डस्ट्रियल हाईजिन लैब, 06 उप संचालक स्तर के कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव तथा सहायक

संचालक स्तर के 04 कार्यालय सरगुजा, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बस्तर में स्थापित हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि केवल 6-7 कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है। यह कहना सही है कि सक्ती जिले में आज तक कार्यालय नहीं बनाया गया है। सक्ती जिला पूर्व में जिला जांजगीर-चांपा का हिस्सा होने के कारण वहां का कार्यक्षेत्र जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत है। यह कहना सही है कि 20 से 25 जिलों में जिला स्तर के कार्यालय हैं ही नहीं, अपितु कारखानों की प्रकृति एवं संख्या के आधार पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा मुख्यालय सहित 11 स्थानों पर मैदानी स्तर के कार्यालय की स्थापना की गयी है। जहां से राज्य में कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि श्रमिकों को शिकायत की सुविधा भी नहीं मिल रही है, जिससे कारखाने बेलगाम होकर सुरक्षा पर ध्यान न देते हुए कार्य कर रहे हैं, अपितु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के पास शिकायत प्राप्त होने पर उसमें त्वरित कार्यवाही की जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि इस विभाग में केवल कुछ अधिकारी ही भर्ती किए गए हैं और विगत 10 वर्षों से कोई भर्ती भी नहीं की गई है, अपितु वर्ष 2022 में सहायक संचालक (हाईजिन) के 01 पद पर भर्ती की गयी है तथा 07 सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही 08 नये सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिसमें जिला जांजगीर-चांपा में 01 सहायक संचालक का अतिरिक्त पद सृजन करने हेतु प्रस्ताव सम्मिलित है। यह कहना सही नहीं है कि कई जिलों के छोटे उद्योग वाले भी लाईसेंस लेने रायपुर तक भटकते रहते हैं, अपितु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत कारखाना लायसेंस ऑनलाईन विभागीय पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है साथ ही कारखानों के लायसेंस का अधिकतम 15 वर्षों हेतु स्वतः नवीनीकरण विभागीय पोर्टल के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। एक बार माननीय अजय चंद्राकर जी के श्रम विभाग पर ही चर्चा चलत रीहिस हे। वास्तव में बड़ा तकलीफ का विषय है कि छत्तीसगढ़ से हम विदेश भी जाते हैं और जमीन उपलब्ध कराकर पूरे संसाधन देने के बाद उद्योग स्थापित करते हैं, परंतु उद्योग स्थापित हो जाने के बाद अधिकांश उद्योगों में शासन के नियमानुसार हमारे छत्तीसगढ़ के जितने मजदूर होने चाहिए, उन नियमों का पालन वर्तमान में नहीं हो रहा है। सामान्यत: वह निरीह मजदूर ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं और कंपनी के कर्मचारी नहीं रह जाते हैं। अधिकांश जगहों में ठेका प्रथा पर ही काम चल रहा है। बड़े-बड़े उद्योग खुल रहे हैं। वहां भी अलग-अलग बड़ी-बड़ी कंपनियां खोल दी जा रही हैं और उन कंपनियों में जो ठेकेदार हैं, उन्हीं ठेकेदारों के अंतर्गत वह मजदूरी के रूप में काम करते हैं। वह ठेकेदार जब चाहे तब उनको रखते हैं और जब चाहे तब उनको निकाल देते हैं। ऐसे कई प्रकरण आते हैं।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप प्रश्न करें।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मेरा एक ही प्रश्न है कि जांजगीर-चांपा जिले में अभी पी.आई.एल. कंपनी में दुर्घटना घटी थी, जिसमें छह मजदूर झुलस गए थे और तीन मजदूरों की मृत्यु हो गयी थी। मैं जब खुद निरीक्षण करने गया तो मैं इस बात को देखता हूं कि वे लोग 25-30 साल पुरानी फर्नेस से ही लगातार काम करा रहे हैं। मजदूरी में या मजबूरी में छत्तीसगढ़ के मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसे जितने भी कारखाने हैं, जहां पर मशीनें खराब हालत में पहुँच गई है, क्या छत्तीसगढ़ शासन सुरक्षा की दृष्टि से उसको परिवर्तित करने के लिए उन उद्योगों को अपना प्रस्ताव भेजेगी या उनको बंद कराएगी? मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपना जो ध्यानाकर्षण लगाया है, उसमें उन्होंने एक उद्योग के बारे में जानकारी चाही है। उसमें पिछली विधान सभा में भी प्रश्न लगा था और उसमें मेरे द्वारा पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी। अगर उनको उसमें अलग से जानकारी चाहिए तो मैं उनको उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह एक ही कंपनी की बात नहीं है। यह ठीक है कि मैंने एक पी.आई.एल. कंपनी का नाम लिया, परंतु लगभग-लगभग छत्तीसगढ़ की अधिकांश कंपनियों की यही स्थिति है । मैं छत्तीसगढ़ के जिस जिले से आता हूं, जहां के सर्वाधिक लोग बाहर कमाने-खाने के लिए जाते हैं क्योंकि हम लोगों को वहां रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। सभापति महोदय, दो बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति की ढिलाई का नतीजा यह हो रहा है कि बाहर के प्रदेशों से लोग आकर उन उद्योगों में काम करते हैं, जिसमें असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। बाहर से उनकी पहचान नहीं हो पाती है। इसमें यह नियम है कि इन जगहों पर काम करने के लिए वह छत्तीसगढ़ के नागरिक होने चाहिए परंतु मैं तो यह कहना चाहूंगा कि वे स्थाई नागरिक होने चाहिए, मूल निवासी होने चाहिए परंतु वह नहीं हो पा रहा है। मैं अभी एक प्रश्न का जवाब देख रहा था। उसमें जितने कर्मचारियों के नाम आए थे, उसमें से 90 प्रतिशत लोग 62 साल से ऊपर के हो चुके हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के नहीं वरन् छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी आकर काम कर रहे हैं और दबावपूर्वक कृपा करके हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे जितने भी कारखाने भी हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ियां लोगों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। जब हम गर्व से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं तो छत्तीसगढ़ के शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे आपकी प्रशंसा करने का मन हो रहा है। आप अत्यंत उदार हैं। आप ध्यानाकर्षण में भाषण सुनवा रहे हैं। आसंदी की इतनी उदारता तो कभी-कभी देखने मिलती है ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय चंद्राकर जी, हम आप ही से सीख रहे हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं ध्यानाकर्षण में भाषण नहीं देता।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, यह भाषण नहीं है। मैं दिल की बात बोल रहा हूं। हमें इस बात की पीड़ा है। हमको मजदूर आकर बताते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन, चार-चार उद्योग घराने लगे हुए हैं परंतु स्थानीय लोग कितनी तकलीफ पा रहे हैं। वे शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। यदि वे शिकायत करेंगे तो उनको बाहर कर देंगे। मैं बार-बार यही तो बोल रहा हूं। आप बोलते हैं कि एक ही जगह की बात मत करिये। मैं पूरे प्रदेश में उस बात को कह रहा हूं। हमारे क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं। वह बाहर क्यों जायेंगे ? जब आप इतने उद्योगों को सब्सिडी देकर बुलाते हैं। यहां पर जितने भी उद्योग लगते हैं, वे अपनी बड़ी कार्ययोजना बताते हैं।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये ना।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है कि आने वाले समय में आपके शासन के अंतर्गत जितने प्रतिशत का नियम है, क्या आप छत्तीसगढ़ के कारखानों में हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को उतने प्रतिशत रखेंगे ? क्योंकि वर्तमान में यह स्थिति नहीं है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अभी हमारे 7280 कारखानें संचालित हो रहे हैं, जिसमें 4 लाख 23 हजार 119 श्रमिक नियोजित हैं। साथ ही अभी वर्ष 2024 से जो नई उद्योग नीति 2 साल के अंतर्गत आयी है, उसमें 2,563 उद्योग प्रारंभ हुए हैं, जिसमें हमारे 44,745 श्रमिकों को रोजगार मिला है। माननीय सदस्य जो स्थानीय और बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रबंधकीय में जितने प्रतिशत का प्रावधान रहता है, उसमें भी हमारी सरकार की जो गाइडलाइन है, उससे ज्यादा कार्य छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। उन्हें 84 प्रतिशत कार्य मिला है। और जो 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत की शर्त है, यह सारा पालन हो रहा है, उसका सत्यापन भी हो रहा है और किसी भी तरह से अनियमितता कहीं पर नहीं हो रही है।

समय:
1.50 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। उद्योग विभाग, श्रम विभाग सत्यापित भी करते हैं कि स्थानीय हैं या बाहर के हैं। उद्योग स्वत: अपना प्रमाण पत्र सत्यापित करके देता है। उसके बाद विभाग के द्वारा उसको सत्यापित किया जाता है। जितने भी अभी काम कर रहे हैं, वह सारे स्थानीय लोग काम रहे हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। अगर माननीय सदस्य जी को लगता है कि यहां पर बाहरी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो लिखकर दे दें। हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करा देंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 44735 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, अब एक प्रश्न और पूछ लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न नहीं, प्रश्न तो बहुत लंबे हैं पर बात आ गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि 44 हजार श्रमिकों में आप मुझे जांजगीर-चांपा जिले की अलग से सूची सौंप दीजियेगा जिसमें स्थानीय लोगों को या छत्तीसगढ़िया लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये गये हों? सभापति महोदय, विशेषकर के यह विषय है कि उद्योग आने चाहिए। धान का कटोरा है, धान उत्पादन करते हैं, रोजगार भी चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास के लिये, रोजगार के लिये हमें कारखाना भी चाहिए। परंतु जिस ढंग से श्रमिकों के प्रति अन्याय हो रहा है, उस विषय को मैं लाया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने उद्योग घराने लगते हैं, उनके लिये जो भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है, नियम के तहत उन भूमि धारकों को वहां पर नौकरी प्रदान करने की भी बात विभागीय व्यवस्था में आती है।

सभापति महोदय :- आप उसको प्रश्न में पूछ लीजिए न।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। जैसे मडवा पावर प्लांट में 160 लोगों की जिनका भू-अर्जन हुआ है, ऐसे लोगों को भी वर्तमान में वहां पर नौकरी नहीं मिल पाई है। कलेक्टर महोदय ने इस बात का निर्देश दिया था कि 31 दिसंबर 2025 तक हम कर लेंगे, परंतु 31 दिसंबर नहीं आज मार्च का महीना चल रहा है, उनमें किसी को भी आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में जो फैक्टरी हैं, वहां पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, 1307 लोग काम रहे हैं जिसमें से 1295 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। मैंने पहले कहा कि माननीय सदस्य को कहीं पर लगता है तो बता देंगे कि इस जगह का है तो हम उनको जानकारी दे देंगे। वह बता दें कि कहां पर छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, बाहर के हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मूल निवासी का मतलब यह है कि बाहर से आ गये और पार्षद, सदपंच से ठप्पा लगवा लिये और मूल निवासी हो गये।

श्री लखन लाल देवांगन :- पार्षदों से ठप्पा लगवा लेते हों, ऐसा नहीं होगा।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को दे दीजियेगा न।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं पूरी सूची दे दूंगा।

सभापति महोदय :- वह बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे सूची उपलब्ध करायें न।

श्री लखन लाल देवांगन :- आप बता दीजियेगा कि पार्टिक्यूलर आपको कहां का लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं हैं, उसकी जानकारी आपको दे देंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- आपने ही इस विधान सभा में जो सूची जारी की है, उस सूची का भी मैंने अध्ययन कराया है। तभी इस बात को बोल रहा हूं कि वह हमारे यहां के मूल निवासी नहीं हैं। वह मूल निवासी कैसे बन जाते हैं, अगर शहर में हैं तो पार्षद से और ग्राम पंचायत में रहते हैं तो सरपंच से अनुशंसा करा लिये। सभापति महोदय, उसी को हम छत्तीसगढ़िया मान लेते हैं।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात उनको बता दीजियेगा। वह चेक करा लेंगे। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापित महोदय, ब्यास भैया जो पूछ रहे थे मैं इसी में एक सीधा और प्वाइन्टेड प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, हमारे यहां पूरे जांजगीर जिले में ये विषय बहुत गंभीर है। जो वह बात कह रहे थे, मैं उसको स्पेसीफिकली बता रहा हूं इसमें हो यह रहा है कि लोग बाहर से आते हैं और जो हम लोग अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल में 70 प्रतिशत और प्रबंधकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह लोग बाहर से आते हैं और यहां पर आने के बाद अपने आधार को बदलवा लेते हैं। तो क्या आप यह अनिवार्य करेंगे कि उसको हम जांच करायें और क्या उसमें जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता डाली जायेगी ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, आधार कार्ड भारत सरकार का एक पहचान पत्र है। अब उसको बता रहे हैं कि वह फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो फर्जी आधार कार्ड का तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैंने फर्जी नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि बाहर से आते हैं और उसके बाद जब यहां नौकरी लग जाती है तो धीरे से अपना एड्रेस चेंज करा लेते हैं ताकि वह छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो जायें। तो क्या हम उनको मूल निवासी मान रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप चाहते क्या हैं, पूछ लीजिए ना।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या हम लोग उनके जन्म प्रमाण पत्र या कोई ऐसी व्यवस्था कर लें कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिले और बाहर से जो आ रहे हैं, वह अपने आपको छत्तीसगढ़िया बोलकर शामिल न हो जायें । मेरा यह आपसे सीधा सा प्रश्न और सुझाव है ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया बनकर कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं आता है, बोली-भाषा से भी पता चल जाता है कि छत्तीसगढ़ का है या बाहर का है और निश्चित तौर पर माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम और गंभीरता से उसका परीक्षण करा लेंगे ।

सभापति महोदय :- अनुज जी ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, भाषा और बोली की बात माननीय मंत्री जी ने कही । मुझे पता है कि जब मैं एक-बार मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा में जम्मू कश्मीर गया था ।

सभापति महोदय :- कश्यप जी ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को सुन लीजिये न।

सभापति महोदय :- नहीं, कश्यप जी । अब आपका समाप्त हो गया है । मैंने अनुज जी को समय दिया है और इस पर आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हो गयी है, आगे बढ़ाना है ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत आभार ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण मेरा है । आपसे आग्रह है कि मुझे तो समय दीजिये ।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण में चर्चा ही तो हो रही है न । अभी भी हो रही है ।

श्री ब्यास कश्यप :- हां, चर्चा हो रही है लेकिन अभी मेरे विषय बाकी हैं ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । चूंकि उद्योगों की एक बड़ी शिकायत आती है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है लेकिन 12 घंटे तक काम कराने की ज्यादातर इंडस्ट्रीज की शिकायत आती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी शिकायत आती है या आयी है ? या इसको रोकने के लिये कि प्रॉपर शिफ्ट में काम करें, क्या किया जाता है ? इस बात का परीक्षण कैसे होता है कि जिस इंडस्ट्री के जितने एम्प्लाईज की जरूरत है उन्होंने कितने की भर्ती की और उनका प्रोडक्शन कितना है और उसके लिये कितने लोगों की जरूरत है ? इसको किस तरह से...।

सभापति महोदय :- नहीं, आप व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं । आप कुछ स्पेसिफिक पूछ लीजिये तो बता देंगे ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्पेसिफिक बस यह जानना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी अगर उपलब्ध करा सकें तो कि इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और किस तरह की कार्रवाई हुई है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण दूसरे विषय का है और विषय दूसरा पूछ रहे हैं, बाकी निरीक्षण हमेशा होते रहता है ।

सभापति महोदय :- हां, वही । आपका विषय ध्यानाकर्षण में नहीं है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, विषय जो है । वह औद्योगिक नीति के उल्लंघन की बात हो रही है तो यह उल्लंघन के अंतर्गत आता है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे अगर काम कराया जा रहा है तो यह उल्लंघन है । श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन है तो मैं इसलिये इस विषय पर अपनी बात रख पा रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, आपकी कृपापूर्वक आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये आपका आभार । लेकिन यह उसी से जुड़ा हुआ है इसलिये मैंने पूछा ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, लगातार फैक्ट्रियों में निरीक्षण उद्योग विभाग के द्वारा भी किया जाता है, श्रम विभाग के द्वारा भी लगातार किया जाता है और इस टाईप का कहीं पर भी 8 घंटे की जगह कोई ज्यादा टाईम लेता है तो ओवरटाईम का भी सिस्टम रहता है । अगर ओवरटाईम भी नहीं देता और 8 घंटे की जगह उसको 10 घंटे, 12 घंटे काम कराते हैं तो माननीय सदस्य जी लिखकर दे दें, वहां पर हम उसकी जांच करा देंगे ।

सभापति महोदय :- ठीक है । शून्यकाल, अब मैं नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा ।

समय :
2:18 बजे

<u>नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा ।

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्री कुंवर सिंह निषाद
3. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते

समय :
2:18 बजे

<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>

<u>पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन</u>

श्रीमती गोमती साय, सभापति महोदय :- माननीय सभापति महोदय, मैं पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2026-2027 की आय-व्ययक में स्वीकृत राशि की अनुदान की मांगों के बारे में प्रस्ताव । श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री ।

समय :

2:19 बजे

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

मांग संख्या 24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण

मांग संख्या 67 लोक निर्माण कार्य-भवन

मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण

मांग संख्या 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये-दो हजार एक सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, छियासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय के लिये- सत्ताईस करोड़, नौ लाख, पन्चानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये-चार हजार नौ सौ बाईस करोड़, चौंसठ लाख, उन्यासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये-एक सौ छियासठ करोड़, तिरासी लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 67 लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये-दो हजार दो सौ बयालीस करोड़, चौहत्तर लाख, सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये-एक हजार छः सौ अन्ठानबे करोड़, अन्ठानबे लाख,सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए-पन्द्रह करोड़ चार लाख, बीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये-तीन हजार चार सौ चौवालीस करोड़, बांसठ लाख, पैंतालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

मांग संख्या -20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

1. श्री उमेश पटेल	02
2. श्री द्वारिकाधीश यादव	02
3. श्री जनक ध्रुव	01

मांग संख्या -22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

1. श्री उमेश पटेल	02
2. श्री दलेश्वर साहू	01
3. श्रीमती चातुरी नंद	04
4. श्री ओंकार साहू	03
5. श्री जनक ध्रुव	02

मांग संख्या -24

लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

1. श्री उमेश पटेल	02
2. श्री दलेश्वर साहू	19
3. श्री भोलाराम साहू	16
4. श्री द्वारिकाधीश यादव	09
5. श्री इंद्रशाह मण्डावी	34
6. श्री इंद्र साव	09

7. श्रीमती चातुरी नंद	03
8. श्री ओंकार साहू	02
9. श्री संदीप साहू	02

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इधर तो कटौती प्रस्ताव में हाथ खुद नहीं उठा रहे हैं तो सबके-सब समर्थन में है। केवल उमेश पटेल जी हाथ उठा रहे हैं। वह भी पूरी ताकत से नहीं उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कटौती प्रस्ताव में भाग नहीं ले रहे हैं तो वह सहमत हैं। मैं उनसे कटौती प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह करता हूँ।

श्री उमेश पटेल :- सब पर एक ही भारी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जिन दो-तीन सदस्यों ने हाथ उठाया, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और चर्चा में भाग लें। सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करें।

श्री रामकुमार यादव :- आप समर्थन में आए हो या नहीं तेला बतावव।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुंहर मेन सदस्य मन तो बाहर हे। जो दोनों झन के नाम लेवत हे। जेकर पाछू-पाछू रेंगथस, तेने मन गायब हे।

श्री रामकुमार यादव :- मोला शंका आपके ही ऊपर हे।

मांग संख्या -43

खेल और युवक कल्याण

1. श्री लखेश्वर बघेल	08
2. श्री दलेश्वर साहू	02
3. श्रीमती चातुरी नंद	01
4. श्री जनक ध्रुव	02

मांग संख्या-67

लोक निर्माण कार्य भवन

1 श्री दलेश्वर साहू	1
2 श्री द्वारिकाधीश यादव	1
3 श्री भोलाराम साहू	1
4 श्री इंद्र शाह मंडावी	5

5 श्री इन्द्र साव 2

मांग संख्या-76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

निरंक

मांग संख्या-81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

निरंक

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, खेलकूल विभाग की अनुदान मांगों की मांग संख्या-20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मांग संख्या-22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय, मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, मांग संख्या-43 खेल और युवक कल्याण, मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य-भवन, मांग संख्या-69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण, मांग संख्या-76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, मांग संख्या-81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के मांगों के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन बजट से स्पष्ट है कि वित्त विभाग और आपके बीच सामंजस्य ठीक नहीं है, जबकि नलजल योजना, हर घर में पानी, मोदी जी की गारंटी केवल नलजल योजना को घर-घर तक पहुंचाने की बातें नहीं हुई थीं, आंगन तक, किचन तक नल ले जाने की बात हुई थी, लेकिन वित्त मंत्री जी ने मुख्य बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की पुस्तिका में जितने पेज हैं, उसमें लोक निर्माण विभाग को कितना स्थान दिया गया है, उसे आप स्वयं पढ़ लीजिए । स्पष्ट हो जाएगा कि वित्त विभाग और आपके बीच कैसे संबंध हैं, वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं आपके इस विभाग को इतना कम आकार दिया है (हाथ से इशारा करते हुए) । मैं जो बोल रहा हूं, उसे आपने पढ़ा भी है, महसूस भी कर रहे हैं, जबकि हर घर में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको 2025-26 के बजट में 5314 करोड़ दिया गया था, वर्तमान में 3890 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

आप समझ रहे हैं कि इस विभाग में अभी पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है । जिस विभाग को ज्यादा से ज्यादा बजट मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है । आदमी भूखा रह सकता है, बाकी आवश्यकताओं से रूक सकता है, सबसे पहले पानी की जरूरत है, लेकिन इस बजट में आपके विभाग की बजट राशि को लगभग आधा कर दिया गया है । इसकी वजह क्या है, जब आप अपनी बातें रखेंगे तो उसे आप खुद बताएंगे । लेकिन मैं महसूस करता हूं कि पीएचई विभाग आपको मिला भी है, उसमें भी अंदर से साजिश लगता है। क्योंकि प्रदेश में आपकी लोकप्रियता और प्रदेश में कुछ इधर था, पी.एच.ई. विभाग में काम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पायेंगे, इस बात को भी शायद समझ रहे हैं, इसलिए आपके तीन विभाग ..।

श्री रामकुमार यादव :- कका, हमर ऐती के मन येला मुख्यमंत्री बनही कहत रहिस हावय।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं वही बोलने जा रहा था। लेकिन आपके बजट कम करने का आशय यही है। दूसरी बात ..।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर भाचा के ला सुनिहा न अभी। जाहा झन।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष पी.एच.ई. विभाग के लिए 5,314 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान हुआ था। निश्चित रूप से पर्याप्त रूप से बजट प्रावधान था। लेकिन 5,314 करोड़ रूपये में से वित्त विभाग के माननीय मंत्री वित्त मंत्री जी के द्वारा 1,600 करोड़ रूपये मिला था। आपने स्वयं उल्लेखित किया है। उसमें भी आपने कितना व्यय किया है ? 87.72 प्रतिशत, यदि आप 5 हजार करोड़ रूपये के बजट प्रावधान का औसत निकालेंगे तो यह शायद 15-16 प्रतिशत आयेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, आप दिल्ली सदन में सांसद रहे हैं। आपके विभाग में क्या हो रहा है ? आप समीक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज यदि कहीं सबसे ज्यादा प्रबल समस्या है तो केवल पानी की है। न तो हैण्ड पम्प की खुदाई हो रही है और न ही आपके नल से पानी जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- और हैण्ड पम्प से पानी आ रहा है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं आ रहा है। हैण्ड पम्प है ही नहीं। (हंसी) मैं सुना हूं कि आपके क्षेत्र में पर्याप्त हैण्ड पम्प है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमारे मामाश्री की पीड़ा इस बात की है कि 5 साल हैण्ड पम्प नहीं मिला और आज हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि वहां हैण्ड पम्प नहीं है। आपके यहां भी पर्याप्त हैण्ड पम्प है। लेकिन जो जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार ने व्यापक घोटाले करके हमको जो विरासत में दिया है, उस विरासत पर भी चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- तोला घोटाला के अलावा कुछ समझ मा आथे कि नइ आवय ?

श्री उमेश पटेल :- आपने 2 साल में क्या किया है, मंत्री जी बता दें। आप उनके पास जाकर पूछ जो कि आपने 2 साल में क्या किया ?

श्री सुशांत शुक्ला:- मैं यही तो बताना चाह रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- यहां विधान सभा में उत्तर कुछ और दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप 2 सालों का प्रश्न पूछ रहे हो और यह 5 सालों का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला काम करे से कोन रोके हे। हर चीज मा घोटाला, हर चीज मा घोटाला। तुमन ला काम करे मा कोन रोके हे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह से बात शुरू करेंगे तो फिर चलेगी।

श्री रामकुमार यादव :- 2 साल ले आलू छिलत हा का ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उनको मना करिये कि इस तरह की बात मत करें।

सभापति महोदय :- मैं सबको मना कर रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- हर साल हो गया, अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। यह जो आप लोग परदा लगाते हैं, अब यह पर्दा खुल गया है। 2 साल हो गया।

श्री सुशांत शुक्ला:- सभापति महोदय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। 5 साल का तो हिसाब दीजिये। 5 साल का हिसाब दीजिये कि कहां है ?

श्री उमेश पटेल :- 2 साल हो गया, खत्म हो गया। आप 2 साल का तो बता नहीं रहे हैं। सदन में कुछ और बात बोलते हैं और होता कुछ और है। अजय जी, कब तक छुपोगे ?

सभापति महोदय :- वह पहले वक्ता हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि विधान सभा में रिकार्ड है। जब से हिन्दुस्तान में लेजिसलेटिव पार्टी आई, देश में 1937 में आई, तब का रिकार्ड है। और हम उसका उल्लेख करते हैं और करते रहेंगे। आप चर्चा से उठकर क्यों भाग रहे हैं ? उल्लेख करने पर आप क्यों भड़क रहे हो ?

श्री उमेश पटेल :-आप तो वह आदमी हो जो यहां बोल देते हो कि 4 साल पहले से अफीम की खेती हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका जीवन भर उल्लेख होगा।

श्री उमेश पटेल :- आपको पता है कि 4 साल पहले अफीम की खेती होती थी, ऐसा-ऐसा तो आप यहां बोलते हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, ठीक है, हम मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया है। सभापति महोदय, ढाई वर्ष होने जा रहा है। अब तो अपने हाथ में ले लो या आप लोग पूर्ववर्ती में ही रहोगे। आप लोगों को ढाई साल हो गया है।

सभापति महोदय :- एक मिनट सुनिये। मेरे पास जो सूची है ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया, आपने 4 साल बहुत काम किया है। क्यों काम नहीं किया है। बेचारे आपके सामने बैठे हैं कवासी लखमा जी, 22 लाख की बिल्डिंग से आ गए आपके [xx] में।

श्री उमेश पटेल :-आप सुनिये न, आप दो साल का दे दीजिये। कोई भी नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कर्म नहीं किया है लेकिन [xx] तो किया है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप धरातल पर रहिये न। (व्यवधान) आप पूर्ववर्ती में अटक जाते हो। हम तो आपके कार्यकाल की बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- 5 साल तुंहर दिमाग मा सिर्फ गोबर भरे रहिस हे।

सभापति महोदय :- आप बैठो तो।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा हे, सिन्हा जी विधायक नहीं रहिस, तै हस। नहीं तो ओ हा सीनियर हो जतिस।

श्री सुशांत शुक्ला:- सभापति महोदय, रेत के स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। जो लोग खुद रेत का उद्योग चलाये हैं, वह आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न, मैं बता रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- तै देखे नइ अस। तै मोर संग मा आबे, मैं तोला बताहव।

सभापति महोदय :- आप भी थोड़ा सा रूकिए। ये अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा शुरू हुई है। इसमें मेरे पास बहुत लंबी सूची है और आप जितने बोल रहे हैं, सब के नाम हैं। तो कृपया करके अपनी बारी में आप लोग अपनी बात कह लेंगे। अगर एक दूसरे को इसी तरह से व्यवधान करेंगे तो यह चर्चा फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा आसंदी को सहयोग करें। द्वारिकाधीश जी का भाषण 2 बजकर 06 मिनट पर शुरू हो चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, आपकी व्यवस्था सर्वमान्य है, बिल्कुल जो आप कहेंगे स्वीकार है। लेकिन उस पक्ष के लोगों को बोलिए, एक तो कटौती प्रस्ताव नहीं दिया तो समर्थन कर दें और समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम सच बोलें। दोनों में कोई एक काम कर दें।

श्री रामकुमार यादव :- साहब ऐला प्रताड़ित करव। एला प्रताड़ित करव।

सभापति महोदय :- नहीं, आपने उनका ध्यान आकर्षित करा दिया, अब वे अपना विचार करके अपना निर्णय करेंगे। आप भाषण दीजिए। आप बोलिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी केवल और केवल एक बात आती है कि आपकी सरकार के समय, आपके समय यह हुआ, लेकिन मैं आपसे जब आप अपनी बातें रखेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई साल में विभाग में आपके द्वारा क्या-क्या

प्रगति हुई और बजट से यह तो स्पष्ट है कि सरकार की नीयत और सरकार की जो काम की शैली है, पी.एच.ई. विभाग के लिए नहीं है, न ही नल-जल योजना में सार्थक कोई परिणाम आया। ऐसे काम की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बजट मिल ही नहीं रहा है। तो बगैर बजट के आप कैसे करेंगे? आप यह स्पष्ट जरूर बताएंगे कि आपको सरकार के द्वारा बजट क्यों नहीं दी जा रही है । आपके कहीं न कहीं मतभेद का नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। मेरे जिले में ढाई साल में एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं 100%। दूसरी बात, आप नई नीति लाए 70% जब तक के नहीं होगा तब तक के भुगतान नहीं होगा, लेकिन धरातल में ऐसा नहीं है, भुगतान भी हो रहा है। दूसरी बात, हमारे साथी बोल रहे थे कि सब आप लोगों ने किया है, आपकी सरकार ने किया है। आपको किसने रोका है ढाई साल हो गए कार्रवाई के लिए? इससे स्पष्ट है कि ढाई साल में आपने कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की हैं। इससे साफ है कि हमारी सरकार में गड़बड़ी नहीं हुई थी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। नल-जल योजना में 9 महीने में कार्य पूर्ण नहीं होने पर, पर दिन का पेनल्टी की व्यवस्था है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितनी पेनाल्टी लगी है और विलंब तो आज भी स्पष्ट है, कहीं पर टंकी है तो कहीं पर पाइपलाइन बिछ चुकी है। माननीय मंत्री जी, टंकी बनी नहीं है, पाइपलाइन बिछा दी गयी। पाइपलाइन में एक और गंभीर घोटाला बता रहा हूं, आप उसकी जांच करवा सकते हैं। जो बड़े से बड़े पंचायत हैं, उस पंचायत में पहले 15वां वित्त आयोग से पाइपलाइन का काम हुआ था, लेकिन उसको मूल्यांकन आपके विभाग के द्वारा किया गया है। पेनाल्टी की बात है, सरपंच से सामान्य लिखवा देते हैं कि भूमि विवाद। भूमि विवाद की आप वास्तविक जांच करा लीजिए, 80 से 90% ये जो प्रमाण पत्र हैं फर्जी मिलेंगे, वास्तविक धरातल में कभी नहीं रहा। तीसरी बात है, नल-जल योजना की वजह से आप हैंडपंप खोद नहीं रहे हैं। आपकी सरकारी गाड़ी के लिए ई.ई. का कहना यह है कि आप डीजल के लिए भी बजट नहीं दे पा रहे हैं। आपके विभाग की स्थिति यह है कि गाड़ी खड़ी है, लेकिन हैंडपंप खोदने वाले मशीन के लिए डीजल नहीं है। माननीय मंत्री जी, डीजल नहीं है। शासन की गाड़ी खड़ी है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर गांव में पहले जैसे नल-जल योजना के भरोसे आम लोगों को पानी नहीं मिल सकता । अगर आप वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पर्याप्त रूप से हैंडपंप तात्कालिक होना ही चाहिए और वैसे तो आप बजट से हैंडपंप खुदवाने की स्थिति में भी नहीं है। यह बजट में जरूर बता दिया गया है कि 3000 करोड़, पिछली बार का औसत लेंगे तो यह मुश्किल से आपको 300-400 करोड़ मिलेगा क्योंकि पिछली बार 5000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था, लेकिन आपको सिर्फ 1000 करोड़ रूपये मिला। उस औसत में आपको 300-400 करोड़ रूपये ही मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में आपके विभाग में व्यवस्था नहीं सुधर सकती।

समय रहते आप वित्त मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सप्लीमेंट्री बजट लाइए। जिस हिसाब से आपके बजट में कटौती हुआ है, उसके अनुसार आपको कटौती प्रस्ताव के पक्ष में रहना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- कका, ये दूनो झन नई मानही ता आप मन के मोदी जी करा डायरेक्ट परिचय हे, आप मन सीधा ऊहें ले फंड ला लानिहौ।

सभापति महोदय :- चलिए, अब समाप्त करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अभी तो एक ही विभाग का हुआ है।

सभापति महोदय :- 14 मिनट हो गये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, यह पहला वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, तो मैं बोलने दूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए।

सभापति महोदय :- थोड़ा तेज गति में सबको कव्हर कर दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी-जी। माननीय मंत्री जी, 1 साल से बलौदाबाज़ार, महासमुंद जिले में आपके विभाग द्वारा शहरी प्रोजेक्ट को छोड़ कर किसी में भुगतान नहीं किया गया है। चूंकि मैं महासमुंद जिले से आता हूँ, इसलिए मुझे इस जिले की जानकारी है। शेष प्रदेश में क्या स्थिति है, वह अलग चीज़ है। जब आप भुगतान करेंगे ही नहीं तो विभाग में कैसे काम होगा? बड़े प्रोजेक्ट में जो शहर से की बात है, वहां तक आपके विभाग के द्वारा कुछ कार्यों में भुगतान हुआ है। सभापति महोदय, मैं नगरी प्रशासन विभाग में सीधा-सीधा बोलना चाहता हूँ। नगरी प्रशासन विभाग में भी कोई प्रगति नहीं है। आज़ादी के बाद शहर के गलियों में निश्चित रूप से बिजली जली है। लेकिन वर्तमान में आपने जो नीति लागू की है, उसमें मुझे बताया गया है, आप स्थानीय निकाय को बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था दे रहे हैं। कोई भी निकाय के पास उतनी धनराशि नहीं है कि वह बिजली बिल अदा कर सके। उसका परिणाम यह होगा कि बिजली कटेगी। प्रदेश में नाली निर्माण में भी कोई प्रगति नहीं है और दूसरा, कुछ शहरों में अभी से पेयजल की संकट है, बोर सूख रहे हैं। लेकिन कुछ चंद जगहों में नदी, बांध से पानी लाने की आपकी योजना है, वह बहुत ही कम है। मैं चाहता हूँ कि समय रहते हुए प्रदेश में इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा काम होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं PWD में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, PWD में भी आपके द्वारा बताया जा रहा है, जैसे प्रसारित किया जा रहा है, वैसे धरातल में कहीं नहीं दिखता है। एक समय था, जब दूसरे प्रदेश के लोग भी छत्तीसगढ़ की सड़कों की तारीफ़ करते थे। अब हम फिर से वही पुरानी स्थिति में जा रहे हैं। सड़क मरम्मत, नया डामरीकरण, आप केवल और केवल 15...।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, तुंहर डबल इंजन सरकार के राज म अइसनहा व्यवस्था हे कि आदमी हर रोड ला छोड़ के खेत डोली में रेंगथे, ओतके तार तुंहर रोड हर हावय। ये हर डबल इंजन के खेल हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नया रायपुर में 516 किलोमीटर की सड़क बनी है, लेकिन शहर में कितने किलोमीटर की सड़क बनी है? माननीय मंत्री जी ने सिर्फ कुछ किलोमीटर की सड़क बनवाई है। आप रोज़ आंकड़े देते हैं कि इतने किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है। आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 के बजट में स्वीकृत कार्यों का भौतिक उपलब्धि दिसंबर, 2024 तक का ही बताया गया है। सरकार ने सड़क एवं पुल की अपनी उपलब्धि ज़रूर बताई है, लेकिन उपलब्धि को अगर पूर्णत: धरातल पर देखें तो प्रदेश में जितना होना चाहिये, वैसा नहीं हो पाया है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाईन खेल के बारे में कहना चाहूँगा कि खेल के क्षेत्र में जब हम लोग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत किये तो आप तो उस समय दिल्ली में थे । इधर जो हमारे भांचा वगैरह बैठे थे, सभी ने विरोध किया। आज आप ओलंपिक शुरू किये हैं, लेकिन परीक्षण केन्द्र जो है वह हमारी सरकार के पहले केवल 4 था, यह 33 तक गया । ढ़ाई साल हो गये हैं, आपने अभी तक एक भी खेलकूद का परीक्षण केन्द्र नहीं बनाया है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के कुछ मांगों को लेकर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ । मैं जो पढ़ रहा हूँ वह पूर्व में स्वीकृत है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि स्वीकृत कार्य को टेण्डर के लिये रोके हुये हैं, आप इसे बतायेंगे । आप या तो उसे निरस्त कर दीजिए, इसे रोकने का क्या कारण है ? सभापति महोदय, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ तो मैं ही सड़क पर चलूँगा कि खल्लारी क्षेत्र की जनता चलेगी ? आपके भी समधी, आपके भी रिश्तेदार चल सकते हैं । सड़क एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा प्रदेश...।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि 5 साल में आप लोग चालू नहीं करा पाये थे, तब आप लोग क्या कर रहे थे ? जिसको देखो यह बोल रहे हैं कि स्वीकृत है और चालू नहीं हो रहा है ? हॉस्पीटल स्वीकृत है और चालू नहीं हो रहे हैं ? सड़क स्वीकृत है और चालू नहीं हो रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ढ़ाई साल ले गोदड़ी ला वोड़ के सुतथव ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, देखिये । आप जैसे बोल रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की हुकूमत थी, यह पूरा काम खत्म हो जाना था और नये बजट की जरूरत ही नहीं था । डबल इंजिन की सरकार है । आप बजट पेश कर रहे हो और हर बजट में कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी के हिसाब से तो इसे 15 साल में पूरा हो जाना था ? सभापति महोदय, दिल्ली में 12 साल हो गये हैं..।

सभापति महोदय :- ए वाले मंत्री जी को बोलिये ना ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, बेलर से मोंहदी, मुआवजा सहित स्वीकृत है । अमेरा से बोईरगांव, 3 किलोमीटर का है । दामनबोड़ से सुखड़ीडबरी, कमरौद से चिरौदा, तेलीबांधा से पड़कीपाली, डुमरपाली से घुँचापाली, खोखली से सोनापुटी, यह स्वीकृत है और सरगतोरा से एन.एच. तक

भी जो सारी सड़कें है, उन गांवों के लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से घूमकर आते हैं, प्रधानमंत्री में कोई भी दिशा से जोड़ना है करके जोड़ जरूर दिया गया है । मैंने प्रयास किया था, हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि ग्रामीण अंचल में भी मुआवजा की व्यवस्था देकर, मुआवजा के प्रावधान से सड़कें स्वीकृत है लेकिन आप टेण्डर लगाने की स्थिति में नहीं है । जो विभाग सड़क बनाती है और आपकी परिस्थिति यह है कि उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के पहले प्रदेश के अध्यक्ष, मंत्री बनने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आपको फ्रीहैण्ड देना था । आप स्वीकृत कार्य में टेण्डर नहीं लगा पा रहे हैं ? मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अभी का अभी समय है, राजनीति में एक-एक दिन में समय बदलता है, संबंध में भी परिवर्तन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पॉवर दिखायेंगे तो यह मेरे क्षेत्र की मांग को आप जरूर स्वीकृत करेंगे । सभापति महोदय, रेवा से मोंगरापाली है, हमारे क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग आपके पास निवेदन करने आये थे, वहां पर सड़क चौड़ीकरण न होने से हर महीने एक न एक दुर्घटना हो रही है, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि सड़क चौड़ीकरण को जरूर स्वीकृत करेंगे । आपका प्रवास मेरे विधान सभा में हुआ था तो मैंने आपसे एक प्रवेश द्वार का निवेदन किया था, वह प्रवेश द्वार 8-10 लाख का है, लेकिन उसको भी आप स्वयं करना नहीं चाहते हैं या हो नहीं रहा है यह अलग बात है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो घोषणा किये थे और 2-3 कार्य और किये थे , जिसको मैं आपको बता दूँगा। मैंने नगरपालिका बागबाहरा के लिए एक लाइब्रेरी की भी माँग की थी, उसमें भी आपने प्रयास करने की बात की थी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। मंत्री जी, क्योंकि पिछले बजट में आपके विभाग के द्वारा धरातल में कोई ऐसा परिणाम नहीं लाया गया है, इसलिए बजट की कटौती की जाए। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री रामकुमार यादव :- ओ सुध भुलाए हे। भैया तैं सही-सही बोलबे, असत्य बोलबे ता मैं चल देहूं। तोर हाथ जोड़त हों, असत्य झन बोलबे। का हे, चार आना के घाघर अउ बारा अना के पुदगौनी। तैं सफ्फा असत्य बोलथस।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया मैं तो कहीं धरे नई हों। रूक तो शुरू तो करन दें तब टोकबे न।

श्री रामकुमार यादव :- पांच साल ले [xx] ही भराए रिहिस।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत माँग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76, 81 और उसमें उल्लेखित राशि जो उन्होंने माँगी है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूँ। माननीय अरुण साव जी के विभाग के बजट को देखने से, इनके विभाग के कामों को देखने से यह लगता है कि छत्तीसगढ़ के एक सपूत ने यह तय किया है कि जो मुझे अवसर

मिला है, मैं छत्तीसगढ़ को किसी न किसी स्वरूप में बदलूँगा। (मेजों की थपथपाहट) अब मैं यह बात पक्के से कह सकता हूँ, कांग्रेस के समय जो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थितियाँ थीं, छत्तीसगढ़ नया राज्य है, हम छत्तीसगढ़ को कैसे बनाएँ, किस तरह से बनाएँ...।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अभी वर्तमान सरकार के चर्चा होत हे कि वो 5 साल पहली बात के होत है? अभी के बात करो न भई ढाई साल में काय करेव तेला।

श्री अजय चंद्राकर :- हो गे। तैं समझबे मोला डिरेल कर देहूं ता मोला डिरेल करना बड़ा मुश्किल काम ए न।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी एक मिनट, रामकुमार जी, आप जब बोलेंगे तो बिल्कुल आपको भी नहीं टोका जाएगा। वह अपनी पार्टी की तरफ से ओपन कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिये जैसा आपने किया था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस नए राज्य की बुनियाद डल रही है और बुनियाद डालने की जो प्रमुख चीज है, सामाजिक सेक्टर के जो विभाग हैं, लोक निर्माण को छोड़ दें, निर्माण का विभाग है, सामाजिक क्षेत्र के जो विकास हैं जो प्रदेश की छवि बनाएँगे, प्रदेश का चेहरा बनाएँगे, प्रदेश जिसके लिए जाना जाएगा, अरुण साव जी उस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत तत्परता से कर रहे हैं, बहुत समर्पण से कर रहे हैं, बहुत योग्यता के साथ कर रहे हैं और यह इस बजट में दिखता है। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का पर्याप्त समर्थन मिला है, यह भी दिखता है। मैं माननीय भाई साहब से एक बात कहूँगा, आपने इतना अच्छा बजट बनाया है, हम लोगों को थोड़ा पहले दे देते, हम आपकी प्रशंसा में इतने अच्छे काम की और गीत गाते। हमको तो अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप आया कि आप इसमें बोलिये, हमने कहा छोड़िये, हम ऐसे ही बोल देंगे। सभापति महोदय, अमृत मिशन के लिए आपको 372 करोड़ रुपये मिले हैं। एक नई योजना है, ममा तैं सुन लें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां मैं सुन रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- यही कमिटमेंट है, मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी के कमिटमेंट की प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद भी दे दूँगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना, जिसमें संयोग से मेरा शहर भी शामिल है, मेरा कार्यक्षेत्र कुरूद भी शामिल है ये संकल्प शक्ति बताती है कि शहर छत्तीसगढ़ के यह संकल्प शक्ति बताती है कि छत्तीसगढ़ के छोटे, मंझोले, बड़े शहर बुनियादी सुविधाओं से विश्व स्तरीय बनें। वह विश्व स्तरीय कैसे बनें? जब मैंने इसमें बातचीत की, काम को देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इसका डी.पी.आर. बनाने के लिए। इस पर मैं आगे बोलूंगा। आज मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, क्योंकि कुछ निर्देश ऐसे हैं कि आज बहुत सारे काम करने हैं। जो कन्सल्टेंट है। माननीय मंत्री जी, अंतर यह होता है कि अमरावती बन रही है, हम भी बन रहे हैं, हमारी नई राजधानी

पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। दुनिया में जो बेहतरीन चीजें हैं, वह उस बसते हुए शहर में आनी चाहिए। अमरावती में उन्होंने जो कन्सल्टेंट नियुक्त किए हैं वह इतनी बड़ी संस्था है कि दुनिया की जानी-मानी संस्था है। उसका क्या नाम है, बेकम ब्रदर्स। अमेरिका की जो संस्था है, यूनाइटेड किंगडम की फॉस्टर एंड ब्रदर्स। जब तक चंद्रशेखर राव जी रहे, तब तक 10 साल तक उसका काम स्थगित रहा। लेकिन उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर दिया कि जो प्रमुख तत्व हैं, उनको मैं इतने दिनों में पूरा करूंगा। आप इस बात में बिल्कुल समझौता मत कीजिए कि बिलासपुर शहर कैसे बनेगा, रायपुर शहर कैसे बनेगा? जिन शहरों से आपने शुरुआत कैसे की है वह उस स्तर के शहर बनें तो उस लेवल के कन्सल्टेंट और कार्ययोजना की अवधि और कार्ययोजना की अवधि, उसकी रिपोर्ट और उसमें जनभागीदारी। माननीय वित्त मंत्री जी, इस बात पर आप भी ध्यान देंगे। मैं उसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक शब्द आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में जो विजन प्रस्तुत किया है, उसको बजट के माध्यम से हम सबने पढ़ा। आपने भी अब तक का सबसे अच्छा बजट लाया है। आपके विभाग का कमिटमेंट भी सबसे अच्छा है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन माननीय मोदी जी ने बजट के बाद एक शब्द उपयोग किया है। जो हमारे माननीय मंत्रिगण से लेकर विधायकगण या सार्वजनिक जीवन के जो भी कार्यकर्ता हैं और जिसकी, खासतौर पर उस विजन की सभी वर्किंग डिपार्टमेंट में जरूरत है, वह है रिफॉर्म टू परफॉर्म। यह जो परंपरागत काम है। जो बजट में एक बार आ गया तो वह बजट हेड बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। छत्तीसगढ़ की आवश्यकता क्या है? आपके विभाग की आवश्यकता क्या है? दिल्ली की एक योजना है कि आवास दो। ठीक है कि हमने उसका समर्थन कर दिया। आपने और इसी सरकार ने ही राज्य की योजना प्रवर्तित की। मैं आपको बधाई दे रहा हूं। आपने नगरोत्थान योजना लाई। अभी आदर्श शहर योजना आपने ही लाई। लेकिन अब आप देखेंगे कि उसके क्रियान्वयन का प्रतिशत क्या है, कैसे है? मैं अभी वित्त मंत्री जी से बात कर रहा था कि बजट पर्याप्त दिखता है, सब चीजें दिखती हैं। रिफॉर्म टू परफॉर्म में मैंने इसलिए बोला कि मैं जिस विभाग में भी बोलूंगा तो इसी थीम रिफॉर्म टू परफॉर्म में बोलूंगा। आपने पिछली बार बजट दिया, उसमें मैं अब तक काम शुरू नहीं करा पाया। 2-3 महीने में वर्किंग सीजन समाप्त हो जाएगा। अप्रैल, मई के बाद या 15 जून ले लीजिए। 3 महीने में वर्किंग सीजन समाप्त हो जाएगा और सवा साल हो जाएगा। मुझे कभी थोड़ा सा काम करने का मौका मिला तो मैंने एक नियम बनाया कि जो मुख्य बजट है, वह फर्स्ट सप्लीमेंट्री आने के पहले प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लग जाए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री में हम नए आइटम लेते थे और सेकंड सप्लीमेंट्री तक वह प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लग जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री या थर्ड सप्लीमेंट्री में बहुत कम नये आइटम आते थे, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाए। मैं इस बात को मानता हूं कि बजट सालभर के लिए होता है। माननीय वित्त मंत्री जी आपको जितने की अनुमति देते हैं या वित्त विभाग आपको जितने की अनुमति देता है, वह तुरंत लग जाए। वह विभाग की मर्जी पर नहीं हो सकता है। वर्किंग सीजन के पहले क्या आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी

है? यदि बजट विभागों तक पहुंचने में मई महीने तक का समय लेता है तो आप थंब रूल बना दीजिए कि 30 सितंबर तक सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और 15 अक्टूबर को टेंडर लगने शुरू हो जाएंगे। टेंडर उस क्रम से लगेंगे, जितने पैसे की अनुमति मुझको मिलेगी। यही रिफॉर्म है। हमने उसको उसकी मर्जी पर छोड़ दिया और वित्त को दोष दे दिया या इसको दोष दे दिया। हमारी क्षमता कितने पैसे खर्च करने की है, हमारा सेटअप कितने का है और यदि हमारा सेटअप नहीं है तो आपकी इच्छा शक्ति है। आप छत्तीसगढ़ के सपूत हैं। आप पूरी दुनिया में इनकी आलोचना या मेरी आलोचना से कुछ नहीं होता है। यह भी भागीदार रहे हैं। आउटसोर्सिंग इस समय का है या आप एजेंसी लाइये, उनसे काम करवाइये। जो अधिकारी नियमित है, उनकी मॉनिटरिंग करें, उसकी स्वीकति दें, उनको दस्तखत करने का अधिकार है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी यदि उनको स्वीकृति नहीं दे सकते तो आप उनसे काम करवाईये, स्वीकृति दीजिये लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, वह निर्धारित होना चाहिए।

समय:

2.40 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री रामकुमार यादव :- मैं तो चिंतित हो गे हव कि ये मन प्रशंसा करत हे कि विरोध करत हे। जैसे कि कभू मोर मन में आत हे कि पहली मुर्गी आइस कि ओखर अंडा आइस ? दोनों बर मोर मन में शंका हो जात हे। उसी प्रकार के आप मन प्रशंसा करत हन कि विरोध करत हन, यह मोर मन में संशय हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी में हर तोर करनी में आत हव। मोला जल्दी बोलना हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यादव जी, आपकी कुर्सी में कुछ लगे हे का? सभापति महोदय, इसकी जांच कराईए। यह बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ये मन ला प्रताड़ित करव।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, में हर माननीय डिप्टी सी.एम. साहब ला तोर करनी में स्मार्ट शहर के जांच कराये बर कहूं । बिलासपुर के घलोक जांच करवा लेवव। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत मिशन का जो लक्ष्य घोषित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी दी, वह कांग्रेस के महापौर की पॉकेट मनी थी । (शेम-शेम की आवाज) मैं तो कहूँगा कि आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? कौन-सा लक्ष्य पाया ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अजय भैया, हम आपके साथ हैं। आप जिस विषय पर बोल रहे थे, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अब आपकी सरकार है। आप जांच करवा सकते हैं। हमने रोका ही नहीं है। आप तो सभी में जांच करवा रहे हैं, अभी भी जांच करवा दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आखिरी में बोलूंगा। मैं 5 साल की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में ही लॉन्च हुई, जब आप दोनों शहर में महापौर थे और आपने कितना लक्ष्य पाया, आप यह अध्ययन करिये, मैं डॉक्यूमेंट दे दूँगा। उनके विभाग को और उनको अच्छे से मालूम है कि मैंने कब जांच की, कैसे जांच की और कितनी जगहों को देखने गया था। और उन्होंने क्या लूट की।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सदस्य, एक मिनट। आप जिस लाइन पर बात कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मंत्री जी भी परेशान हैं और हम सब लोग भी परेशान हैं कि समयबद्ध सीमा पर काम नहीं हो रहा है। आपको कोई टोका-टाकी नहीं करनी चाहिए। आप इसमें आगे बढ़ें, हम लोग इससे सहमत हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, भाई लोग खड़े हो रहे हैं, अच्छा है, वे खड़े हों। जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटी में जो लूटपाट हुई है। दिल्ली जितनी बार लूटी गई, उसमें सबसे बड़ी लूट नादिर शाह की लूट मानी जाती है। नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्ल-ए-आम और लूट मचाई, वह इतिहास में सबसे बड़ी लूट मानी जाती है। मैं आपको यह बता देता हूँ कि कांग्रेस के समय की रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना और जल जीवन मिशन देखकर नादिर शाह शरमा जाएगा। (शेम-शेम की आवाज) बिलासपुर स्मार्ट सिटी को देखकर भी नादिर शाह शरमा जाएगा। वह लोक धन की इतनी बड़ी लूटपाट है । आपने कुछ चीजें, मैं आपको कह देता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप यह बोलकर वर्तमान मुद्दों से दिशा भटका रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे जल्दी-जल्दी बोलना है। सभापति महोदय, दो-तीन चीजें हैं। मैं आगे बोलते जाऊँगा और मैं जल्दी-जल्दी बोलता हूँ। दिल्ली के बजट में स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 2500 करोड़ रुपये हैं। छत्तीसगढ़ उसका लाभ कैसे उठा सकता है? हमारे पास उसका लाभ उठाने की, परियोजना बनाने की एजेंसी है कि नहीं है? दुनिया में जलवायु परिवर्तन के बाद स्वच्छता एक करंट निधि है। आपने आज का समाचार पत्र पढ़ा होगा, प्रतिवेदन में भी यह बात दिखती है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रतिवेदन पढ़कर ही इसको बनाया है। गरीबों की सेवा, गरीबी उन्मूलन, शहरी गरीबी उन्मूलन, उपशमन आपका विभाग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बिना ब्याज की योजना बनाई, वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। गरीबी की सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संचालनालय में, सूडा में किसी में भी स्वनिधि के लिए एक प्रकोष्ठ बनाईये। और जो लक्ष्य है, वह आज के समाचार पत्रों में है कि आधे से कम लक्ष्य की पूर्ति हुई है। गरीबों के प्रति आपकी संवेदना है। आप ग्रास रूट के आदमी हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता है। आपने जितनी भूमिका सार्वजनिक जीवन में अदा की है, बहुत कम लोगों ने वैसी भूमिकाएं जी हैं। उसके लिए एक प्रकोष्ठ बने, जो इसकी नियमित समीक्षा करें कि इसमें हम वर्कशॉप लगाते हैं, सर्वे करते हैं, पंजीयन करते हैं और उसकी कैपेसिटी बिल्ड करके उसको फाईनेंस करवाते हैं। यह बिना ब्याज का लोन है। क्वालिटी वाली चीजें वेंडर को मिलेंगी।

कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो शहरों के सामने चुनौती है, आप उसमें लगे हैं। ई-बस सेवा के लिए आपने 30 करोड़ रूपये रखे हैं। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कह दूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी नोट कर रहे हैं, यह बढ़िया है। बेंगलुरू शहर उजड़ रहा है। कलकत्ता इसलिए उजड़ गया क्योंकि वहां ट्रैफिक अनियंत्रित है। ट्रैफिक आज का करंट विषय है, आप उसके लिये कोई कार्ययोजना बनायें। यह अंतरविभगीय विषय है पर लीड आप करें। आपमें योग्यता है कि ट्रैफिक को हम वो विषय में लायें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज का विषय है। छत्तीसगढ़ से बड़ा मंहगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि आप हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन तक जायेंगे, जितना पैसा टैक्सी या ऑटो में लगेगा, उतने पैसे में आप बस में रायपुर से नागपुर पहुंच जायेंगे। रायपुर फैल रहा है, रायपुर आ रहा है, आप लोग जितना निवेश ला रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजिनेश में काम कर रहे हैं, उसका शहरीकरण में प्रभाव दिख रहा है। मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बात की। अब एक चीज है E.W.S. (economically weaker section) की छत्तीसगढ़ में कितनी जमीन है, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? कितने में अवैध कब्जा है? यह गरीबों के हिस्सें की चीजें हैं। आपकी योग्यता पर कहीं मुझे प्रश्नचिन्ह नहीं है, आप बोलिये तो मैं आपके विभाग के बारे में एक घंटे बोल दूंगा। मैं एक उदाहरण भर दे रहा हूं, समय मेरे पास कम है। आप राजभवन जायेंगे। वहां पर जितनी बड़ी स्लम है, हम धारावी जैसे प्रोजेक्ट रायपुर में क्यों नहीं ला सकते? आप कोशिश कीजिये। लेकिन उसके लिये एक कमिटेड टीम की जरूरत है। आपके यहां जो लोग है उनको बोलिये कि धारावी जैसे उस स्लम को, सुनील सोनी जी हैं, क्यों सुनील सोनी जी, यह बात गलत तो नहीं है। आप उस तरह का एक नवाचार करिये। एक चीज है जो आपका काम्बीनेशन है, आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी बैठे हैं, ईज ऑफ डूईंज बिजिनेश में हमने बात की थी कोई चीजों में आपको यह करना चाहिए, वह उद्योग मंत्री जी हैं, यदि आप कोलोनाईजर के लाइसेंस का सरलीकरण नहीं करेंगे, अवैध प्लाटिंग बढ़ेगी और अवैध प्लाटिंग किसके जिम्मे है, उसको कौन हटायेगा? आप हटायेंगे, राजस्व विभाग हटायेगा, आवास पर्यावरण विभाग के पास कोई अमला, कोई संसाधन नहीं है तो कितना सरल कर सकते हैं। आज कुछ लोग तो इतने माफिया में हैं, धान खरीदी की चर्चा कल या परसो आयेगी तो मैं इस बात को करूंगा कि डायवर्टेड लैंड नहीं है और मकान बने हैं और आप जांच करायेंगे तो यह लाखों एकड़ में निकलेंगे। इससे सरकार को राजस्व की क्षति अलग हो रही है। आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि इसमें जरूर संज्ञान लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपने रायपुर, बिलासपुर के लिये बजट दिया है- सड़क चौड़ीकरण आबादी के हिसाब से और उसके नियम और कानून बनाना। मैं आश्चर्यचकित हूं मैंने थोड़े दिन काम किया, सुनील सोनी जी महापौर थे, मुझे रायपुर के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। उसी समय वह सड़क चौड़ीकरण हुआ था। उसकी पूरी कहानी मैं जानता हूं। लेकिन मैं ज्यादा उस विषय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक उदाहरण भर है। पूरे प्रदेश के लिये सड़क चौड़ीकरण का हो, सामुदायिक भवन हो, खुला क्षेत्र हो, एक

नई चीजें क्या हैं, चाहे उसको आवास पर्यावरण मंत्री जी देखें या आप देखें। जो हरित क्षेत्र है, पूरे छत्तीसगढ़ के शहर चाहे वो W.H.O. के मापदंड में हों, चाहे हरित प्राधिकरण के मापदंड में हों, हम सबमें सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। हमारा कोई शहर उन मापदंडों को पूरा नहीं करता। जो छोटे शहर हैं, आपको उदाहरण बता देता हूं। नजूल कब से घोषित हुई है, यह किसी को मालूम नहीं है। आपने बड़ी करेली, बकारा को बनाया, एक उदाहरण है। पट्टा किसी को शहरी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, गांव से शहर बने। बलरामपुर, रामानुजगंज का नाम ले देता हूं। साहब, नजूल घोषित करें या नजूल का अधिकार कलेक्टर के पास है तो वह घोषित करके बांटता क्यों नहीं है? उसको रूकावट कहां पर है? जो पुराने पट्टे, सर्वे हैं, जो लोग मौजूद हैं, इस बारे में सरकार को गरीबों को पट्टा देने में कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा और वह काबिज हैं। आप नया पट्टा नहीं देंगे तो जिनके पास पट्टा नहीं है, उसके कारण ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-2 भी यदि लागू होती है, 1 भी लागू होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पट्टा भी नहीं मिल रहा है और काबिज भी हैं, वर्षों से रह रहे हैं और उनका आवास स्वीकृत नहीं हो रहा है तो रिफॉर्म-रिफॉर्म पर है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, 5 साल ले अइसनहे भाषण दे- दे के, असत्य भाषण दे-देकर के सरकार ला गिरा दिस, ऐला कछु मिलिस । ओखरे खातिर मैं कथां कि मेहनत करए मुर्गी अऊ अंडा खाय फकीर । तुमन ला कुछ मिलने वाला नइ हे, ऐती आ जवा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसके बाद विनम्रतापूर्वक आग्रह है, आप कर सकते हैं इसलिये आग्रह है । जो वाटर सीवरेज प्लांट हैं, एस.टी.पी । मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको मालूम है कि उस दिन राजेश मूणत जी रायपुर के एस.टी.पी के बारे में बोल रहे थे । अब जो लोग एस.टी.पी बनाते हैं, उसके Terms condition उसके बनाने वाले प्रदेश में कितने हैं ? कितने दिन में बना रहे हैं, कितने में बनेगी ? कितनी क्षमता है ? उसके रख-रखाव में लागत कितनी आ रही है और उसके लायक स्थानीय संस्थाएं सक्षम है या नहीं हैं ? इस बात को अध्ययन करना जरूरी है । माननीय वित्तमंत्री जी, केवल एस.टी.पी. स्वीकृत करना जरूरी नहीं है । इसमें विभाग को मदद करने की जरूरत है कि एस.टी.पी. के लिये कितना खर्चा आता है ? जो low Running Cast Technology है, वह कहां कैसे है ? आप इसको अध्ययन करने के लिए पूरी दुनिया में जाइए, हम लोग भी चल देंगे । हम लोगों को भी ले जाना, चल देंगे और Water Treatment plant से जो जल की राशि प्राप्त होती है, जिसको जल शुल्क बोलते हैं, वह इतना Nominal है कि वह कभी उसके संधारण को उठा ही नहीं सकती । आप बिल्कुल मत घबराइए, इस विषय में कड़ा निर्णय लीजिए । यह ठेकेदार के Qualifications को भी और जल शुल्क को भी और वह लगातार चले इसको भी । इसमें एक बड़े काम करने की जरूरत है जो Reform to Perform शब्द का मैंने उसमें किया । अब एक नया विषय है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक नया विषय यह है, आप तो हमारे नेता हैं साहब, आप ही के निर्देश में काम करते हैं, आपका राज

है । ए,बी,सी । Animal Birth Control. मामा, कुकुर के प्रबंधन । सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, गांव-गांव तक नइ उतर सकन ता रायपुर-बिलासपुर में...।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मास्टर मन ला तो लगाये हो भैया, गिनती मा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, कुकुर के लिये तो मास्टर मन लगे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- गुरू जी मन कुकुर खोजत हावय ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मन तैयारी कर चुके हओ । मास्टर मन ला कुकुर गिने बरा लगा दे हओ ।

श्री रामकुमार यादव :- बिलई खोजत हें अऊ मूसवा खोजत हें ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिए-बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- देख संगीता तोला ए.बी.सी. समझ में आही तब बोलबे ।

सभापति महोदय :- अजय जी, इधर बोलिए ।

श्री रामकुमार यादव :- 500 करोड़ के धान ला मूसवा खा दिस ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह आलोचना का विषय नहीं है, मैं केवल सुझाव देत हंओं अऊ मैं सुझाव तोर राज में नइ देत रहे हंओं । यह बजट बुक है, जतका बोलवाना है, मोर से बुलवा ले । मोला जल्दी बोलना है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपने जल के ऊपर बात की । आपने जल शुल्क की बात की, मैं ऐसे गांव बता दूंगी जहां पर जल शुल्क तो लेते ही हैं और टुल्लू पंप का भी 500 रूपये एक्स्ट्रा लेते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ए.बी.सी. में काम करने की जरूरत है । चाहे आप शेल्टर हाऊस बनायें, बधियाकरण करें, जन्म को रोकें, जो भी करें लेकिन आज शहरीकरण के लिये यह बड़ी समस्या है और अब इसमें आप बंदर को जोड़ लीजिये । आप कुत्ते के साथ बंदर को भी जोड़ लीजिये, यह सब शहरीकरण के सामने जो चुनौतियां हैं, जिसे आपको नये सिरे से परिभाषित करनी हैं और मैं यह बार-बार बोल रहा हूं कि आप कर सकते हैं । इसमें स्मार्ट सिटी के लिये आपने बजट रखा है, स्मार्ट सिटी की लूट की आप जांच करायें, मैं तो इस पक्ष का आदमी हूं । आप काम तो करते रहे हैं, आपके बजट में इतना पैसा है, शहरी क्षेत्र के लिये, उस दिन पुल, आर.ओ.वी. वगैरह सब को मैं पढ़ रहा था लेकिन राशि का, लोकधन के दुरूपयोग का जो मॉडल कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी में विकसित किया, अमृत मिशन में विकसित किया, उसको रोककर सही करना जरूरी है । अब मैंने ग्रीन प्लान के बारे में भी बोला, चाहे वह डब्ल्यू.एच.ओ. का मानक हो, चाहे ग्रीन ट्रियूब्नल का मानक हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी शहर रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ कोई भी उस मापदंड को पूरा नहीं करता । शतप्रतिशत कोई पूरा नहीं करता लेकिन हम कुछ न कुछ तो करें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा । एक ही मिनट ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी आप बोल चुके हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जो बात आयी है उसी को बोल रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आप आधा घंटा बोल चुके हैं इसके बाद बोलेंगे यह उचित नहीं है । अजय जी, आप बोल लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जैसे रायपुर में आपको सिंचाई कॉलोनी मिल रही है । यह विभाग करे, ज्वाईंट रेस्पांसबिलिटी है, आप करें । रायपुर शहर में उसके बाद उतना बड़ा खुला क्षेत्र आपको कभी नहीं मिलेगा । हर चीज को इंकम जनरेटिंग विषय नहीं सोचना चाहिए । यदि वह खुला क्षेत्र है तो हमारे चलने के लिये जगह है, एक कन्वेंशन सेंटर है । यदि पूरे रायपुर शहर के लोग आकर वहां पर कन्वेंशन सेंटर में बैठकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, नाचा देखते हैं, गाना सुनते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी की शहर मध्य में सभा होगी, रायपुर में एक जगह नहीं है कि हमारे भाषण को कोई सुने । हम लोग इतने उपेक्षित नहीं हैं कि हम लोग भाषण देने शहर के बाहर जायें। आप इतना अच्छा बोलते हैं दो पद चाहिए, आपने हनुमान जी की बात कहीं तो आपके पास चार पद हैं, आपके पास चार विभाग हैं। आप यह सोचते होंगे कि मैं आपके विभाग के कामों को पढ़ता नहीं होऊंगा। मैंने सुबह-सुबह आपकी कहानी पढ़ ली थी। तो ऐसे खुले क्षेत्र पर कहना चाहूंगा कि दुकान-दुकान, इंकम जनरेटिंग नहीं। आज की जो नयी चीजें हैं। नये रायपुर में 25 सालों में क्या बना रहे हैं, आप उसे छोड़िये। यहां 20 लाख आबादी रहती है, यहां एक कंवेंशन सेंटर नहीं है कि वहां वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम हो सकता है, कुछ हो सकता है। हमें उससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। जब सुनील सोनी जी बोलेंगे तो मुझसे अच्छा उसकी परियोजना पर बोलेंगे। आप अपने बजट के व्यय को देखिएगा तो इसमें रिफार्म टू परफार्म दिख जायेगा। मैं अभी समाप्त नहीं करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी को एक चिंता व्यक्त की थी कि साहब, आपके वित्तीय व्यय कम क्यों हो रहे हैं, मैं पूंजीगत व्यय का पूछ रहा हूँ, यह समय से पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी चिंता कीजिए। आप देखिये जो नई चीजें आयी हैं। साहब, भूमि उपयोग योजना पर कहना चाहूंगा, जो आपका है, जिसके साथ कॉम्बिनेशन जरूर हो, परिवहन व्यवस्था जो आज के आधुनिक शहर के लिए मापदण्ड है। मैं आवास विकास पर कहना चाहूंगा कि आप गरीबों के लिए कितने दे रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया। जल स्वच्छता, हरित क्षेत्र, सामाजिक सुविधाएं, उसमें पाकिर्ंग भी शामिल है। जनसंख्या को भी व्यवस्थित करना भी आ जाता है, थोड़े दिनों में सेंसेक्स, अप्रैल से जनसंख्या शुरू हो रही है, यह लागू कब से हो, पर मोटे तौर पर अंतिम एकाध डेढ़ साल में मिल जाएगा। हमें इसी शासन के चलते मिल जाएगा, यातायात प्रदूषण को कम करना, सतत् विकास और बेहतर जीवन स्तर रोजगार के अवसर आज के शहरी नियोजन के प्रमुख इंडीकेशन बने हैं । अब आप नये सिरे से इसको शुरू करिये। आप

क्षमतावान आदमी हैं मैं इसे फिर बोल रहा हूँ। मैंने रायपुर के लिए जो बात कही, मेरा रायपुर और बिलासपुर दोनों शहरों से बहुत लगाव है। कभी अकेले में उसका कारण बता दूंगा तो आपको शहरीकरण में बजट क्यों कम है, पूंजीगत व्यय कहीं पर भी क्यों वकिर्ंग डिपार्टमेंट में कम हो रहे हैं यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

साहब, मैं आपके लोक निर्माण विभाग में थोड़ा सा बोल देता हूँ। मेरी निर्माण विभाग में रूचि कम रहती है। यहां पर साहब लोग सुन रहे हैं। मैं इसे कई बार पूछ चुका हूँ, यह सब जानते हैं कि मैं कहां पूछता हूँ और मैं कैसे पूछता हूँ, जब मैं पूछता हूँ तो हमारे और साथी लोग भी रहते हैं। यदि आपका 20 प्रतिशत बिलो जा रहा है, नये एस.ओ.आर. में जा रहा है, यह कौन से वर्ष में जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, अभी यह बहस का विषय नहीं है । आप एक चीज बनाईये और आप उसे ऐसा बनाईये कि जिसे सदियों तक याद रखा जाये। आप समझौता मत कीजिये। आप शेरशाह सूरी के तौर पर याद किये जाएंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर याद किये जाएंगे। आप सम्राट अशोक के तौर पर याद किये जाएंगे कि उन्होंने एक ग्राण्ट ट्रंक रोड बनायी और आज तक 500 साल बाद भी ग्राण्ट ट्रंक रोड याद किया जाता है। शेरशाह सूरी ने लगभग 600 साल पुराने हैं। आज तक उसका नाम भी नहीं बदला है। साहब, इतनी आपत्ति लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां आपत्ति लगाने के लिए एक प्रकोष्ठ है फिर वित्त विभाग की आपत्ति लगेगी, इसमें लागत ज्यादा है, प्रति किलोमीटर इतना है, जब मैंने रिफार्म टू परफार्म बोला। आप आंकड़ें जारी कीजिए, इतने किलोमीटर का एक महीने में नवीनीकरण हुआ इतने किलोमीटर की नयी सड़कें बनीं, इतनी चीजें तैयार हुईं । साहब, एस.ओ.आर. तो बराबर चलना चाहिए, यह मार्केट के रेट के बराबर रहे। बिलो में तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर आपका एस.ओ.आर. गलत है। उस आदमी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए जिसने 20-25-30 प्रतिशत बिलो में सड़क बना रहा है। माने सिर्फ वह लोक धन को खा रहा है। वह सड़क नहीं बना रहा है। इसलिए आप उसको सुधारिये।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय नेता जी, ए मन के दशा ला देखकर के अटल बिहारी वाजपेयी के आत्मा ला दुःख पहुंचत हो ही। ओ का सोचके छत्तीसगढ़ ला बनाये रिहिस हे अउ तुमन का करत हावव।

श्री धर्मजीत सिंह :- ए हा बहुत टेक्निकल बात ला बतात हे, बहुत ध्यान के बात हे, ते सुन। काम के बात बोलत हे। गलती मत निकाल।

समय :-

3:00 बजे

श्री अजय चन्द्राकर :- मोला जल्दी बोलना हे। माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि आप यह देखिएगा जब मैं पेयजल में आऊंगा तब उसमें बात करूंगा। आप यह देखिए मैंने एस.ओ.आर. में बात की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा सुनी। वकिर्ंग डिपार्टमेंट को कुछ कहना बहुत आसान बात है। एरीगेशन को हमने डॉट दिया, पीडब्ल्यूडी को हमने डॉट दिया । असली चीज क्या है ? ग्रामीण सड़क 20-21 टन की बनी है और उसमें 40 टन, 50 टन, 60 टन की गाड़ी चल रही है । अधिकारी गाली खा रहा है, आपका बजट पानी में जा रहा है । एक थम्ब रूल एक निर्णय आप केबिनेट में लीजिए, विभाग में लीजिए कि ग्रामीण सड़क, रेत खदान की सड़क, कॉलरी की सड़क, औद्योगिक क्षेत्र की सड़क 60-65 टन, जो भी भार क्षमता है, उसके नीचे नहीं बनेगी । आप 100 सड़क मत बनाईए, एक सड़क बनाइए, जिसमें सरकार का नाम हो, जिसमें आप शेरशाह सूरी कहलाएं और उसके बाद क्रम से सड़क बनते रहेगी, लेकिन हम गाली खाने के लिए सड़क नहीं बनाएंगे । यह आप तय कर लीजिए । चयन का आधार क्या हो ? जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी हो । बैलाडीला रोड में किरंदूल और बैलाडीला के बीच में सबसे ज्यादा डेंसिटी है ।

श्री रामकुमार यादव :- रेत ल बड़े-बड़े मन चोरी करके ले जात हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हीरापुर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है तो हीरापुर में सबसे पहले बनाईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह समस्या ध्यान देने वाली है, सभी जगह समस्या है।

श्री रामकुमार यादव :- ए बात ला तै सही कहे । बड़े-बड़े मन रेत चोरी करथे, ओमा रोड़ टूटथे । एकदम सही बोले हस, का बात हे । चलो, आगे बढ़ौ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं हमेशा सही बोलथौं और हाथ नहीं उठाववं । मोर मंत्री हे न, ओ ह ध्यान से सुनही अउ तै देखबे, एकर से अच्छा बजट । तै डिस्कश करबे का ? ए विभाग में जतका अकन चीज नवा आए हे, ओला पढ़बे तो तोर भेजा घूम जही ।

श्री रामकुमार यादव :- पूरा छत्तीसगढ़ ला मुड़ी में बोहेए-बोहेए किंजरथस।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला कुरूद लेगके मोला संदल देवाए ला लगही । संदल जानथस कि काला कहिथे ।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप इधर बोलिए । भांचा के साथ डिस्कश मत करिए, आप इधर बोलिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, इसमें एक चीज का आग्रह कर देता हूं । प्रदेश में एक मात्र भवन है-विधान सभा, जिसमें देश भर के डेलीगेट्स आते हैं । मंत्रालय में तो सरकारी अधिकारी आएंगे । तरह-तरह के विशेषज्ञ, तरह-तरह के इंटवेक्चुअल आएंगे तो विधान सभा में आएंगे । इसमें आपकी टेस्ट

दिखे साहब । विधान सभा की बात करें तो किसी से करें, लेकिन इसमें टेस्ट दिखे । थोड़ा सा इसमें आप व्यक्तिगत रूचि लीजिए ।

सभापति महोदय, अब मैं आलोचना बिल्कुल नहीं करूंगा । मैं पीडब्ल्यूडी में ज्यादा बोलता भी नहीं हूं । मेरा इंटरेस्ट का जो विषय है, वह सोशल सेक्टर के डिपार्टमेंट रहते हैं, पर मैं बोल रहा हूं । आप इसमें मात्र ब्याज में गाली खा रहे हैं । आप तय कीजिए कि इतने टन की सड़क बनेगी । हमारे पास जितने संसाधन हैं, उसमें एक बनेगी और प्राथमिकता तय कर दीजिए कि जहां ट्रेफिक डेंसिटी ज्यादा है, उस क्रम से हम नीचे उतरते जाएंगे और रिवाईज़ कितना होगा ? डीपीआर बनाने वाला गलत है तो एक बार या दो बार रिवाईज चलेगी, मानवीय गलती होती है । मैंने भी वर्किंग डिपार्टमेंट में काम किया है, पर कितने बार रिवाईज्ड चलेगी, कितनी अवधि में पूरी होगी ? आपके प्रतिवेदन को आप पढ़िए, मैं बोलना नहीं चाहता । इसमें अवधि नहीं लिखा है कि कब शुरू हुई, कब पूरी हुई ? अपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण, प्रगतिरत् । यह लिखना चाहिए न । 2024 में शुरू हुई, अभी तक चल रही है । वह 18 महीने का वर्क आर्डर था, 24 महीने का वर्क आर्डर था और इतने दिन में हम पूरा कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक विभाग के नहीं हैं । माननीय मोदी जी ने एक नीति जारी की । अभी उस नीति में मैं अगले विभाग में बोलूंगा, जब गृह विभाग आएगा-प्रहार । देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति मोदी जी ने जारी की । राघवेन्द्र सिंह जी, उसकी विशेषता यह रही कि उसमें भविष्य मूलक शब्द नहीं हैं । मेरे पास इसमें सूची है । निश्चयादिबोधक । ये काम इतने दिन में होगा, ये काम इतने दिन में हो रहा है । आप प्रतिवेदन को पढ़िए, ये होने वाला है । शहर के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, ये बनेगा, वो बनाया जाएगा, ये सोचा जाएगा, ये किया जाएगा । ये आप किसको बताना चाह रहे हैं । होगा, किया जाएगा, करेंगे । आज जमाना परफार्म टू रिफार्म की जब मैंने बात की तो आपको विशुद्ध हिन्दी में बोला । भांचा, ये समझ में आया-निश्चयादिबोधक । तोर बाजू वाला ला केहेंव। रामकुमार ला समझ के अईस कि नहीं कि निश्चयादिबोधक का होथे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि सरकार केवल निश्चित अवधि नहीं बताती, प्रक्रियाधीन-निर्माणाधीन । इसी में सरकार चल रही है । आपने इस बात को सही बोला ।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप जल्दी समाप्त करेंगे । आपको बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं समाप्त कर देता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं सभी बातों को समझता हूं । आई डोंट केयर ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव :- आप जिस भाषा में बात करेंगे, मैं इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सब समझता हूं ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय डिप्टी साहब, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब। छत्तीसगढ़ में 1250 से 1300 बिलियन क्यूबिक भू जल स्त्रोत है । केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए । हम लगभग 48 से 49 प्रतिशत जल का दोहन कर चुके हैं। पुनर्भरण अर्थात् रिचार्जिंग की कोई ठोस योजना हमारे किसी भी विभाग के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले क्रिटिकल हो चुके हैं। मेरा जिला तो सुपर क्रिटिकल में है। मेरे कुछ पदाधिकारी बालोद वाले उधर बैठे हैं, बालोद की विधायक बैठी हैं, वह भी क्रिटिकल में है। वह तो ओला हासे भर ला आथे आहू थोड़े आथे। (हंसी) ओखर छोड़ आउ कुछु आथे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं जब आवाज उठाती हूं तो मेरा कोई सुनता ही नहीं है। मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में बोलू हूं कि वित्त विभाग में इतने सारे कार्य रूके हुए हैं। उसको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप ही की ज्यादा सुनते हैं। मैं बजट में आपके क्षेत्र का देख रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको बधाई दे रहा हूं। बधाई इसलिए दे रहा हूं कि आपने शुरूआत की, अपने स्त्रोतों से शुरूआत की। 3 समूह जल योजनाएं, जिसमें एक मेरा भी है। मैं आखिरी में सबके लिए धन्यवाद दूंगा, कुरूद के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन धन्यवाद दे दूंगा। 83 गांव में समूह जल योजना धमतरी जिले में देश का सबसे ज्यादा डेम काम्पलेक्स है। यदि आप वहां सरफेस वाटर का उपयोग नहीं कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन आपने इन योजनाओं से शुरूआत की, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप अपनी समझ से इन विषयों को रखें।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन, जिस दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में लागू की, उसमें लिखा, अवधि भी लिखी। एक्सटैण्ड किया गया। नार्म्स बनाए गए। मैं विधान सभा में कई बार बोला कि साहब..।

श्री रामकुमार यादव :- भइया, मोदी जी के नाम..।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये न, आप सीधे बात करते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- कोरोना काल मा मोदी जी घंटी बजवात हे तेखरे नाव लेवत हा। दवाई-माटी बांटना नइ हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, कांग्रेस वाले रोने गये। भूपेश बघेल जी के पास जाकर रोये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कहां पर रोये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कि साहब, आप इतने बड़े नार्म्स बना दोगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। रि-टेण्डर हुआ। प्रदेश स्तर से जिला स्तर में गया। आप मेरे पिछले सत्र का भाषण निकालकर देख लो। वह जिला स्तर में गया और लूट की एक ऐसी मिशाल बनी कि जल जीवन मिशन में जनता को पानी पिलाना दूर, वह कांग्रेसी पोषित योजना हो गई। जल जीवन मिशन कांग्रेसियों को वित्त पोषण योजना हो गई। क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे ? जनता को पानी नहीं पिलायेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, क्या आप ढाई साल में सुधारे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बधाई दी कि 3 सरफेस वाटर, पहली ये बता कि सरफेस वाटर का होथे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं ढाई की बात कर रही हूं, पूर्ववर्ती सरकार की बात ही नहीं कर रही हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली ये बता कि सरफेस वाटर का होथे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं तो यह पूछ रही हूं कि चलिये ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, हम मान रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै कुछ नइ करेस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लेकिन आप ढाई साल में क्या किए ? आप रिपोर्ट तो दे दीजिये कि आपने ढाई साल क्या किया है। आप ढाई साल की बात करिये न, आप पूर्ववर्ती सरकार में क्यों जा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन सिर्फ ये करिहा 2047 मतलब 22 साल बाद करिहा, कुछ भी करिहा तो। अभी कुछ नइ करिहा। अंडा बटे पराठा, ढाई साल में कुछ नइ करना हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पेज नं.8, 9 इसमें जो टंकिया बन रही हैं, आप उसको दखियेगा। जितनी टंकियां बन रही हैं, वह कितनी बार पुनरीक्षित हुई हैं ? कब पूरी होंगी, इसमें किसी ने डेट नहीं लिखा है। पेज नं. 15,16 पढ़ना नहीं चाहता हूं। कब शुरू हुई है, कब बंद हुई है, कब पूरी होगी, इसका लक्ष्य नहीं है। कई योजनाएं ऐसी हैं, जो डबल-डबल पुनरीक्षित हुई हैं। आपको कांग्रेस के वर्किंग से दूर हटना है। यह आपके ही समय शुरू की हुई योजना है।

श्री रामकुमार यादव :- कांग्रेस के भूत तुमन ला कभू नइ उतरय।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसमें तारीख पढ़ लो। यदि पूंजीगत व्यय का प्रतिशत दिसम्बर तक 9 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 5 प्रतिशत दिखा रहा है, अभी 20, प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत 31 मार्च तक और व्यय कर लेंगे, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। पैसा समस्या नहीं है। आप उनको ठीक कीजिये। वित्त मंत्री जी चले गये क्या ? इस प्रदेश में जो पूंजीगत व्यय है, उसका प्रतिशत बढ़े।

सभापति महोदय, अब मैं एक बात बता देता हूं। मैं अधिकारियों को कम डांटने-फटकारने वाला आदमी हूं। पकड़ में आये तो बात अलग है। आपके प्रति भी, वित्त मंत्री जी चले गये। जो 412 ग्राउण्ड वर्कर है, उसमें 301 पद खाली हैं। अब योजना पुनरीक्षित नहीं होगी तो क्या होगी ? अब आपके पास आदमी ही नहीं है तो क्या कर लोगे ?

श्री कवासी लखमा :- अब सही बात किये।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए आप बेसिक चीज को ठीक करिये। सब चीज ठीक है। मैं फिर कहूंगा कि आपके पास क्षमता है। 45 लीटर से 65 लीटर पहुंच गये न, जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, दशा-दिशा में परिवर्तन आ रहा है, उसमें शासन कैसे निर्णय लेता है, वह इस प्रतिवेदन में है। तो इसमें जो मुख्य बात है कि नल-जल योजनाएं जो हैं, पूंजीगत व्यय जो है, वह आप जानते हैं, आपके विषय में है, मैं नहीं बोलना चाहता। अब विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर में मैंने कई बार पूछा है, आपको मालूम है कि कितने गांव आंशिक रूप से समस्याग्रस्त हैं, कौन पूरी तरह से समस्याग्रस्त हैं और मैं तो यही आग्रह करूंगा कि राज्य की स्थिति जितनी है, उसमें काफी पैसे जितना है दिया गया है, लेकिन आप एक बार उच्च स्तरीय प्रयास दिल्ली में जरूर करिए कि साहब लोगों ने इसको तो लूटा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया। ये तीन चीज बोलते थे और तीनों में आदमी भरमा देते थे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया और उसके बाद लूट लो छत्तीसगढ़ को। वो तोर बाजू में बाजू में थे, ब्याज में गे हे बेचारा। ओला समझाएला गे रहव, पूछ ले कि एती-तेती मत कर न तैं।

श्री रामकुमार यादव :- सुप्रीम कोर्ट हा जमानत देहे। कोई आरोपी नहीं हो पाए हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अंतिम विभाग खेल विभाग। अब इसमें मैं ज्यादा बोलना चाहता था, लेकिन बोलूंगा नहीं।

सभापति महोकदय :- जी थोड़ा कम बोलिएगा, समय काफी ले लिए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, ये ऐसी चीजें हैं, जो दूसरा नहीं बोलेगा, मैं जानता हूं। जल्दी खत्म कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय डिप्टी सीएम साहब गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा करते हैं, आप भी गुजरात गए हो, गजेंद्र यादव जी भी गए थे, केदार जी भी गुजरात गए थे । गुजरात ने अहमदाबाद ओलंपिक के लिए आवेदन किया है, 2036 में हम ओलंपिक करा सकते हैं। हम लोग 15 साल पहले राष्ट्रीय खेल के लिए एक करोड़ रुपया जमा किए हैं । छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है साहब, जब इस तरह का आयोजन होता है तो क्षमता राष्ट्रीय स्तर में दिखती है कि छत्तीसगढ़ में वह कैपेसिटी है। दूसरी बात यह है कि जो आपने खेल के माध्यम से मानसिकता परिवर्तन की कोशिश की है। अभी ट्राइबल गेम के लिए तो आपकी बड़ी बैठक हुई । वित्त मंत्री जी अपनी प्रशंसा लेने के लिए नहीं हैं, चलिए मत लें कोई बात नहीं। बस्तर ओलंपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं तो बोलता हूं कि उसके प्रथम-द्वितीय जो आते

हैं, नौकरी में आरक्षण किसी भी श्रेणी में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी में उनको नौकरी दी जाएगी यह नियम भी बनाइये। माने एक बड़ी बात होगी कि बस्तर ओलंपिक के...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं चन्द्राकर जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो बस्तर ओलंपिक चला रहे हैं, उसको छत्तीसगढ़ ओलंपिक करें क्योंकि उस समय हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को आवश्यकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर तो नंबर आही। अब माननीय डिप्टी सीएम साहब बहुत-बहुत बधाई हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग तो क्या राजीव मितान क्लब बना दिए थे न, वह तो सब गोलगप्पा हो रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजीव मितान क्लब में जांच की घोषणा हुई थी, क्यों जांच नहीं हो रही है? आप ही की घोषणा है।

श्री रामकुमार यादव :- बांटी, भौंरा-गिल्ली डंडा वाला मन करा ले वोट लेवा और खेल करावव गोल्फ। छत्तीसगढ़िया मन के वोट लेवव बांटी, भौंरा, गिल्ली खेलइया मन के और का करावव खेल तो गोल्फ और कहां के खेल अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस के खेल, अउ फास्ट गेंद खेलही। वाह रे सरकार चलाइया हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात जिसके लिए मैं आपकी विशेष तौर पर प्रशंसा करना चाहता हूं, कर रहा हूं, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन 100 करोड़ रुपये। यह इसलिए जरूरी है, इसकी योजना प्रोफेशनल से बनवाइये। आपका प्रतिवेदन देखिए, कोई खेल में भाग लेने के लिए आपके पास सेलेक्टर भी नहीं है, चयनकर्ता भी नहीं है, आपने राष्ट्रीय खेल संघों को चयन का जिम्मा दिया। यह हमारी स्थिति है। आप जो पदक पाए हों, देख लीजिए। यदि आप राष्ट्रीय स्तर में पदक पाए हैं तो सामूहिक खेल में पाए हैं। व्यक्तिगत खेल में जिसको आपने स्वर्ण उल्लेख किया है वह छत्तीसगढ़ लेवल के खेल हैं। तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो, नर्सरी कैसे तैयार हो। आप नर्सरी बनाए थे, संगीता मैडम सुन लीजिए। 22 करोड़ रुपया एक आदमी की मांग में अंतर्राष्ट्रीय अकादमी में व्यय हुई है लॉन टेनिस की । माफिया, माफिया बोल देता हूं। चलिए, जिसका खेल से कोई लेना-देना नहीं। एग्रीकल्चर कॉलेज की जमीन ले ली। 22 करोड़ रुपया फूंक दिया। हमारे बाप का पैसा है, लोकतंत्र थोड़ी है वह। न कोच, न रहने की जगह, न स्टाफ, न कुछ, न कुछ। अब गले किसके पड़े, अरूण साव जी उसे ठीक करे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, ये माफिया की बात कर रहे हैं, अभी जम्बूरी हुआ है। अभी बालोद जिला में जम्बूरी हुआ है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कौन सा माफिया था, वहां पर कौन सा माफिया है? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वहां पर इस समय कौन सा माफिया है? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जम्बूरी वाला कौन सा माफिया है? जो बगैर टेंडर के वहां काम हो गया? सभापति महोदय, बगैर टेंडर के हो गया। यह नहीं दिख रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 100 करोड़ रूपये का शौचालय बना है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- भाभी जी, मैं हर जम्बूरी मा भाषण दूहू, ओला सुनबे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह मोदी जी की सरकार में हो रहा है। आप जम्बूरी में जाकर देखिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपकी सरकार में हो रही है, उसको आप पहले सोचिये।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप लोग एक-दूसरे से सीधे बातचीत न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- लॉन टेनिस से कहां जम्बूरी में ले गये?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जम्बूरी में इतना ज्यादा घोटाला हुआ है। वहां चार दिन में 2 करोड़ रूपये का शौचालय बना था। आप उसी पैसे को क्षेत्र की जनता को देते तो वे आपका नाम लेते।

श्री धर्मजीत सिंह :- लॉन टेनिस से जम्बूरी से क्या लेना-देना है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, जनता वहां पैसे के लिए तरस रहे हैं और आपने डी.एम.एफ. का पूरा पैसा जम्बूरी में ही खर्च कर दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्कूल शिक्षा विभाग के अनुदान मांग में चर्चा होही ता बात करबो न। अभी खेल विभाग मा चर्चा चलत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी बात कर लेत हन न। अभी लइका मन के खेल-कूल के बात चलत हे।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप अपनी बात करिये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जम्बूरी के बारे में लार्ड बेडेन पावेल ने मुझको भी सपना दिया है, उस सपने को पूरे सदन को बताऊंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके लोग ही कोर्ट गये हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, प्लीज बैठिये। अजय जी, आप बोलिये। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। माननीय खेल मंत्री जी, 100 करोड़ रुपये के इनिशियल बजट है। जब प्रोजेक्ट बनेगा, तब आप कई सौ करोड़ कर सकते हैं। Top class standard की कंपनी उसके प्रोजेक्ट बनाये और कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि हरियाणा की बालिकाएं कुश्ती खेलती हैं, तो कुश्ती की अकादमी बनेगी। North-East वाले यदि निशानेबाजी करते हैं, तो निशानेबाजी की अकादमी को लाएंगे। रायपुर में लॉन टेनिस का कोई कल्चर ही नहीं है। हम 22 करोड़ रुपये थोड़ी लाएंगे। 100 करोड़ रुपये

दिये गये हैं, उसको ऐसे ही थोड़ी फूंक देंगे? इसलिए आप इसमें विनम्रता पूर्वक विचार करियेगा। अब एक और विषय है। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, आप सुन लीजिये। केंद्रीय बजट में Sports Goods Manufacturing के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ क्या एप्लीकेशन लगा सकता है? पटियाला में क्रिकेट नहीं खेलते, पंजाब में क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन पटियाला का बैट, लुधियाना का बॉल पूरी दुनिया में जाता है। इसलिए उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है? दूसरी बात, आपने स्पोर्ट्स प्राधिकरण बनाई है। उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में जितनी परिसंपत्ति तैयार हुई है। यह लोग हसेंगे क्योंकि यह लोग दूसरा खेल खेलते थे। इनके खेल को मैं विनियोग विधेयक की चर्चा में बताऊंगा, अभी डिमांड मांग में नहीं बताऊंगा। रायपुर का एस्ट्रोटर्फ हो, बिलासपुर का एस्ट्रोटर्फ हो, जशपुर का एस्ट्रोटर्फ हो, तरणताल हो, सिंथेटिक ट्रैक लगे। एथलेटिक के रख-रखाव व उसकी सारी चीजों के लिए कोई संस्था, कोई विशेषज्ञता, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको उसको ध्यान देना है। कई खेलों के डबल एसोसिएशन हैं। आप उसकी जांच कीजिये। आप ओलंपिक संघ के साथ बैठक कीजिये कि कौन सा मान्यता प्राप्त है और वह कैसे चलेगा। आधे से ज्यादा जिलों में खेल अधिकारी नहीं है। मंत्री जी, बालोद में खेल अधिकारी नहीं है। बालोद में खेल अधिकारी भेज देना। मैं बालोद के लिए मांग कर देता हूँ। गजेन्द्र जी नहीं है क्या? दुर्ग में तो ऑफिस भी नहीं खुला है। अब उत्कृष्ट खिलाडियों के चयन की प्रक्रिया क्या है? राज्य में नियमित Coach सिर्फ सात हैं। ओलंपिक से मान्यता प्राप्त ही खेल ला लबो न, तभो सात से ज्यादा Coach लगही। कम से कम ओलंपिक के मान्यता प्राप्त खेल या छत्तीसगढ़ में प्रचलित खेल के Coach होना चाहिए। वैसे ही जो उपकरण हैं। साहब, आपने रूस्तम सारंग को नौकरी दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की एक लड़की विश्वविजेता महिला टीम की Physiotherapist थी। वह आपसे मिली भी थी। छत्तीसगढ़ में हमारे किसी भी टीम के पास मान्यता प्राप्त Sports Physiotherapist नहीं है। मतलब जो Infrastructure है, जो Sports Medicine है, उसके विशेषज्ञ नहीं हैं तो खिलाड़ी अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? वे कैसे खेलेंगे-कूदेंगे? जो 100 करोड़ की योजना है, खेल को दुरूस्त करने के लिए जो मिसिंग लिंक है, उसको आप ठीक करिये। 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ लगे, हम लोग आपके साथ चलेंगे, साहब। स्पोर्ट्स में माननीय विधायकों का मनोनयन होना है। राजेश जी कुछ अच्छा-अच्छा खेल जानते हैं। मैं राजेश जी के बारे में जानता हूँ, उसको स्पोर्ट्स प्राधिकरण में मनोनीत कीजिये। सुनील जी, कुछ अच्छा खेल खेलते हैं। इधर कौन हैं? माननीय विधायकों का मनोनयन होना है, राजेश कुछ अच्छा खेल जानता है, मैं राजेश के बारे में जानता हूँ, उसको स्पोर्ट्स प्राधिकरण में मनोनीत कीजिए । सुनील जी कुछ अच्छा खेल खेलते हैं, मैं जानता हूँ, धरम कौशिक जी पुराने हैं लेकिन खिलाड़ी हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- पुन्नूलाल मोहिले जी हा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो अकादमियां है, रेसिडेंशियल है या नहीं है, आप किसी भी रेसिडेंशियल अकादमी में जाईये कि साब उसमें होता क्या-क्या है, आप एक खेल की खोलें, लेकिन ऐसा खोलें कि यह नर्सरी है, यह राहुल द्रविड़ की एकेडमी है, अब कौन-कौन निकले हैं उसे नहीं बोलता । यह वेंकटेश प्रसाद की एकेडमी है, फॉस्ट बॉलर पैदा करती है, अभी आस्ट्रेलिया से मैक्ग्राथ आये हैं तो ऐसे लोग भी छत्तीसगढ़ में आते हैं और आप जिसका भी चयन करेंगे । हमने ईनाम की घोषणा कर दी है कि ओलंपिक में हम जीतेंगे तो इतना पैसा देंगे, इसको छोड़िये, जब जीतेंगे तब जीतेंगे, अभी तो हम तैयार हो रहे हैं और हम जीतेंगे । यह जो नॉन रेसिडेंशियल अकादमी है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं । मैंने चयनकर्ता के मापदण्ड के बारे में बात की है अब ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, बहुत देर हो गयी है । चारों विभाग में मैंने कुछ-कुछ बातें रखने की कोशिश की है । सभापति महोदय, मैं कुरूद के बारे में कभी कुछ बोलता नहीं हूँ लेकिन धन्यवाद देने का मेरा मन है । आपने मुझको ऑडिटोरियम दिया है, उसके लिये बहुत-बहुत बधाई हो, लेकिन एक बात है आप उसको जल्दी शुरू करवा दो और आपके कार्यकाल में बन जाये । मुझको पिछली बार आपने एक कॉम्पलेक्स दिया है, उसे कोशिश करके भी अभी तक शुरू नहीं करवा पाया हूँ । आपको मालूम है कि मैं किसी न किसी के पास प्रतिदिन फोन करता हूँ और प्राण खाना मेरे स्वभाव में है, फॉलो अप लेना मेरे स्वभाव में है । मैं रोज दो-चार को अलग-अलग विभागों में अपनी कांस्ट्टियूएंसी के बारे में फोन करते रहता हूँ। आपने समूह जल योजना के लिये 50 करोड़ रूपया इनिशियल आपने दिया है, सड़कें दी है, भवन दिया है, लेकिन विशेषतौर पर प्रदेश स्तर में मुझे जो प्रसन्नता हुई, वह है समूह जल योजना, उस मूल योजना में 83 गांव लाभान्वित होंगे, जो 127 करोड़ की योजना बनी थी और 50 करोड़ रूपया आपने दिया है । प्रदेश में उसकी सफलता, एक आई ओपनिंग होगी, उन तीनों योजना की आपने एक विजन प्रस्तुत किया है, मैंने जो बात कही है, मैं जिस थिम में सभी विभागों में बात करूँगा, रिफार्म टू परर्फाम । ट्रेडिशनल चीजों में बजट के हेड चले आ रहे हैं, वह हेड बदल सकते हैं, आप सीएजी से पूछकर बदलवाईये, प्रकिया होगी उसमें बिजनेस रूल होंगे । लेकिन आज रिफार्म में छत्तीसगढ़ के शहरीकरण की, पेयजल की या खेल के लिये या आपके अन्य विभाग के लिये, किन-किन नई चीजों की जरूरत है, जो आज वैश्विक चीजें हैं, यहां दुनिया का सबसे अच्छा कंसलटेंट आये । जो मैंने 100 करोड़ के बारे में कही है, 200 करोड़ के बारे में कही है, नगरोत्थान के बारे में कही है या मैंने रायपुर के कन्वेंशन सेंटर के बारे में कही हो या इनके साथ मिलकर काम करने के बारे में कही हो, दुनिया की बेहतरीन चीजें छत्तीसगढ़ में होनी चाहिये ।

श्री रामकुमार यादव :- हमन अतेक लबारी ला नइ सुने सकन भई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने बहुत अच्छे विषयों को अपने बजट में स्पर्श किया है और एक बात की चिन्ता प्रकट करते हुये कि पूँजीगत व्यय बढ़े, आपके कार्यकाल में महत्वपूर्ण योजनायें क्रियान्वित होकर दिखें, निस्यादिबोधक वाक्य हमारे प्रतिवेदन में दिखे, भविष्यमूलक शब्दों से कि क्या होने जा रहा

है, उससे हम दूर हटें और आपका स्वास्थ्य मंगल भविष्य सहित आपके कमिटमेंट पूरे हों, इसकी कामना करते हुये हम सब उस काम में सहयोगी बनें, उस काम के साक्षी बनें, आप अपने विभाग के माध्यम से प्रदेश के तीन करोड़ जनता की ईमानदारी से सेवा करें, मैं इस भाव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :-माननीय सभापति महोदय जी, मैं आज उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के बजट चर्चा पर मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 81 पर मैं अपनी ओर से बात, यह संकल्प का बजट है और संकल्प के बजट में अभी अजय चंद्राकर जी ने कहा कि हमने संकल्प किया है, जो योजनाएँ बनाई हैं, यह योजना धरातल पर उतरे और समय सीमा पर पूर्ण हो, यह प्रयास होना चाहिए, न कि बजट में आ जाए और हम विधायकगण, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता को यह बताएँ कि हमारे बजट में यह आ गया है, यह आ गया है। परंतु जब धरातल में उतारने की बात आती है तो हम उस पर असफल हो जाते हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक दांव-पेच के चक्कर में, प्रतिपक्ष और पक्ष के चक्कर में हमारी बहुत सारी बजट अनुदान की जो मांगें हैं, वह मांगें पूर्ण नहीं हो पाती। माननीय मंत्री महोदय ठीक है कहीं गए हैं, पर सुनने के लिए हमारे अफसरगण यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी बातें यहां नोट कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और नोट भी कर रहा हूं।

श्री ब्यास कश्यप :- महोदय, कोई बात नहीं। उस बात को समझते हैं कि कहीं न कहीं सबकी कुछ बातें रहती हैं, हमारी बातें तो यहां उल्लेखित हो रही हैं, जाएंगी ही। माननीय सभापति महोदय, इस संकल्प के बजट में पहला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आया है। मोदी जी की गारंटी थी कि हम घर-घर में जल पहुंचाएँगे, योजनाएं अच्छी थीं, माननीय भूपेश बघेल जी के शासन में वह चालू हुईं। चालू होने के बाद 5 साल में तो पूर्ण नहीं हो पाई, परंतु आज इस सवा 2 साल में भी वह पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हो पाया है। टंकी बना-बनाया है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, राइजिंग पाइप जुड़ा हुआ है, पर कहीं पेयजल का अभाव है तो कहीं कुछ अभाव है, आधे-अधूरे काम छूटे हुए हैं और टंकी ऐसे लगती है जैसे रामगढ़ के शोले की पिक्चर में शूटिंग करना हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करूँगा सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे जिले में लगभग 500 करोड़ रुपये अधिक की लागत से ग्राम पंचायतों में टंकी, पाइपलाइन का विस्तार हुआ है, परंतु हम 5% गाँवों में भी पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से इस विषय में आग्रह करूँगा। योजना बना रहे हैं, हमारे जिले में समूह नल जल योजना की भी तैयारी चल रही है, परंतु कार्य प्रगतिपूर्वक नहीं है, धीमी गति से

चाल चल रही है, क्योंकि वही ठेकेदार हैं जो गाँव में भी लिए हैं, समूह में भी काम करने वाले वही लोग हैं। उनको पता है कि विभाग के साथ हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे समय पर काम करना है और कैसे हम लोगों को राशि का आहरण करना है। मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जब आपका लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य निश्चित रूप से जनता के हित के लिए रहता है, पर जनता को पानी मिले, इस विषय में सरकार यह संकल्प ले कि हम समय सीमा में उन नल जल योजनाओं को पूर्ण करेंगे और जनता को शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। समूह नल जल योजना का मुख्य उद्देश्य है, हमारे जिले में चार-पांच स्टॉप डैम बने हुए हैं, जो बारह मासी भरे रहते हैं। वहाँ से पानी लेकर जहाँ पानी नहीं है, उन टंकियों तक चढ़ाएँ और टंकियों के माध्यम से हम घर-घर पानी पहुंचाएं, अन्यथा आज भी जगह-जगह, टोटी खाली संख्या लिखा हुआ दिखता है, उस पर पानी आए, यह संकल्प जरूर होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अरुण साव जी पूरा करेंगे। अरूण साव जी, जांजगीर में गए थे तो एक नेता ने कहा कि अभी जो काम हो रहा है वह तो अभी ट्रेलर है तो मैंने कहा था कि हमको पिक्चर देखने की भी आवश्यकता है, ट्रेलर ही क्यों दिखा रहे हैं? जनता ने आपको अच्छी फिल्म बनाने के लिए भेजा है, अच्छे चित्र प्रदर्शित करने के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश अधोसंरचना का काम होना है, चाहे नगरीय प्रशासन क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे खेल क्षेत्र में हो, सबसे बड़ा लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण दायित्व माननीय मंत्री जी के पास हैं। मैं चाहूँगा कि संकल्प लिए हैं और संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं तो उसको सिद्ध करके बताइए। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय अरुण साव जी मंत्री महोदय से अपनी बात कहना चाहूँगा, ताकि आने वाले समय में जो पेयजल की व्यवस्था है, वह समय सीमा पर पूर्ण हो जाए, तभी जाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाएगा।

सभापति महोदय, हमारे साव जी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के भी मंत्री हैं। निश्चित रूप से अभी अधोसंरचना मद से प्रत्येक नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों को जनसंख्या के हिसाब से राशि प्रदान की गई है। परंतु बजट में अधोसंरचना मद के लिए जितनी राशि होनी चाहिए और यदि आप किसी भी नगर पालिका को दो करोड़, ढाई करोड़ रूपये दे देंगे, नगर निगम को 100 करोड़ रूपये दे देंगे तो उतने में कोई काम नहीं नहीं होगा। महोदय, मैं भी 10 साल तक नगर पालिका में पार्षद और उपाध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं क्योंकि शासन की लचर व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन में सामान्यत: वहां के कर्मचारी काम करने वाले लोकल होते हैं, पार्षद लोकल होते हैं। आप तो यहां से नियम बना देते हैं। लेकिन नियम बनाने के बाद जब वसूली की बारी आती है तो हम वसूल नहीं कर पाते। आपने अभी संपत्ति कर बढ़ा दिया है तो आप बढ़ा-बढ़ाया संपत्ति कर को लाइए और लाकर उस नगरीय क्षेत्र चाहे वह पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे निगम क्षेत्र हो, उसकी आपूर्ति और पूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का एक संकल्प लें और उसको सिद्ध करें। छत्तीसगढ़ सरकार से मैं इस बात की अपेक्षा करना चाहूंगा। मेरा यह अनुभव है कि योजनाएं बनती हैं, परंतु उन

योजनाओं को धरातल में लाने के लिए आपके पास कार्यकर्ता रहने चाहिए। कार्यकर्ता यानी इंजीनियर। नगर पालिका क्षेत्र में भी एडहॉक से इंजीनियर के माध्यम से जो काम होते हैं तो वह काम कहां से हो पायेंगे? मैं तो चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में रहे। जिनको काम करने नहीं आता है वह डिग्री तो ले लेते हैं, परंतु दूसरों से केवल बिल बनवाते हैं। वह उस काम को देखने तक नहीं जाते हैं। अधिकांश जगहों में पार्षदगण ही काम करते हैं और पार्षदगण काम करके बता देते हैं कि भैया मैंने इतने मीटर की सी.सी. रोड बना दी, मेरा इतना डोर लेवल तक हो गया, मेरा लिंटर हो गया। वह बैठे-बैठाये एस्टीमेट को देखता है और एस्टीमेट के आधार पर बिल बना देता है, जबकि वास्तविक स्थिति क्षेत्र में नहीं हो पाती है और पैसे का आहरण हो जाता है। पैसे का आहरण होने के बाद वह काम अधूरा रह जाता है। अधिकांश पालिकाओं का यह हाल है। इस बात को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तो जाकर आपका जो लक्ष्य है, आपका जो संकल्प है, वह पूरा होगा। राशि देने के बाद समय सीमा में कार्य पूर्ण हो, इसलिए भी नगरीय क्षेत्र में हमें काम करना पड़ेगा। महोदय, आज के दिन छत्तीसगढ़, केंद्र और अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में आपकी सरकार है। मैं एक चीज को अनुभव करता हूं कि जहां-जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां-वहां जब राशि देने की बात आती है। भाई आपकी सरकार है, जनता ने विधायक ही तो कांग्रेस का चुना है। सांसद आपके हैं, नगरीय क्षेत्रों में पालिकाओं में आपके लोग हैं तो कृपा करके वहां पर भेद न करें। जितनी राशि की मांग आती है, उन राशियों की पूर्ति के लिए देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय के पास अधोसंरचना के लिए अपनी बात कही है। उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य में भी हमारी मांगों की वह पूर्ति करेंगे और राशि देंगे, ऐसी अपेक्षा भी मुझे है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह सब जगह दे रहे हैं। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- परंतु आप विधायक हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो तखतपुर का विधायक हूं।

श्री ब्यास कश्यप :- आप जहां भी दे रहे हैं, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां पर नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया कांग्रेस की हैं और हमने वहां पर करोड़ों रुपये भेजवाए हैं। उनको मिल रहा है। चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ब्यास कश्यप :- मैंने तो स्वीकार किया है कि आपने अधोसंरचना मद जैसे नगरीय क्षेत्रों में ढाई करोड़ रूपये, नगर पंचायत को दो करोड़ रूपये और नगर निगम को ज्यादा राशि दी है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं, परंतु स्थानीय नगर पालिका में झगड़ा के चक्कर में, पार्षद और अध्यक्ष के विवाद के चक्कर में अभी तक प्रस्ताव नगरीय क्षेत्रों तक नहीं आ पाया है। यह गंभीर समस्या है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वहां सक्षम अधिकारी बैठें ताकि समय-सीमा में वह इस काम को पूर्ण करें, तब तो जाकर संकल्प से सिद्धि होगी। अन्यथा पैसे पड़े के पड़े रह जाएंगे, बजट खत्म हो जाएगा और आप

वापस मंगा लेंगे। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में निगरानी भी आवश्यक है ताकि हम बेहतर रूप से काम कर सकें। महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जांजगीर मेरा निवास स्थान है। मैं जांजगीर में रहता हूं। वह नगरीय क्षेत्र है। उसको जिला मुख्यालय बने 27 वर्ष हो गए, परंतु उस ढंग से आज भी हम नहीं कर पाये। जांजगीर शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है–गर्मी के दिनों में हमें पानी नहीं मिल पाता है। उसके लिए 36 करोड़ रूपये का बजट था। माननीय अमर अग्रवाल जी जिस समय नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उस समय हमको बजट उपलब्ध हुआ था। ठेकेदार आए और उन्होंने पाइप को खोद दिया। इंटकवेल अधूरा, पाइप लाइन अधूरी, टंकी अधूरी और वह चले गए। अभी पुनः 24 करोड़ रूपये का नया प्रपोजल तैयार हुआ है तो उस काम में अभी गति नहीं आ पा रही है। अभी पाइप लाइन बिछाने का काम नहीं हो रहा है। पाइप लाइन को केवल स्टॉक में दिखाने के लिए रख दिया गया है तो वह पाइप लाइन कब बिछेगी? इंटकवेल कब बनेगा? पाइप का काम पूरा होकर हमारे शहरवासियों को पेयजल की आपूर्ति कब होगी? हम सौभाग्यशाली हैं कि हसदेव नदी के तट पर जरूर रहते हैं, परंतु वहां पेयजल की समस्याएं हैं। नहर में पानी मिलने के कारण आजकल हमारे बोरों में पानी आता है। अगर नहर न चले तो बोर भी सूख जाएंगे। तो हम कब तक भूजल पर आधारित रहें? हमारे पास पर्याप्त पानी है, उसको इंटकवेल के माध्यम से टंकी तक पहुंचाएं और टंकी से लेकर घर-घर पहुँचाने के लिए आपने बजट दिया है, तो उसका भी काम समय सीमा पर होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बार-बार इस बात को बोलता हूं कि जांजगीर और देवास, जब मध्य प्रदेश था, दोनों जगह अंडरग्राउंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए व्यवस्था हुई थी। देवास तो कहां से आगे हो गया परंतु पता नहीं क्यों हमारे विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर कहते हैं। वहां क्या अभिशाप है कि वहां जो भी योजनाएं आती हैं, वह वहीं की वहीं रुक जाती है। इसलिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि गणेश जी का मंदिर बना दीजिए। मैं अघोषित बात बोल रहा हूं कि वहां मंदिर बनवा दीजिये, कम से कम कार्य सिद्ध तो हो जाए, तब तो संकल्प पूरा होगा। इस बजट में उस शहर के लिए वह शामिल नहीं है । आपने हमारे जांजगीर नगर के पेयजल के लिए तो बजट दिया है, नाली के लिए थोड़ी सी अधिक राशि की जरूरत है क्योंकि अभी आपने जो राशि दी है, उसे पार्षदों ने आपस में लड़कर बांट ली कि इतना लाख मेरा, इतना लाख मेरा, इतना लाख मेरा। मैंने अध्यक्ष महोदया से कहा कि महोदया, आप भी तो नगर की अध्यक्ष हैं, आप भी तो नगर के बारे में अच्छी चीजें सोचें। आप नगर हित में कुछ तो काम करें। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारे शहर में जो मुख्य मार्गों पर नाली की समस्या होने के कारण बरसात के दिनों में दो-दो फीट, तीन-तीन फीट तक पानी जाम हो जाता है, तो हमारे विधान सभा क्षेत्र के जांजगीर-नैला नगर पालिका में पानी निकासी की भी व्यवस्था हो, मैं इस बात की भी मांग करता हूं।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, थोड़ा संक्षेप करेंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, संक्षेप कर रहा हूं। एक बात थी कि जिस समय माननीय अमर अग्रवाल जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तब उन्होंने अधिकांश नगर पालिकाओं में स्वर्ग जैसा सुंदर मुक्तिधाम का निर्माण कराया था और माननीय सुरेंद्र दुबे जी कभी-कभी इस विषय में अपनी कविताएं भी सुनाया करते थे। आप सबने सुनी भी होंगी। मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश में सभी जगहों पर अच्छा और सुंदर मुक्तिधाम बने क्योंकि हम सबको मुक्तिधाम जाना है। जहां मुक्तिधाम बन गया है उसका बेहतर संधारण हो। अब शहर विस्तार ले रहा है, कुछ ही जगह मुक्तिधाम बने हुए हैं। मैं यह बात करता हूं कि जरूरत पड़ने पर छत्तीसगढ़ सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में जहां शासकीय जगह है, उसके लिए प्रस्ताव लेकर मुक्तिधाम योजना के लिए भी अलग से राशि देने की कृपा करें । जांजगीर और चांपा, दोनों जिला मुख्यालय के शहर हैं, वे नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं। जांजगीर और चांपा में मुक्तिधाम के लिए और राशि की आवश्यकता है ताकि सुंदर और स्वच्छ मुक्तिधाम मिल सके। हम जीते जी तो कुछ नहीं कर पाते परंतु मुक्तिधाम जाकर, अच्छी जगह में जाकर अपने कर्मों के आधार पर जहां जाना है, वहां हम जाएंगे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि मुक्तिधाम के लिए भी हमें राशि देने की कृपा करें।

सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग, सरकार की अधोसंरचना का बहुत बड़ा विभाग होता है। काम तो होते हैं, बजट तो बड़े-बड़े ले आते हैं। जैसे इस बार भी 1 लाख 75 हजार करोड़ रूपये का बजट ले आए और बजट में बड़ी-बड़ी बातों का उल्लेख रहता है कि हम यह कर देंगे, वह काम कर देंगे, ये सड़क बन जाएगी, हम यह बिल्डिंग बना लेंगे। परंतु जब उसको समय-सीमा पर पूर्ण कराना होता है तो हम उस काम को नहीं करा पाते हैं। ऐसा क्यों ? मैं तो चाहूंगा कि जब आप बजट बना रहे हैं, जो काम कर रहे, जो संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प की पूर्ति करें, मैं सरकार से यही अपेक्षा करूंगा अन्यथा बजट में ला देने से हम खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है। जितने माननीय विधायक हैं, वे अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं। वे सर्च करते हैं कि हमारी विधान सभा में यह हुआ, वह हुआ। हम अखबार में, पत्रिका में प्रकाशन कराते हैं, खुशी होती है परंतु जब उसको भौतिक रूप से धरातल पर लाना होता है तो वहां तकलीफ होती है। हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम तो एस.डी.ओ. से और ई.ई. से परेशान हो गए हैं। मैं यहां की बात तो नहीं कहूंगा। यदि बजट बनाकर भेज दें तो वहां से बजट की कॉपी नहीं आ पाती है। हम जब विभागीय कार्यालय में आते हैं, सचिव से मिलते हैं, ई.ई. से मिलते हैं तो वे बोलते हैं कि आपका तो प्रस्ताव ही नहीं आया है और यदि प्रस्ताव ही नहीं आया है तो हम उनको क्या बोले ? ऐसा न हो। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि यदि बजट में कोई कार्य उल्लेखित है, तो वह कार्य पूर्ण हो। सभापति महोदय, दो वर्ष हो गए मुझे जानकारी मिली है और मैंने माननीय सचिव महोदय से बात की थी कि मेरा एक प्रस्ताव है, उन्होने मुझे दुरभाष से सूचना दी है कि हो जायेगा। जांजगीर-पीथमपुर का मार्ग के लिये

माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी ने भी दस्तखत कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उस काम को शीघ्रता से करें। पीथमपुर का मेला भी चल रहा है। बरसात के पहले-पहले वह लगभग 30 करोड़ रुपये लागत की सड़क है जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जांजगीर के मुख्यालय से बाबा कलेश्वरनाथ के द्वार तक जाने वाली वाली सड़क का अतिशीघ्र निर्माण हो। नैला-बलौदा मार्ग की, रोगदा-बिरगहनी मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति अभी बाकी है। जांजगीर कैरा मार्ग, खरताल शिवरनारायण मार्ग, हमारी विधायक महोदया बैठी हैं, हम दोनों के क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिये रायपुर भी आना है। अगर ये सड़क का निर्माण हो जायेगा तो हम जल्दी रायपुर पहुंच सकते हैं। अभी हमें दूर से आना पड़ता है। नवागढ़ के रेस्ट हाउस का भी बजट में प्रावधान है। इन सब कामों की स्वीकृति प्राप्त कराने की कृपा करें। मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर, सरगुजा ओलंपिक की बात करती है। आप निश्चित रूप से काम कीजिये। बस्तर, सरगुजा में ओलंपिक कराईये। पर हमारे छत्तीसगढ़ के तीन संभाग दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में भी खेलों के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिये काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन होता था, वैसे भी यहां आयोजन हो ताकि इन क्षेत्रो में रहने वाले हमारे उत्कृष्ट खिलाडियों को भी खेल की सुविधा से अपने आपको छत्तीसगढ़ में विस्तार कर सकें।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे हैं कि ये कराईये, वो कराईये। 5 साल तक खेल अलंकरण पुरस्कार नहीं मिला।

श्री ब्यास कश्यप :- यही तो बता रहा हूं। मैं उसी विषय में आ रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप खेलों के विकास के लिये बात कर रहे हैं। मैं आप आपको कहता हूं कि खेलो इंडिया के तहत खेलों के निर्माण का प्रस्ताव 05 साल तक सिर्फ इसलिये नहीं भेजे कि मोदी जी की सरकार केन्द्र में है।

श्री ब्यास कश्यप :- अभी क्या हो गया है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- खेल के कितने काम चल रहे हैं, आप पता कर लीजिए।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आपका समय आयेगा तो आप बोल लीजियेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- 2016 के बाद अभी तक आप लोगों ने 2019 में नाम मंगाया। आज तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। न उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुए हैं, न खेल राज्य अलंकरण का आयोजन हुआ है। 02 वर्ष हो गया है, उसे अभी तक चालू नहीं किये हैं। महोदय, आपकी भी बारी आयेगी।

सभापति महोदय :- मैं बोल रहा हूं कि आप संक्षेप में करिये और समाप्त करियेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मै संक्षेप में बोल रहा हूं। मैंने बस्तर, सरगुजा ओलंपिक की बधाई भी दी। यह होना चाहिए। हमारे वनवासी, आदिवासी क्षेत्र के खिलाड़ी प्रदेश, देश और विदेश स्तर तक जायें, पर हमारे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग के खिलाड़ियों के लिये भी कुछ योजना बनाकर

इसका लाभ मिले। ये मध्य क्षेत्र मान लीजिए और मध्य क्षेत्र मानकर इनके लिये भी कुछ उत्कृष्ट सम्मान के लिये खेल का आयोजन हो। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 2016 के बाद अभी तक उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं हुए हैं, जबकि 2019 में सूची बन गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हो जायें, जिससे आने वाले समय में उनको बोनस अंक मिलता है, वह उनकी नौकरी में काम आयेगा। राज्य खेल अलंकरण का कार्यक्रम 02 वर्ष से नहीं हुआ है। आप लोग आये थे तो मैं पहले भाषण में सुन रहा था कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने नहीं कराया, हम कराये हैं। एक बार जरूर कराये हैं, परंतु एक बार कराने से नहीं होता। वह प्रतिवर्ष होना चाहिए। उस कार्यक्रम को 02 वर्ष हो गये हैं, अभी तक नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि खेल अलंकरण का यह कार्यक्रम भी होना चाहिए ताकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उससे प्रोत्साहन मिल सके। मैं तो विशेषकर के मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री आदरणीय अरूण साव जी के इस प्रस्ताव पर अपनी बात कही है। मैं समालोचक हूं। जहां पर नहीं हुआ है, उसके लिये मैंने आग्रह किया है। जो हुआ है, उसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा। मैं पुन: एक बात कहूंगा कि माननीय अरूण साव जी आपने कहा कि वहां पर एक नेता थे, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा पर एक टिप्पणी आई थी। विकास की बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं, यह बोले कि पिक्चर अभी बाकी है।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अभी पिक्चर देखना बाकी है, ऐसा बनाईये, ऐसा बनाईये कि छत्तीसगढ़ के लोग आपके शासन का गुणगान गायें तब तो आयेंगे, नहीं तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर, दक्षिण) :- माननीय सभापित जी, धन्यवाद। मैं विभागीय बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। नगरीय निकाय के अंदर में मूल काम जो है, बाकी सब काम आते हैं, बहुत सारी चर्चा माननीय अजय चन्द्राकर जी ने की है, उसके अंदर में उसको भी थोड़ा लूंगा। नगरीय निकाय के अंदर में मूल काम सफाई, पानी, लाईट आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया था, देश के बहुत से लोग उस पर हंस रहे थे। घर-घर शौचालय बनाया, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महा नगर पालिका, ग्राम पंचायत एक रैंकिंग की दौड़ के अंदर में खड़े हो गये और स्वच्छता एक मिशन बना जिसके परिणाम आज भी सामने दिख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में, रैंकिंग पाने की दौड़ के अंदर में पूरा सब लगे हैं और सफाई के अंदर में सफाई करना एक समस्या है लेकिन जो कचरा निकालते हैं, वह कचरा फेंकना सबसे बड़ी समस्या हो गयी है उसके लिये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया । आज रायपुर का जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में भी कहा है कि लगभग 700 मीट्रिक टन जो है वह प्रतिदिन कचरा निकलता है, मेरा मानना है

कि 900 मीट्रिक टन कचरा निकलता है । चलो, 700 मीट्रिक टन भी निकलता है । सॉलिड वेस्ट के लिये जो है, माननीय मंत्री जी ने जो प्रावधान रखा है, मैं इस बजट में पहली बार देख रहा हूं, मैंने 5 साल इसको देखा नहीं था कि 467.50 करोड़ रूपये। वास्तव में यही जो है, हमारे शहरों को स्वच्छ बनायेगा । मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि यदि हमें वास्तव में शहरों की रैंकिंग प्राप्त करनी है, जैसे अंबिकापुर जब सभापति मेयर थे उस समय में जब देश के अंदर में अंबिकापुर फर्स्ट नंबर आया था, छोटे नगर-निगमों में सबसे फर्स्ट नंबर अंबिकापुर का था, हमको इस बात का गर्व है और वहां पर जो सॉलिड मैनेजमेंट का काम हुआ है वह छोटे नगर पंचायत, नगरपालिका में लागू करने की आवश्यकता है, वहां से सीखकर हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमको इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, हमको कहीं भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, जो रैंकिंग प्राप्त कर रहे हैं । हम अपने ही क्षेत्र के अंदर में उसको लागू करेंगे, वह होगा ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव है कि रायपुर राजधानी है और रायपुर राजधानी के अंदर यदि सफाई व्यवस्था को वास्तव में दुरूस्त करना है और इसको रैंकिंग के अंदर नंबर वन लाना है तो आपको एक कंपनी को उसको ठेका देना होगा । वर्तमान में उपकृत करने के लिये जो 40-50 ठेकेदार हैं, वह सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती है । यह मैं आलोचना के आधार पर नहीं कह रहा हूं, पूर्व महापौर ने जो किया है उसको हमें सुधारने की आवश्यकता है और एक ठेकेदार हो, अधिकतम दो ठेकेदार हो, जो इस सफाई व्यवस्था को अगर दुरूस्त करेंगे, घर-घर कचरा निकालने का काम, कलेक्शन करने का काम, नाली वही साफ करेगा, सड़क को वही साफ करेगा अन्यथा सड़क साफ करने वाला नाली में कचरा डाल देता है तो यह जो क्रम जारी है इसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है । माननीय अजय चंद्राकर जी ने बहुत सी बातों को रखा है उसको मैं बाद में थोड़ा सा विस्तार में लूंगा । एक भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयी है, वह है गति शक्ति योजना और वह गति शक्ति योजना के अंतर्गत 100 लाख करोड़ रूपये, वर्ष 2047 100 लाख करोड़ रूपये, देश के सभी नगर-निगम अच्छे होने चाहिए, महा नगरपालिका अच्छी होनी चाहिए और आज इस बात की खुशी है कि अभी के बजट के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 लाख करोड़ रूपये इसके अंदर में रखा है और यह 12 लाख करोड़ रूपये के आधार पर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने समय रहते नगरोत्थान योजना लायी । इसके साथ में एन.सी.आर. की तर्ज पर एस.सी.आर. बनाने का काम किया और यह एस.सी.आर. के माध्यम से ही, मैं इसको जानता हूं क्योंकि जे.वी.आर.एस.एम. योजना के अंतर्गत 1 हजार 16 करोड़ रूपये मैं भी लेकर आया था तो एस.सी.आर. योजना के अंतर्गत आने वाले समय के अंदर में हमें इतना पैसा मिलेगा कि जिसको हम नगरोत्थान के अंदर में काम कर सकते हैं और पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी रखी थी, मैं उसके लिये धन्यवाद दूंगा । एक छत्ते के नीचे जब अजय चंद्राकर जी प्रभारी मंत्री थे, उस समय हमने विधायक है, सांसद है वह

सारे एक छत्ते के नीचे बैठ जायें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री जी हैं, उसके बाद में सारे अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठकर क्रमवार तय करें । वर्ष 2005-2010 कैसा रायपुर दिखेगा, आज उसी तर्ज पर हमको काम करने की आवश्यकता है, योजना बनाने की आवश्यकता है कि हम आज वर्ष 2025-2030 चूंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, डबल इंजन की सरकार का यहां पर महत्व मिलना है, इसको नगरीय प्रशासन के अंदर में बड़ा महत्व मिलना है, हमारी डबल इंजन की सरकार है इसको नगरी प्रशासन में बड़ा महत्व मिलना है कि हमारा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई कैसा दिखेगा। अगर यह सारे नगर निगमों की एक कार्ययोजना बनेगी, अगर इसका सुव्यवस्थित ढंग से काम होगा तो आने वाला समय हमारे लिए सबसे बेहतर होगा और इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, झुग्गी मुक्त योजना पर कहना चाहूंगा। हमने शहरों का विकास किया है। मैंने जैसा कहा कि जे.ई.आर.एम. योजना के अंतर्गत 392 करोड़ रूपया आया था, जल आवर्धन के लिए 303 करोड़ रूपया आया था, आप जो हम तेलीबांधा को मरीन ड्राईव के रूप में देख रहे हैं, उसके लिए 16 करोड़ 33 लाख रूपया आया था। ऐसे हम झुग्गी मुक्त शहर की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है हमने जिस एजेंसी को दिया था, वह एजेंसी कहां गयी, आज तक काम नहीं हुआ। आज हमको इस बात की खुशी है कि डिप्टी सी.एम. साहब ने अनलिमिटेड शहरों के अंदर प्रधानमंत्री आवास को रखा है। मैं प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सर्वे करवाया और इस बात का प्रयास भी कर रही है कि यहां पर कितने झुग्गी वाले, कितने किरायेदार हैं, अन्य स्थानों पर रहने वाले कितने लोग हैं उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो आने वाले समय में शहरों के लिए झुग्गी मुक्त शहर की कल्पना की जाये। अभी माननीय अजय चन्द्राकर जी ने मुम्बई के धरावी का उदाहरण दिया था। हम उस आधार पर भी इस शहर को अच्छा बना सकते हैं। हम बची हुई जमीन को प्राईवेट पार्टनरशीप के अंदर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे उदाहरण मुम्बई या अन्य क्षेत्रों में मिलेंगे। आज मैं केवल इन बातों को छूकर, कम समय में अपनी बात को रख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहां 33 नालंदा परिसर को स्वीकृति दी गयी है, मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् दूंगा। लेकिन रायपुर हमारी राजधानी है, यहां पर राजधानी में बस्तर से सरगुजा तक बच्चे आते हैं और यहां आकर बहुत सारे हॉस्टल्स में रहकर नालंदा परिसर में पढ़ाई करते हैं मैं इसका उदाहरण देता हूँ पहला जो नालंदा परिसर बना था वहां की हम बातचीत करेंगे तो हमें इस बात का एहसास हो जाएगा। यहां रायपुर शहर की दो नालंदा परिसर से समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। यहां पर हमको कम से कम दो-तीन नालंदा परिसर और बनाने की आवश्यकता है। मैं इस बात का निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी राजधानी के अनुरूप उदारता दिखायेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिटी डेवलपमेंट प्लान पर कहना चाहता हूँ। सिटी डेवलपमेंट प्लान पर हमको कहीं न कहीं जाकर, इस बात के जो विशेषज्ञ लोग हैं। आज इस बात का दुर्भाग्य है कि जो

architect पढ़े हुए लोग हैं, जब हम बड़े भवनों के लिए 1 करोड़, 2 करोड़ रूपया देते हैं, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कहीं भी architect नहीं है और उसका कॉलम खड़ा करके, जिस प्रकार के भवन बनाकर पैसे की जो दुर्गति होती है, जिसके कारण उस भवन का उपयोग नहीं होता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सारे नगर निगमों के अंदर architect प्राथमिकता के साथ में हायर करने का निर्देश देंगे, मैं इस बात का आग्रह करता हूँ। हमको सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए कहीं न कहीं उन शहरों का नक्शा बनाकर, करना पड़ेगा। इन 5 सालों में उस शहर की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए हमारा रायपुर शहर है और यह हमारी राजधानी है, यहां 4 विधान सभा क्षेत्र हैं आज भी दक्षिण विधान सभा के अंदर आजादी के बाद भी बताना चाहूंगा, मैं जब स्मार्ट सिटी की बात करता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है उसको अजय चन्द्राकर जी ने कहा है कि यह लूट का एक सबसे बड़ा माध्यम बना है। उसका ए.डी.पी. ऐसा बना है, ए.डी.पी. अर्थात् एरिया डेवलपमेंट प्लान। जो दक्षिण विधान सभा के 10 वार्ड जो लिये गये जहां पर स्मार्ट सड़क नहीं बन सकती है, जहां चौक-चौराहों को सुधारकर, जो दुगिर्त के कगार पर खड़े हैं इस आधार पर उसकी पुनरावृत्ति न हो। हम चारों विधान सभा के आधार पर ऐसा प्लान बनायें कि मान लीजिए यहां की प्रोफेसर कॉलोनी भरता है तो वहां पर नाले की जरूरत है आज भी जहां पर कॉलोनियां भरती हैं वहां पर आज नाले की जरूरत है। क्योंकि दुर्भाग्य से आज भी रायपुर ओपन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर डेवलप है। यहां अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर राजधानी के अनुरूप बनाना है तो आप इंटर में मत बनाईये। हम कम से कम आउटर के अंदर तय करें कि हम यहां पर ड्रेनेज सिस्टम को लागू करेंगे और हम बजट के अंदर उसका प्रावधान रखकर, उसके ऊपर काम करेंगे। भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार का उसके अंदर लाभ भी मिलेगा। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ ।

सभापति महोदय, आज वेंडर्स की बात हुई । देश का एक कानून बना है कि हर शहर के अंदर में कहीं पर एक वेंडर जोन होना चाहिए और उस वेडर्स जोन के अंदर में वेंडर्स कमेटी बनती है, उस कमेटी के माध्यम से ही ठेला हटता है, खोमचा हटता है । कलेक्टर, पुलिस अधिकारी या एस.डी.एम. उसे दादागिरी के आधार पर नहीं हटा सकते, बातचीत के आधार पर उसका व्यवस्थापन होता है तो वेंडर्स जोन बने, वेंडर्स की कमेटी बने और कमेटी बनकर वेडर्स को सुविधा दें क्योंकि शहरों के अंदर में ठेले वाले, खोमचे वाले, गरीब आदमी को भी कमाने का हक है और उसके लिए भी हमें कहीं न कहीं व्यवस्था करनी चाहिए और वेंडर्स जोन स्थायी होना चाहिए। कोई अस्थायी रूप से आता है, लाठी मारता है और वह बेचारा चले जाता है और फिर वह बेरोजगार हो जाता है या फिर जो वेंडर्स जोन बनते हैं, वह शहर से बाहर बनते हैं । शहर के अंदर में हम कहां पर वेंडर्स जोन बना सकते हैं, जिसके अंदर में 10 हजार रूपए, फिर 20 हजार रूपए, फिर 50 हजार रूपए प्रधानमंत्री स्व निधि मिलती है, उसको आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त होता है । आज आने वाली सबसे बड़ी समस्या होनी है, वह ट्रैफिक की होनी है और आप

रायपुर के अंदर में आप ट्रेफिक देखेंगे, रायपुर राजधानी है । मैं समझता हूं कि बिलासपुर में भी वही हाल है, दुर्ग-भिलाई के अंदर भी वही हाल है । जब मैं राजनांदगांव जाता हूं तो मैं वही स्थिति देखता हूं कि लोग आज इतने ई रिक्शा खरीद रहे हैं, ऑटो रिक्शा खरीद रहे हैं, ऑटो रिक्शा खरीदने की एक होड़ लग गई है और रायपुर में जो आता है, फ्लोटिंग पापुलेशन के तहत जो यहां पर बाहर के स्टेट का आदमी आता है तो वह एक ऑटो ले लेता है और ऑटो लेने के बाद में जो सवारी बैठती है, उससे पूछता है कि सदर बाजार कहां पर है, बूढ़ातालाब कहां पर है, वह सवारी से पूछता है । लगभग 25 हजार ऑटो रिक्शा केवल राजधानी रायपुर के अंदर में चल रहे हैं और उसी प्रकार से मैं पुरानी बात नहीं करूंगा, नहीं तो अजय चन्द्राकर जी टोक देंगे । जब मैं महापौर था, उस समय हमने सिटी बस चलाई थी । लोग इस बात के लिए हंसते थे । हमने आर.सी.बी.एल. कम्पनी बनाकर सिटी बस चलाई थी । मैं बोल सकता हूं कि आज वर्तमान चीफ सेक्रेटरी उस समय कलेक्टर थे, उस समय हम दोनों इंदौर में गए थे और इंदौर में जाकर हमने आर.सी.बी.एल. रायपुर सिटी बस लिमिटेड का गठन किया था । उसके अंदर सारे अधिकारी थे, उसमें कलेक्टर थे, एस.पी. थे, महापौर के नाते हम चेयरमैन थे । ऐसे सारे अधिकारियों की हमने कमेटी बनाई थी । आज आपके पास सिटी बस का पैसा आया । उस समय 100 बसें आई थीं, लेकिन वह कहां है । आप राईट्स कम्पनी, भारत सरकार का उपक्रम जिसके आधार पर ट्रेफिक प्लान बना, उसके अंदर में 28 लाख रूपए लगे थे । राईट्स कम्पनी ने जितने सुझाव दिए, 2025 में कम से कम 450 बसें इस शहर के अंदर में चलनी चाहिए । मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपकी इच्छाशक्ति है कि इसको प्राईवेट पार्टनरशिप में जोड़ें या जिस रूप में आपको चलाना है और 450 बसें आएगी तो आपको सस्ता परिवहन मिलेगा । आज हमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने जाना है, आपके पास में चार विभाग हैं, बड़ी तादाद की संख्या में यहां पर बाहर के लोग यहां आते हैं, लोग मांग करने के लिए आते हैं, लेकिन नया रायपुर जाने के लिए जेब में 500 रूपए होने चाहिए । किसी मंत्री से मिलने के लिए 500 रूपए जेब में होगा, तब जाकर उस मंत्री से वह मिल पाएगा । यह राजधानी है और इस राजधानी के अंदर में अगर सस्ते परिवहन की व्यवस्था करेंगे, मेरा मानना है कि अगर सिटी बस चालू होगी तो ट्रेफिक व्यवस्था में बहुत अंतर आएगा । ऑटो रिक्शा का लिमिट बन जाएगा । जहां पर बस नहीं जाएगी, वहीं पर ऑटो रिक्शा चलेंगे । उसका लिमिटेशन बनेगा और सबसे बड़ी चीज है कि सड़कों का चौड़ीकरण । मैं नगरोत्थान के अंदर में पढ़ रहा था । मुझे इस बात का अच्छा लगा कि नगरोत्थान के अंदर में सड़क का चौड़ीकरण, मुआवजा ये सारे प्रावधान हमने रखे हैं । मेरा एक ध्यानाकर्षण भी लगा है, लेकिन मैं इस बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि हमने आमापारा से तात्यापारा तक चौड़ीकरण करके छोड़ा और उस समय भी चौड़ीकरण के लिए पैसे की बात आई थी । हमने 70/30 के अंदर में लोन लिया, लोन लेकर हमने उसको तोड़कर, मुआवजा देकर हमने चौड़ीकरण कर दिया था । आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर फ्लाईओव्हर नहीं हो सकता । वहां

पर 200 मीटर का फ्लाईओव्हर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा । वहां पर सर्विस रोड़ कहां से आएगी ? वहां पर कोई फ्लाई ओव्हर नहीं है। मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह शहर का हृदय स्थल है, यह बर्बाद न हो। वहां आपके माध्यम से उसके अंदर सड़क चौड़ीकरण का प्रावधान हो और वह शीघ्र हो। वहां पर अभी और भी सड़कें हैं।

सभापति महोदय, अब शहर के अण्डर ब्रिज जाम रहते हैं। चाहे वह भाटागांव का हो, चाहे पचपेड़ी नाका का हो, चाहे रायपुरा का हो, चाहे संतोषी नगर का हो, अण्डर ब्रिज जाम रहते हैं। क्या उसके अंदर हमारी एलीवेटेड फ्लाई ओव्हर की योजना बन सकती है ? दुर्ग के अंदर है। एन.एच. के ऊपर से एलीवेटेड फ्लाई ओव्हर बना हुआ है। हमको ऐसी कोई योजना इस शहर के ट्रैफिक प्लान को ठीक करने के लिए करना चाहिए, यह मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय, आप शहरी पट्टा जल्दी से जल्दी बांट दीजिये। यह हमारे घोषणा-पत्र में भी है, संकल्प पत्र में भी है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री आवास इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पट्टा नहीं है। इस कारण कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो टैक्स की रसीद है, आपने इस बात को पहले भी कहा था, मुझे इस बात का स्मरण है कि उसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, लेकिन अधिकारी लोग अभी तक ऐसा नहीं मान रहे हैं।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, मैं उप मुख्यमंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को इस बात की बहुत-बहुत बधाई दूंगा क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं। मैंने 5 साल सांसद के रूप में देखा था कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के पास नल की टोटी लगाने के लिए पैसा नहीं होता था। कहीं पर गड्ढा हो गया हो तो गड्ढा बंद करने के लिए पैसा नहीं था। छोटे-छोटे कामों के लिए पैसा नहीं था। ये सारी संस्थाएं 5 साल से ठप्प हो गईं थीं। लेकिन अनटाइड फण्ड के अंदर लगभग 840 करोड़ की राशि, बहुत बड़ी राशि दी है। यह वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है जिससे छोटे-छोटे काम अपने माध्यम से करा पायेंगे।

सभापति महोदय, अंत में, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत सारी बातों को अजय जी ने रख दिया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिर से इस बात को बार-बार कहूंगा कि 2026-2030 तक कैसा रायपुर होना चाहिए, कैसा बिलासपुर होना चाहिए, कैसा अन्य नगर निगम होने चाहिए, उसका मैप बने। अगर आप उस आवश्यकता के अनुसार पैसा देंगे, तो हम निश्चित तौर पर इस बात को बोल सकते हैं कि आने वाला जो समय है, एक बेहतर समय बनेगा। क्योंकि मोदी जी की भी इस बात की मंशा है कि साथ ही हमारे अरूण साव उप मुख्यमंत्री और श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि हमारा शहर अच्छा बने। यहां पर्यटक आये तो उसके घूमने के लिए जगह हो। वहां पर ऐसी जगह उपलब्ध हो, इस बात की पूर्ति आपके माध्यम से होगी।

सभापति महोदय, सिंचाई कालोनी का सबसे बड़ा भू-खण्ड खाली है। अजय जी ने बहुत अच्छी बात को रखा। मैं अंत में इस बात को कहूंगा। वास्तव में उस जगह का सदुपयोग होना चाहिए। हम सत्ता हैं, हम सरकार हैं, हम पैसे कमाने की एजेंसी नहीं हैं। कोई बिल्डर खाली कर मनोरंजन का साधन नहीं दे सकता है, वह खेल का मैदान नहीं दे सकता है। हम सरकार की जमीन में ही उद्यान बना सकते हैं। वहां पर एक अच्छी योजना लाकर उस जमीन का उपयोग करेंगे।

सभापति महोदय, गास मेमोरियल सरकार को प्राप्त हो गया है। मैं उसमें आपसे कहूंगा कि वह आपके भाषण के अंदर जरूर आये, मेरे ख्याल से वहां के लिए प्रावधान भी है। आप गास मेमोरियल के अंदर मिनी स्टेडियम बनायेंगे। कुशालपुर के अंदर जमीन खाली है, वहां पर मिनी स्टेडियम बनायेंगे। देखिये, खेल के लिए हमारी राजधानी है और इस राजधानी के अंदर खेल मैदान की आवश्यकता है। यह बात सही है कि आज किसी भी दल के नेता आते हैं तो पहले हमारे पास सप्रे स्कूल था, हमारे पास गांधी चौक था, लेकिन आज कोई ऐसा मैदान नहीं बचा है, जहां पर किसी नेता की सभा हो सके। आज जो इंडोर स्टेडियम है, जिसको बनाने का सौभाग्य मिला, उस इंडोर स्टेडियम के अंदर में आज खेल को छोड़कर सारी चीजें हो रही हैं। मेरा उपमुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आपसे विनम्र निवेदन है कि कि उस इंडोर स्टेडियम का उपयोग खेल संघों को करने दीजिए, उसके लिए किराया कम कर दीजिए । बहुत सारे खेल संघ वहां पर खेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने किराया इतना बढ़ा दिया कि जिस उद्देश्य के लिए इंडोर स्टेडियम बना था, आज वह नहीं है। आज आपके पास में ईदगाह भाटा का मैदान है। आपके पास में ग्रास मेमोरियल का मैदान है। हम इन मैदानों को मिनी स्टेडियम के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र उसके अंदर में खाली है। एक सबसे बड़ा विषय है कि सरोवर धरोहर योजना भी पहले थी।

सभापति महोदय :- सुनील जी, 20 मिनट हो गए, समाप्त करिए।

श्री सुनील कुमार सोनी:- बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। यह जो सरोवर धरोहर योजना है, आज वाटर बॉडी अगर देखेंगे कि रायपुर शहर तालाबों का शहर था, आज देखेंगे कि तालाब नहीं बचे हैं। आज जो भी तालाब बचे हैं, उन तालाबों के लिए अलग से बजट का प्रावधान आपके माध्यम से हो। मुक्तिधाम योजना का आपके पास अलग से प्रावधान हो। उद्यान के लिए आप अलग प्रावधान रखिये, मेरा यह सुझाव है। जितने उद्यान बन रहे हैं, उद्यानों के देख-रेख के लिए पैसा नहीं है। नगर निगम के पास में उद्यान के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि प्रावधान नहीं है। अनटाइड फंड के अंतर्गत बहुत सारे उद्यान हैं, मुक्तिधाम हैं, सरोवर धरोहर है, इतनी बड़ी राशि आपने रखा है और बहुत सारे मदों के अंदर में आपने राशि रखा है, आपने कंजूसी नहीं किया। लेकिन इन मदों को बांट कर अगर उसके अंदर में हम लाइट के लिए अलग प्रावधान रख दें, मेरा यह माननीय उपमुख्यमंत्री जी को सुझाव है कि हम हम लाइट के लिए अलग प्रावधान रख दें। जो रायपुर राजधानी है, जो क्विज बोर्ड लगाते हैं, उसके लिए हम

हम प्राइवेट पार्टनरशिप में विज्ञापन एजेंसी को दें कि एक पोल है, उसके अंदर में आप कितना पैसा हमको दोगे? आप 500 रुपया दे रहे हो, हमको नहीं चाहिए। हमको 100 रुपया दीजिए। उस पोल की पेंटिंग आप करेंगे, उसकी लाइट की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, टावर लोडर आप देंगे। यह प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी हम करोड़ों रुपया मेंटेनेंस में खर्च कर देते हैं। करोड़ों रुपया खर्च होता है। आप इतना पैसा देते हो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन लाइटें जलती नहीं हैं। ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, इसके लिए मेरा माननीय उपमुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मैंने आपको जो सुझाव दिया है, फिर अंत में फिर कहूंगा कि सफाई सबसे प्राथमिकता है और इसको आप एक एजेंसी अधिकतम दो एजेंसी को जब तक के काम नहीं देंगे तो यह एक स्वार्थपूर्ण बंटवारा का जरिया नहीं होना चाहिए। यह जो सफाई है, वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, हमारी शहर की पहचान से जुड़ा है। इसको हम गंभीरता के साथ में लेंगे, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध रहेगा कि आज वक्ताओं की भी बहुत लंबी सूची है और दो विभागों पर उनके अनुदान मांगों पर चर्चा किया जाना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आगे हमारे जो भी सदस्यगण हैं, वे कम शब्दों में संक्षेप में 10-10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी सदस्यगण इससे सहमत होंगे थोड़ी गंभीरता से लेंगे, रात्रि काफी हो जाएगी नहीं तो। दो विभाग हैं। माननीय कुंवर सिंह निषाद जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 और 81 के विरोध में खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का दायित्व होता है कि वह प्रत्येक नागरिक को जिस हिसाब से उनकी बातें आती हैं और जो बात करते हैं कि शुद्ध पेयजल और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। परंतु जमीनी स्तर पर इसकी वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मोदी जी की गारंटी हर घर जल और जल जीवन मिशन का एक शब्द उल्लेख नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, या तो लगता है वित्त मंत्री जी डिप्टी सीएम से नाराज हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी से इस बजट के माध्यम से सरकार की नीयत पर संदेह है। माननीय सभापति महोदय, यदि हम वर्ष 2025-26 का बजट देखें तो पी.एच.ई. के बजट में 5,314 करोड़ का प्रावधान था और इस साल 3,890 करोड़ रूपये का प्रावधान है। आपने लगभग 2,000 करोड़ का बजट कम किया है। आपने क्यों कम किया है? जब आपका बजट 1,72,000 करोड़ रूपये का है, फिर आपने उसमें बजट कम क्यों किया? मतलब, पिछले बजट में आपको मिली जितनी राशि थी, उसमें आप काम नहीं कर पाए हैं, तभी आपने इस साल के बजट में 2,000 करोड़ रूपये कम राशि प्रावधान रखा है। एक तरफ आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, हर घर जल, हर घर नल। यह समझ से परे है। उसके हिसाब

से दिसंबर, 2025 तक देखें तो आपने मात्र 16.2 प्रतिशत राशि खर्च की हैं। यह ज़मीनी हकीकत है। माननीय सभापति महोदय, जलापूर्ति अनियमित है। जल की गुणवत्ता की शिकायतें मिलती हैं। सीवरेज भी अधूरी है। अगर हम बजट प्रावधान और व्यय के बीच पारदर्शिता की बात देखें तो परियोजना की समयबद्ध पूर्णता भी चिंतनीय विषय है। कभी भी समय पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि समय को और बढ़ाया जा रहा है–दो महीना, फिर तीन महीना, फिर चार महीना, फिर एक साल और। मुझे तो लगता है कि सदन में अपने आप को बचाने के लिए डिप्टी सी.एम. साहब ने 16.23 प्रतिशत के खर्च को बोलकर अपनी वास्तविकता उजागर कर दी है। उन्होंने बताया कि कुल बजट का मात्र 20 प्रतिशत राशि, मतलब 1,600 करोड़ रूपये ही वित्त विभाग से मिले हैं। यह मैं नहीं, आपकी बुक कह रही है। उसमें भी मंत्री जी ने पूरा खर्च नहीं किया है। मंत्री जी के जवाब में यह बात आनी चाहिए कि उन्होंने बजट की राशि की माँग नहीं की या वित्त मंत्री जी ने ही नहीं दिया?

माननीय सभापति महोदय, जिस हिसाब से पिछले वर्ष जल जीवन मिशन का काम द्रुत गति से होना था, लेकिन वर्तमान जो भौतिक स्थिति है और अगर भौगोलिक स्थिति भी कहें, हम वहाँ पर जाकर देखें कि जितने भी निर्माण काम हुए हैं, उसकी क्या स्थिति है। अभी तक वह काम चालू नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? पाइपलाइन क्यों पूर्ण नहीं हो पाए हैं? अभी तक जिन सड़कों को खोदे गये थे, उसकी फिलिंग क्यों नहीं हो पाई है? पिछले समय तक आप लोग ज़रूर बोलते थे कि आपकी सरकार ने काम करवाया था, अब तो सवा दो साल आपकी सरकार हो गई, फिर उसमें लापरवाही क्यों हो रही है? फिर उस काम में देरी क्यों हो रही है? अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी हो रही है। अभी गर्मी ठीक से लगी नहीं है, उसके बाद भी मार्च के महीने में पानी के लिए त्राहि-त्राहि और दर-दर भटकने की स्थिति हो गई है। जिस हिसाब से कार्ययोजना बनती है। मैं चाहता हूँ कि जल स्त्रोत विहीन गाँव में आपकी पेयजल की क्या व्यवस्था है? क्योंकि जब नल-कूप खनन होता है, तो पानी नहीं निकलता है। फिर आप जनता को घर-घर पानी कैसे दे पाएँगे? इस पर आपकी क्या कार्ययोजना है, ज़रूर बताइये? इस पर सरकार क्या काम कर रही है? मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह ज़रूर चाहूँगा जिस गाँव में पानी नहीं निकल पा रहा है और जो ड्राई एरिया हैं, उस संबंध में सरकार की क्या योजना है? आप अपने भाषण में यह बात ज़रूर रखें। माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी परियोजना है। खरखरा-मोहंदीपाट परियोजना से खरखरा पाइपलाइन का विस्तार वर्ष 2017-18 में हुआ। खरखरा से राजनांदगाँव पानी लेकर गए हैं। आप राजनांदगाँव के लोगों की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस गाँव से पाइपलाइन गई है। मैंने पिछले साल सदन में भी उल्लेख किया था और लगातार उस संबंध में बातें भी की थीं। मैंने रोड रानीतराई गाँव का मामला प्रमुखता से लिया था। पाइपलाइन आप उसी गाँव से लेकर गए हैं। मैं समझता हूँ कि दो-दो, तीन-तीन फीट का पाइपलाइन होगा। एक आदमी सीधा घुस कर उस पाइप से निकल जाए, ऐसी पाइप की आपने

व्यवस्था की है, लेकिन उसी गाँव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। फिर कहाँ का आपका 'हर घर जल, हर घर नल' योजना है? दिया तले अंधेरा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय जी शायद नहीं हैं। पिछले बजट भाषण में माननीय अजय जी का सिर्फ एक मोटो था–पूँजीगत व्यय का प्रावधान ऐतिहासिक है। बड़ी गुरेज़ और आवाज़ के साथ माननीय अजय जी ने बात कही थी। सिर्फ एक विभाग का पूँजीगत व्यय आपने प्रशासनिक प्रतिवेदन में पढ़ा है, यदि मैं बोलूँगा तो राजनीति वाली बात आ जायेगी । सभापति महोदय, मैं पूँजीगत व्यय की बात करूँ तो भाग संख्या में केवल 16.20 प्रतिशत है । भाग संख्या 41 की बात करूँ तो 10.49 प्रतिशत है ओर भाग संख्या 64 की बात करूँ तो केवल 5.26 प्रतिशत है और भाग संख्या 80 और 82 का तो जीरो है । माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति जो है और जिस हिसाब से धरातल में जल जीवन मिशन की बात को लेकर बड़ी-बड़ी बातें हो रही है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य हुये हैं, वहां पाईप लाईन तो बिछाई गई है, परन्तु नियमित जल आपूर्ति अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है । सभापति महोदय, मैं अधिकांश ग्रामों की बात कह रहा था कि अर्थफिलिंग के बाद भी सीमेंटीकरण करके छोड़ दिया है वहां मिट्टी तो डाल दिये हैं, लेकिन गड्ढ़े हो गये हैं, सीमेंटीकरण होना था वहां पर सीमेंटीकरण नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, मैं अगर अपूर्ण पानी टंकी की बात करूँ तो मैंने एक प्रश्न लगाया था, प्रश्न में जवाब तो नहीं आ पाया है, जवाब अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आया था, यदि मैं अपने विधान सभा की बात करूँ तो अपूर्ण पानी टंकी भाठागांव आर, बघेली, मोगरी, पीरीडोड़ा, थनौद, चारभाठा, सरेखा, नवागांव, पथरेखा, खप्परवाड़ा, गोरकापार, पिनकापार, हरनसिंगी, सुसुली, कसही, मुड़फुसरा, महराजपुर, सिंगारपुर, मार्रीबंगला, भीमकनार यहां अपूर्ण पानी टंकी है, यह अभी तक नहीं बन पाया है और प्रदेश की बात करूँगा तो बहुत लंबा हो जायेगा । पानी टंकी तो बढ़िया बन गया है, स्ट्रक्चर बन गये हैं, खड़े हैं लेकिन अभी तक सप्लाई कुआंगाव, कन्याडबरी, खामभाठ, वरजी, कसीकला, दंदरी की बात करूँ तो आज तक उन गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा है । अपूर्ण पाईप लाईन, आपने टंकी खड़े कर दिये हैं, लेकिन पाईप लाईन का विस्तार नही हो रहा है । ढ़ाई साल हो गया है और आपका पाईप लाईन का ही विस्तार नहीं हो पाया है । माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से वही तो पूछना चाहता हूँ कि आज तक उन गांवों में क्यों पाईप लाईन का विस्तार नहीं हो पाया है जैसे नवकीडीह है, वोटेबंद है, सरेखा है, जेवरी है, सुरसुली है, कसी है, मुड़फुसरा है, महराजपुर है, गणेशखपरी है, सिंगारपुर है, किसना है, पसौद है, शिकारीटोला है, साल्हे है, हेमार्री, कोरियाला, परसाडीह, केवट नवागांव, भंडेरा पिनकापार , यहां अभी तक पाईप लाईन का विस्तारीकरण नहीं हो पाया है । माननीय सभापति महोदय, मैं पिछली बार भी बात किया था और आज भी बात कर रहा हूँ । नगरीय निकाय में पेयजल की जो बात आई है, अमृत मिशन की बात आई है तो गुंडरदेही और अर्जुन्दा में 23-25 करोड़ की परियोजना का निर्माण दोनों जगहों पर हो रहा है, अभी काम चल रहा है, लेकिन हम वहां की बात

करें तो आज भी वहां पर पाईप लाईन विस्तारीकरण का कार्य हो रहा है, वहां भारी अनियमितता है । फिलिंग में न तो रेत का इस्तेमाल हो रहा है, न ही लेवलिंग का कार्य हो रहा है, जहां जैसे गड्ढ़ा खोदे हैं, वैसा छोड़ दिया है । केवल पाईप को डाल दिया है और जो मिट्टी निकला था उसको वैसे ही डाल दिया है । आपने जांच कराने की बात की थी और कहा था कि कम से कम विधायक जी को उनके साथ जाने को कहा था, लेकिन आज तक वह काम नहीं हो पाया है । इसमें संशय उपस्थित होता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत उस ठेकेदार से होगी या ठेकेदार की संलिप्तता किसी और से होगी, इसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि शिकायत हुई है, उसकी जांच होनी चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मैंने पाईप लाईन विस्तार की और उसके निर्माण जांच के लिये दो-तीन बार शिकायत की है, लेकिन आज तक न ही मुझे जानकारी दी गई है, न ही उसमें जांच की गई है । जैसे तैसे पाईप को डालकर पाट दिया गया है और वैसे ही छोड़ दिया गया है ।

सभापति महोदय :- निषाद जी संक्षेप करेंगे ।

श्री कुँवर सिंह निषाद :- मैंने तो अभी शुरू ही किया है ।

सभापति महोदय :- नहीं, 10 मिनट से ज्यादा हो गया है । समय नोट कर लें ।

श्री कुँवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं नगरीय प्रशासन में आ जाता हूँ, पिछले वर्ष 2025-2026 के बजट का प्रावधान 8,401 करोड़ था लेकिन आपने 4,688 करोड़ खर्च किया, यानी दिसंबर 2025 तक मात्र 55.80 प्रतिशत खर्च किया। इस साल वर्ष 26-27 के बजट में 6,050 करोड़ मतलब 2000 करोड़ रूपए फिर इसमें कम खर्च किया। आपका बजट लगातार बढ़ा हुआ है और उसके बाद विभागों पर आप राशि कम दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है कि आपके विभाग में जो बजट का प्रावधान रखा गया है, काम पूर्णता नहीं हो रहा है, इसलिए हम राशि कम करते हैं। एक तरफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, विष्णु के सुशासन की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, लोगों तक काम पहुँचे, लोगों का काम हो, योजनाएँ भी धरातल पर क्रियान्वित हों, ऐसी-ऐसी बातें केवल कागज़ में चल रही हैं लेकिन धरातल पर कहीं नहीं दिख रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की बात करें तो आपने 500 करोड़ रूपए दिसंबर में जारी किया लेकिन वह पैसा 8 महीने रोककर रखा था, वह क्यों रोके थे? किसलिए रोके थे और किस उद्देश्य के लिए रोके थे? इस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी नगरीय निकायों में मुख्य समस्या जल निकासी की है जिस एचटीपी की बात माननीय मंत्री जी ने की, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े-बड़े नगर निगमों में प्रावधान रखा लेकिन नगर पंचायतों में भी इस संबंध में कार्ययोजना बननी चाहिए। क्योंकि नगर पंचायत में भी अब हर घर जल, हर घर नल की बात हो रही है और पानी निकासी नाली के माध्यम से कर दे

रहे हैं, लेकिन वह पानी कहाँ जा रहा है? वह पानी तालाब में जा रहा है, जिस तालाब से गाँव के लोग निस्तारी करते हैं। एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग से जगह का चिन्हांकन हो, वहाँ पर पानी का स्टोरेज हो और उसे हम कैसे एचटीपी के माध्यम से शुद्ध करें और फिर उस पानी को रिसाइकल के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, यह व्यवस्था नगर पंचायत में भी होनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी यह निवेदन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम लोक निर्माण विभाग की करें तो वर्ष 25-26 में आपके बजट का प्रावधान 9,830 करोड़ 85 लाख का था, लेकिन इस वर्ष भी बजट में आपने राशि कम की है, क्योंकि जिस हिसाब से आज प्रदेश की सड़कों के हालात हैं, सब देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं इस संबंध में भी आपसे माँग करता हूँ और सदन के माध्यम से भी मैंने बात की है। लेकिन अभी तक वे सड़कें अधूरी हैं, न ही निर्माण कार्य हो पाए हैं, न ही प्रारंभ हुए हैं, न ही प्रशासकीय स्वीकृति मिल पाई है। अभी कुछ दिन पहले लगभग पाँच गाँवों के लोगों ने चक्काजाम और सड़क जाम किया था। आपसे मेरी फोन से बात हुई थी, आपने आश्वस्त किया था कि एकाध महीने के बाद बजट सत्र के बाद वे काम चालू हो जाएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फोन के माध्यम से जनता के बीच जो बातें कहीं वे जरूर पूरी होंगी, क्योंकि उस जगह पर तीसरी बार चक्काजाम हुआ था। एक बार और जनवरी में हुआ था, काम चालू कराने के लिए आपके माध्यम से आश्वस्त हुआ था लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया तो जनता आक्रोशित थी। लेकिन आपने अभी कहा है तो वह जरूर पूरी होगी, टटेंगा से भरदा मार्ग है, मैं स्पष्ट उल्लेख कर देता हूँ, जिसके लिए लोग चक्काजाम किए थे। एक कान्दुल से खैरबना का है, जिसके लिए भी चक्काजाम किए थे, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो प्रशासकीय स्वीकृति के लिए गया है, वह जरूर पूर्ण हो जाए।

सभापति महोदय, ऐसे बहुत से स्कूल भवन हैं, पिछली सरकार में स्कूल जतन योजना के माध्यम से लंबी राशि मिली थी तो लगभग हर जगह निर्माण कार्य हुए थे, स्कूलों के संधारण का काम हुआ था, लेकिन बहुत से स्कूलों में अब बाउंड्री टूट चुकी हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल हैं, केवल बालोद जिले के नहीं, बल्कि प्रदेश में अमूमन बहुत से ऐसे स्कूल हैं, पुराने प्राथमिक भवन हैं, माध्यमिक शाला के स्कूल हैं, उनके बाउंड्रीवॉल के लिए अगर आप अलग से प्रावधान कर दें तो निश्चित ही वे स्कूल सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। क्योंकि आजकल आवारा पशु बहुत हो गए हैं तो वे स्कूल परिसर के अंदर घुस जाते हैं। सभापति महोदय, साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपको बहुत सी जगहों के पहुंच मार्ग के माध्यम से प्रस्ताव मिले होंगे और मैंने भी आपको प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक वह नहीं हुआ है। वह पिछले बजट में भी था। यदि उसको इस साल प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाएगी तो वह सारे काम निरस्त हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं। यदि आप चाहे तो मैं आपको उसकी सूची भी उपलब्ध करा

दूंगा, क्योंकि यदि मैं उसको पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। खेल के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी सदन में मैंने बात कही थी। पिछले साल इसी सदन में बात हुई थी कि बालोद जिला में बहुत से ऐसे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनके लिए एक व्यवस्था के तहत नगर अर्जुन्दा में मैंने एक व्यायाम शाला की मांग की थी और इसी सदन से उसकी घोषणा हुई थी। उस समय हमारे माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कबड्डी का मैट उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आज तक वह मैट उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कबड्डी का मैट उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसी सदन में घोषणा हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी ने मंत्री जी से स्पष्ट कहा था। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि आपने जितने कबड्डी के मैट मांगे थे, उसकी व्यवस्था कर देंगे। साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनकी सुविधा के लिए नगर अर्जुन्दा में एक व्यायाम शाला बनवा देंगे। एक साल हो गया, लेकिन अभी तक वह कहीं पर धरातल पर नहीं दिख रहा है। हम लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं और लगातार खेल की बात कर रहे हैं तो यह खेल केवल बस्तर तक सिमट कर न रह जाए। मैं चाहता हूं कि यह जो आपकी भावनाएं हैं, वह कम से कम छत्तीसगढ़ स्तर के खेल तक हों। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सेतु विभाग में भी दो-तीन ऐसे पुल आपके माध्यम से गए हैं। वह चार साल पहले मंजूरी के लिए गये थे और दो-दो बार बजट में आए हैं। उसमें एक प्रमुख है, जिसका लाभ लगभग 20-22 गांव के लोगों को मिलेगा और आपके पास भी उस गांव के लोग गए थे। तिलखैरी का पुल था और एक पुल कमरौद से साकरी का था। जो दो बार बजट में आ चुका है और तीसरी बार बजट में शामिल हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप उसे जरूर प्रशासकीय स्वीकृति दें, ताकि लगभग 22 गांव के लोगों को इसका लाभ मिल सके और जिसको बालोद जाना हो, वह कम से कम 10-15 किलोमीटर की परिधि की दूरी को खत्म करके आसानी से वहां तक पहुंच सके।

सभापति महोदय :- निषाद जी, समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं वही चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी से मेरा एक आग्रह भी है और आपके माध्यम से निवेदन भी है कि जो बात आपने बजट में रखी है, उसे आप जरूर अविलंब पूरा करें। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि मेरे यहां तीन साल पहले विश्राम गृह की स्वीकृति हुई थी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक बार मेरी बातों को गौर से सुनें। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है। अरुण भैया, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं। अर्जुन्दा और देवरी में विश्राम गृह की स्वीकृति मिली थी। पिछले साल भी वह बजट में था और इस बार भी है। अर्जुन्दा के विश्राम गृह का पता नहीं क्या हुआ था? पिछले समय मैंने सदन में कहा था कि वह सॉइल टेस्ट के लिए गया था तो मैं उस समय पूछ रहा था कि वहां की मिट्टी स्वाइल टेस्ट के लिए जर्मनी गई है या फ्रांस गयी है या

ब्रिटेन गयी है या लंदन गयी है या अमेरिका गयी है? आप यह नहीं बता पाए। दो साल में जिसका मिट्टी परीक्षण नहीं हो पाया, फिर उसका निर्माण काम कैसे हो सकता है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अर्जुनदा बड़ा क्षेत्र है और वहां आसपास 25 किलोमीटर की परिधि में कहीं पर रेस्ट हाउस नहीं है और देवरी में भी रेस्ट हाउस नहीं है। वह बजट में है और आपके पास वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए गया है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसको जल्दी से स्वीकृत कराकर उसका निर्माण काम प्रारंभ करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। हमारे विपक्षी दल के लोगों के भाषण में मैं सुन रहा हूं कि यह अपना भाषण शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री में नहीं पट रहा है, वित्त मंत्री इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार ने 1 करोड़ 76 लाख रुपये का जो बजट पेश किया है वह पूरे प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर, सभी क्षेत्रों के संतुलन को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके यहां बजट में प्रावधान नहीं हुआ है या इनके यहां प्रावधान नहीं हुआ है या मेरे यहां पूरा प्रावधान हो गया है। ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारे क्षेत्र के लिए भी 17 सड़कों की स्वीकृति आयी है। आपके में भी आयी होगी। उसके लिए थोड़ा भिड़ के उसको कराना पड़ता है, फिर मंजूरी होती है। अभी कई सड़कों का निर्माण चल रहा है और जो तखतपुर बायपास है, वह लैंड एक्विजिशन के कारण नहीं बन पा रहा है। हर बात के लिए विभाग ही दोषी नहीं होता है, हम सबको भी अपने लेवल पर कोशिश करके कार्य को कराना चाहिए। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत ध्यान देते हैं और हमारे बिलासपुर के हैं तो हम लोगों के लिए प्रेम थोड़ा ज़्यादा है, मैं यह बात भी कह सकता हूँ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, सिर्फ आपके लिये ज्यादा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, आपके लिए भी है। मेरी आज तक टेलीफोन में बात नहीं हुई है कि मेरी हड़ताल खत्म करा दीजिये। आपसे तो बात भी हुई है, तो प्रेम भी आप ही के लिए ज्यादा झलक रहा है। लेकिन अभी बिलासपुर में नेशनल हाईवे में भी कुछ-कुछ काम चल ही रहे हैं, जो बहुत खराब स्थिति में था। हमारे यहां सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। उन गांवों में कार्य चल रहा है, जो आज़ादी के बाद पहली बार सड़क देख रहे हैं। सड़क के कामों की मंजूरी होगी, वह एक प्रक्रिया के तहत होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि विभाग हम सब की आवश्यकता के अनुरूप काम करेगा और वित्त विभाग उसमें स्वीकृति देगा और वित्त विभाग के लोग स्वीकृति दे भी देते हैं। माननीय मंत्री जी, हमारे नगर निगम बिलासपुर का जो बाहरी क्षेत्र है, उसके विकास लिए और उसमें विशेष ध्यान देने के लिए मैं

आग्रह करूँगा क्योंकि बाहरी क्षेत्र नगर निगम में मिला तो है लेकिन उसके विकास का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमारा सकरी, जो नगर निगम में आया है, उसके लिए आपने बहुत पैसा दिया है। मैं वहाँ के लिए भी आपको कुछ प्रस्ताव दूँगा, आप कृपा करके उसे करिएगा। आपने तखतपुर के लिए स्टेडियम, चौपाटी, नालंदा परिसर और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी बजट दिया है। आपने सिर्फ तखतपुर के लिए 47 करोड़ रूपये की पेयजल योजना दी है, यह बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल में उसको न्यूयॉर्क तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वह भी बड़े शहरों के समान हो। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि जब आप दौरे में गए थे तो नगर पालिका भवन, तखतपुर और महाराणा प्रताप चौक, तखतपुर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने आपसे मांग की थी, तो उस पर ज़रूर विचार करिएगा क्योंकि अब बजट आ गया है। तिफरा, गुरु अमेरी और एक-दो सड़कें और हैं, जिनकी सूची मैं आपको दूँगा। उनके टेंडर की प्रक्रिया हो गयी है। एन.एच. की भी सड़क, जिसके कारण हम लोगों को बहुत विरोध झेलना पड़ता है, उसका टेंडर हो गया है। मैं चाहूँगा कि तखतपुर में जो एन.एच. की रोड बननी है और मुंगेली, पंडरिया और पोड़ी में भी जो रोड बननी है, इसका भी आप शिलान्यास कर देते।

सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए बहुत दु:खी मन से बोल रहा हूं। मेरी खेलकूद विभाग में रुचि रहती है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को खेलकूद की सुविधा मिले। मैंने आपको लिख करके दिया था कि गनियारी में हाईस्कूल के मैदान में सिर्फ साढ़े तीन करोड़ रूपये का एक स्टेडियम बनाना है, लेकिन उसका अता-पता नहीं चला। वह कार्य कैसे होता है, उसे मैं भी थोड़ा जानूं तो। मैं आज तक खेल विभाग से एक रूपये का काम मंजूर नहीं करा पाया हूँ। इसलिए इस कार्य को करके मुझे खुशी प्रदान कर दीजिये कि खेलकूद विभाग में भी रुपयों की मंजूरी होती है। उसी तरह से हमारे गांव में कबड्डी के लिए भी लोग मैट मांगते हैं, तो खेलकूद विभाग की तरफ से हमारे क्षेत्र के 10 गांवों को रबर का मैट दिया जाना चाहिए। बाकी आपसे हम लोग जो बोलते हैं, उसे आप करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हमारी सड़कों का अच्छा काम होगा। मैं टेंडर की प्रक्रिया नहीं जानता और मुझे टेंडर की प्रक्रिया समझ में भी नहीं आती है लेकिन आप काम को गति पकड़वा दीजिए क्योंकि जब पैसा है तो सड़क बन जाए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सड़क बनने से जनता खुश रहती है। मैं बीच में भाषण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने हमारे यहां 47 करोड़ रूपये के पेयजल का बहुत बड़ा काम किया है और तखतपुर में पेयजल के लिए जो प्रोजेक्ट बना है ना, उसमें पानी 50 किलोमीटर दूर खुड़िया डैम से आएगा। वह 100-150 करोड़ का अलग कार्य है। आप लोग देखिए कि काम हो तो रहा है। आपका नजरिया, आपका चश्मा थोड़ा ठीक नहीं है, आप उसको ठीक करिए। आपके चश्मे का नंबर गड़बड़ था इसीलिए तो वह हाल हुआ। आपको कहां से लग रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में नहीं पट रहा है ।

समय
4.35 बजे

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैंने कब कहा ? मैंने यह कहा क्यों कम दे रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कम ज्यादा होते रहता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 2 हजार करोड़ रुपये का बजट है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे भाई, जिस साल ज्यादा खर्चा है, ज्यादा बजट मिला, जिस साल खर्चा नहीं है, जबरदस्ती आंकड़ा बढ़ाने के लिये बजट दे दें क्या?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बजट तो बढ़ गया है न, माननीय 2 हजार करोड़ रुपये का बजट कम हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- हुजूर साहब, आप तो छत्तीसगढ़ के सदन के हीरो हो। जैसे अमिताभ बच्चन हय न, खड़ा होवत हय सभी जन बैठ जात हे, ओइसने टाइप के हो आप। आप मांगत हव तो हम ला लागत हे। आप इहां भी रहे हव, आप इहां से आदेश करव, सराखो पर हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह बताईये कि मैं अभी तक क्या मांगा हूं? मैं यह बताया हूं कि 47 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट वह लागू किये। मैं यह बताया हूं कि एन.एच. की सड़क की स्वीकृति आपने प्रदान कर दिया, उसका शिलान्यास कर दीजिए। मैं यह बताया हूं कि तालाब का सौन्दर्यीकरण का पैसा आपने दे दिया।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय, हम ये सोचे रहेन कि जब आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति उती गये हव तो हमन उम्मीद करत रहेन कि मंत्री बनिहव। आप मांगने के लिये थोड़ी बने हव, आप छत्तीसगढ़ के हीरो हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं भी आप लोगों को अपने मंत्री के अच्छे काम के बारे में बता तो दूं न जो प्रदेश में अच्छा-अच्छा काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग की 8-9 सड़कें बन रही हैं। जिस गांव में आजादी के बाद लोग सड़क नहीं देखे थे, वहां सड़क बन रही है। अब उसमें क्या दिक्कत है? आप लोगों को भी दिया जायेगा, आप लोग टेंशन मत पालिये। रामकुमार जी, आप तो मंत्री जी के बहुत खास आदमी हैं, आपकी तरफ तो पूरा ध्यान रखेंगे। द्वारिकाधीश यादव जी बहुत खास हैं और आप भी हैं। माननीय मंत्री जी गनियारी में साढ़े 3 करोड रुपये का एक स्टेडियम तो बनवा दीजिए। वहां जब हम जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो कुछ बताने के लायक नहीं रहते। आखिर ये स्टेडियम कहां से आयेगा, कौन देगा, कैसे मिलेगा? आपके पास ही खेल-कूद विभाग है, साढ़े 3 करोड़ रुपये दे दीजिए। हम भी खुश हो जायेंगे, थोड़ा सा फटाखा फोड़वा देंगे। माननीय सभापति जी, आपने बोलने के लिये समय दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- वक्ता के नाम बहुत अधिक हैं और आज महत्वपूर्ण 2 मंत्री के विभाग में चर्चा है। अभी साढ़े 4 बज गये हैं, हमारा एक विभाग पूरा नहीं हुआ है। आप लोगों के बोलने के बाद में मंत्री जी का जवाब भी आना है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण जो बाते हैं उनको आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी जो प्रमुख वक्ता आपके दोनों पक्ष के रहे हैं, विस्तार से बजट में चर्चा किये हैं। 5-5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे तो आपके लिये भी और हम सबके लिये भी अच्छा होगा। श्री भोलाराम साहू जी।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विभाग की अनुदान मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 और 81 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी के विभाग में वैसे इस बार उनको बहुत कम राशि दिये हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के इसमें बहुत महत्वपूर्ण विभाग आता है। सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है और पेयजल से संबंधित विभाग माननीय मंत्री के पास में है। पूरे क्षेत्र में नलजल योजना, हैंडपंप खनन आज भी विद्यमान है। आज गर्मी प्रारंभ हो गई है, लोगों की मांग है कि हैंडपंप खुदवाओ और पेयजल की टंकी का जो निर्माण हो रहा है, उसको अतिशीघ्र पूरा कर यहां पानी की सप्लाई की जाये। लेकिन दो-ढाई साल के कार्यकाल में अभी तक न टंकी का निर्माण हुआ है, न वहां बोर का खनन हुआ है, न पाइपलाइन का पूर्णरूपेण काम हो पाया है। इसका निर्माण विभाग द्वारा इतनी धीमी गति से किया जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक तो आपको बजट का आवंटन कम है और विभाग में पता नहीं कैसे लोग काम करते हैं कि ढाई में एक टंकी का निर्माण नहीं करना, बोर का खनन नहीं करना, पाइपलाइन का विस्तार नहीं करना, यह बड़ा दुखद समस्या है । आज स्थिति बहुत गंभीर है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह विभाग को थोड़ा सा कसावट करें । टंकी के निर्माण को पूरा करें और जहां-जहां डिमांड है वहां हैण्डपम्प का भी खनन होना चाहिए । मैं कल ही माननीय एस.डी.एम. साहब को लगाया कि यहां पेयजल की भारी समस्या है और हैण्डपम्प की जरूरत है तो विभाग में आवंटन की कमी है । आपके विभाग से आवंटन तो जा ही नहीं रहा है तो करें तो कहां से करें ? मार्च एंडिंग है, उसके पास फंड है ही नहीं, यह बड़ी समस्या है ।

माननीय सभापति महोदय, तो यह पेयजल का गंभीर मामला है । इसमें तो माननीय मंत्री जी को ज्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए और दूसरी बात कि नगरीय क्षेत्र भी माननीय मंत्री जी के में आता है कि हमारे यहां नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, एमन के हैण्डपम्प ला सनी देओल फिल्म बनाये बर ले गे हे । (हंसी)

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी और छुरिया । माननीय मंत्री जी, दोनों नगर पंचायत में निर्माण पूरा ठप्प पड़ा हुआ है । एक भी नया निर्माण की

स्वीकृति दो-ढ़ाई साल से नहीं हो पाया है । हमारे अंबागढ़ चौकी में फिल्टर प्लांट बहुत दिनों से प्रारंभ हैलेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है तो वहां पेयजल की भारी समस्या है और नगर पंचायत में फिल्टर प्लांट के बनने से नगर पंचायत को लाभ मिलेगा और आसपास के गांव के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा तो इस दिशा में भी कार्रवाई होनी चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- भोलाराम जी, यह हुआ, वह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ यब सब बंद करो । डॉ. रमन सिंह जी के साथ सेटिंग में तो पूरा काम करवा लिये हो।

श्री भोलाराम साहू :- अरे, यही सेटिंग करते न तो आप वहां बैठते भई । अच्छा, सेटिंग करने में आप पीछे रह जाते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- पूरा सेटिंग में डॉ. रमन सिंह जी से करवा लिये हो । समझ रहे हो न, यहां कहानी मत सुनाओ ।

श्री भोलाराम साहू :- आप जो हैं न, हर मंत्री के विभाग में...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय डिप्टी साहब, समझ रहे हैं न । जब वह मुख्यमंत्री थे तो आधा समय अपनी सीट में नहीं बैठकर रमन सिंह जी की सीट में बैठते थे । समझ रहे हो ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय चंद्राकर जी, आप हर मंत्री के विभाग में...।

श्री अजय चंद्राकर :- जैसे दूसरा यदि आपने सरकार की ज्यादा आलोचना की तो आपका पैर अभी इस उम्र में टूटा कैसे, विधायक दल की समिति से जांच होगी । समझ रहे हो न ।

श्री भोलाराम साहू :- वह ठीक हो जायेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है । बाकी न आपका अब ठीक नहीं होगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- कइसे ममा, एखर पैर टूटे के उम्र हे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने उनकी सेटिंग को बता दिया और 5 साल आपकी कैसे सेटिंग हुई उसको बताईये न ।

सभापति महोदय :- माननीय भोलाराम जी को बोलने दीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पैर टूटने की जो घटना हुई उसकी विधायकों की समिति से जांच करवानी चाहिए ।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिये, उनको मालूम है कि कैसे पैर टूटा है ।

श्री भोलाराम साहू :- चंद्राकर जी को कान में जाकर बताना पड़ेगा भई ।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- वह घरेलू हिंसा के शिकार तो आप नहीं हो गये ?

श्री भोलाराम साहू :- नहीं-नहीं, माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पैर तोड़वाकर घर गये तो उनको 10 दिन तक खाना नहीं मिला । यह पूरे राजनांदगांव जिला को मालूम है ।

श्री भोलाराम साहू :- (माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर जी के बालों की ओर देखते हुए) इसीलिये न माननीय चंद्राकर जी का बिना खाये-पीये यह पूरा झड़ गया । अगर खाये-पीये होते न तो यह बढ़िया अच्छा रहता । माननीय चंद्राकर साहब, घरवालों को थोड़ा टाईट करिये । बढ़िया पौस्टिक आहार मिले, यह कम से कम हरा-भरा दिखे । माननीय मंत्री जी, नगर पंचायत के प्रति आप थोड़ा ध्यान दीजिये कि दोनों नगर पंचायत में ढ़ाई साल के अंतराल में एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, सड़कों की हालत बहुत गंभीर है तो वहां तो एक भी चलने लायक गली नहीं है । छुरिया देख लो, चौकी देख लो, खारंजा का निर्माण, वहां गंदा पानी का निकासी नहीं हो पाया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- तें इंहां उड़िया के आथस का, सड़क मा नइ आत ता ? इंहां उड़िया के आथस ?

श्री भोलाराम साहू :- नहीं, ये तुंहर शहर वाला सड़क हा तो टनाटन हे । लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखो न । ग्रामीण क्षेत्र के सड़क के स्थिति ।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, शहर के रोड हा न चंद्राकर जी के मुंह कस चिकचिकावत हे अऊ बाकी उबड़-खाबड़ पड़े हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ।

श्री भोलाराम साहू :- रामकुमार अउ चन्द्राकर जी के बड़ा अच्छा मितानी हे। ए डहान ले ओ बोलथे तो ओ डहान ले ओ बोल देथे। चन्द्राकर जी हा अपन मन के समय ला बचा लेथे ।

सभापति महोदय :- इसीलिए आप उधर मत देखिये। आप इधर देखिये और बोलिए।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, नगर पंचायत में बिजली की भी समस्या है। वहां लो वोल्टेज भी होता है। जबकि वह नगर पंचायत है तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में बिजली होनी चाहिए। यह भी बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बजट में सभी सड़कें तो आ जाती हैं, लेकिन सब वित्त विभाग में अटके रहते हैं। तो माननीय मंत्री जी के पास लोक निर्माण विभाग भी है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस बजट में जिन-जिन सड़कों को सम्मिलित किया गया है उसकी वित्त विभाग से स्वीकृति मिले ताकि उन सड़कों का निर्माण हो। हमारे यहां पर ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनमें मगरढोकरा से झितराटोडा के बीच में पुलिया निर्माण की बात है, जो बजटेड है, लेकिन वहां लोग कैसे चलते हैं, वह नीचे उतरकर बड़ी दिक्कत से चलते हैं तो वहां उस पुलिया का निर्माण नहीं हो रहा है। दतरेंगा का मार्च, 2026 के अंतिम में समाप्त हो जाएगा तो वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति कराकर, वहां पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण होना चाहिए। वहां पर लोग बाढ़ आने से दो-दो, तीन-तीन दिनों तक रूकते हैं। वह इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। तो माननीय मंत्री

जी वहां पर दो-तीन पुलियों में पुल का निर्माण होना चाहिए। जैसे मगरढोकरा से झितराटोडा का है, झाड़ीखैरी से बेंदाड़ी का है, आपके पानगढ़ से टेकेहर्रामार्ग, घेरूघाट से किरकारीटोला तक मार्ग है, वहां पर पुलिया निर्माण होना चाहिए। वहां बीच में जो उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो चुका है इधर शेष जो आजू-बाजू बाईपास बचा है माननीय मंत्री जी, वह 5-7 सालों से पूरा नहीं हो पाया है। हमारा सांकरदाहरा देवरी धार्मिक स्थान है। पांगरी से सांकरदाहरा देवरी के बीच में पुल बना है, लेकिन उसका डामरीकरण नहीं हुआ है वह छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे बड़े राजिम के बाद धार्मिक स्थान है, सांकरदाहरा देवरी अस्थी विसर्जन का केन्द्र है, वह अच्छा स्थान है तो वहां डामरीकृत सड़क बन जानी चाहिए। उसी प्रकार हमारा एक तलवार टोला से डूमरगूचा है वहां भी उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन वहां पर भी आजू-बाजू में डामरीकरण नहीं हो पाया है तो वहां लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। वहां पर सड़क का निर्माण बढ़िया हो जाये, टायरिंग का काम हो जाए ताकि वहां लोगों का चलने में आसानी हो।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास खेल युवक कल्याण विभाग भी है। मैंने तो माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया है शहरों में जैसे स्टेडियम का निर्माण होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी स्टेडियम का निर्माण हो ताकि हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आयोजन कर सकें। ऐसे भी भूकसाल बड़ा गांव है वहां एक स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम पंचायत और सभी खिलाड़ी मांग कर रहे हैं तो वहां भी बढ़िया स्टेडियम का निर्माण हो जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि एक गुण्डरदेही है वहां पर भी मेन रोड से लगा हुआ गांव हैं वहां भी स्टेडियम का निर्माण हो जाये। दूसरा, अभी तक वहां पानी टंकी अपूर्ण है। आज भी वहां के लोगों ने मुझे टेलीफोन लगाया कि उसे किसी तरह से पूरा करा दीजिए। परेवाडीह, चिखलाकसा, तलवारटोला, उमरवही, आयबांधा, पर्थरी, मासूलकसा, चिरचारी, कल्लूबंजारी, सड़क चिरचारी में पानी टंकी का फाउंडेशन निकला है, लेकिन वहां पर निर्माण नहीं हुआ है और जहां पर निर्माण हो गया है वहां बोर नहीं हुआ है। गांव के हैण्डपम्प में उसको जोड़ दिये हैं, वहां लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है । आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और विभाग को थोड़ा निर्देशित करें ताकि वहां पर पेयजल की बढ़िया व्यवस्था हो जाये और हमारे यहां डोंगरगांव से चौकी के बीच में कुमरदा पड़ता है वहां की बहुत पुरानी मांग है वहां पर रेस्ट हाऊस के निर्माण की मांग कर रहे हैं, वहां पर मजदूरों का श्रमिक रेस्ट हाऊस बना है, जिसमें बीच में आप सब लोग गये थे तो वहां रेस्ट हाऊस की मांग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, वहां पर रेस्ट हाऊस का निर्माण होना चाहिए । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत सारे विभाग हैं । बाकी विभागों में मैं आपको लिखकर दे दूंगा । कबड्डी वाला मामला है तो मैंने आपको मेट के लिए भी लिखकर दिया है कि चार-पांच समूहों को मेट मिल जाए, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कबड्डी खिलाड़ियों को उसकी सुविधा मिल सके, यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 और 81 का समर्थन करता हूं । विपक्ष के साथीगण इस अनुदान मांग का विरोध भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं । उनकी अपनी सोच है, पर गत वर्षों का जो बजट रहा और उनकी स्वीकृति और उनके कार्यों की परिणिति धरातल पर दिखाई दे रही है । छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो, चाहे नगरीय प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे पीएचई के माध्यम से हो या खेल विभाग हो, यह धरातल पर दिखने लगा है । मेरे क्षेत्र में भी इन दो सालों में बहुत विकास कार्य हुए हैं । इस साल बजट में फ्लाई ओव्हर से लेकर नई सड़कों के निर्माण के लिए भी काफी कुछ प्रावधान किये गये हैं । मोवा, सेरीखेड़ी, लाभांडी, सड्डू में 100-100 करोड़ रूपए के सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । बहुत से सदस्यगण अभी यातायात की चिंता कर रहे थे । मुझे इस बात की खुशी है कि विभागीय बैठकों के माध्यम से इस शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बार बैठकें भी हुई और उसमें प्रावधान भी आया और उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हुई है, इस बजट में उसको शामिल भी किया गया है इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा क्योंकि रायपुर राजधानी है और राजधानी के अनुरूप यहां पर यातायात व्यवस्था होनी चाहिए और सुविधाएं भी होनी चाहिए । मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं तो इस साल बजट में भनपुरी चौक पर फ्लाईओव्हर के लिए प्रावधान है और फुण्डहर चौक के पास फ्लाईओव्हर स्वीकृत हो चुका है, अभी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर फुण्डहर से टेमरी के लिए बजट में फ्लाईओव्हर प्रस्तावित है तो ऐसे अनेक कार्य इस साल बजट में है और मुझे लगता है कि यह सब निर्माण कार्य होंगे तो यह उतना ही उपयोगी होगा, जैसे एक समय में डॉ. रमन सिंह के समय में माननीय मूणत जी के नेतृत्व में केनाल रोड बना था, एक्सप्रेस वे बनी थी, बहुत सारी सड़कें उस समय बनी थी, वैसे ही रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बजट में प्रावधान है ।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र गांव से जुड़ा हुआ है और वह गांव अब नगर निगम में शामिल हो गया है, परन्तु उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं । एक है मार्ग संरचना की, वह गांव जुड़ तो गया है, हमने जोड़ लिया है, पर वहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से वह वंचित है, इसके कारण वहां के लोग बहुत ही दुविधा की स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं । चूंकि हमने गांव को निगम में जोड़ लिया है, लेकिन गांव का जो रकबा है, आबादी है, यह रकबा जो है, वह मार्ग संरचना में शामिल नहीं हुआ है, जिसके कारण गांव वालों को निर्माण कार्यों में बड़ी दिक्कतें होती हैं । चूंकि नक्शा स्वीकृत नहीं होता । हम एक जनप्रतिनिधि हैं और उसके वास्ते हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि वहां पर सड़क, नाली, पानी की बुनियादी जरूरतें हो और वहां पर उनको सुविधा मुहैया कराई जाये । एक तरफ हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, दूसरी तरफ वहां पर ले-आऊट एप्रुव्ह नहीं होने के कारण

वहां पर नक्शा स्वीकृत नहीं होता । नक्शा स्वीकृत नहीं होता तो उसमें जो डेव्हपलमेंट फीस है, वह नहीं मिल पाता । अगर नक्शा पास हो तो डेव्हपलमेंट फीस मिलेगी । उसी से उस क्षेत्र का डेव्हपलमेंट किया जा सकता है । जो विकास शुल्क है, वह नहीं मिल पाता है। अगर नक्शा पास होगा तो विकास शुल्क मिलेगा। उसी से उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। वहां पर अवैध प्लाटिंग के कारण, कुछ इसी तरह के कारणों से भी होता है। अवैध प्लाटिंग हमारी लगातार चिंता का विषय है। लेकिन इसकी रोकथाम करने के लिए निश्चित तौर पर कहीं न कहीं नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि अवैध प्लाटिंग न हो। जो रहवासी हैं, कहीं न कहीं हम लोगों की कड़ाई के कारण उनको अपने जीवन में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे सोनडोंगरी, गोंदवारा, दलदल सिवनी और सड्डू, बोरिया खुर्द तथा डूण्डा क्षेत्र है, ये ऐसे ग्रामीण अंचल हैं, जिनको नगरीय निकाय में शामिल किया गया है। परन्तु इन क्षेत्रों का बड़ा रकबा ले-आउट मार्ग सरंचना में नहीं होने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि इसको जितना जल्दी हो सके, इन क्षेत्रों के ले आउट को नगरीय में शामिल किया जाये, ले-आउट एप्रूव करें। मार्ग सरंचना में शामिल हो जाने से दिक्कतें नहीं होंगी, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में कुछ शासकीय जमीनें हैं, जिसमें निजी लोगों से लेकर अन्यान्य प्रकार के भू-माफियाओं की नजर हमेशा लगी रहती है। हमको बार-बार अतिक्रमण हटाने के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन दिक्कतों से बचने के लिए आग्रह करूंगा कि ऐसे जितने भी शासकीय जमीनें हैं, इनको किसी न किसी माध्यम से सरंक्षित करें। चाहें ऐसी जमीनों को गार्डन में तब्दील करें, चाहे खेल मैदान में कनवर्ट करें, हमको ऐसा कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे वह जमीन सुरक्षित रह जाये। ताकि आगामी आने वाले समय में शासकीय प्रयोजन के लिए चाहे अस्पताल हो, महाविद्यालय हो या अन्यान्य प्रकार के आफिस कार्य के जमीन लिए जरूरत पड़ेगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी शहर के अंदर बहुत कम ऐसे गार्डन हैं, शहर में मनोरंजन के साधन बहुत कम हैं। अगर हम ऐसी जमीनों को सरंक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बच्चों के खेलने-कूदने एवं अन्यान्य प्रकार के उपयोग के जमीन की जरूरत पड़ेगी तो हमें खुद शासकीय कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी जमीनों को गार्डन के माध्यम से या खेल मैदान के माध्यम से सरंक्षित करें। चूंकि मेरे क्षेत्र में ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ था, हर गांव में काफी बड़ी संख्या में तालाब हैं। लेकिन वह तालाब भी अतिक्रमण के वास्ते उसके पार में लोग बस गए हैं। वहां बहुत गंदगी है, जिससे बदबू निकलते रहता है। यह रायपुर राजधानी शहर है। लोग इससे बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि तालाबों का सौन्दर्यीकरण बहुत आवश्यक है। इसमें मुक्तिधाम का भी जिक्र हुआ है। मैं उसके लिए भी चाहूंगा कि इसका सौन्दर्यीकरण

किया जाना जरूरी है। लेकिन आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, वहां कोई सुविधा नहीं है। लोगों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं, जिस पर ध्यान देने से इस क्षेत्र की तथा रायपर शहर की कल्पना करते हैं कि रायपुर शहर राजधानी है। शहर विकास के अन्तर्गत अनेक योजनाओं के माध्यम से हम विकास कर भी रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में बहुत से कार्य दिए हैं।

सभापति महोदय :- आप उनको बधाई दीजिये और समाप्त कीजिये।

श्री मोती लाल साहू :- सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। जो छोटी-छोटी बातें हैं, आप उनका ख्याल रखेंगे, यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। , सभापति महोदय आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

समय :

5.00 बजे

श्रीमती शेषराज हरवंस (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 एवं 81 पर चर्चा और कुछ मांग करने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए कहना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन के तहत हमारे पूरे प्रदेश के ग्रामों में पानी टंकी का निर्माण, बोर खनन एवं हर घर तक पाईप लाईन का विस्तार किया गया है, जिससे लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। लेकिन योजना पूरी तरह से फेल है, इससे हम सब अवगत हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कम से कम ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार हैण्ड-पम्प या बोर खनन की व्यवस्था की जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में ऐसे कई गांव हैं, जहां अभी गर्मी ढंग से शुरू नहीं हुई है और जलस्तर कम हो गया है। जैसे मुलमुला, ढाबाडीह, कोसीर, तसहा, उदयभाठा, बर्रा, भठली तथा केसला, ये ऐसे गांव हैं, जिसमें नहर तो है, नहर से सिंचित हैं, लेकिन इस वर्ष नहर के मरम्मत के लिए, नहर में पानी नहीं दिया जा रहा है और गांव के लोगों को पीने तक की पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इसके लिए निवेदन करती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं नगर पंचायत शिवरीनारायण के बारे में कहना चाहूंगी कि शिवरीनारायण में महानदी में नाली में शहर का पानी जा रहा है। माननीय मंत्री जी, शिवरीनारायण में एस.टी.पी. का टेंडर चार बार हुआ है, परंतु दर स्वीकृति नहीं हुई है, जिसके कारण एस.टी.पी. का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। शिवरीनारायण महानदी में महा आरती, गंगा आरती के तौर पर आजकल हर शाम वाराणसी, अयोध्या के तर्ज पर हो रहा है और उसके बगल में नाली का पानी महानदी में जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि शिवरीनारायण माता शबरी का जन्म स्थान है। जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो मुख्यमंत्री महोदय जी इसी शबरी के जन्म स्थान से लाइव कार्यक्रम देखे थे। माननीय मोदी जी

भी राज्य उत्सव में विधान सभा के लोकार्पण में भी शबरी माता का नाम लिए हैं पर शिवरीनारायण, माता शबरी के जन्म स्थान के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, शिवरीनारायण में अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन के तर्ज पर कॉरिडोर के निर्माण की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, शिवरीनारायण में एक अंबेडकर भवन की भी आवश्यकता है। चूंकि शिवरीनारायण गिरौदपुरी को भी जोड़ता है, ब्रिज के उस पार गिरौदपुरी के लिए निकलते हैं और मुंगेली से लेकर गिरौदपुरी के लिए जो लोग दर्शनार्थी जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, शिवरीनारायण से 22 किलोमीटर गिरौदपुरी है और उनके रुकने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से अंबेडकर भवन की मांग करती हूं। नगर पंचायत पामगढ़ और शिवरीनारायण में, राहौद में लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन की एक निर्माण कार्य की अति आवश्यकता है, चूंकि पामगढ़ विधान सभा में नौ कॉलेज हैं और वह जागरूक जगह है, जहां लोग पढ़ने-लिखने वाले बहुत हैं और ऐसी जगह में हमारे पास एक भी लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत शिक्षा हब बन चुका है पामगढ़ और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के अधिक महाविद्यालय संचालित हैं। पामगढ़ नगर पंचायत में आज तक मूलभूत सुविधा संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण अपना सही आकार नहीं ले पाया है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जे.सी.बी., ट्रैक्टर, पानी टैंकर जैसी मूलभूत सुविधा की मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय, नगर पंचायत खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसको प्राचीन काशी का रूप दिया गया है। वहां पर शबरी मंदिर, इन्दल देव, महामाया मंदिर, शीतला माता, मनका दाई आदि मंदिरों के पास डोम शेड निर्माण की अति आवश्यकता है। नगर में किसी एक स्थान पर सर्व सामाजिक मांगलिक भवन की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि ई-रिक्शा, ट्रैक्टर इंजन ट्राली सहित खरौद में भी देने की कृपा करें। वार्ड क्रमांक एक से पांच में जब भी ऐसे मैंने कहा कि अंबेडकर भवन की आवश्यकता है तो यह तो शिवरीनारायण नगर पंचायत को दे दें या खरौद नगर पंचायत को दे दें, दोनों लगा हुआ है। दोनों में से कोई एक में निर्माण हो जाए तो लोगों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराउंगी कि नगर पंचायत राहौद में जिला जांजगीर-चांपा में आता है, वार्ड क्रमांक तीन में आम बाजार के सामने शिवरीनारायण-बिलासपुर मुख्य मार्ग में स्थित करोड़ों के नगर पंचायत अधीनस्थ शासकीय व्यापार कॉम्प्लेक्स में भूतल स्थित 16 दुकान पूर्व से व्यापारियों को आवंटित था, जिसका दुकान किराया नगर पंचायत राहौद को प्राप्त हो रहा है। भूतल के 16 दुकानों का आवंटन अनुबंध वर्ष 2015-16 से ही समाप्त हो चुका है, जो नियमों के विपरीत व्यापारियों से आज तक अवैध व कम किराया लिया जा रहा है। इसके साथ ही शासकीय व्यापार कॉम्प्लेक्स, राहौद के प्रथम तल की छत में बिना प्रस्ताव, बिना उच्च कार्यालय की अनुमति एवं गाइडलाइन का पालन किए बिना दुकान निर्माण कराया जा रहा है और नगर पंचायत के प्रतिपक्ष के पार्षदों के द्वारा नगर पंचायत राहौद के सी.एम.ओ. को इसकी शिकायत करने पर सी.एम.ओ. का व्यापारियों को कहना है कि आप लोग निर्माण

कार्य करो ये लोग प्रतिपक्ष के लोग हैं, शिकायत करते रहेंगे, इन्हें मैं देख लूंगा। शिकायत की कॉपी मेरे पास अभी उपलब्ध है, मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में सात सड़कों का बजट में मेरे विधान सभा का प्रावधान रखा है। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण और बहुत पुराने समय से डोंगा-कोहरौद सड़क की मांग है, जो रायपुर से जांजगीर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, जिसमें 4 किलोमीटर तक की सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है। मैंने पिछले बजट में उस सड़क को जुड़वाई थी और माननीय मंत्री जी ने जोड़ा है, जिसकी अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जहाँ तक मैंने पता किया है कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा डोंगा-कोहरौद में ऐसी कोई तकनीकी परेशानी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप डोंगा-कोहरौद मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति दिलाने का कष्ट करेंगे और वहाँ के लोगों को वह सुविधा दिलाने के लिए आप आगे आएंगे। पनगाँव-सेंदरी मार्ग है, देवरी-खरन-तनौद-भुईगांव मार्ग है। देवरी-तनौद-भुईगांव मार्ग शिवरीनारायण से देवरघट्टा जैसे धाम को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। उसकी स्थिति बहुत बदतर है। यह बजट में तो प्रावधानित है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी प्रशासकीय स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रयास करें। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से सड़कों के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि विधान सभा क्षेत्र में कुछ सड़कें अभी परफॉर्मेंस पीरियड पर हैं। वह परफॉर्मेंस पीरियड की सड़कों के संधारण-संरक्षण के लिए संबंधित ठेकेदार, विभाग को आप आदेशित करें और कम से कम उस सड़कों का सही तरीके से रख-रखाव हो सके, लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ। माननीय मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात सड़कों के लिए बजट प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया ब्यास कश्यप जी ने भी शिवरीनारायण-खरताल रोड की मांग किया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि लोग आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य न करें, उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य न करें, उससे पहले उसकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाए, मैं इसके लिए आपसे निवेदन करती हूँ। चूंकि शिवरीनारायण एक व्यापार हब भी है, एक धार्मिक जगह भी है और बड़ा आकार लेता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि शिवरीनारायण में एक बाईपास सड़क की अति आवश्यकता है। आप विभाग को सूचित करें, आदेशित करें कि एक बाईपास सड़क निर्माण के लिए सर्वे कर लें। शिवरीनारायण में बीच बाजार से जो गाड़ियां निकलती हैं, हैवी व्हीकल्स निकलते हैं, उससे उनको छुटकारा मिल सके। मैं माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

सभापति महोदय :- सुश्री लता उसेंडी जी।

सुश्री लता उसेंडी (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं लोक निर्माण मंत्री जी के बजट के अनुदान मांग पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने 56 सड़कों की मांग की थी, जिसमें उन्होंने 17 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय सभापति महोदय, साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगी कि प्राक्कलन बनने से लेकर प्रशासकीय स्वीकृति तक की जो प्रक्रिया होती है, वह लास्ट फरवरी महीने तक पहुँच जाती है। अंत में ऐसा होता है कि कई बार हम सब लोगों को भी परेशानी होती है। हालाँकि, वह हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि प्राक्कलन माननीय मंत्री जी तक पहुँचे, पर अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे कि टाइमली जल्द से जल्द उसे करवा दिया करें, ताकि स्वीकृति होने के लिए दिक्कत न हो और मंत्री जी को भी हम चार बार फोन करके परेशान करते हैं, ऐसी स्थिति न आए। बाद में कई बार यह देखने को भी मिलता है कि जब हम किसी विषय को लेकर ज्यादा कॉल करने लगते हैं, तब कई अधिकारी Response करना बंद कर देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप सब समझते हैं। यहाँ सदन में बैठे लोग भी और अधिकारीगण भी इस बात को समझ रहे होंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ एक बाईपास सड़क बनी हुई है। बाईपास की जो सड़क बनी हुई है, मुझे लगता है उसका alignment ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम रायपुर की तरफ से जाते हैं और नदी क्रॉस करने के बाद सीधे बाईपास सड़क में घुसना पड़ता है। सर्विस रोड नहीं होने से सीधे-सीधे मेन रोड के साथ खड़ी सड़क बना दी गई है और उसका जो एग्जिट और एंट्री दोनों की पोजीशन वैसी है। वहां आए दिन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। इसलिए उसको देखकर उसका सर्वे करा कर उसको ठीक करवा देंगे, ताकि वहां एक्सीडेंट होने की संभावना खत्म हों। वहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है या अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि भारतमाला सड़क बन रही है, जो कोण्डागांव जिले के सलना-तलना से हम विश्रामपुरी के एरिया को टच करते हुये वह विशाखापटनम की तरफ जा रहा है । हमारी जो एक सड़क है, कोंडागांव शहर से लेकर उमरकोट उड़ीसा को टच करता है, छत्तीसगढ़ के बार्डर तक का चौड़ीकरण कार्य कर देंगे तो उसमें सीधे हमको भारतमाल की सड़क की तरफ उमरकोट जाने में सुविधा होगी और वह फोरलेन स्वीकृत हो जाता है तो यह सड़क नारायणपुर से लेकर महाराष्ट्र और सीधी चौड़ी सड़क वहां पर बन रही है तो उसके साथ जुड़ जायेगा । उसका फायदा महाराष्ट्र से सीधे जो सड़क आ रही है, उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बन जायेगी और इस तरह भारतमाला और उड़ीसा जाने में आसानी होगी । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, दूसरी बात कोई नयी सड़क और बिल्डिंग बन जाती है तो पुरानी बिल्डिंग और पुरानी सड़कों को हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं और वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमारे कोंडागांव में भी एक पुराना रेस्ट हाऊस है, उसे माननीय मंत्री जी देखें भी हैं, उसको भी एक रिनोवेशन करवा दें ताकि उसमें आने वाले समय के लिये सुविधायें बढ़े और हमार इस विधान सभा में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी न हो । माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी

कि हमारे यहां एक एचटीपी के लिये माननीय मंत्री जी से मांग की गई है और नगरीय निकाय की हम बात करें तो हमारा जो शहर है तो उसमें ड्रेनेज की समस्या है । शहर के अंदर जो हमारे बड़े तालाब हैं, उसमें शहर का पानी घुसने की वजह से एक तो तालाब का पानी गंदा हो रहा है, हम बहुत समय से कंटिन्यू उसमें जो जलकुंभियां उत्पन्न हो जाती है उसको ठीक करने के प्लॉन में ही हमारे यहां के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ ही हमारे विधायक टेकाम जी भी यहां बैठे हैं, वह भी महीनों भर वहां बैठकर उसे ठीक किया है । हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे लोग वहां पर लगे हुये रहते हैं, लेकिन एक समय के लिये हम भारी मेहनत के साथ कर देते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से सारे शहर का गंदा पानी वहां पर घुसने से यहां प्राब्लम आ रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि इस पार थोड़ा सा विचार करेंगे और आगे कार्यवाही करेंगे । माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात जो शहर है तो हर शहर का एक मास्टर प्लॉन हो, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है । अभी हमारा शहर है वह बढ़ रहा है और हम जानते हैं कि शहर में रोजगार या एजुकेशन के लिये गांव के लोग तेजी के साथ मूव्ह करते हैं । अब उसमें जो थोड़ी-थोड़ी जगह है, वहां पर जो नजूल जमीन बची है, वहां तेजी के साथ कब्जा होता है, लोग कब्जा भी करते हैं और कब्जा करके बेचने का भी काम करते हैं । आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी जगह अभी भी खाली है और वह सरकार के कब्जे में आ सकती है । कई बार शिकायत होता है, जगह खाली करवाये जाते हैं, जगह खाली करवाने के बाद जब उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करते हैं तो वापस लोग उसे धीरे से कब्जा करने लगते हैं । मैं अपने कोंडागांव विधान सभा के लिये कह रही हूँ, यहां प्लानिंग करने की आवश्यकता है, ऐसे जगहों को संरक्षित करे और इसके लिये बजट प्रावधान करे कि तत्काल उसमें कुछ बाऊँड्री हो जाये । सड़क बन जाये या और कुछ बन जाये, यह लोगों के कब्जे में न आये । यह सार्वजनिक स्थल के रूप में उपयोग में आये । जब शहर तेजी के साथ बढ़ता है तो कई ऐसे मोहल्ले हैं, जहां छोटे-छोटे बच्चों के खेलने के लिये हो या छोटे आयोजनों के लिये भी कई वार्डों में, कई मुहल्लों में, बिल्कुल जगह नहीं होता और कंजस्टेड होता है, यहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूँगी कि इस पर विचार करे । हमारे जितने शहर तेजी के साथ डेवलप हो रहे हैं, हर जगह एक अटल बाजार भी बनाना चाहिये और शहर को बढ़ाने के लिये चारो तरफ मार्केट हो । अभी हम एक-दो मार्केट पर डिपेंड है । एक-दो मार्केट है उसी पर 40-50 हजार का पापुलेशन एक जगह पर ही डिपेंड रहता है, उसके कैसे विस्तृत करें, उसमें कुछ प्लानिंग होगी तो बजट प्रावधान कर देंगे । उसमें हमारे सीएमओ लोग हैं, वह भी एक्टिव हो जायेंगे और नई जमीनों पर नये काम भी शुरू करने लग जायेंगे । माननीय सभापति महोदय, उसमें एक और चीज कहना चाहूँगी कि बहुत पहले हमारे यहां अटल आवासों का निर्माण हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री आवास बनने लगा तो हमारे अटल आवास नहीं बन पाये, लेकिन जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास पट्टे हैं, सारी चीजें हैं, वह तो प्रधानमंत्री आवास बना

रहे हैं लेकिन जिनके पास पट्टे नहीं हैं और जो कुछ नए लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आवासविहीन लोग हैं तो मुझे लगता है इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे जो नगरीय निकाय इलाके हैं, वहां पर कम से कम अटल आवासों का निर्माण करें, उसमें एक आवास की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, पी.एच.ई. की बात आती है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगी। आज से 2 साल पहले जब नल-जल योजना की बात होती थी तो सारे लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, हम सब सदन के अंदर ऐसे काँव-काँव करने लगते थे, पता नहीं किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन आपके नेतृत्व में इन 2 सालों के अंदर उसमें एक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आज अगर किसी पी.एच.ई. के ई.ई को अगर हम फोन करते हैं तो वह जवाब देने की स्थिति में है कि इस गाँव की क्या स्थिति है। वे तुरंत बताते हैं कि इस गाँव की यह स्थिति है और इसको हम बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। इस स्थिति पर आज अगर सरकार आई है तो माननीय मंत्री जी की मेहनत है, उनके कारण से हमारे अधिकारीगण आज जवाब दे पा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगी, हम सब जानते हैं कि जो प्लानिंग हुई थी, जो सर्वे हुआ था और जिस आधार पर नल-जल योजना अमृत जल मिशन के तहत योजना बनी थी, उसमें कोई भी गाँव कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसमें सेकंड प्लान की त्वरित आवश्यकता है ताकि सेकंड प्लान हम उसमें करें और अन्य लोगों को भी पानी की व्यवस्था अच्छे से मिल पाए, उसके लिए पुनः नई योजनाएं बनाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात, आपके यहाँ पी.एच.ई. में बोरवेल्स की जो सरकारी वाहनें चलती हैं, वह एक बोर खुदाई होता है फिर वह खराब हो जाता है, फिर 15 दिन तक दूसरी गाड़ी खड़ी रहती है। फिर जब हम पूछते हैं कि आपके यहाँ बोर हो रहा था उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा मैडम खराब हो गया है, अब गाड़ी बन रही है। मुझे लगता है कि उस पर भी आप चिंतन करेंगे और माननीय मंत्री जी नई गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि आने वाले समय में पेयजल की व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर पाएं। सभापति महोदय, हमारे कोंडागाँव विधानसभा के कुछ गाँव हैं, जो नारायणपुर विधानसभा और कोंडागाँव विधानसभा दोनों के संयुक्त कम से कम 35 गाँव हैं, जहाँ पर फ्लोराइडयुक्त पानी बोरवेल से निकलता है और वहाँ पर हमको अभी टैंकर की सप्लाई देनी पड़ती है। उसके लिए कोई प्लानिंग करके उस पर भी एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, खेल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और तेजी के साथ हमारे युवा अनेक विधाओं में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच रहे हैं। हमारे कोंडागाँव में भी बहुत सारे युवा अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूँगी कि आप खेल में इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, अभी आपने कोंडागाँव के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत किया है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती

हूँ। लेकिन साथ ही कुछ सामग्री और आपका जिले में जो सेटअप है, उस सेटअप को भी ठीक करने की आवश्यकता है, हमारे खिलाड़ियों को कुछ सामग्री भी प्रोवाइड करवाइए। जैसे अभी कबड्डी मैट की बात आ रही थी, जूडो मैट है या अन्य अलग-अलग विधाओं जो भी है, उस तरफ भी हमको प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे जो महंगे इक्विपमेंट आते हैं, वर्तमान समय में बिना संसाधन के तैयारी नहीं की जा सकती है, इसलिए संसाधन मुहैया कराना अति आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि हर क्षेत्र जहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है उस पर आप ध्यान देंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और एक चीज़ और कहना चाहूंगी, हम लोगों का जो सड़कों का प्रस्ताव होता है, वह आप देखेंगे कि बहुत छोटे-छोटे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के प्रस्ताव होते हैं, आप कई जगह देखेंगे लंबी-लंबी सड़कें होती हैं और वहाँ बजट ज्यादा लगता है। मेरा आग्रह है कि उसको थोड़ा सा आंकलन करिएगा। मैं बजट में देख रही थी, बस्तर संभाग में हम लोगों को कम सड़कें मिली हैं, आंकड़ों में भी कम है और बजट में भी कम है। उसको आगे समय में आप इसमें चिंतन करिएगा, हमारी सब सड़कों पर और थोड़ा सा विचार करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम (पाली-तानाखार) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आज मैं अनुदान मांगों की चर्चा में मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मेरी जो मांगें हैं, उन पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से पेयजल को लेकर हर घर तक पानी पहुंचे और हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, परंतु मेरा तानाखार क्षेत्र बिहड़ पहाड़ी क्षेत्र है और वहां घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। कुछ समय से वहां बांगो डेम से पानी पहुंचाने की बात हुई, परंतु अभी वहां बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हर घर तक पानी पहुंचे और हर व्यक्ति को साफ पानी मिले, इसके लिए जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए हमें इसकी गति को बढ़ाना होगा और द्रुत गति से काम करना होगा। साथ ही साथ वर्ष 2016 से जल आवर्धन योजना के अंतर्गत नगर पंचायत पाली को पानी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, परंतु जल आवर्धन योजना के अंतर्गत आज भी नगर पंचायत पाली में काम शुरू नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जल आवर्धन योजना के कार्य को तत्काल शुरू कराने की कृपा करें। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में आज भी ऐसे बहुत से पहुंचविहीन गांव हैं, जहां पर सड़कों की आवश्यकता है। पूरा तानाखार क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और कभी-कभी तो हमको एक ही नाला, एक ही नदी को 4-4, 5-5 बार घूमकर जाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लाफा, औराभाठा, गुंजन नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति दी तथा करीतुरू मार्ग में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति दी, परंतु वह अभी निविदा की प्रक्रिया में है। मैं

माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसके लिए निविदा जारी हो। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ और भी 6 उच्च स्तरीय पुल की मांग बजट में शामिल है, जो वर्ष 2023-24 से माननीय मंत्री जी व विभाग को प्रेषित की गई है, परंतु इसके बजट की प्रशासकीय स्वीकृति आज भी नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप बजट को जल्द से जल्द प्रशासकीय स्वीकृति देने का कष्ट करें। साथ ही साथ जिस तरीके से विकासखण्ड मुख्यालय पोड़ी-उपरोड़ा में आज भी विश्राम भवन नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर भी विश्राम भवन की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही साथ पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड बिहड़ जंगली क्षेत्र है, वहां पर आप ग्राम पंचायत पोड़ी, जडगा, पसान, कोरबी में मंगल भवन की स्वीकृति करने की कृपा करें। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे प्रदेश के बच्चों ने खेल के क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्र में इस प्रदेश का नाम काफी रोशन किया है। जिस तरीके से हमारे तानाखार की बिटिया संजू यादव ने कबड्डी के खेल में राष्ट्रीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना और इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए तानाखार क्षेत्र में एक क्रीड़ा परिसर की घोषणा करेंगे और उसको बजट में शामिल करेंगे। साथ ही साथ कबड्डी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए कबड्डी के खेल को बच्चे आजकल मैट में खेलते हैं तो 10 गांवों को मैट भी देने का कष्ट करेंगे। मंत्री जी सुन रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है। साथ ही साथ मेरा पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र बिहड़ जंगली क्षेत्र है। वहां बहुत से गांव आज भी सड़क से जुड़े नहीं हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पाली-तानाखार क्षेत्र में सड़क के लिए भी बजट देने का कष्ट करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री बालेश्वर साहू। अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 और 81 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में ऐसी बहुत सारी मांगें हैं, जो छत्तीसगढ़ के भविष्य को बहुत तेजी से आगे ले जाने वाली है। जैसे मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, भूमिगत विद्युतीकरण योजना, इससे रायपुर शहर का कायाकल्प हो जायेगा। बहुत सारे ऐसे और भी कार्यक्रम आये हैं जो समय के साथ चलने वाले हैं। चाहे हम ई-गवर्नेंस की बात करें, जिससे लोगों के लिए सुविधा बढ़ने वाली है, यह ऐसा बजट है। क्लीन सिटी के विषय में भी माननीय मंत्री जी के विभाग ने बड़ा काम किया है और स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे प्रदेश के बहुत सारे नगरीय निकायों ने अच्छा रैंक हासिल किया है और उनका सुधार हुआ है। पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण बात की जा रही है कि राज्य पर एक जिला में 28 और उपखंड स्तरीय 27 प्रयोगशालाएं बन रही हैं। यह बहुत अच्छा कदम और सराहनीय कदम है, जिसमें लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं, यह जीवन का आमूलचूल हिस्सा है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते।

पानी की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य पूरी तरह से निर्भर करता है। यह एक अच्छी पहल है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस पर आपके माध्यम से एक-एक बात कहना चाहता हूं। एक विषय पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैं औद्योगिक क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूं। औद्योगिक क्षेत्र में लगातार पानी में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाती है और मैं ऐसे गांव बता सकता हूं, जहां 6 ट्यूबवेल हैं और 5 ट्यूबवेल का पानी पीने योग्य नहीं है। अगर यह जांच समय-समय पर होती रहे और इस बात का परीक्षण होता रहे कि यहां का पानी क्यों प्रदूषित हो रहा है और यदि विभाग ऐसे सोर्सेस को बंद करने का काम करेगा तो मुझे लगता है कि इससे प्रदूषित होने वाले पानी को बचाया जा सकता है, ऐसे सोर्सेस को बचाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन के लिए और युवा रत्न सम्मान के लिए भी इसमें प्रोव्हिजन किया है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम खेलो इंडिया के अंतर्गत ट्राईबल गेम्स की मेजबानी कर रहे हैं, बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक करवा रहे हैं । मैं सीधे अपने क्षेत्र के विषयों पर आना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और सबको अपनी बातें कहनी है और आज एक विभाग और बाकी है। मैं विस्तार से बात न करते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे नगर निगम, रायपुर में कचना से व्ही.आई.पी. रोड तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 20 करोड़ रूपये और नगर पंचायत खरोरा में इंडोर स्टेडियम और खेल मैदान के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ रूपये दिये हैं। कचना खम्हारडीह मार्ग, कचना से पिरदा मार्ग, दो लेन से चार लेन, सिलियारी, मांढर रेलवे क्रॉसिंग पर हाई स्कूल के लिए निलजा से खौना, उन्होंने ऐसे 17 मार्ग स्वीकृत किये हैं, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के कार्य में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

<u>वित्तीय वर्ष 2026 - 2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र क्रिटिकल ड्राई जोन है। हमारे क्षेत्र में पानी की विशेष समस्या है। आधे एरिया में इंडस्ट्री है, उसके कारण कई गांवों में पानी प्रदूषित हो गया है और आधा एरिया क्रिटिकल ड्राई जोन है। पानी पीने

की समस्या आ रही है। मैं कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे ऐसे बहुत से गांव हैं जिसमें जल जीवन मिशन के काम पूरे नहीं हो पाये हैं, ठेकेदार चले गये हैं। जैसे छपोरा, धनसुली, मुरैठी, सारागांव, अड़सेना, चरौदा खपरीडीहखुर्द, मोतिमपुरकला ऐसे गावों में अनुबंधकर्ता के द्वारा कार्य अधूरा किया गया है, मेरा आग्रह है कि जिस पर पुन: अनुबंध कराकर जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करा दें। क्योंकि गर्मी आने वाली है, लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने गावों के भी नाम नोट करा दिये हैं। मैंने पहले भी कहा था और माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र में ढेर सारे लाइमस्टोन के माइंस हैं, जहां पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है और उसके आजू-बाजू के गावों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर उस पानी को पीने के लायक बना दिया जाये तो एक बढ़िया सोर्स तैयार हो जायेगा, जहां से एक नहीं, कई गावों में पानी को सप्लाई किया जा सकता है, लोगों तक पानी को पहुंचाया जा सकता है और पानी की समस्या हमेशा के लिये दूर हो जायेगी, अगर वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाये, हमारे क्षेत्र के लिये उसका कोई माडल लेकर आया जाये। जो क्रिटिकल ड्राई जोन है, उसमें ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि पानी हमारे पास होता है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समोदा बैराज से खरोरा नगर तक पानी लाने का कार्य जो रूका हुआ था, उसे गति देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। लेकिन फिर से गर्मी आने वाली है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर उसको समय से पूर्ण करा लें तो इस वर्ष खरोरा और आसपास के हमारे 18 गांव के लोगों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी। उनकी ये गर्मी आसान हो जायेगी जो उनको हमेशा पानी का क्राइसेस रहता था। मैं अगर लोक निर्माण विभाग के लिये बात करूं तो जोरा से पिरदा एक महत्वपूर्ण रोड है जो रिंग रोड नंबर-3 को जोड़ती है। वहां काफी पापुलेशन बढ़ी है, जोरा माल आ गया है, वहां ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहां रेलवे क्रासिंग भी है। अगर उस सड़क का चौडीकरण कर दिया जाये तो शहर के बाहर से जाने का एक और मार्ग खुल जायेगा और ट्रैफिक डायवर्ट हो जायेगा। रायपुर शहर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके विकास को ध्यान में रखते हुए ये सड़क बहुत उपयोगी साबित होगी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र में खरोरा नगर में उन्होंने गौरवपथ की सौगात दी थी, लेकिन वह सिर्फ एक वजह से अपनी रौनक हासिल नहीं कर पा रहा है। उसमें जो बजट का प्रावधान था, उसमें वहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसमें लगभग 30 लाख रुपये के आसपास की कुछ राशि कम पड़ रही है, अगर उसमें माननीय मंत्री जी कृपा कर दें तो वह जल्दी शुरू हो जाये और एक महत्वपूर्ण जो हमारे यहां की उपलब्धि है, वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा।

सभापति महोदय :- हो गया?

श्री अनुज शर्मा :- 5 मिनट में खत्म करता हूं।

सभापति महोदय :- 2 मिनट में समाप्त करिये। आपको अपने क्षेत्र की मांग ही तो रखनी है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। हमारी कुछ सडकों की मांग है। हमारा एक महत्वपूर्ण गांव कोदवा है, वहां से काफी हैवी ट्रैफिक गुजरता है। ग्राम कोदवा में सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क वहां बनानी पड़ेगी और बाईपास की व्यवस्था हो जायेगी। वहां जितने लैंड के ओनर हैं, वह अपनी जमीन देने को भी राजी हैं और 3-4 आदमी से ज्यादा की जमीन भी नहीं लेनी पड़ेगी। वहां सरकारी जमीन भी काफी मात्रा में है। अगर वह हो जाये तो उस गांव में होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि कोदवा गांव में सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आयेगा, लेकिन दुर्घटनाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा। कुछ और जो हमारी मांगे हैं, मढ़ी से देवगांव खौना पहुंच मार्ग बहुत जर्जर स्थिति में है, अगर इसका निर्माण जल्दी हो जाये तो बहुत अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी से नगरीय प्रशासन विभाग में मेरी कुछ मांग है। हमारे नगर पंचायत कुरा में गौरवपथ के लिये घोषणा हुई है, मैं चाहता हूं कि वह काम को जितना जल्दी माननीय मंत्री जी शुरू करा दें तो बड़ी कृपा होगी। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक-दो आग्रह और करना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, सबो आप ही मांग लीहा, हमो मन ला कुछ छोड़िहा।

श्री अनुज शर्मा :- ले न, छोड़बो न। तोला गोल्लड़ छोड़ दे हन। तोला गोल्ला ढीले हन, तय टेंशन झन ले। माननीय सभापति महोदय, रायपुर शहर तेजी से बढ़ रहा है और जब भी यहां किसी प्रकार की आग की दुर्घटना होती है , कहीं आग लग जाती है तो हम लोग फॉयर बिग्रेड के लिये, बेहतर फॉयर ब्रिगेड की सुविधा के लिये कई बार हम लोग भिलाई पर निर्भर हो जाते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इतना बड़ा शहर है, कम से कम हर कोने में एक अच्छा फॉयर स्टेशन हो, जहां सर्वसुविधायुक्त सब उपकरण हो, वाहन हो ताकि रायपुर शहर जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें आग से सुरक्षा के लिये कुछ मजबूत पहल हो सके । यहां मवेशियों की बहुतायत है तो अगर गोकुल नगर जैसे पहले भी बसाया गया है उस तरह की योजना शहर के आऊटर्स में और लेकर आयें क्योंकि शहर में मवेशियों की तादात् बहुत बढ़ गयी है उससे शहरवासियों को थोड़ा छुटकारा मिल सके ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा फिर से एक आग्रह है कि पीने के पानी के लिये इतने सारे जो हमारी प्रयोगशालाएं बनी हैं, जो परीक्षण केंद्र बने हैं वहां ट्रेकिंग प्रॉपर हो कि कहां का पानी प्रदूषित हो रहा है और अगर ऐसी रिपोर्टस लगातार आती है तो उन कारणों को रोकने का प्रयत्न होना चाहिए और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पानी की व्यवस्था के लिये बहुत बढ़िया योजना आयी है लेकिन जिन गांवों में पानी की व्यवस्था करने की कोशिश करने के बाद भी अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो उन गांवों के लिये विशेष प्रावधान होना चाहिए । उन गांवों के लिये अतिरिक्त बजट होना चाहिए, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं और मैं इन समस्त मांगों का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और हमारे क्षेत्र के लिये कृपापूर्वक

विचार करेंगे, इस बात का आग्रह करता हूं । बहुत-बहुत आभार । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमर ए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री के अनुदान मांग - 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 अऊ 81 ये सबके मैं विरोध करे बर खडे हंओ । महोदय, विरोध एखर खातिर...।

श्री चैतराम अटामी :- रामकुमार जी, तें मजबूरी में तो नइ खड़े हस ? मजबूरी में खड़े हस का ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- रामकुमार, सच-सच बोलना ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह पइसा हा न ओमन के हे, न काकरो नो हे, हमन कथन कि ये बजट हमन के हे, हमन के हे । जब बजट पेश करत रहिन हे ता मैं सुनत रहे हंओं, अइसे लागत रहिस हे कि हमर खेत ला बेचकर के हमन पइसा ला नाने हन, ओसनहे असन लागत रहिस हे । ये पइसा ओ छत्तीसगढ़ के हे, ओ 3 करोड़ जनता जेमन ये उम्मीद के साथ में हम सब ला इंहा पर भेजे हे, 90 झन ला विधायक बना के कि ये मन बड़का बुद्धिमान हैं । ये मन बढ़िया-बढ़िया योजना बनाही अऊ ये प्रदेश के गरीब आदमी, दुखी आदमी । उन लोगों के लिये योजना बनाकर उनको अच्छी जिंदगी दिलायेंगे । इस उम्मीद के साथ में हम सबको यहां पर भेजे हैं । हो सकता है कि आप लोग ज्यादा बन गये तो आप लोग मंत्री बन गये, हम लोग कम बन गये तो यहां पर बैठे हैं लेकिन हम भी आप लोगों के पीछे ही बैठेंगे और आपकी भागीदारी के लिये बैठे हैं इसलिये आज से यह कहना बंद कर देना कि यह पैसा भाजपा का है, कांग्रेस का है । यह सब बंद करो, यह पैसा छत्तीसगढ़ का है । माननीय सभापति महोदय जी, आज मैं सबसे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जेला छत्तीसगढ़ी में कहे जाथे पानी विभाग । आज हमर नेता जी मोर सामने मा बइठे हे । नेता जी कबीरहा हे, मैं जानत हंओं, हम भी कबीर साहब के वाणी ला सुने रहेन । जल में रह के मीन प्यासी अऊ मेहू सुन-सुन आवय हांसी । यह छत्तीसगढ़ ला एक समय मा कहे गे रिहिस हे, छत्तीसगढ़ के पानी अऊ छत्तीसगढ़ के जवानी । ये दोनों के मुकाबला नइ हे ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- सुन तो, तोर जवानी के का होत हे ? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी के का होत हे ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- छत्तीसगढ़ के पानी मा बोहा गे ।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी के का होत हे, योगी जी के का होत हे ? (हंसी) ये दोनों ला पूछ के आहा ता मोर ला बताहंओं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सही-सही बताबे कि बजट में कतना पाये हस ? अइसनहे बेवकूफ बना-बनाकर तें हा हर साल करोड़ों रूपया ले जाथस अऊ बजट में बाद में बोलथस ।

श्री रामकुमार यादव :- सुना न महाराज, मैं तुंहला देखथओं न ता रामायण में एक ठन राक्षस मन के गुरू रहिस हे, तुमन उही हो । (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- तें कंस के रिश्तेदार हस का ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं श्रीकृष्ण के वंशज हंओं । मैं गौसेवक, तुमन सही खाली दिखावओं नहीं कि गौ-गौ माता चुनाव के समय बाकी समय तो गरूआ मरत हावय ।

श्री सुशान्त शुक्ला :- गौठान के चक्कर मा पूरा छत्तीसगढ़ ला ठग लिया, अब जनता तुमला ठगे हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी मवेशी एतना मरत हे। एक साल में दुर्घटना में एक हजार व्यक्ति खतम होए हे।

श्री आशाराम नेताम :- छेकइयां तो तोर बगल हे, ओला पूछना। तभो नहीं छेंक पावत हे। दीदी, ओ ठेठवार ला पूछ ले।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, सबले पहिली में जल विभाग से शुरू करत हौं, हमर नेता जी बइठे हे बाकी सब बात लो बोलही। में थोड़ा-थोड़ा करके बतात हौं। आज हम तो ओ घर के हन। हम ओ दिन ला देखे हन। पहिली गांव मा एक-दू ठन बोरिंग रहाए। हमर दाई मन गघरा ला धरके जाकर, बोरिंग ला टेड़ करके पानी ला लानए। ओ दिन ला भी हमन देखे हन। हमन तरिया के पानी पीये हन। तरिया में जाकर हमर दाई मन पानी ला लानए। हमन ओ दिन ला भी देखे हन, लेकिन आज ए गंभीर समस्या हे। एक समय जब हमन पैदा होएन ता हमन नरवा में पानी ला देखन, कुंआ में पानी ला देखेन, हमन तालाब में पानी ला देखन, तब बाहर-बीस हाथ में पानी मिलए, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में पानी के स्त्रोत नीचे जावत जात हे। एकर बर अमृत मिशन योजना लानत हे । अगर ओकर भरोसा करबो ता कहीं पानी नहीं मिलही। ए सही बात हे। अइसे बन गे हे । शौचालय बना भी दे हे, ओ शौचालय ऐसने हे कि भईंसा-गरूवा खुंचिया दिही तो गिर जावत हे। ओला जगह-जगह में कहात हे कि हमने शौचालय बनाया। गरीब आदमी के अइसे शौचालय बनथे जहां शौचायल हे उहां पानी नहीं हे अउ पानी हे तो शौचालय नहीं हे। अब बड़े-बड़े आदमी के केसना हे । ओमन घर के शौचालय में जाबे, में काखरो नाम नइ धरवं, हमर घर से अच्छा ओकर शौचालय हे। वाह रे मोर सरकार चलाने वाला भईया हो। छत्तीसगढ़ के लिए आज हम सब ला ए बात के चिंता करना हे । छत्तीसगढ़ के गरीब जनता मन देखत हे कि कइसे योजना बनात हे। गरीब मन बर सिर्फ भाषण मारे बर। अउ उहां जाकर देखिहौ तो अण्डा बटे सन्नाटा हे। ए बात के चिंता करना हे कि पानी कइसे मिलही। आज सबो कने फोन आवत हो ही पहिली जमाना में कोनो गांव में बोरिंग के पाईप खंग जाए तो ओ घानी सरपंच नइ रिहिस, हमन पी.एच.ई.विभाग जावन। उहां ले बोरिंग के लिए पाईप लानके लगावन। आज के डेट में का होवत हे। सरपंच अउ 16 वित्त के पईसा में...।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- रामकुमार जी, हमन समाचारपत्र में पढ़े रहेन कि एक ठन अइसे विधायक हे जो प्रधानमंत्री आवास में रहिथे। तो सही में अभी भी रहिथस।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल में रहिथौ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ता तोर शौचालय बनिस या नहीं बनिस बता। ओ में घुसे सकथस या नहीं। कइसे-कइसे होथे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, देखव । मे मन से जीने वाला हौं। मैं हमेशा ए बात ला बोलथौं कि में कब तक विधायक रहूं ओ बड़ी बात नइ हे। में जब तक विधायक रहूं मोर मन के बात ला करिहौं। अरे 10 घाव बनने वाला तोला मुबारक हो । अगर गरीब आदमी के कुछू काम नहीं कर पायेव तो काय योजना बनाऐव ओकर कोई मतलब नइ हे। ओकर खातिर में सोचथौं । आज भी ए सच्चाई हे कि ए सदन हा मोर लिये अउ हम सब के लिए एकर ले बड़का मंदिर नइ हे। लोकतंत्र ला मानने वाला ले, ए सदन से बड़े कोई पवित्र जगह नइ हे। साहब, ओकर साक्षी देकर कहात हौं कि मैं सौभाग्यशाली हौं कि मोर मां-बाप मन अइसे गरीबी में मोला पइदा करिन। मोर ददा, दायी मन घला इंदिरा आवास में रहे, महूं आज इंदिरा आवास में हौं। अउ में वहीं पर खुश हौं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- तैं इंदिरा आवास में रहिथस या प्रधानमंत्री आवास में रहिथस, तें सही-सही बता।

श्री रामकुमार यादव :- मोला इंदिरा आवास मिले हे, मोला प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले हे। जे दिन तुहर आवास मिलही ओ दिन प्रधानमंत्री आवास कहिहौं। मोला इंदिरा आवास मिले रिहिस हावए।

श्री सुशांत शुक्ला :- लेकिन आवंटन तो प्रधानमंत्री आवास के हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय रामकुमार जी, आप ला उज्जवला योजना के गैस सिलेण्डर मिले हे या नहीं?

श्री रामकुमार यादव :- कोन ला

श्री सुशांत शुक्ला :- तें पहिली भौजी तो ला।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ओकर शादीच नइ होए हे तो ओला कहां से उज्जवला योजना में गैस सिलेण्डर मिलही।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, सिलेण्डर के रेट इतना बढ़ गे हे, आप मन 60 रूपया बढ़ा दे हो।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, मोर बात ला सुन ले ओ। अगर मोला गैस मिले रहितिस ता ओला स्मृति ईरानी करा अमरा दे रहितेव। महंगा ला में का करहूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय रामकुमार जी के लिए एक प्रधानमंत्री आवास भी करवाईये। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी इनके लिए महतारी वंदन का एक हजार रूपये स्वीकृत करवाईये।

श्री सुशान्त शुक्ला :- सामूहिक विवाह में विवाह भी करा दीजिए और एक हजार रूपया स्वीकृत नहीं करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भईया, ओ महतारी वंदन ला काखर बर करही ?

श्री धर्मजीत सिंह :- ले आहे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- रामकुमार भईया, पहिली ते तैयार हो। तोर शादी में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वयं राजेश अग्रवाल जी कराही। तोर विवाह में अनुज गाही। गम्मत बगल वाले बजाही। ता तैं तैयार तो हो पहिली। तैं बजट मांगत हस ता काखर बर मांगत हस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नाचे बर तो हमन है हीं। तैं शादी तो कर।

सभापति महोदय :- आप अपने क्षेत्र की बातों मे आ जाईये। आप समय देखिये। अभी तो आपका दायरा चल रहा है। आपका विषय आ ही नहीं रहा है। आप दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, जी। बिल्कुल ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र से बाहर हो गयें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मय यह कहना चाहत हौं । दो मिनट मे कइसे हो ही। इहीच मन जम्मो समय ला लिस हे। आप मोला 10 मिनट के समय तो देव। मोला आपके संरक्षण जरूरी हे।

सभापति महोदय :- आपका 10 मिनट हो रहा है। आप दो मिनट में समाप्त करिये। आप विषय में आईये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, लेवा ठीक हे।

सभापति महोदय :- जो सुशांत वगैरह बोल रहे हैं आप उसके जवाब में मत जाईये। आप अपने विषय में आईये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, हमला आपके हमेशा आशीर्वाद मिले हे, हम उम्मीद करबो । मैं जल विभाग में वही कहना चाहथों कि आज हमर क्षेत्र में अईसे योजना बनावव, खाली दिखावा नहीं कि हम लोग इतना किया, उतना किये । आज हमन गांव में जिस प्रकार के जल समस्या होवथे, ओकर कईसे निदान होवय, कईसे गांव के गरीब आदमी मन ला बोर के पानी मिलय, स्वच्छ पानी मिलय और पानी के बात अईस तो मोला एक बात अउ याद आवथे । गुरू बना ले जान के, अब पानी पी ले छान के । दो ठी चीज ह महत्वपूर्ण चीज होथे । एला आज नहीं, हजारो साल पहिली कहके गेहे हवय । गुरू अच्छा रहिही तो गुरू ह पवित्र भाव से अच्छा रास्ता बताथे । पानी ला छान के पिहौ, स्वच्छ पिहौ तो

शरीर ह तंदरूस्त रहिथे । ऐ विषय मा जरूर हम सब ला दिखावा से ऊपर उठ करके ये नहीं कि अमृत मिशन इतना हो गया, इतना हो गया और गांव में जाहव तो पानी नहीं मिलत हे, ए विषय में हमन ला चिंतन करना चाहिए ।

सभापति जी, अब मैं खेल विभाग में बोल लेथव । एक समय रहिसे, पुरखा मन केहे रिहीन हे कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे-लिखोगे तो बन जाओगे नवाब, लेकिन आज नवाब कौन हे । खिलाड़ी मन हे । कल विश्व कप होईस तो देखे हन । हमर देश के माननीय गृहमंत्री जी जाकर खिलाड़ी ला सम्मान करथे । लेकिन आज हम देखथन, मैं छत्तीसगढ़ के परिवेश में बात करना चाहथौं कि छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा खेल खेलने वाला का हरे-त कबड्डी । छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा मानने वाला खेल कौन हरे पूरा भारत के तो क्रिकेट । लेकिन आज मैं पूरा सदन ला कहना चाहथौं, आप सब्बो गांव के रहवईयां हवव, गांव में क्रिकेट खेलथें तो कामा खेलथें ? फोकली गेंद मा । कामा खेलथे ? फोकली गेंद मा । अउ ओती इंटरनेशनल जाए बर ए, आईपीएल खेलना हे तो कामा जाथे तो कार्क के गेंद मा । तो हमर लोग लईका मन कभी पहुंच पाही । ए बात के चिंता करना चाहिए ।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, तोला खेले ला कोई मना करे हे का ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं तो बहुत चीज खेल सकथौं साहब ।

श्री आशाराम नेताम :- खेले बर तो मना हे न ।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम जी, तुमन बईठव ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तोर संग खेले बर मना हे ।

श्री आशाराम नेताम :- तोला खेल के बारे में मतलब ही मालूम नहीं हे तो खेत के बारे में काबर बोलथस । खेल के बारे में जानकारी होतिस तो घर में खेलते।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आशाराम, खेल के बारे में ओकर ले ज्यादा तै नहीं जानस ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- रामकुमार जी, आपको आशाराम के साथ खेलना है क्या ?

श्री प्रबोध मिंज :- आशाराम के नक्शो कदम मा चलते तो पता चल जतिस कि ए है का चीज ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, मैं आपसे निवेदन के साथ में मंत्री जी के ध्यान आकर्षित कराना चाहथौं कि हम सबका अईसे खेल जेला छत्तीसगढ़ में यहां पर खेलथन, ओ क्षेत्र मा कोचिंग करेबर रखे हन का, ओ क्षेत्र में हमर लोग लईका मन आगे बढ़थें का ? कोई भी राष्ट्रीय खेल जाथें ।

श्री आशाराम नेताम :- तोर लोग नहीं हे, लईका नहीं हे तो खेल के बारे में का जानबे ? लोग नहीं हे, लईका नहीं हे अउ खेल के बारे में बात करथस ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर के ठन लोग लईका हे, तै कईसे जान डरेस ?

श्री आशाराम नेताम :- ये देखो (हंसी) इस सदन में खुलाशा करो कि कितने हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तै कइसे जान डरेस । मोर बात ला सुनना । ये छत्तीसगढ़ के जतका लईका हे, ओ ह रामकुमार के लईका हे । छत्तीसगढ़ के जतका सियान मन मोर दाई ददा हें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनके निजी मामले में कुछ मत बोलो । चन्द्रपुर में जब जाते हैं तो पापा-पापा कहते हुए बहुत लाईन लग जाता है (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अब धर्मजीत सिंह जी ह हमर छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन हे, मैं ओला प्रणाम करथौं । मैं हमेशा ए बात ला बोलथौं, जैसे आप हौ, इहां अईसे बहुत सारा सदस्य हें, जेन ला देखकर के हम छाती ठोककर कह सकथन कि हमन सदन में अईसे, अईसे व्यक्ति मन हे, आप मन हौ । हमला आप मन के आशीर्वाद मिलथे तो खेल विभाग में यही कहना चाहथौं कि जेन हमन मन के खेल हे, ओ खेल में कईसे आगे बढ़ें, ओकर लिए हमन ला दिल से सोचना चाहिए और गांव-गांव में अच्छा सा बेट जेन ला विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव जेन बेट से खेलथे, ओ बेट ला हमन ला देना चाहिए, न कि फोकली बेट ला, तब छत्तीसगढ़ के जनता के लईका मन आईपीएल और इंटरनेशनल खेल सकथें । ऐमा हमन ला चिंता करना चाहिए । कबड्डी के लिए आप बढ़िया मांग करे हौ । हमर लईका धुर्रा माटी ला खेलथे अउ इहां प्रो कबड्डी मेट मा होवथे तो हमन लईका ह कईसे में पहुंचही । खाली अईसने भाषण दे से पहुंच जहि का । एकर बर गांव-गांव में आप मन सही में खेल ला बढ़ाना चाहथौं तो मेट भेजव, ताकि हमरो लईका हर जांघ ला ठोक करके प्रो कबड्डी अभय सिंह ठाकुर के साथ में दिल्ली मा खेल सकय, एकर हमन ला चिंता करना चाहिए । ओखर बाद मैं पी.डब्ल्यू.डी. मा कहना चाहत हव। कोई भी देश अउ कोई भी प्रदेश के रोड हा आईना होथे। कोई भी प्रदेश में गया, रोड ला देखा तो जान डरा कि उहां के विकास का हे। ककरो घर मा जाइहा न तो अंगना से पता चल जाथे कि घर के का स्थिति हे। उसी प्रकार के देश मा कहीं भी जावत हव, प्रदेश मा कहीं भी जावत हा, रोड ला देखा तो जान डरा कि इहां का स्थिति हे। लेकिन हम अतका दिन ले कहत रहेन कि उड़ीसा हा गरीब प्रदेश हे, गरीब प्रदेश हे। आप मन जैसे ही छत्तीसगढ़ ला पार करके उड़ीसा जाईहा तो उहां चमचमाती रोड स्वागत करत हे अउ हमर छत्तीसगढ़ मा आइहा तो धन्य हे कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोयला, छत्तीसगढ़ मा ज्यादा पानी, छत्तीसगढ़ मा ज्यादा आयरन, छत्तीसगढ़ मा सब कुछ भरे हे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के रोड ला देखथन तो अन्य प्रदेश से कम हे। अउ हम नेशनल हाइवे मा चले जाथन तो किराया ऊपर किराया, एमेर जाहा उहां टोल नाका, ओमेर जाहा तो ओमेर टोल नाका। कोनो मरीज आवत हे तो किराया ले ज्यादा टोल नाका दे बर लागत हे।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, तै हा कै ठन टोल नाका मा पैसा देथस ?

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर गांव के मन देथे

श्री आशाराम नेताम :- कै ठन टोल नाका मा पैसा देथस बता तो।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन विधायक ह तो तुमन अपन बर चिंता करत हा, तहा बस।

श्री आशाराम नेताम :- तै हा कै ठन नाका मा पइसा देथस तेला बता ना ?

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री मन भर ला झन लागय तहा ले बस, हो गय।

श्री आशाराम नेताम :- नहीं, तै देथस तेला सदन मा बता दे। कै ठन टोल नाका मा पैसा देथस।

सभापति महोदय :- आप बैठ जायें। रामकुमार जी, आप समाप्त करें। 15 मिनट हो गया है।

श्री रामकुमार यादव :- बस-बस, 5 मिनट साहब। तो मोर आपसे निवेदन हे कि ये जो रोड हे, ये रोड मा दू-तीन ठन सुझाव हे। मैं जेला महसूस करे हव, माननीय मंत्री जी बैठे हे। हम अक्सर रोड मा देखथन कि जो रोड के क्षमता रहथे, ओ क्षमता से गाड़ी न चलकर ज्यादा क्षमता के गाड़ी चलथे। जैसे ओखर ज्यादा क्षमता वाले हे। अगर ककरो बोहे के क्षमा 2 क्विंटल के हे ओला 5 क्विंटल ला बोहा देहा तो ओखर बबा बाचही। उसी प्रकार हमन जेन क्षेत्र मा रहथन ओ हा कम्पनी के क्षेत्र हे। आये दिन कोयला के ट्रांसपोर्टिंग चलत हे। आये दिन राखड़ के डम्पिंग चलत हे। जहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलत हे, तेही जा के रोड ला चलाथे तो टूट जाथे। तेला विशेष ध्यान देकर के आपसे निवेदन हे कि वहां पर लिख देवव, आप अधिकारी ला निर्देशित कर देवव कि यहां इतना क्षमता से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना हे। ऐसन साफ-सुथरा मा लिखव।

सभापति महोदय, एक दूसरा सुझाव हे कि कोई अपन निजी स्वार्थ के लिए रोड ला तोडफोड़ देथे। जैसे कोई किसान ही हे, बीचोबीच पानी पलोय बर बीच ले फोड़ देथे अउ ओ हा धीरे-धीरे बढ़त-बढ़त बढ़ जाथे। लाखो-करोड़ों रूपये के रोड हा टूट फूट जाथे। एखर खातिर आपसे निवेदन हे कि यहां से ऐसे कोई कानून बनावव कोई निजी स्वार्थ के लिए रोड ला छेड़खानी करत हे तो ओखरे के लिए कुछ प्रावधान करव, ओखर ऊपर कुछ दण्डित हो, ऐसे यहां से नियम निकलना चाहिए। ताकि आने वाले समय के लिए हमर रोड हा सुरक्षित रहय। मोर क्षेत्र के लिए कुछ कुछ मांग हे ओला कहके अपन बात ला पूरा करिहव।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, जब चुनाव होइस, आप मोर क्षेत्र मा कई ठो बहुत अच्छा काम करे हा, तेखर ले आपला धन्यवाद। आप बड़े उदार दिल के हा, हम तो आप ला, वैसे विष्णुदेव साय जी गलत नइ हे, ओ हा बहुत अच्छी आदमी हे, ओ हा मुख्यमंत्री बने हे, आउ मुख्यमंत्री बनय, बहुत बढ़िया हे। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) लेकिन हम तो ये सोचत रहेन कि आप मुख्यमंत्री बनिहा त तुंहला उप मुख्यमंत्री मा रोक दे हे। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हे, तुंही मा कोनो मुख्यमंत्री रहिया, लेकिन ..।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप अपने विषय में आईये न।

श्री रामकुमार यादव :- ओही मा विषय आवत हे। तो मोर आपसे कुछ कुछ मांग हे। मुख्यमंत्री बने हा तो साय साय करथा, लेकिन अभी आप ला निवेदन है कि दू ठन चीज हा बजट मा आना रहिस हे, ओ बजट मा भी नइ आ पाइस। पता नहीं कैसे नहीं आइस, मैं हा मांग करे रहेव, आप ला भी देहे रहेव। चन्द्रपुर ला का काबर छोड देहा। ओखर खातिर एक ठो डभरा नहर पार से वित्त मंत्री जी के क्षेत्र

ला जोड़ने वाला रोड है, ओला आप सेफ एडवांस होथे, ओमा कर दे रहथा। एक ठन एस.डी.एम. आफिस से आगे जाकर रोड हावय, ओला मैं हा लिख के दे देहव। ये दोनों सेफ एडवांस मा हो जाथीस, चूंकि बजट मा नइ हे साहब। तेखर खातिर आप से मांग करत हव। चन्द्रहासिनी मंदिर, वहां नदी के किनारे चन्द्रहासिनी मां के मन्दिर हे ओ हा आय दिन पानी के झेलार मा टूटत जावत है। एक दिन ऐसा न हो कि मां चन्द्रहासिनी के मंदिर ही महानदी मा समाहित हो जाय। एखर खातिर मरीन ड्राइव बन जाही तो ओमा तटबंध भी बन जाही अउ सुशोभित भी हो जाही, तो ऐसे पावन नगरी बचाय के लिए वहां मरीन ड्राइव के स्वीकृति दे देथा। वहां पर सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान वहां पर पुस्तकालय, ये तीन ठन मांग हे। उसी प्रकार के नगर पंचायत डभरा में बाईपास चूंकि वहां पर कोयला के बहुत सारा गाड़ी चलथे, पूरा यहां से सीमेंट गाड़ी चलथे, तो बाईपास बन जाथिस और अंतिम में हमर अड़भार में, वहां 120 ठन तालाब हे। वहां पर मां अष्टभुजी मां के मंदिर हे। वहां के तालाब के सौंदर्यीकरण करा देथौ चूंकि हमन जो मंत्र सीखे हन, मंत्र होथे सभापति महोदय नंगमत, ओमा मैं खुद पढ़े हव, मोर पिताजी नंगमथिया रहीसे, तो ओ गांव के तालाब के नाम ह नंगमत में उल्लेखित है, ऐसे गांव हे। ऐसे तालाब है, ओ तालाब के सौंदर्यीकरण कर देथौ और एक ठोक पुस्तकालय कर देथौ, ऐसे आपसे निवेदन प्रार्थना करते हुए पुनः एक बार आप अच्छा काम करिहौ, तो तुम्हर बजट में समर्थन करबो, नहीं तो हमन छत्तीसगढ़ के जनता के पैसा ला खाली तुमन ला ओ खाली हवा-हवाई बात करे बर हमन नहीं देन। ये जम्मो के सलाह लेके काम करिहौ तो तुम्हर समर्थन करबो, नहीं तो घोर नहीं, घोर-घोर विरोध करके मैं अपन वाणी ले विराम देथौं ।

सभापति महोदय :- श्री प्रबोध मिंज जी।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों के मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 एवं 81 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। आज इन अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही है, विशेष रूप से माननीय उपमुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं और सभी महत्वपूर्ण विभाग, चाहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पेयजल के संबंध में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पी.डब्ल्यू.डी. का विभाग है, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए वहां की पेयजल वगैरह, वहां की सफाई और लाइट्स वगैरह की तमाम चीजें पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं इस संबंध में हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जो मांगें हैं और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जल जीवन मिशन की एक योजना पूरे देश में लागू किया। यह अलग बात है कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने योजनाओं को जिस ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए था, वह उसको बगैर प्रॉपर फ्यूचर को ध्यान में दिए हुए केवल बंदरबांट के हिसाब से अलग-अलग टेंडरों के माध्यम से कभी पाइपलाइन को बिछाना, कहीं टंकी का अलग निर्माण करना, उसकी अलग एजेंसी और जल हैंडपंप वगैरह जो नलकूप खोदना उसके लिए अलग

एजेंसी, इस तरह से बिना कार्ययोजना के, बिना पानी के खोज किए हुए इस तरह की योजनाओं को शुरू किए, जिसके चलते आज हमारी इस सरकार को आगे बढ़ाने में दिक्कतें हो रही हैं। हमारे अजय चंद्राकर जी इसके पहले जो मूल रूप से इस विषय को रखे थे कि छत्तीसगढ़ में जो पेयजल का स्तर है, वह बहुत नीचे जा रहा है और आने वाले समय में इस नल जल योजना के लिए जो मुख्य रूप से जो पेयजल उपलब्ध कराने का विषय है और अलग-अलग जगहों पर जो टंकियां बन गई हैं, जहां पानी के स्रोत भी नहीं हैं और उनको चिन्हांकित करके देखकर जल स्रोतों को खोजकर उसको प्रॉपर ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी हैं, उनसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि इसके लिए विस्तृत रूप से पूरा डी.पी.आर. हर जगहों का जहां पूर्व से संचालित था, उसके लिए तैयार करने की जरूरत है और पानी को मुख्य रूप से स्रोत खोजकर इसमें थोड़ा सा यह ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी जो काम हो रहे हैं, उसके लिए चूंकि टंकियां हैं तो हाइट पर टंकी रहती है और जल स्रोत को वहां तक पेयजल को ऊपर तक टंकी तक पहुंचाने के लिए जब तक हम लोगों को पानी की भरपूर उपलब्धता नहीं होगी तब तक मोटर पंप चल नहीं सकते, पानी टंकी भर नहीं सकती और जब तक टंकी नहीं भरेगी तो सप्लाई भी प्रॉपर हो नहीं पाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि अलग-अलग पारा-टोला दूर-दूर क्षेत्रों में होते हैं और एक टंकी से हर जगह संभव नहीं है, तो जहां-जहां ऐसी आवश्यकता है तो वहां अन्य जो छोटे पानी टंकी जहां पानी के स्रोत हैं, मोहल्ला-मोहल्ला, पारा-पारा के हिसाब से भी एक योजना को क्रियान्वित करके पेयजल की सुविधा वहीं उपलब्ध करायी जा सकती है। उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो व्यवस्था खराब हुई थी जो पिछली सरकार में, उसको ठीक करके उसको पुनः गति में लाने का प्रयास कर रहे हैं और कम्युनिटी जल योजना के माध्यम से पूरे ग्रामों को एक साथ समूह में बड़ी योजना से पेयजल में अपने को ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर पानी सप्लाई करके अलग-अलग गांव में पहुंचाने का काम हो रहा है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी चार जगहों पर इस योजना पर काम हो रहा है, आने वाले समय में पेयजल के लिए गांव में सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह से नगरीय प्रशासन विभाग का विषय है, चूंकि मैं महापौर के रूप में भी 10 साल काम किया हूं, कुछ अनुभव भी है। यह नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो नालियां और पेयजल की जो सेनेटरी और सैनिटरी और जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हम सभी लोगों ने यह अनुभव किया है कि शहरी क्षेत्रों में डी.पी.आर. Completely Long Vision के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते हैं।

समय :

6:00 बजे

सभापति महोदय, जब-जब नए-नए लोग आते हैं, नए-नए मेयर या नए-नए अध्यक्ष आते हैं, वे अपने ढंग से योजना बनाकर क्रियान्वित करते हैं। लंबे समय के लिए डी.पी.आर. बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जिस क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, वहाँ कॉलोनाइजर की व्यवस्था हो, सड़कों की

व्यवस्था हो। उसी तरह से प्रॉपर जल निकासी की भी अंतिम छोर तक व्यवस्था हो, ताकि बीच में यह होता है कि जगह-जगह में जो शहर डेव्हलप होते हैं, तो कॉलोनियाँ बन जाती हैं, लोग घर बनाते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं और जल निकास का रास्ता नहीं मिलता। जो नेचुरल जल निकास रहते हैं, वह बाधित होते जाते हैं। बाद में उसको बाहर निकालने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए future plan के हिसाब से Complete बड़ा डी.पी.आर. बनाना चाहिए। चाहे पक्ष-विपक्ष हो, सारे लोग तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर बड़े शहरों के लिए प्लान बनाये। future में जो नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायतें हैं, जो आगे बढ़ेंगी, उसके लिए सभी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान बनता है। उसको प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में अन्य विकास संभव हो सके। चूँकि समय का अभाव है, इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। लोक निर्माण विभाग का विषय है। हमारे माननीय मंत्री जी अरुण साव जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार प्रयास करके काम कराया है। विधायक के रूप में हम लोगों को लगता था कि कैसे काम होगा। विकास सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल है, जंगल-पहाड़ों का क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में भी जन-मन सड़कों के माध्यम से काफी विकास हो रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से भी जो महत्वपूर्ण विभाग है। मैं बताना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो सत्र में लगभग 350 करोड़ रुपये के सड़क और पुल-पुलियों की स्वीकृति दी है, जो आज क्षेत्र में सड़कों का विकास दिख रहा है, पुल-पुलियों का विकास दिख रहा है और वह लगातार क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। यह माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, जो अभी रामकुमार जी बोल रहे थे कि 'सांय-सांय' विकास हो रहा है और निश्चित रूप से यह विकास परिलक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में और बड़ा विकास दिखेगा। यह 'सांय-सांय' विकास पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यह उसकी बानगी है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2025-26 के बजट में 628 सड़कों के लिए 4,344 किलोमीटर के लिए 5,666 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी, लेकिन इस बार वर्ष 2026-27 के बजट में वह बढ़कर 1,190 सड़कों के लिए 8,576 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। यह लगभग डबल की स्थिति में है। केवल सड़कों के लिए इतने बड़े बजट की स्वीकृति हुई है। उसी तरह से पुल-पुलियों के लिए बजट प्रावधान है। वर्ष 2025-26 में 171 पुल के लिए कुल 1,360 करोड़ की स्वीकृति हुई थी और 32 भवनों के लिए 228 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, जो इस वर्ष बढ़कर 2026-27 के लिए 1,419 पुलों के निर्माण के लिए 1,695 करोड़ की इस बजट में स्वीकृति हुई है। 41 भवनों के लिए 177 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है। यह पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाने का विषय है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों-पुलियों पर हमारे मंत्री जी कार्य योजना बना रहे हैं। सबकी माँगे आती हैं, उसके अनुरूप में स्वीकृतियाँ मिल रही हैं, जो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास में दिखेगा। मैं प्रक्रियाओं के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नियम प्रक्रिया के हिसाब से बजट में जो स्वीकृतियाँ होती हैं, टेंडर लगने में, सब काम होने में, उसको

क्रियान्वित करते-करते लगभग एक साल से ज्यादा समय हो जाता है और करीब दो साल में स्वीकृतियाँ प्रारंभ होती हैं। खासकर हमारे लोक निर्माण विभाग का कार्य हो, चाहे इरिगेशन का जो भी है या चाहे सभी विभागों के कार्य हो, उसमें जो भी काम बजट में स्वीकृत होता है, उस बजट हेड के हिसाब से फिर से प्राक्कलन तैयार होते हैं। फिर से एक सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते फिर चाहे एग्जीक्यूटिव्ह इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, उसके बाद ई.एनसी. तक, फिर शासन तक, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग तक पहुँचता है। उसके बाद वह फिर से उसकी प्रशासकीय स्वीकृति होती है, उसके बाद फिर से उसकी तकनीकी स्वीकृति होती है। दो-तीन कड़ियाँ अलग से बढ़ती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि इसकी प्रक्रियाओं को थोड़ा शिथिल करके शॉर्ट टर्म पर हो। क्योंकि बजट में यदि स्वीकृतियाँ होती हैं, तो हम सबको लगता है कि स्वीकृति हो गई, क्षेत्र की जनता को लगता है कि स्वीकृति हो गई, कब हमारे पास काम होगा। लेकिन प्रक्रिया में विलंब होता है तो जवाब देने में दिक्कत होती है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जब हम लोग बजट में स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसी समय कंपलीटली तकनीकी स्वीकृति के साथ पूरे प्रोसेस कंपलीट हो और जैसे ही यहां प्रशासकीय स्वीकृति होती है, यहां तत्काल उसका टेण्डर लगना चाहिये ताकि प्रक्रियाओं में जो विलंब होता है, वह थोड़ा जल्दी हो जाये और उसमें काम के भी क्रियान्वयन होने में आसानी होगी । सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सारे निर्माण कार्य इस क्षेत्र में होने वाले हैं और हो रहे हैं, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी स्वीकृतियां पिछले बजट में दी है । मुझे लगता है कि कुछ-कुछ चीजों में कागज-पत्री में आगे-पीछे जरूर हो गया होगा । लगभग 8500 करोड़ की स्वीकृति है, लेकिन मेरे विधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण कामों की स्वीकृति मैंने दिया था । वह किसी मिसिंग में छूट गया होगा, इसलिये बहुत सारी सड़कों की सूची मैंने दिया था । इसमें बहुत महत्वपूर्ण सड़कों की सूची छूट गई है, मैंने छोटे-छोटे बहुत महत्वपूर्ण 66 कामों की सूची दी थी और मैं इसमें अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें जो छूट गये हैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा और उन्हें लिखकर दूँगा कि उसकी भी अपने उद्‌बोधन में स्वीकृति जरूर देंगे।

समय

6.07 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुये)**

सभापति महोदय, ऐसा ही हमारे खेल विभाग का विषय है । हमारी सरकार खेल विभाग को नये स्वरूप में प्रस्तुत कर रही है । हमारे छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में भी लगभग 57 करोड़ का बजट इस बार रखा है ।

सभापति महोदय :- माननीय आप सीधे अपने क्षेत्र में आईये ना ।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, खेल अकादमी के माध्यम से भी आधुनिक खेलों के ऊपर फोकस किया गया है । मैं इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह खेल विभाग का विषय है, मेरा भी खेल से काफी जुड़ाव रहा है । रायपुर में एकेडमी के लिये 7 करोड़ रूपया, बस्तर खेल एकेडमी के लिये 4 करोड़ रूपया स्वीकृत है, लेकिन इसमें सरगुजा का कहीं नाम नहीं आया है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे सरगुजा जिले में भी सरगुजा फुटबॉल एकेडमी का गठन हुआ है और कालान्तर में उसमें 40-45 लाख रूपये हर साल प्रदान किया जाता था । चूँकि वहां अडानी सक्रिय थे तो राशि मिलती थी और वहां सरगुजा के बहुत सारे ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी एकेडमी में प्रशिक्षण लेकर वहां बहुत आगे तक बढ़े हैं । रेल्वे तक की नौकरी में लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे फुटबाल के खिलाड़ी वहां से डेनमार्क और ईरान में जाकर खेले हैं, जूनियर इंडिया में भी लगभग 6-7 खिलाड़ी सरगुजा जिले से भाग लिये हैं । यह बहुत बड़ा अवसर उनके लिये है । एसईसीएल से 10 साल पहले वहां स्पोर्ट्स सेंटर का शुभारंभ किया गया था । 100 बेडेड स्पोर्ट्स हॉस्टल तैयार है । स्टेडियम भी तैयार है । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरगुजा जिले में भी फुटबाल एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिये राशि की व्यवस्था करे। ऐसे ही हमारे विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में बहुत पहले एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ था, इसमें आगे करने की बहुत आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रॉपर लुण्ड्रा के नाम से, जो कि विधान सभा भी है, विधान सभा मुख्यालय भी है और बाऊँड्रीवॉल किया हुआ है, लुण्ड्रा स्टेडियम के लिये 1 करोड़ की राशि भी स्वीकृत करेंगे तो उस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिये बहुत अवसर मिलेगा । सभापति महोदय, हमारे बस्तर और सरगुजा में खेल के क्षेत्र में ट्राईवल लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्टेडियम बनने से उनको बहुत अवसर मिलेगा । चूँकि समय का अभाव भी है, मैं आज इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे वह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हो, नगरीय प्रशासन हो, लोक निर्माण विभाग हो या खेल विभाग हो, इन सभी विभागों के लिये शानदार बजट पेश किये हैं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि इतने सारे सड़कों का काम पूरे बस्तर संभाग में बस्तर में स्वीकृत हुआ है। निश्चित तौर पर जब नक्सलवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली और उसको अमलीजामा पहनाया, उसके तुरंत बाद प्रश्न आते रहे कि इसके बाद बस्तर का क्या होगा? उसका बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया गया है। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब को उनके इस दयालुपन के लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और परिवहन मंत्री

जी को सदन के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। केशकाल बाईपास का निर्माण कार्य भी चालू हो गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी जिसको पूरा किया गया है। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ छोटी-छोटी मांग रख रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। दो विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क है, बैजनपुरी से लेकर रावस मार्ग है। इस सड़क के बन जाने से ओडिशा से कांकेर को जोड़ने का एक सीधा-सीधा रास्ता बन जाएगा और वहाँ पर जो व्यापार व्यवसाय है, उसको इससे बहुत प्रगति मिल सकती है, लोगों को बाजार की सुविधा मिल जाएगी, रिश्तेदारियों की सुविधा मिल जाएगी। मैं निवेदन करूँगा, मैंने अपने मांग पत्र में इस सड़क को लिखकर भी दिया था लेकिन नहीं जुड़ पाया, ये बैजनपुरी से लेकर रावस मार्ग कहलाता है। माननीय सभापति महोदय, केशकाल विधानसभा क्षेत्र में जब बाईपास बन जाएगा तो केशकाल घाट एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से वहाँ पर एक पी.डब्ल्यू.डी. की गेस्ट हाउस की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अभी हमारे पास लोगों के रुकने के लिए और ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है । आप भी उस रास्ते में जा चुके हैं, सीधा कोंडागांव में जाने पर व्यवस्था बनती है। अगर केशकाल में ये रेस्ट हाउस बन जाता है, अंग्रेजों के कार्यकाल में वहाँ पर रेस्ट हाउस हुआ करता था और वह आज की तारीख में हमारी एक विरासत के रूप में वहाँ मौजूद है वहाँ से पूरे केशकाल घाट का व्यू बहुत शानदार तरीके से दिखाई देता है। निश्चित तौर पर वहाँ पर एक सर्किट हाउस होना चाहिए। अभी केशकाल शहर में अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन के माध्यम से किया गया है और केंद्र सरकार की ओर से 8 करोड़ की राशि से वहाँ पर सड़क का निर्माण भी किया गया है, किंतु उसके चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त 16 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। यह राशि अगर मिल जाती है तो एक माइलस्टोन वर्क वहाँ के लिए हो सकता है और यह रास्ता भारतमाला प्रोजेक्ट को जोड़ने वाला एक बहुत शानदार रास्ता है, वहाँ का जो ट्रैफिक रहेगा, वह ट्रैफिक का पूरा लोड इस सड़क के ऊपर रहेगा। इसलिए इस सड़क को बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। अभी अन्य कोई योजना नहीं भी मिलती है तो आदर्श शहर समृद्धि योजना में भी इसको लिया जा सकता है, वह भी आपके पास है। माननीय सभापति महोदय, खेल के बारे में हमारे केशकाल विधानसभा से एक मिनी स्टेडियम और केशकाल कॉलेज में स्टेडियम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उसको हमने खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी प्रेषित किया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करूँगा कि इसको भी जरूर स्वीकृति प्रदान करेंगे।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन अपने आप में एक ऐसा जादू है जिसकी शुरुआत बहुत खतरनाक तरीके से कांग्रेस वालों ने की थी और एक बिगड़े हुए हालात को आपके धैर्य की वजह से, आपके दूरदृष्टि की वजह से आज एक नई पहचान मिलने लगी है। अब वास्तव में गाँव में जाने से महिलाएँ बोलती हैं कि हमको बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। वरना जब तक हैंडपंप से पानी लेने जाते थे तब तक घर के अंदर जानवर घूस जाया करते थे। अब उनको घर में पानी मिलने लग गया है तो इससे

उनको ज़रूर फायदा हो रहा है और हमने कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और इस काम की वजह से हमारी मातृ शक्तियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन इसमें दो-तीन चीजें रह जा रही हैं और वह है कि इसका मेंटनेंस कैसे किया जाए?

श्री रामकुमार यादव :- कलेक्टर साहब जी, एक झन कलेक्टर ला जब वित्त मंत्री बनइस तो तोला पूछिस कि नहीं, तेला आप बताओ? ओ तोला ठग के ले लेहे। तोला खाली विधायक बना हे। हमन तोला मंत्री बनही कहात रहे हन।

श्री नीलकंठ टेकाम :- आपके साथ मैं अलग से बात करूंगा।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिये। आप बोलिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी चिंता व्यक्त की है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है।

सभापति महोदय :- एक मिनट। मेरा सभी वक्ताओं से आग्रह है कि संक्षिप्त में अपने क्षेत्र की बात और मुख्य रूप से बजट में जो छूट गया है, आप यदि उसको जोड़वाना चाहते हैं तो उसी बात को आप यहां पर उल्लेखित करें और कृपया सहयोग करें, क्योंकि वक्ता बहुत हैं और समय कम है। आप बोलिये। मैंने आपके लिए नहीं बोला है। यह सबके लिए जनरल है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमको ग्राउंड लेवल वाटर पर काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हमें इस पर काम करने की जरूरत है और जल जीवन मिशन को चलाने के लिए जो मानदेय की जरूरत है और ग्राम पंचायत को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इस पर कोई बैक-आउट होने की स्थिति निर्मित न हो। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां लगभग 33 गांवों की जो बसाहट है, वहां उस दौरान सर्वे के समय नक्सलाइट प्रभावित इलाका होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया था तो मैं चाहूंगा कि उन गांवों का भी सर्वे किया जाए ताकि जल जीवन मिशन के माध्यम से इसमें फायदा हो सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रोहित साहू। आप भी संक्षिप्त में अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुत दिनों के बाद बोलने के लिए खड़ा भी हुआ हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आज मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मेरे राजिम विधानसभा क्षेत्र की ओर से, गरियाबंद जिलावासियों की ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। महत्वपूर्ण विभागों के विषय में मैं कुछ बातें भी रखना चाहूंगा। PWD

विभाग, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। मैं इस अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए आज खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने इस वर्ष संकल्प बजट के माध्यम से राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 की दिशा में अग्रसर करने का एक माध्यम, एक मार्ग प्रशस्त किया है। यह सराहनीय है। विशेषकर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इस बुनियादी ढांचे को जो मजबूती दी जा रही है, वह प्रदेश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ साबित होगी। राज्य की प्रगति का पहिया उसकी सड़कों पर दौड़ता है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। इस नारे को चरितार्थ करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि वह इस विभाग के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, एक नई योजना लेकर आए हैं–मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना। जिसके लिए हमारे इस बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को कम से कम टू लेन सड़कों से जोड़ा जा सके। ऐसी हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश के ऐसे 200 गांव हैं, जहां की बसाहटें अब तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पायी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सदन में कांग्रेस की जो स्थिति है, उसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष किसी महिला को बना देना चाहिए। भले ही वह केयरटेकर हो, उनको कार्यवाहक बोला जाये, लेकिन बना देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो है, वह महिलाओं को बनाना चाहिए, मैं यह बोल रहा हूं। केयर टेकर बना देना चाहिए। यदि आप चाहे तो एक व्यवस्था दे सकते हैं। भाभी जी सबसे सीनियर हैं, उनको वहां ले जाकर 5 मिनट के लिए स्थगित कराकर उनको बैठा देते हैं।

सभापति महोदय :- यह आसंदी का काम नहीं है। रोहित जी, आप बोलिये।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, धन्यवाद । प्रदेश के ऐसे 206 गांव हैं, जहां बसावटें अब तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाई थीं। माननीय सभापति महोदय, उन्हें जोड़ने के लिए इस बजट में 50 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है, इसके लिए मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ अच्छी सड़कों से ही हमारे आम जीवन में विकास की किरणों का प्रवेश होता है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सो के उठ के आ गे हस लगत हे, एकदम फ्रेश मूड में।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ड्रेस घलोक बदल गे हे, ऐसा लागत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- में हर ये डहार ले कभू नहीं जाऊं। आप मन जानत हव। इही करे आजू-बाजू में घूमत रहिथो। ताला लगही तभी जाहूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ड्रेस हर बदलिस हे का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय विधायक जी, यह देखकर पढ़ना बंद करिये और एक्सटेम्पोर बोलिये। चलिये बोलिये, आप जोरदार बोल रहे हैं। कागज नीचे रखकर बोलिये।

श्री रोहित साहू :- जी, धन्यवाद। भैया, आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते रहता हूँ।

सभापति महोदय :- रोहित जी, थोड़ा सहयोग करिए।

श्री रोहित साहू :- जी,जी बस ज़्यादा नहीं बोलूंगा, दो मिनट ही बोलूंगा। है तो बहुत सारी बातें लेकिन आज ज्याजदा नहीं बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, हर्ष की बात है कि इस बजट में लोक निर्माण विभाग ने लोक सेवा को प्राथमिकता में रखते हुए प्रदेशवासियों को अनेक सौगातें दी हैं। हमारी सरकार ने पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से बस्तर से लेकर सरगुजा तक विकास का जाल बिछाने का संकल्प लिया है। 9,451 करोड़ रूपये का बजट उन ग्रामीणों की उम्मीद है जो पहली बार अपने गांव में पक्की सड़क देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के माध्यम से गांवों की दूरियां भी घटेंगी और व्यापार तथा उद्योगों में नए द्वार खोले जाएंगे। अधोसंरचना के इस छत्तीसगढ़ मॉडल आने के समय में राज्य के जी.डी.पी. को बढ़ाने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय सचेतक जी भी आ गए हैं और वह मुझे सचेत कर रहे हैं। मैं इस समृद्धि कॉरिडोर योजना या हमारा जल संसाधन विभाग है या इंडोर स्टेडियम की बात करें या नालंदा परिसर की बात करें या पेयजल व्यवस्था की बात करें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नालंदा परिसर जैसी योजनाएं लायी गयी है, यह हमारे छात्र-छात्राओं के लिए बहुत शानदार योजना हैं, इसके लिए भी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के छात्र-छात्राओं को नया जीवन मिलने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे राजिम विधान सभा और गरियाबंद जिले में बहुत बड़ी -बड़ी सौगातें दी हैं, मैं उसके लिए पूरे राजिमवासियों और गरियाबंदवासियों की ओर से हृदय से छत्तीसगढ़ सरकार को और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, जो राजिम कुंभ मेला लगता है। हम सब को पता है कि वहां जाने की व्यवस्था में बड़ी दिक्कतें होती थी, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नवीन मेला स्थल के फोरलेन के लिए 34 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गयी है। मैं इसके लिए भी उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ राजिम, गरियाबंद जिला, राजिम छूरा एक बहुप्रतिक्षित मांग थी, जिसके लिए कई आंदोलन भी हुए, कई आवाजें भी उठी लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यह बहुप्रतिक्षित मांग के लिए आज 145 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान हुई है। आज राजिम विधान सभा, गरियाबंद जिले के लोग बड़े उत्साह के साथ

इस सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं भी इस सदन के माध्यम से इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की एक मांग है, गरियाबंद जिला को नया-नया जिला बने हुए कुछ ही दिन हुआ है। उस जिले में एक बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गरियाबंद जिला में बहुत सारे अनेकों प्रकार के जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होते है। बारिश और गर्मी के दिनों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। गरियाबंद जिलेवासियों की एक मांग है कि गरियाबंद जिला में जिला मुख्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण हो जाये जिसके लिये आपसे पूर्व में भी विशेष रूप से नगरवासी लोग इसकी मांग किये थे। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि गरियाबंद जिला में कम से कम एक ऑडिटोरियम बन जाये ताकि अन्य कार्यक्रमों की सुविधा क्षेत्रवासियों का मिल सके।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करिये।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक विषय है, हमारी सरकार ने आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रारंभ की है, यह बहुत शानदार योजना है। चूंकि धर्मनगरी राजिम है, छत्तीसगढ़ का प्रयास बोलते हैं, जहां त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला लगता है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह विशेष आग्रह है कि राजिम नगर को भी इस योजना में शामिल किया जाये। साथ ही साथ एक और निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की जल स्तर की चिंता पूर्व में भी रखा था। 136 ऐसे गांव हैं, जहां भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है, 500 फिट बोर खनन करने से भी पानी नहीं निकल पा रहा है। वहां के लिये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी महाशिवरात्रि में गये थे तो 136 गावों की पेयजल व्यवस्था की घोषणा भी किये हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन 136 ग्रामों की पेयजल व्यवस्था के लिये भी इस बजट में शामिल कर दिया जाये। बोर खनन जो 500 फिट होता है, उनको 1000 फिट बोर खनन की स्वीकृति भी आपके माध्यम से हो जाये।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करिये।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, एक ही और मांग है। राजिम नगर स्ट्रीट में एक स्टेडियम है जो बहुत पुराना स्टेडियम है। राजिम की आबादी आपको पता ही है, लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में उस क्षेत्र के बहुत छात्र-छात्रायें खेलते आते हैं, लेकिन स्टेडियम की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके भी जीर्णोद्धार के लिये 1 करोड़ रुपये का प्रावधान आपके नगरीय प्रशासन विभाग से या अन्य कोई विभाग से करवा देते, यही मेरा विशेष आग्रह है। माननीय उपमुख्यमंत्री जी मैं आपको पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपने इतना शानदार बजट पेश किया है। मैं इन अनुदान मागों का समर्थन करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार को मैं बहुत-बहुत

धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। आप 5 मिनट मे बोलियेगा।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (सूरजपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, सबसे लास्ट मे है, मैं थोडा ही बोलना चाहूंगी।

सभापति महोदय :- आपके बाद और कई लोग हैं न।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मागों पर समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं दो लाईनों से माननीय मंत्री जी का उत्साहवर्धन करना चाहूंगी। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पी.डबल्यू.डी. विभाग में और सभी विभागों में जो कार्य किया है, वह निश्चय ही सराहनीय है। मैं कहना चाहूंगी कि-

बाधायें कितनी भी हों, पथ से विचलित नहीं होंगे
जनकल्याण के पावन संकल्प से, हम कभी पीछे नहीं होंगे
ये बजट गवाह है, हमारी दृढ इच्छाशक्ति का,
कि विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को,
हम सब सच करके रहेंगे, सच करके रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, सड़कों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, जैसे रामकुमार भाई घर की बात बार-बार करते हैं, इसलिए मै भी बताना चाहूंगी। मेरे खुद के जीवन में वर्ष 2021 में बहुत बड़ी घटना हुई थी। हमारे ससुर जी स्वर्गीय श्री तेजनाथ सिंह पोर्ते जी बहुत बीमार थे और मुझे अपने ग्राम मुढिया से अंबिकापुर आना था। मुढिया से अंबिकापुर लगभग 140 किलोमीटर पड़ता है। जो सड़कें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने बनवाई थी, उन सड़कों को अवैध रेत खनन से कांग्रेस सरकार में बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। अब उसी सड़क से मैं अपने निजी वाहन से अपने ससुर जी के इलाज के लिये आ रही थी और रोड इतनी खराब थी जिसकी वजह से मुझे मिशन हॉस्पिटल अंबिकापुर पहुंचने में आधे घंटे का लेट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। यह मेरे जीवन की बहुत दु:खद घटना थी। मैं आज अपने विष्णु देव साय जी की सरकार को और परम सम्माननीय हमारे भैया अरूण साव जी को धन्यवाद देना चाहती हू कि जितने बनते ही हमारी प्रतापपुर विधान सभा की तमाम सड़कें, अगर आप बनारास मार्ग जाना चाहेंगे तो चाहे आप जरही तर फ से जायें या खड़गवां होकर के जायें, एक बेहतर सड़क की कनेक्टिविटी हमारे विधान सभा में मिली है , जिसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी ।

माननीय सभापति महोदय, हमें बोलने के लिए कम समय दिया गया है लेकिन जो बहुत मुख्य-मुख्य चीजें हैं, मैं वही कहना चाहूंगी । मैं हमारे माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं

कि आपके आशीर्वाद से जो प्रतापपुर विधानसभा में सड़कों का जाल बना हुआ है, उससे हमारे क्षेत्र की जनता काफी लाभान्वित है और उन्होंने आपको धन्यवाद ज्ञापित किया है । मैं आज इस सदन में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं । माननीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने वाली हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार है । वर्ष 2014 में जब देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में आई थी तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने शौचालय की बात कही थी । जिसे विपक्ष के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था । देश ही नहीं हमारा प्रदेश भी स्वच्छता की राह पर चल पड़ा है । स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हमारी सरकार ने विशेष प्रयास कर भारत सरकार से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राशि रुपए 230 करोड़ रूपये की कार्ययोजना स्वीकृत कराई गई है । स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में प्रदेश के 7 नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होना हमारी विशेष उपलब्धि रही है । मैं यह बताना चाहूंगी कि मेरे प्रतापपुर विधानसभा को भी वर्ष 2025 में प्रतापपुर स्वच्छता में पूरे देश में Non Million City Category में पांचवें स्थान पर सम्मान प्राप्त हुआ है । मैं आज हमारे मंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं । मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी चूंकि समय का अभाव है । मैं अपने विधानसभा की कुछ मुख्य मांगों पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी ।

माननीय सभापति महोदय, जरही हमारा कोल्ड फील्ड एरिया है और वहां पर एक रेस्ट हाऊस की विशेष आवश्यकता है । मैं आग्रह करना चाहती हूं की जरही में पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस का एक निर्माण कराने की कृपा करेंगे । नगर पंचायत वाड्रफ नगर जो कि एक अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड है उधर से कई राज्यों का बसों का आना-जाना होता है । यदि आप वाड्रफ नगर में एक हाई टेक बस स्टैण्ड करा दें तो बहुत कृपा होगी । माननीय सभापति महोदय, मैं एक आग्रह हर बार करती हूं और इस बार भी करना चाहती हूं कि बनारस का मुख्य मार्ग आप जाएं या प्रयागराज जाएं । घाटपेण्डारी में, मंत्री जी एक ब्रिज निर्माण की आवश्यकता है । आप इसे अगर कर दें तो क्षेत्र की जनता आपका बहुत आभार व्यक्त करेगी क्योंकि 1500 मीटर का खतरनाक मोड़ है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । यही सब मेरी छोटी -छोटी मांगे हैं और आपने बहुत दिया है इसलिए आज मैं इस सदन में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री प्रणव कुमार मरपची । आप भी थोड़ा समय का ख्याल रखें ।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर, मांग संख्या- 20, 22, 24, 43, 67, 69, 76 एवं 81 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों की पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्य विषयों पर नहीं जाउंगा । बहुत सारे विषय और विवरण आ चुके हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मरपची जी, सुनिये । मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि यह छोटा-छोटा मांग वगैरह पढ़ना बंद कर दो । आप एक अशासकीय संकल्प ले आओ, अमर हो जाओगे, अमरकंटक को छत्तीसगढ़ में मिलाया जाये करके, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं ।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- आपको सुझाव के लिये धन्यवाद, बहुत अच्छे सुझाव हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक संकल्प लाओ और यहां से भेजो, केंद्र सरकार में भेजा जाये करके ।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही अच्छा सुझाव है । निश्चित ही यह पूरे प्रदेश का मामला है और यह प्रदेश स्तरीय विषय है । आगे निकट भविष्य में इस विषय को मैं आपके माध्यम से रखूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट में जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया चूंकि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां शिक्षा जो है बहुत कम है । ऐसा नहीं है कि वहां के लोग शिक्षित नहीं हैं । शिक्षा का अभाव है, व्यवस्थाओं का अभाव है, पूरा क्षेत्र ग्रामीण है । जैसा कि यदि मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो वह गांवों का समूह है और इसी वर्ष उसने नगर पंचायत का रूप लिया है । वहां से बच्चे बिलासपुर तक पहुंचकर के कोचिंग संस्थानों में जाना, पढ़ाई-लिखाई करना, एग्जाम देना यह बहुत कठिन है । लगभग 3 बार, 4 बार, 5 बार या कई बार जो है एग्जाम देने के लिये बिलासपुर जाना पड़ता है और बच्चे जो हैं पढ़ना छोड़ देते हैं, एग्जाम देना छोड़ देते हैं । प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना छोड़ देते हैं। इसमें जो मेरा मुख्य बिंदु है वित्तीय वर्ष 2026-2027 में छत्तीसगढ़ में जो नालंदा परिसर की योजना चल रही है और इस वर्ष नगर पालिका मनेन्द्रगढ़, तखतपुर, भाटापारा, नगर पंचायत पंडरिया एवं पुरसौर में नालंदा परिसर निर्माण हेतु नवीन बजट प्रस्तावित है। मेरी उम्मीद जग गयी कि नया-नया मेरा नगर पंचायत भी बना है चूंकि 80 किलोमीटर की परिधि में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां पर शिक्षा ग्रहण कर सकें..।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कि दोनों पक्ष को बराबर समय देना है। इधर नाम कटवा देते हैं तो हम लोग कैसे सुनेंगे। हम लोगों को बहिर्गमन करना है या सुनना है। ऐसा तो कभी नहीं होता है।

सभापति महोदय :- आपको सुनना है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, अगर इधर सदस्य नहीं होगा तब उनको बोलना है । इधर भी सदस्य हैं तब भी नाम काट देते हैं। उधर एक तरफा बोलते जाते हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, जबकि महत्व इधर ज्यादा देना चाहिए। वह तो सत्तापक्ष के लोग हैं मंत्री उनका है हम लोगों को मांग रखना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि यहां नाम काट दिया गया।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि वहां 80 किलोमीटर की परिधि में कोई शहर नहीं है वहां शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में उस क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो नालंदा परिसर बनाने की योजना लायी गयी है। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी मरवाही के लिए नालंदा परिसर की स्वीकृति दे देंगे तो वहां के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं पूर्व में भी इसकी मांग कर चुका हूँ। मेरा आवेदन भी गया है शायद यह मंत्री जी के ध्यान में नहीं होगा। मैं कुछ नयी मांगों को जोड़वाना चाहता हूँ मैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह मांग कोई नयी मांग नहीं है। यह बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते रहता है । शायद आपने भी इस विषय को रखा होगा । पेण्ड्रा से गौरेला बाई पास मार्ग, बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां पर कई सारी घटनाएं होती रहती हैं । यहां पर जो अधिकतर जनप्रतिनिधि हैं उन सबको मालूम है और यह मंत्री जी को भी मालूम है। कई बार मंत्री जी के पास जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसका आवेदन आया है तो इसको थोड़ा स्मरण और ध्यान में रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, मेरी एक और मांग पुलिया निर्माण की है, जो लगभग 3 करोड़ रूपये का होगा। यह परासी से कोतमा के लिए जाता है जो मध्यप्रदेश से जुड़ता है और यह कई सालों से एकदम जर्जर स्थिति में है। अगर यह बन जाएगा तो वहां मध्यप्रदेश से अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। मेरी एक और मांग पुलिया निर्माण ही है यह ज्यादा बजट का नहीं है, यह लगभग 3 करोड़ रूपये का होगा, जो सिवनी से उमरिया घूजा नाला पहुंच मार्ग है। मेरे क्षेत्र के लिए जो पूर्व में जो मंत्रियों के द्वारा घोषणा की हुई है मैं उनको स्मरण दिलाना चाहूंगा। जब हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नगर पंचायत मरवाही के लिए खेल स्टेडियम निर्माण कार्य की बात थी और नगर पंचायत मरवाही के लिए तालाब सौन्दर्यीकरण की बात थी, मैं इसको स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का पेण्ड्रा का दौरा हुआ था तो आपके विभाग के द्वारा एक घोषणा हुई थी कि वहां पर उच्च स्तरीय विश्राम गृह का निर्माण होगा। माननीय मंत्री जी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौरेला का दौरा किया था तब उन्होंने एक घोषणा की थी कि वहां पर उच्च स्तरीय विश्राम गृह का निर्माण होगा। मैं आपको इसलिए स्मरण दिलाना चाहता हूँ क्योंकि यह आपके विभाग का विषय है। मुझे विश्वास है कि यह हो सकता है कि उस माध्यम से भी लेटर आएगा। आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही मांग करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी पर मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में मेरी मांगों की पूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आप भी बोलेंगी। आप बोल लीजिए। आप बोल लीजिए। मैं टाईम दे रहा हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद):- माननीय सभापति महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि बजट में जो बातें छूट गयी हैं, उसको जोड़वाना चाहती हूँ। जो माता बहादुर कला नहर मार्ग से सोरर बस्ती होते हुए मुजगहन मार्ग है सिर्फ यह 2 किलोमीटर का मार्ग है और दूसरे नंबर पर जगतरा से मटिया बी मार्ग 5 किलोमीटर का है जिसमें स्कूल के बच्चे मटिया से जगतरा आते हैं। धनेली से अरमरीकला मार्ग 11 किलोमीटर का है, जो बोड़रा में पुल है उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, वहां नीचे पुल पूरा खुला हुआ है। बोड़रा का जो पुल है, उसकी रैलिंग पूरी खत्म हो गयी है तो मैं धनेली से अरमरीकला मार्ग 11 किलोमीटर, पुल के साथ मांग करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आप भी बोल लीजिए।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन है कि 2022-23 के बजट में प्रावधान हुआ था, जो रींवापार से डगनिया पहुंच मार्ग 2 किलोमीटर और नवरंगपुर सिंघनपुर कौआताल से पहुंच मार्ग रोड़ हे और भेड़वन से मुख्य कौआताल और गोपालभवना से कपीशदा पहुंच मार्ग 5 किलोमीटर हे । माननीय मंत्री जी से निवेदन हे कि एला बहुत जल्दी करवा देतेव तो ज्यादा अच्छा होतिस । काबर कि मोर क्षेत्र ह अनुसूचित जाति क्षेत्र हे, लईका मन ला स्कूल जाए, आये मा बहुत समस्या होथे । अभी आप अटल जी के मूर्ति के उद्घाटन करे बर बरमकेला गे रेहेव तो वहां भी रेस्ट हाऊस के बहुत जरूरत हे काबर कि बहुत दिन से ऊंहा रेस्ट हाऊस नहीं हे तो आपसे निवेदन हे ।

सभापति महोदय, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनथे, सारंगढ़ जिला के नाम से आए हे, लेकिन ओला वित्त मंत्री जी ह सरिया में अपन विधान सभा क्षेत्र मा लेगना चाहथे तो आपसे आग्रह हे कि सारंगढ़ में होतिस तो सारंगढ़ के लईका मन ला ओकर लाभ मिलतिस ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, ओला रूकवा दूहू ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- तोर ला कईसे लेगही, वित्त मंत्री जी ला कमी थोड़े हे ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- वित्त मंत्री जी ह सारंगढ़ ला गोड़ के छोड़ दे हे न, जितना भी सारंगढ़ बर योजना आथे, ओला केवल रायगढ़ जिला में ले जाथे, सरिया में ले जाथे । मंत्री जी से निवेदन हे कि ओला सारंगढ़ में ही होना चाहिए काबर कि सारंगढ़ मा होही त लईका मन ला लाभ मिलही । सारंगढ़ के लिए जो भी कुछ होवथे, ओला वित्त मंत्री जी ह सरिया ले जाथे । वे रायगढ़ जिले के वित्त मंत्री हैं या पूरे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उसको बताईए । सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सुशांत शुक्ला :- तै प्रस्ताव ला दे कि सारंगढ़ ला रायगढ़ में शामिल करें।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मेरे सिहावा विधान सभा क्षेत्र में नगरीय विकासखण्ड में बरबांधा में पहले स्टेडियम स्वीकृत था तो उसकी स्वीकृति दी जाये और नगरी प्रापर में पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाऊस नहीं है इसलिए नगरी में रेस्ट हाऊस की स्वीकृति दी जाये क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही रेस्ट हाउस है, वह भी फारेस्ट का है तो नगरी आने में आप लोगों को ही दिक्कत होती है तो इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए और सहानीखार से सेमरा तक की रोड़ जो 5 किलोमीटर है, पीडब्ल्यूडी की रोड़ है, उसकी भी स्वीकृति दी जाये ।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें मांग संख्या-20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मांग संख्या-22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय, मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, मांग संख्या-43 खेल और युवक कल्याण, मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य-भवन, मांग संख्या-69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण, मांग संख्या-76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, मांग संख्या-81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हैं । विपक्ष के नाते हमें तो विरोध करना है और विरोध करने वाली बात भी है । मैं सभी विभागों का प्रशासकीय प्रतिवेदन देख रहा था । पिछले वर्ष हर विभाग में जो राशि मिली थी, उसमें से कई विभाग में तो 1 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं हुई । कई विभाग में 50 प्रतिशत राशि खर्च हुई है । मंत्री जी, इसके कारण ऐसा लगता है कि इस समय आपके हर विभाग में बजट की कटौती हुई है । इतने पैसे का प्रावधान करते हैं और खर्च नहीं होना मतलब स्वाभाविक है कि आने वाले बजट में कटौती होगी। मेरा निवेदन है कि इस साल भी जो भी बजट प्रावधान हुआ है, उसमें शत-प्रतिशत राशि खर्च हो, ताकि आने वाले समय में कटौती न हो पाये । मेरा सबसे बड़ा सलाह और निवेदन भी है, मैं देख रहा था कि हर विभाग में 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसलिए आप कितना भी पैसा देंगे तो भी काम कैसे होगा ? यह सबसे बड़ी बात है। इस सत्र में कम से कम जो मुख्य मुख्य पद है, उसकी भर्ती हो जाये तो कम से कम आप जो भी काम देते हैं, चाहे पी.एच.ई. विभाग को दें, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को दें तो समय पर काम होगा। एक-एक कर्मचारी, दो-दो तीन-तीन लोगों का काम कर रहे हैं तो कैसे काम होगा ? मेरा यही निवेदन है। ज्यादा नहीं बोलना है। यही दो-चार शब्द बोलना था।

सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। हमारे मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जल ही जीवन है। कई सरकार आईं और कितनी सरकारें चली गईं, लेकिन सूखा क्षेत्र के लिए इतने सालों से मध्यप्रदेश से अलग हुए 25 साल हो गए, सूखा क्षेत्र के लिए कोई भी कार्ययोजना आज तक नहीं बन पाई है। गांव में जैसा था वैसा ही है। हम लोग हजारों करोड़ रूपये दे रहे हैं, हम लोग उस क्षेत्र के लिए हर साल मांगते हैं। हम बोर नहीं खनन नहीं करवा पाते हैं और ना वहां

जल जीवन मिशन का पानी पहुंच पा रहा है। हम लोग कई बार पूर्ववर्ती सरकार से भी मांग करते आ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लिए विशेष कार्ययोजना नहीं बनी है। चाहे फ्लोराइड क्षेत्र के लिए, चाहे आयरन क्षेत्र के लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए हो, कोई कार्ययोजना इस बजट में नहीं दिखा है और खासकर हमारे बस्तर में दिनोंदिन। हम लोग दो सौ- ढाई सौ फीट हैण्ड पम्प खनन करवाते थे तो पानी मिलता था, लेकिन अब एक-एक हजार फीट खोदने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। यह चिंता का विषय है। उसके लिए पी.एच.ई. विभाग या आपके द्वारा कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर भी सरकार ध्यान दें। हमारे जितने भी बारहमासी नदी-नाले हैं, सब सूख गये हैं। हमारा इन्द्रावती नदी भी पिछले साल सूख गया था। खैर इस साल तो ऐसा नौबत नहीं आई है। लेकिन पिछले साल सूख गया था। इसलिए इस सबके लिए गंभीरता की जरूरत है। नहीं तो विशेष पैकेज, हमारे भारत सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वहां से मंगाया जाये और समस्या का समाधान कराया जाये।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के लिए मैं पिछले समय धरना भी दिया था, लेकिन जस के तस है। बस्तर में काम नहीं हो रहा है। हमारे सभी भाई लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहां तो दो-दो, ढाई-ढाई साल हो गये हैं, पिछले सरकार के कार्यकाल के काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है तो कैसे काम होगा ? तो आप इसको दिखवा लीजियेगा। हम लोग बार-बार समीक्षा करते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जल जीवन मिशन का काम भी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पुराने हैण्ड पम्प जैसे डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ फीट का खनन था, वह सब गर्मी में सूख जाते हैं। हम लोग उसके लिए क्या विशेष उपाय करेंगे क्या उसी बोर में और खनन कर सकते हैं, उसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आपका पी.डब्ल्यू.डी. विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। पिछले समय पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में 16-17 पुल-पुलियों के लिए बजट प्रावधान रखा था। लेकिन एक का भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली थी। मेरा निवेदन है कि इस साल भी 16-17 उसी काम रिपीट हुए हैं। लेकिन एक भी काम को प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं। मेरा निवेदन है कि अगर मिल जाता तो क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो जाता। पिछले 2 साल से आपकी सरकार होने के बाद भी एक भी काम नहीं हुआ है। इस साल भी प्रावधान है, वर्ष 2020-21 से बजट में आ रहा है। लेकिन 21-22 से अभी तक आया है, मैं इस साल भी देख रहा हूं कि 16 पुल-पुलिया और रोड का काम आया है। लेकिन यह भरोसा नहीं है कि यह आयेगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप करें।

सभापति महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के खासकर ब्लाक स्तर के चाहे स्कूल हो, छात्रावास हो, आश्रम हो, कालेज बिल्डिंग हो, जो भी आपके अधीनस्थ भवन हैं, उनका वार्षिक मरम्मत नहीं हो पाता है। तो उसमें भी अधिक से अधिक बजट प्रावधानित कर काम हो जाता तो ठीक रहता। एक और निवेदन

है कि हम लोग आते-जाते देखते रहते हैं कि एक तो 6-7 महीने के बाद नगर पंचायत केशकाल में रोड बनना शुरू हो गया है। नहीं तो गांव के लोग बहुत परेशान थे, उन लोग हड़ताल किए, सब कुछ किए, लेकिन वह अभी भी अधूरा है। आधा-अधूरा बना है। अभी आते समय पूरा धूल भर गया था, वह कब पूरा होगा, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिये। केशकाल के नीचे काले मुरमेंट में एक पुलिया है। बरसों जहां 8-10 साल से शुरू हुए, लेकिन वह क्यों नहीं बन पा रहा है, समझ से बाहर है। उसके बाद आतुर गांव में भी एक पुलिया है, उसमें भी नहीं हो रहा है और क्या नाम है, टोल गेट, वह भी काम नहीं हो पा रहा है, साल-साल भर से अधूरा है । दो पुलिया कम से कम पूर्ववर्ती सरकार के सैंक्शन समय का है। उस समय से अभी तक बन नहीं पा रहा है, क्या कारण से है थोड़ा देख लीजिये। डायवर्सन भी ठीक से नहीं है, आने-जाने में खूब दिक्कतें हो रही हैं। तो उसमें थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि आते-जाते देखते हम लोगों को कमेंट्स करते हैं, कई लड़के लोग मिल जाते हैं, वे भाई लोग कहते हैं कि तुम मन तो नेता मन हर इसी प्रकार के बोलते रहते हैं। थोड़ा सा निवेदन है कि उसको भी देखें। अब नगरीय प्रशासन विभाग में बोलना चाहूंगा। पिछले समय बोला था, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बस्तर गए थे, उस समय और आपको पिछली बार भी याद दिलाया था, इंद्रावती से नगर पंचायत में पानी लाने के लिए 100 करोड़ की घोषणा किये थे, लेकिन बजट में वह भी दिखा नहीं। तो उसमें भी मेरा निवेदन है कि उसको भी देख लेंगे। साथ-साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग है। खेलो इंडिया का, दुनिया भर का बोल रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में इतनी जागृति हो गयी है खेलकूद हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो आदि-आदि हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक जमीन नहीं मिल पा रही है। जमीन है तो खेल मैदान की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिये। छोटे-छोटे बड़े-बड़े जो गांव हैं, ब्लॉक मुख्यालय हो, चाहे बड़े जो गांव जो 2,000-3,000 की ज्यादा बस्ती मन न, ओ गांव मन में छोटा-छोटा मिनी स्टेडियम वगैरह हो जाता तो अच्छा रहता। यह मेरा संक्षिप्त था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- उप नेता के बाद भी बोलेंगी, बोल लीजिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- मेरी मांग बस थी।

सभापति महोदय :- हां, कर लीजिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय उपमुख्यमंत्री जी, पिछले बजट में खेल मैदान उन्नयन के लिए भानुप्रतापपुर में 1 करोड़ 88 लाख स्वीकृत हुआ था, कुछ पैसे आ भी गए थे, लेकिन पुनः वह पैसा वापस कर दिये गए हैं। तो मैं चाहती हूं कि बजट में अभी भानुप्रतापपुर खेल मैदान उन्नयन के लिए उसको अगर करा देते तो बहुत अच्छा होता। धन्यवाद।

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- माननीय सभापति जी, मेरे को तो बोलना नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है। ये अधिकारी भी हैं, उपमुख्यमंत्री साहब भी हैं। हमारा गगनपल्ली से बेजी रोड केंद्र

सरकार के माध्यम से बन रहा था। चार-पांच दिन हो गए, वह कैंसिल हो गया है। गगनपल्ली से बेजी नक्सलाइट के कारण 2 साल पहले सैंक्शन हुआ था, मिट्टी का पूरा मुरूम-मुरूम हो गया, डामर होना बचा था। ये चार-पांच दिन, एक सप्ताह हो गया, वह कैंसिल हो गया, केंद्र सरकार का पैसा था। अगर राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से उसको मदद करे क्योंकि बेजी नक्सल क्षेत्र है। चार रोड है। एक तो पेंटा से थोंगगुड़ा और एक गोरखा से नेलगुड़ा, ये चार-पांच दिन हो गए, कैंसिल हो गया है। दूसरा, मैं उस दिन भी बोला था, मलगन नदी का पुलिया और झिरमपाल का पुलिया और एक कांजीपानी, गोरली नदी और एक बोकला घाट। ये पूरा प्लिंथ तो उठ चुका है, खाली स्लैब डालना है, लोग बहुत परेशान हैं। उसको चालू कर देना, मेरा यही निवेदन है और ज्यादा कुछ नहीं बोलना।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो नहीं कह सकता, एक निवेदन है कि 7:00 बजने वाले हैं और हम नई चर्चा कराएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, 9:00-10:00 बज जाएंगे। मेरा निवेदन है कि गृह विभाग या गृह मंत्री जी से संबंधित मांगों पर कल चर्चा हो जाए, आज इनकी मांगों को पास कर देते हैं।

सभापति महोदय :- एक मिनट उपमुख्यमंत्री जी।

डॉ. चरणदास महंत :- संसदीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं,

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- ठीक है। चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रस्ताव लाया है...।

सभापति महोदय :- आप सहमत हैं न? आप सहमत हैं या नहीं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- वही टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सहमत हैं, कल कर लेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, इन चार विभागों के मांग प्रस्ताव पर 22 माननीय सदस्यों ने अपना-अपना विचार प्रस्तुत किया है। सर्वश्री अजय चंद्राकर जी, द्वारकाधीश यादव जी, ब्यास कश्यप जी, सुनील सोनी जी, कुंवर सिंह निषाद जी, धर्मजीत सिंह जी, भोलाराम साहू जी, मोतीलाल साहू जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, सुश्री लता उसेंडी जी, सर्वश्री तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, अनुज शर्मा जी, रामकुमार यादव जी, प्रबोध मिंज जी, नीलकंठ टेकाम जी, रोहित यादव जी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, श्री प्रणव कुमार मरपची जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी और श्री लखेश्वर बघेल जी। इन सभी माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से अपनी-अपनी बातें रखी हैं और ध्यान से मैंने सबकी बातों को न केवल सुना है, वरन् सबकी महत्वपूर्ण बातों को मैंने नोट भी किया है। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं, जिसके लिए मैं सभी सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद

देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले एक प्रसिद्ध कवि की कविता से अपनी बात की शुरुआत करूँगा :-

''कोशिश कर, हल निकलेगा,
आज नहीं तो कल निकलेगा।।
अर्जुन के तीर सा सध,
मरुस्थल से भी जल निकलेगा।।
मेहनत कर पौधों को पानी दे,
बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा।।
ताक़त जुटा हिम्मत को आग दे,
फौलाद का भी बल निकलेगा।।
ज़िंदा रख दिल में उम्मीदों को,
गरल के समंदर से भी गंगाजल निकलेगा।।
कोशिशें जारी रख कुछ कर गुज़रने की,
जो है आज थमा-थमा सा, वह भी चल निकलेगा।।
कोशिश कर, हल निकलेगा,
आज नहीं तो कल निकलेगा।।'' (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- एक मिनट। वह आपके लिए कुछ शायरी कहना चाहते हैं।

श्री अरूण साव :- जी ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय,

तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आँकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।।
उधर जम्हूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं लोग,
इधर परदे के पीछे बर्बरीयत है, नवाबी है।।

सभापति महोदय :- आप अपने भाषण के समय यह नहीं बोले थे? (हंसी) मंत्री जी।

श्री कवासी लखमा :- अवसर नहीं दिया गया।

सभापति महोदय :- आपको अवसर मिल गया।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, सरकार की योजनाएँ कैसी बनती हैं, सरकार के काम कैसे होते हैं, ये सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सोच और नीयत पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी विकासपरक सोच है, आपकी जनकल्याणकारी नीयत है तो जो आपकी योजनाएँ बनेंगी,

आपके जो कार्यक्रम बनेंगे, उस पर आपकी झलक दिखेगी। हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार का तीन बजट प्रस्तुत हुआ है। हमने पहला बजट 'GYAN' का बजट प्रस्तुत किया, 'VISION' का बजट प्रस्तुत किया, दूसरा बजट 'GATI' का बजट प्रस्तुत किया और यह तीसरा बजट 'SANKALP' का बजट किया है। (मेजों की थपथपाहट) आपका संकल्प, आपकी विकासपरक सोच, आपकी नीयत, आपके कार्यक्रम, आपकी योजना, आपके बजट में दिखता है । विकासपरक सोच और जनकल्याण की नीयत, यह उसी सोच का नतीजा है यह जो अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना वह विकासपरक सोच और जनकल्याण की जो नीयत है, उस आधार पर यह छत्तीसगढ़ राज्य बना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवम्बर 2000 से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया । न कोई बड़ा आंदोलन, न उस तरह की बातें, लेकिन जिस राजनैतिक विचारधारा से हम सोचकर काम करते हैं, जनता के दर्द को, जनता के नब्ज को समझकर, जनता की आवश्यकताओं को समझकर योजनायें बनाना, नीति बनाना, उसका नतीजा है अलग छत्तीसगढ़ राज्य और जिसका हमने रजत जयंती वर्ष मनाया है । रजत जयंती वर्ष पर इस विधान सभा का भव्य इमारत खड़ा हुआ है, उसी विकासपरक सोच और अच्छी नीयत का ही परिणाम है । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, आज देश का सर्वश्रेष्ठ विधान सभा है, यह हमारा है, देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालय का भवन हमारा है, यह सोच और नीयत को बताता है । यह वही देश है, वही संविधान है, वही व्यवस्था है, वर्ष 2014 के पहले देश के हालात क्या थे, हमारा देश कहां जा रहा था, किस दिशा में चल पड़ा था, दुनिया के सामने हमारी क्या स्थिति थी, देश की अर्थव्यवस्था क्या था, जनता का मानस कैसा बन गया था, कैसे छोटे-छोटे देश हमें ऑंख दिखाते थे ? वर्ष 2014 के बाद वही संविधान, वही व्यवस्था, वही देश, लेकिन इन 11 सालों में आज भारत की स्थिति कैसी बदली है ? देश का जनजीवन कैसे बदला है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आया है, आम लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आई है, 4 करोड़ गरीबों को कैसे पक्का मकान मिला है ? (मेंजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में जो बैठे हुये लोग हैं, उनकी इस विकासपरक सोच और जनकल्याणकारी यदि नीयत है तो योजनायें ऐसी बनती है और देश तथा प्रदेश इस तरह से विकास करता है । सभापति महोदय, इस राज्य ने 25 सालों में 2 तरह की सरकारें देखी है, इसमें लगभग 17 साल हमारी सरकार और 8 साल प्रतिपक्ष की सरकार देखी है । दोनों सोच के फर्क को स्पष्ट करने वाली योजनायें है, 7 साल और 17 सालों के जो काम है, यह स्पष्ट रूप से आपको फर्क दिखेगा कि यह सरकारें किस नीयत और किस सोच से काम कर रही है ? सभापति महोदय, 15 साल हमारी सरकार थी, हम सब इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे और कैसे एक-एक योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है ? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक-एक व्यक्ति की, अंतिम पंक्ति के, अंतिम व्यक्ति की चिंता करके सरकार ने योजनायें बनाई । राज्य में प्रदेश की कैसे दशा और

दिशा बदली है, यह सत्ता और सरकारों पर बैठे हुये लोगों के नीयत और सोच के फर्क को साफ बताता है और यह 8 साल के काम और यह 17 साल के काम में फर्क साफ-साफ दिखता है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिये इस बात की शुरूआत की है कि हमारी सोच इस बजट में क्या है, वह दिखता है । हम किस दिशा में राज्य को लेकर जाना चाहते हैं, हमारे बजट से उसकी झलक दिखती है। हर वर्ग के लिये चिन्ता है, राज्य के भविष्य की चिन्ता है, राज्य के एक-एक नागरिक की चिन्ता है कि कैसे गरीब व्यक्ति को पक्का मकान मिले, इसकी चिन्ता करने वाली सरकार है । कैसे वह गांव, जो आज भी पहुंचविहीन रास्तों से छूटे हैं, वहां तक सड़कें कैसे बनें, इसकी चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए ये जो बजट आया है, स्पष्ट रूप से हमारी विकासपरक सोच और जनकल्याण की सोच को प्रदर्शित करने वाला बजट है। मैं एक-एक माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब विकासपरक सोच रखते हैं, जनकल्याण की नियत रखते हैं तो वह योजनाओं से स्पष्ट रूप से झलकता है। आज यदि हम अपने बजट में उस सोच के अनुरूप काम लेकर आए हैं, कैसे परिवर्तन आया है, कैसे राज्य आगे बढ़ रहा है, कैसे देश के अंदर हमारे राज्य की प्रतिष्ठा बन रही है। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की खूब बातें हुई हैं। मंत्री जी जवाब नहीं देते, जवाब नहीं है, कुछ किया नहीं है, बार-बार बोलते हैं। जवाब सुनने से पहले गायब हैं। अब जिनके नेता ही ऐसे बोलकर गायब हो जाते हैं, बात रखें और हर बार गायब। वैसे ही अभी भी वही हाल है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, हमारे सदन के उपनेता बैठे हुए हैं।

श्री अरूण साव :- आज जल जीवन मिशन की दुर्दशा हुई है। आज छत्तीसगढ़ की जनता...।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए न।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, इधर कुछ इंगित हुआ है तो बोलना ही पड़ेगा न।

सभापति महोदय :- उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप बैठिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय मंत्री महोदय, आपके नेता लोग सुनने के लिए नहीं है देखिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय जी, इनके प्रतिवेदन से ही पता चलता है कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के प्रतिवेदन में आपका जरा भी व्याख्यान नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ? वही तो हमारी पारदर्शिता है, वही तो हमारे देखने का दर्पण है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- ठीक है, मंत्री जी के भाषण में टोका-टाकी न करें, वे पूरे धैर्य से सबका भाषण सुने हैं, अब उनका भाषण आप लोग सुनिए। ये ठीक नहीं है। आप बोलिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सबकी बातें ध्यान से सुनी है, मैंने बीच में किसी को कुछ नहीं बोला है। जल जीवन मिशन की बहुत बातें हुई। जल जीवन मिशन की योजना, ये

विकासपरक सोच और जनकल्याण की नीति का परिचायक था। उन्हें भी देश और प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला। पोखर से पानी पीने वालों की, गंदी पानी पीने वालों की, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर से दिन भर पानी की व्यवस्था करने के लिए लाते थे, आपने उनके लिए योजना बनाई भी नहीं, उनके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन एक गरीब मां का बेटा जब देश के प्रधानमंत्री बने, जनकल्याण की नियत से जल जीवन मिशन योजना बनाई। वर्ष 2019 से वह योजना चालू हुई, आपने राज्य में 2021 में योजना प्रारंभ की और कैसे-कैसे की, मैं इसकी बहुत गहराई पर जाना उचित नहीं मान रहा हूं। आपने 2021 में दो साल उस समय विलंब किया। अप्रैल 2023 में ट्यूबवेल के खुदाई का वर्क ऑर्डर किया। आपने चार साल विलंब किया। आज जल जीवन मिशन के कामों की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं । आपने क्या किया बता नहीं पा रहे हैं। मैं आपको पूरा हिसाब बताऊंगा कि हमने दो साल में क्या-क्या किया है। मैं बार-बार बता चुका हूं। आज द्वारिकाधीश यादव जी बोल रहे थे, मेरे जिले में एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई है, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। महासमुंद जिले में स्वीकृत योजना 1,131 है, आज तक पूर्ण हुई योजना 486 है, हमने ढाई साल में 332 योजनाओं को पूरा किया है। आपके जिले में ढाई साल में पूरा किया है । ध्यान से सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी, आप बता रहे हैं, एक मिनट मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए।

सभापति महोदय :- नहीं, क्या होगा, ऐसे में तो उनको अभी कई विभागों का बोलना है, हर कोई खड़े होकर पूछेगा, बोलेगा तो ठीक नहीं है। सुन लीजिए, फिर बाद में बोल लीजिए। बैठिए, सुनते जाइए, सुनना पड़ता है।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार में प्रश्न पूछा गया कि क्या पेनाल्टी लगाई गई? जल जीवन मिशन के काम में जो विलंब किया गया, उसको लेकर 28.38 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई गई।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट ।

श्री अरूण साव :- हमने 629 टेंडर निरस्त किए। भाई, आप ध्यान से सुनिये। आप आरोप लगाकर भागने वाला काम मत करिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, मैं आपका ध्यान धरातल की ओर लाना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। आप बोल लीजिये, परंतु हर कोई नहीं बोलेंगे। बात-बात पर टोका-टाकी होगी तो कैसे चलेगा?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ठीक है। मंत्री जी, आप जो पेनाल्टी के आंकड़े बता रहे हैं, अगर वास्तविक पेनाल्टी पर जाएंगे तो उससे कई गुना ऊपर जाएगा। आपने पेनाल्टी लगाए हैं। मैं आपसे

सहमत हूं, लेकिन जो वास्तविक पेनाल्टी लगनी चाहिए, यदि आप उस पेनाल्टी पर जाएंगे तो आंकड़े तीन-चार गुना ऊपर जाएंगे।

सभापति महोदय :- हो गया। अब आप सिर्फ सुनिए। वह जो भाषण दे रहे हैं, उसको धैर्य से सुनिये।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, हमने टेंडर निरस्त किए–629। हमने पाइप अस्वीकृत किए, जो अमानक वाले पाइप थे–76,206 मीटर। हमने 11 निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयां कीं। हमने टंकियां तोड़ीं, जो अमानक थीं–276। हमने बनी हुई टंकियां तोड़ीं। हमने 5,734 नल चबूतरे तोड़े और 2 बाउंड्री वॉल तोड़े। हमने 1,48,662 मीटर का पाइप लाइन उखाड़कर बदला। हमने ये कार्रवाइयां कीं। 4 कार्यपालन यंत्री को नोटिस दिया, 6 को सस्पेंड किया और 1 एजेंसी के खिलाफ एफ.आई.आर. की। हमने क्या काम किया तो हमने इन ढाई सालों में जल जीवन मिशन के लिए 12,316 नलकूप खोदे, क्योंकि आपने 4 साल विलंब से अप्रैल, 2023 में ठेका दिया था। आज आप हमसे हिसाब पूछते हैं। काम अधूरा है। आपने काम विलंब से प्रारंभ किया। आपने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, यह बाद की बात है। इस बीच हमने 5,077 नग टंकियों का निर्माण किया। आपकी सरकार रहते हुए केवल 200 ग्रामों में जल प्रमाणित हुआ था। हमने 5,028 गांवों में हर घर तक नल पहुंचाकर उसको प्रमाणित कराने का भी काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय उप नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे कि पद खाली हैं, आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। हमने पी.एच.ई. में भी भर्ती की है, सब इंजीनियर की भी भर्ती की है, अन्य पदों में भी भर्ती की है। लोक निर्माण विभाग में 80 से ज्यादा सब इंजीनियर की भर्ती की गई है, अन्य पदों पर भी भर्तियां की गई हैं। हम नियमित रूप से भर्ती कर रहे हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- मैं आपके विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ रहा था। उसमें यदि गलत लिखा गया है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 50 प्रतिशत से ज्यादा पद भरे नहीं गये हैं। आपके प्रशासनिक प्रतिवेदन में लिखा है। हो सकता है कि इसमें अलग बात की गई है और अभी आप भर्ती करना शुरू कर दिये होंगे।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए लगभग 2,98,230 हैंडपंप संचालित हैं। जिसके माध्यम से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था का काम हो रहा है। इसके संधारण की व्यवस्था, हमने हैंडपंप टेक्नीशियन की भी भर्ती की है। हम लगातार उसके मेंटनेंस की चिंता कर रहे हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लगातार इस दिशा में काम हो। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी मांगें रखी हैं। निश्चित रूप से उनकी एक-एक मांग का परीक्षण होगा और अब तक आप सबने ईमानदारी से कहा है कि हमारे क्षेत्र में स्वीकृति हुई है, परंतु यह छूटा है तो इसे भी दे दें। किसी ने यह नहीं कहा कि बिल्कुल स्वीकृति नहीं हुई है। यह हमारी विकास की सोच, समग्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़

जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बजट को लेकर अपनी बात रखना प्रारंभ करता हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- महोदय, क्या अभी तक राजनीतिक भाषण चल रहा था कि आप अब बजट में आ रहे हैं ?

श्री अरूण साव :- बहन जी, मैं आपको जवाब दे रहा था। अब मैं बजट प्रस्तुत करूंगा। माननीय सदस्या, आपने जो प्रश्न उठाये थे, क्या उसका जवाब नहीं देना था ? मैंने आपको उसका जवाब दिया।

सभापति महोदय :- चलिये ठीक है। उनको अपने स्टाईल में जैसे बोलना है, वह बोलेंगे। मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद सड़कों और पुलों के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 1,355 कार्यों के लिए 10,430 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां जारी की गई है। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2026-27 के बजट में सड़क, पुल एवं भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 9,451 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रायपुर सहित संभागीय मुख्यालयों में आवश्यकतानुसार फोरलेन की सड़कें बने, फ्लाईओव्हर बने, नवीन मार्ग बने, इनको प्राथमिकता से न केवल बजट में शामिल किया गया है, वरन प्राथमिकता के आधार पर ऐसी स्वीकृति दी जा रही है। राजधानी के यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला रायपुर के जी.ई. रोड में गुरु तेग बहादुर उद्यान से एस.आर.पी. चौक, नेताजी सुभाष चौक, गुरु नानक चौक होते हुए एक्सप्रेस-वे के पूर्व तक फ्लाईओव्हर निर्माण के लिए 173 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजधानी रायपुर में महत्वपूर्ण जंक्शनों के लिए फ्लाईओव्हर के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए बजट में राशि प्रावधानित की गयी है। इन फ्लाईओव्हर्स के निर्माण से राजधानी को सुगम यातायात मिलेगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार बिलासपुर सहित अन्य जो संभागीय मुख्यालय हैं, उन मुख्यालयों में भी फ्लाईओव्हर्स के काम प्रस्तावित किए गए हैं और निश्चित रूप से उस विजन के साथ कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो छत्तीसगढ़ को संवारने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना बनाई है, जिसमें हमने 36 सड़कों को चिन्हित किया है और 36 सड़कों को हाई स्पीड रोड के रूप में डेव्हलप करेंगे। जहां पर आवश्यकता है, वहां टू लेन बनाएंगे, जहां पर आवश्यकता है, वहां फोर लेन बनाएंगे, जहां ब्रिज चौड़ी करने की आवश्यकता है, वहां ब्रिज को चौड़ी करने का काम करेंगे। हमने योजना बनाई है कि जो पहुंचविहीन गांव हैं, आज भी जहां पर बरसात के दिनों में राशन नहीं जाता है, वहां पर इलाज के लिए दिक्कत होती है, हमने ऐसे गांवों को चिन्हांकित किया है। हम उन गांवों को लगातार बारहमासी सड़कों से जोड़ने की चिंता कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार

भी लगातार हमें इस काम में मदद कर रही है। वर्ष 2025-26 में 625 सड़कों की लंबाई, 4303 किलोमीटर, 171 पुल, 32 भवनों के निर्माण के लिए 7,127 करोड़ रूपये करोड़ की नियुक्तियां दी गई हैं। (मेजों की थपथपाहट) वह महत्वपूर्ण मार्ग, जिसका मैं समय जाया न करते हुए ये सारे महत्वपूर्ण मार्ग हैं, चिन्हित किए हैं और हमने सोच बतायी कि यदि जनकल्याण और विकासपरक सोच है तो विकास कहीं पर केंद्रित नहीं हो जाएगा। राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा विकास से छूटा हुआ है और 10 प्रतिशत हिस्से में वह नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता हमारा परिवार है। हमने उनकी चिंता करके विकास की योजनाएं बनाकर बजट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है और हमने उसी के लिए राशि की मांग भी है। यह सारी महत्वपूर्ण रोड हैं, जिनको चिन्हित करके हम विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने बस्तर क्षेत्र की 19 सड़कों और 17 सड़कों को इस योजना में जोड़ा है। इसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हमने बजट में 51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है ताकि जो ब्लैक स्पॉट है, दुर्घटनाजन्य स्थल है , उसे हम ठीक कर सकें और इसके लिए बजट में 51 करोड़ रुपये का प्रावधान है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिये नियमित रूप से राशि उपलब्ध कराई है। सी.आर.आई.एफ. योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अब तक 12 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिये 1557.03 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी हैं। (मेजों की थपथपाहट) जिसमें ज्यादातर सड़कों में टेंडर के काम हो गये हैं, काम प्रारंभ होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिये बस्तर क्षेत्र में कोंडागांव से नारायणपुर महाराष्ट्र की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 डी के निर्माण के लिये 973.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) 112 किलोमीटर निर्माण कार्य प्रगति पर है। केशकाल फोरलेन बाइपास मार्ग 11.38 किलोमीटर, इसके भी निर्माण के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) ये विजन को बताता है। हमने लगातार पुल-पुलियों की स्वीकृतियां दी है। अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र के लिये भी 390 करोड़ रुपये के प्रावधान बजट मे किये गये हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त पुल एवं मार्ग के पुनर्निर्माण के लिये भी इस बजट में हमने प्रावधान किया है। यह नवीन विधान सभा का भवन का लोकार्पण 1 नंवबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों से हुआ है। इस वर्ष 225 भवनों का भूमिपूजन पूर्ण किये गये, अन्य 148 भवनों को पूर्ण कर लोकार्पण कराया गया है। सभापति महोदय, हमने ओ.पी.आर.एम.सी. एक नई योजना प्रारंभ की है। यह स्थाई रूप से सड़कों को हाई टेक्नालॉजी के साथ नियमित रूप से..।

श्री रामकुमार यादव :- सर, ओ.पी. बोल रहे हैं, कहीं ओ.पी. साहब वाली योजना तो नई हे?

श्री अनुज शर्मा :- पैसा तो वहीं वित्त मंत्रालय से आत हे न।

श्री अरूण साव :- नाम से बहुत चिढथव गा। जी-राम-जी कहेन तभो आप मन ला दर्द होत हे।

सभापित महोदय :- ओ.पी. शार्ट नाम में है। हमारे ओ.पी. साहब का भी नाम है, एक और ओ.पी. होते हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, अभी इस योजना के अंतर्गत सिमगा, खरोरा, आरंग, नवापारा, कुरूद मार्ग 103 किलोमीटर के रखरखाव के लिये 59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस कार्य हेतु एजेंसी तय की जा चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) ये टेक्नालॉजी बेस्ड होगा। सड़क पर थोड़ा सा भी गढ्ढे आयेंगे, उसके मेन्टेनेंस का काम उस टेक्नालॉजी के माध्यम से नियमित रूप से होता रहेगा। उसकी सारी मानीटरिंग होगी। (मेजों की थपथपाहट) अब ये एक तरीके से हम सड़कों को आने वाले समय में, हमारी सभी सड़कें इस तरह के मेन्टेनेंस के काम के लिये होगा। इस वर्ष 1534 किलोमीटर हेतु 180 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में इस योजना के लिये किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद लगातार चाहे वह अनुकंपा नियुक्ति के मामले हों, नई भर्तियों के मामले हों, पदोन्नति के मामले हों, इन मामलों पर भी हमने पूरी गंभीरता से काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) लोक निर्माण विभाग में 19 लाभार्थी को हमने अनुकंपा नियुक्ति दी है। 7 मानचित्रकारों, 80 उपअभियंताओं की नियुक्ति हमने कर दी है। लोक निर्माण विभाग में भृत्य से लेकर, मुख्य अभियंता तक 371 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी है। ये लोक निर्माण विभाग राज्य के इतिहास में ऐसी कभी इतनी पदोन्नति नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों के बेहतर संचालन तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से 7 नवीन संभागीय कार्यालय, 12 नवीन उप संभागीय कार्यालय हमने सृजित किये हैं। ताकि इतने बड़े काम हम जो स्वीकृत कर रहे हैं, उन कामों को हम ठीक प्रकार से लागू कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या- 24 में राशि 4922 करोड़ 64 लाख 79,000 रूपये, मांग संख्या- 67 में 2242 करोड़ 74 लाख 70,000 रूपये, मांग संख्या- 73 में 15 करोड़ 4 लाख 20,000 रूपये की मांग करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित मांग पर मैं अपनी बात रख रहा हूं । राज्य गठन के समय कुल 75 नगरीय निकाय हमारे राज्य में हुआ करती थीं, दिसम्बर, 2023 की स्थिति में 183 और वर्तमान में बढ़कर 194 अधिसूचित नगरीय निकाय हो गयी हैं । इनमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका, 124 नगर पंचायत, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 57.07 लाख था । यह राज्य की कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत था । वर्ष 2025 में यह बढ़कर 78.1 लाख हो चुकी है । इस प्रकार राज्य के गठन प्रथम वित्तीय वर्ष में विभाग का बजट 167.38 करोड़ था जो कि बढ़कर आज वर्ष 2026-2027 में 6 हजार 50 करोड़ रूपये हो गया है, यह विभाग की योजना को दर्शाता है । (मेजों की थपथपाहट) हमारे शहर सुव्यवस्थित बने, स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने इसके लिये पिछले दो सालों में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है और इसीलिये पहली बार हमारे 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया । हम लगातार नयी योजनाएं

लेकर आये, नगरोत्थान योजना लेकर आये, नगर-निगम में जो बडे काम हैं उसके लिये और इस बार मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना लेकर आये हैं (मेजों की थपथपाहट) उसके माध्यम से शहरों का सुव्यवस्थित विकास करना चाहते हैं । लगातार अत्याधुनिक शहर बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन का काम हो, अमृत मिशन के माध्यम से जल प्रबंधन का काम हो । आने वाले समय में नगरीय निकायों में पेयजल का संकट न हो उसे सुनिश्चित करने का काम हो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक वृहद् रूप से कार्ययोजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार उसका अच्छा प्रतिफल देखने को मिल रहा है । प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिये, शहरी 2.0 के लिये एवं गृह प्रवेश सम्मान योजनांतर्गत कुल 909.50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2.0 हेतु 467.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत मिशन अमृत 2.0 हेतु 512 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । पी.एम.ई. बस सेवा योजनांतर्गत राशि 30 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2285.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । वित्त आयोग अंतर्गत 641 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजनांतर्गत 450 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । नालंदा परिसर निर्माण हेतु कुल 100 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । अधोसंरचना मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 840 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । मोर संगवारी सेवा योजनांतर्गत 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । ई-गवर्नेंस योजनांतर्गत 10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । ए.बी.सी. रूल 2023 के क्रियान्वयन हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । नवीन योजना, भूमिगत विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह हमारी सोच को दर्शाता है। नवीन योजना आदर्श शहर समृद्धि योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग एवं विकास विभाग हेतु वर्ष 2026-2027 के लिए कुल 6 हजार 50 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट के जो प्रावधान हैं वही स्पष्ट रूप से हमारी विकास परख सोच और जनकल्याण की नीति को दर्शाने वाला है। एक-एक क्षेत्र और हमारे शहर कैसे सक्षम, स्वच्छ, सुन्दर और सुविधापूर्ण बने। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, यह बजट का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना कितनी बड़ी योजना है। हर व्यक्ति के घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। जैसे मैंने कहा कि आपने इतने लम्बे समय तक देश और प्रदेशों में राज किया । उस समय आपने गरीब आदमी की चिंता नहीं की। आपने उनके शुद्ध पेयजल की भी चिंता नहीं की। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात की चिंता की, लेकिन आपने क्या किया ? कभी आपकी नीयत जनकल्याण की रही नहीं है, जो आपने किया,

वह आपकी नीयत को बताता है कि आपकी नीयत कहां है। आप किस नीयत से काम करते हैं। यह आपके नीयत को दर्शाने वाला है, लेकिन मैं यह पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पूर्व की सरकार में जिस हालात में जल जीवन मिशन था, हमने उस हालात से जल जीवन मिशन को निकाला और उसे आगे बढ़ाने का काम माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार कर रही है। हमें राज्य बजट से पूरा-पूर सहयोग मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) राज्य के मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने लगातार बजट का आवंटन किया है और उस राशि का उपयोग करके, लगातार जल जीवन मिशन के काम को आगे बढ़ा रहे है। इसमें भुगतान के लिए जितनी कड़ाई हो सकती थी, जितनी पारदर्शिता हो सकती थी, वह हमने बरती है ताकि इन पैसों का बंदरबांट न हो सके। जनता के एक-एक पैसे का उपयोग हो, आज कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उसमें भुगतान नहीं हो रहा है। इसमें भुगतान कैसे होगा ? इसमें काम का जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करेंगे तब तो भुगतान होगा। आज यह योजना अधूरी है। हमने यह नहीं कहा कि यह योजना पूरी हो गयी है, इसे हमने पूरा कर दिया है। यह योजना अधूरी है। केन्द्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ाया है। इसे वर्ष 2028 तक पूरा होना है, लेकिन जो काम 80 प्रतिशत हो गया है, 90 प्रतिशत हो गया है, उन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करके, उसे सर्टीफाईड कराकर, हस्तांतरण की कार्यवाही कर रहे हैं। आज लगभग 7 हजार योजनाएं पूरी हो चुकी हैं । यहां 5 हजार से अधिक गांवों में पानी नल से पहुंच रहा है, पर इनको दिखता है जो कार्य अधूरे हैं अभी यह योजना पूरी नहीं हुई है। हमारी योजना का काम जारी है, पर जिस सोच के साथ माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना लायी है, हम उस सोच को पूरा करेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हर एक घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, हम इस काम को पूरे संकल्प के साथ पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत वर्ष 2026-2027 की मुख्य योजनाओं में जो प्रावधानित बजट है। वह मैं आपके सामने रखता हूँ। राज्य में 49 लाख 97 हजार ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत 29 हजार 173 सिंगल विलेज योजनाओं में से हमने 7 हजार योजनाएं पूरी कर ली हैं। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में 8.99 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने और शेष योजनाओं को पूर्ण करने हेतु बजट में 3 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) दिनांक 21.06.2022 के पूर्व आमंत्रित निविदाओं में टेण्डर प्रीमियम की राशि का भुगतान किये जाने हेतु वर्ष 2026-2027 के बजट में 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु जल प्रदाय योजना अनुरक्षण कार्य हेतु बजट में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । राज्य में 7490 सोलर पम्पों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई है । इन योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । राज्य के मद से नलकूप खनन कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । शहरी क्षेत्रों में भी

नलकूप के खनन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । ग्रामीण बसाहटों में हैण्डपम्प के संधारण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुल 2,98,230 हैण्ड पम्पों के संचालन एवं संधारण हेतु किया जाएगा । राज्य मद से समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन, संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन और संधारण हेतु किया जाएगा । नगरीय योजनाओं के रीढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के पूर्व विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम क्रियान्वित था, उस अवधि के स्वीकृत कार्यों का भुगतान लंबित रह गया है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 1 करोड़, 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । समूह जल प्रदाय योजनाएं राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूगर्भि जल की उपलब्धता कम है तथा सतही जल स्त्रोत उपलब्ध है, ऐसे क्षेत्रों हेतु राज्य मद से नाबार्ड पोषित योजना अंतर्गत 44 समूह जल प्रदाय योजना हेतु बजट में 260 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, अंबिकापुर में नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय एवं जशपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय की स्थापना हेतु 44 पद संरचना एवं कोंडागांव में विद्युत यांत्रिकी खण्ड कार्यालय की स्थापना के लिए 16 पद संरचना बजट में शामिल की गई है । इससे सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में विभागीय कार्यों का प्रशासनिक कसावट की सुचारू व्यवस्था हो सकेगी । दो जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं 12 कार्यालय भवन निर्माण हेतु बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । जिला धमतरी में सिर्री समूह जल प्रदाय योजना प्रारंभ की जा रही है । इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया है । सुतियापाट जलाशय से 54 ग्रामों के लिए समूह योजना बनाई गई है, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) जिस सोच के साथ माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जल मिशन प्रारंभ की है, निश्चित रूप से उस सोच की दिशा में आगे बढ़ेंगे । चाहे वह शहरों के अमृत मिशन योजना के काम हों, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन के काम हों, इन सब योजनाओं को गंभीरता से लागू करेंगे और लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का पूरा-पूरा संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खेल के प्रति हमारे युवाओं में रूचि है, हमारे युवाओं में खेल की क्षमता है और जिस प्रकार से हमारे राज्य के युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आज विष्णु देव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार काम किया है । हम मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन नाम की एक नई योजना लेकर आये हैं । इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ ट्रियूबना प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। युवा रत्न सम्मान योजना

के लिए बजट में 1 करोड़, 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । खेल अकादमी के लिए बजट में 15 करोड़, 1 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । राज्य युवा महोत्सव के लिए बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । जिस तरह से बस्तर ओलंपिक को सफलता मिली, वह गत वर्ष प्रारंभ हुई, इस वर्ष भी हुआ । 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया। (मेजों की थपथपाहट) यह बदलते हुए बस्तर के दृश्य को दर्शाता है कि बस्तर का युवा क्या चाहता है ? छत्तीसगढ़ का युवा क्या चाहता है ? यह इस बात को दर्शाता है। इसीलिए हमारी सरकार ने बस्तर ओलंपिक के बाद सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन करने जा रही है। उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इन सब बातों को देखकर नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व वाली सरकार ने नेशनल ट्राइबल यूथ गेम ..।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर-सरगुजा तो हो गया, लेकिन मध्य क्षेत्र का कब होगा ? थोड़ा उसको भी बता दीजियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- ओ हा 2047 तक होही।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री अरूण साव:- अब दिक्कत की बात यह है कि बस्तर में कर रहे हैं तो बस्तर के विधायक को आपत्ति है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, आपत्ति नहीं है। दोनों जगह हो गया, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप उसको कैसे आपत्ति मान रहे हैं ? बोला भी नहीं है।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, समग्र छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा। पूरे देश का इतना बड़ा आयोजन मिला है। इस तरह के प्रावधान बजट में हुए हैं। मैं कुछ बातें और आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछली सरकार में लोक निर्माण विभाग के लिए इन्होंने कर्ज लिया था। वह कर्ज भी हमने चुकाया है। (मेजों की थपथपाहट) हमने कर्ज भी चुकाया लेकिन उन्होंने सड़क भी नहीं बनाया। हमने वह कर्ज भी चुकाया और सड़क बनाने का भी काम कर रहे हैं। मैं कितनी बातें बोल सकता हूं कि सरकार की नीयत कैसे होती है ? आपकी योजनाओं में सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत परिलक्षित होती है। हमारी सरकार की एक-एक योजना, हमारा एक-एक काम, मोदी जी की एक-एक गारंटी को पहले दिन से पूरा करने काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, गरीबों के आवास को रोकने का काम (शेम-शेम की आवाजें) वह सरकार किसके लिए होती है ? सरकार की प्राथमिकता किस पर होती है ? जो वंचित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए सरकार की योजनाएं हैं। परन्तु वह सरकार कैसी होगी, जो प्रधानमंत्री आवास को रोके। मैं सरकार की नीयत की बात कर रहा हूं। आपकी योजनाएं कैसी होती हैं, वह आपकी नीयत पर से पता चलता है। इसलिए मैंने जैसा बताया कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पहले बजट GYAN के

विजन पर लेकर आती है। फिर दूसरी बजट GATI पर केन्द्रित बजट आती है। (मेजों की थपथपाहट) तीसरी बजट आती है वह SANKALP को पूरा करने वाला SANKALP वाला बजट, उसकी झलक बजट में दिखती है। इसलिए मैं आपसे अंत में कहूंगा -

'सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो,
सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है,
तुम अपने आपको बदल सको तो चलो।

माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- रामकुमार समझ में आ गया ?

श्री रामकुमार यादव :- हमन बोले रहेन तेला कुछु बोला नहीं, तेखर सेती बैठे रहेन कि कुछ कहही।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, ..।

सभापति महोदय :- आपके पास भी शायरी है क्या ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं शायरी के ऊपर ही बोल रहा हूं। जैसे चेहरे को चमकाने के लिए क्रीम पावडर का उपयोग करते हैं, आप लोग सदैव यह शेरो-शायरी में योजना को चमका रहे हो। लेकिन यह धरातल में नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, तो आप फेयर एंड लवली लगाकर चमकाते हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- हो गया। बैठिए, बैठिए।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20, 22, 24, 43, 67, 69 76 एवं 81 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये-दो हजार एक सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, छियासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय के लिये- सत्ताईस करोड़, नौ लाख, पन्चानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये-चार हजार नौ सौ बाईस करोड़, चौंसठ लाख, उन्यासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये-एक सौ छियासठ करोड़, तिरासी लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 67 लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये-दो हजार दो सौ बयालीस करोड़, चौहत्तर लाख, सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये-एक हजार छः सौ अन्ठानबे करोड़, अन्ठानबे लाख,सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए-पन्द्रह करोड़ चार लाख, बीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये-तीन हजार चार सौ चौवालीस करोड़, बांसठ लाख, पैंतालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 7 बजकर 48 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026 (फाल्गुन 19 शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई.)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 09 मार्च, 2026